IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

February 2022
Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

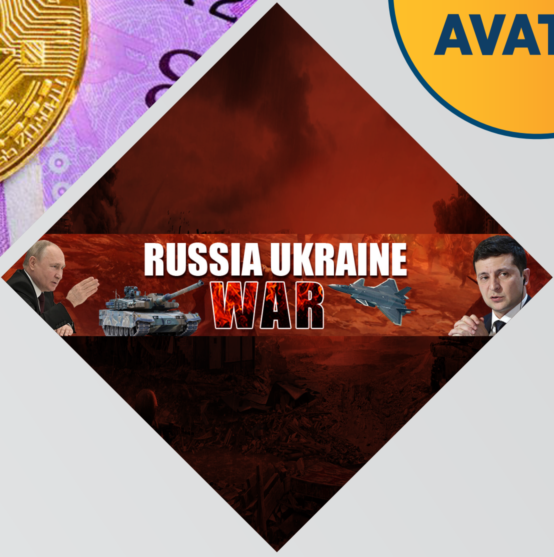

IN NEW AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

IAS BABA

Integrated Learning Program (ILP) – 2023

Your Road To Mussoorie...

Available in English & हिन्दी

- Micro Planning - 365 Day Plan
- VAN (Daily Notes)
- Daily Prelims & Mains Tests
- Babapedia – One Stop Destination for Current Affairs (Prelims & Mains)
- Progress Bar – To Track your Progress & Performance
- Strategy Videos for every Subject
- Detailed coverage of NCERTs & Standard Books
- 72 Prelims Tests & 50 Mains Tests

Add-Ons : Current Affairs Videos | Mentorship

Dedicated App for the 1st Time!

REGISTER NOW

Scan Here to Know More

विषय वस्तु

राज्यव्यवस्था एवं शासन

- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)
- चुनावी बांड (Electoral bonds)
- जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग
- ऑपरेशन आहट (Operation AAHT) का शुभारंभ
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस)
- आईडिया डेटाबेस
- ई-पंचायत सुविधा
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण
- डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीड)
- वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी)
- सरकार ने 'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम' को मंजूरी दी
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना
- मौलिक कर्तव्य
- अंगदिअस (Angadias)
- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी)
- प्रजातिकेंद्रिकता (Ethnocentrism)
- स्थानीय रोजगार कानून जो संवैधानिक प्रश्न उठाता है

अर्थव्यवस्था

- रिवर्स रेपो सामान्यीकरण
- पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल 'पीएम-डिवाइन' की घोषणा
- हाइड्रोजन सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- लाकाडोंग हल्दी (Lakadong Turmeric)
- ई-नाम पोर्टल पर मंडियों की संख्या में वृद्धि
- राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – "पर्वतमाला"
- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee)
- मुस्कान: आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन
- ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP)
- प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)
- चौथी भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता (India-Australia Energy Dialogue)
- Mumbai में शुरू हुई देश की पहली Water Taxi सर्विस
- सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL)

- बजट : राजकोषीय समेकन का महत्वपूर्ण विश्लेषण
- केंद्रीय बजट 2022-23: कृषि क्षेत्र में प्रसन्नता का कोई कारण नहीं दिखता

पर्यावरण

- फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन (Fly Ash Management and Utilisation Mission)
- परजीवी फूल वाले पौधे की नई प्रजाति
- COP-26 पर भारत का स्टैंड
- भारत में चीता (Cheetah) का परिचय
- समुद्री संसाधनों का संरक्षण
- वन ओशन समिट
- उच्च ऊंचाई वाले हिमालय में वार्मिंग
- नदी के किनारे रेत खनन
- कोआला (Koala)
- सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति
- जीवन - पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LIFE - LIfestyle for Environment)
- इंदौर में बना 'एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट'
- क्रायटोडैक्टाइलस एक्ससिर्टस
- प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी

भूगोल और समाचारों में स्थान

- बम चक्रवात (Bomb Cyclone)
- ग्रेटर मालदीव रिज का विवर्तनिक विकास

इतिहास और संस्कृति

- होयसल मंदिर (Hoysala Temple)
- पुनौरा धाम
- समानता की मूर्ति (Statue Of Equality)
- चिंतामणि पद्य नाटकम
- राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस)
- महाराजा सूरज माली
- गुरु रविदास
- जॉर्डन में खुदाई के दौरान मिला 9 हजार साल पुराना मंदिर
- भारतीय मंदिर वास्तुकला 'देवायतनम'

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर
- सुपरकंप्यूटर परम प्रवेग (Supercomputer Param Pravega)
- चंद्रयान-3
- स्पुतनिक लाइट वैक्सीन
- कोविन पोर्टल
- परमाणु संलयन ऊर्जा
- भारत ने ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया

- सौर तूफान
- अभ्यास मिलान
- भारतीय वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी का प्रोबायोटिक विकसित किया
- डॉक्सिंग
- PSLV C-52 मिशन
- लस्सा बुखार (Lassa Fever)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए)
- पुलवामा हमला
- सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं
- अवसाद पर रिपोर्ट (Report on depression)
- कॉर्बेवैक्स (Corbevax)
- समुद्र के नीचे केबल सिस्टम
- बोइंग ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा
- ब्लोटवेयर ऐप्स
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- अफ्रीकी संघ ने बुर्किना फासो को निलंबित किया
- श्रीलंका का एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क
- यूरोपीय संघ के चिप्स अधिनियम
- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Program -WFP)
- नीति आयोग की 'समृद्ध (SAMRIDH)' पहल
- क्वाड (Quad)
- चौथी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक
- भारत-मालदीव रक्षा संबंध
- भारत और यूएई ने ऐतिहासिक सीईपीए पर हस्ताक्षर किए
- लुगांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों को स्वतंत्र के रूप में मान्यता दी
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन
- यूरोप की परिषद (Council of Europe)
- सुर्खियों में स्थान : चेरनोबिल

विविध

- भारत के अल्पसंख्यक समुदाय
- कृषि उड़ान योजना 2.0
- एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव 'मेदारम जतारा' पारंपरिक हर्षोल्लास से तेलंगाना में आरंभ
- चंडीगढ़ 'हेरिटेज सिटी'
- नोक्टे जनजाति
- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (NWM):

- 'आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग' (IVFRT) योजना
- मॉस्को में गोल्ड मेडल जीतकर देश लौटी वुशु स्टार सादिया तारिक
- एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज-VI (2022):
- राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान

मुख्य फोकस (MAINS)

राज्यव्यवस्था और शासन

- विधेयक को मंजूरी देने में राज्यपाल की भूमिका
- केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022
- झारखंड में नया भाषा-अधिवास का विरोध
- जाति डेटा का महत्व
- अधिक संघीय न्यायपालिका के लिए एक मामला
- सीलबंद कवर न्यायशास्त्र
- ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022
- मातृभाषा: जीवन की आत्मा (Mother Tongue: Soul of Life)

अर्थव्यवस्था

- आभासी डिजिटल संपत्ति और डिजिटल मुद्रा (Virtual digital assets and Digital Currency)
- घटती जन्म दर और बदलाव की जरूरत (Declining Birth Rate and need for Change)
- निजीकरण नीति पर पुनः विचार करने का समय (Time to relook at the Privatisation Policy)
- भारतीय कृषि को बदलने के लिए एक एमएसपी योजना (An MSP scheme to transform Indian agriculture)
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (Credit Rating agencies)
- हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट: FAO-WFP

पर्यावरण

- पर्यावरण मंजूरी की हमारी टूटी हुई प्रणाली
- एक हरित, लचीले और समावेशी विकास के लिए राह तय करना
- ओडिशा में इस साल हाथियों के संघर्ष में सबसे ज्यादा मानव हताहतों की संख्या
- महासागरों को समझना: क्यों यूनेस्को दुनिया के 80% समुद्र तल का मानचित्रण करना चाहता है
- जलवायु परिवर्तन पर नया अध्ययन (New Study on Climate Change)
- UNEP के फ्रंटियर्स 2022 : जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल की आग अधिक बार-बार, बड़ी और तीव्र होगी
- ग्रीन हाइड्रोजन
- भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में होगा स्थापित

भूगोल

- नदियों को जोड़ना (Linking Rivers)
- कैसे प्रौद्योगिकी भारत के भूजल को बचाने में मदद कर सकती है

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- अप्रभावी जादू की गोलियां: एंटीबायोटिक प्रतिरोध अब दुनिया भर में मौतों का प्रमुख कारण है
- साइबर धमकी (Cyber Threats)
- ड्रोन पर आयात प्रतिबंध (Import Ban on Drones)
- भारत का भू-स्थानिक क्षेत्र (India's Geospatial Sector)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- एफटीए भारत और यूके
- अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध और डूरंड रेखा: यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- भारत और डिजिटल व्यापार: संयुक्त वक्तव्य पहल
- भारत और नेपाल: क्या बिम्सटेक प्रमुख हो सकता है?
- क्या भारत को शरणार्थी कानून और शरण स्थल कानून की जरूरत है?
- रूस-चीन धूरी की परख
- यूरोप का सुरक्षा ढांचा अस्त-व्यस्त
- कनाडा का डिजिटल सर्विसेज टैक्स (Canada's digital services tax)
- सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट)

इतिहास

- वीर दामोदर सावरकर

प्रैक्टिस MCQs

उत्तर कुंजी

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)	**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women -NCW) का 30 वां स्थापना दिवस मनाया गया।
	• देश में महिलाओं की बढ़ती जरूरतों के आलोक में, इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के दायरे को व्यापक बनाया जाना चाहिए।
	• इस समारोह की थीम-'शी-द चेंज मेकर' थी।
	राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के बारे में
	• ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित अधिनियम (National Commission for Women Act, 1990) के तहत 31 जनवरी, 1992 को गठित हुआ था।
	• आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पांच अन्य सदस्य होते हैं। NCW के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
	• इसका मिशन उपयुक्त नीति निर्माण, विधायी उपायों आदि के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों को हासिल करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना है।
	• **मुख्यालय :** नई दिल्ली
	• राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष -जयंती पटनायक
	• वर्तमान अध्यक्ष (2022)- रेखा शर्मा
	• **इसके कार्य हैं:**
	    ○ महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
	    ○ उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
	    ○ शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना।
	    ○ महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

चुनावी बांड (Electoral bonds)	**संदर्भ:** सूचना के अधिकार के उत्तर के अनुसार, जनवरी में एसबीआई द्वारा ₹1,213 करोड़ के चुनावी बांड बेचे गए, जिनमें से अधिकांश (784.84 करोड़ रुपए) को नई दिल्ली शाखा में भुनाया गया, जो राष्ट्रीय पार्टियों की ओर इशारा करता है, जबकि मुंबई शाखा ने सबसे अधिक (₹489.6 करोड़ मूल्य) की बिक्री की। • 2018 में शुरू हुई यह योजना किसी भी विधानसभा चुनाव से पहले इस बार बेचे गए बॉन्ड की राशि सबसे अधिक थी। **चुनावी बांड योजना के बारे में** • चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। • चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं। • भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं। • यह बॉण्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है। • बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। • एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है। बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।
जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग	**संदर्भ:** परिसीमन आयोग ने अभी तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए प्रस्तावित नए निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे जारी नहीं किए हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा के साथ-साथ कुछ सीटों पर तहसीलों की

	मसौदा सूची से उन द्वीपों का पता चला जहां एक निर्वाचन क्षेत्र बाकी हिस्सों से कटे और दूसरे से घिरा हुए है। **परिसीमन आयोग** परिसीमन पिछली जनगणना के आधार पर जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाने के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है। ● परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। ● इसके सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। ● इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना है। ● अनुच्छेद 82 के तहत , संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। ● अनुच्छेद 170 के तहत , राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। **जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास की एक समयरेखा:** ● एक परिसीमन समिति ने 1951 में तत्कालीन राज्य में 25 विधानसभा क्षेत्रों को बनाते हुए पहला परिसीमन अभ्यास किया। ● वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर, पहला पूर्ण परिसीमन आयोग 1981 में स्थापित किया गया था, और इसकी सिफारिशें 1995 में प्रस्तुत की गई थीं। 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ। ● परिसीमन आयोग की स्थापना 2020 में 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश में सात और सीटों को जोड़ने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को आरक्षण देने के मिशन के साथ करने के लिए की गई थी। ● नए परिसीमन के पश्चात, जम्मू-कश्मीर में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाएगी। ये सीटें 'पाक अधिकृत कश्मीर' (PoK) के लिए आरक्षित 24 सीटों के अतिरिक्त होंगी और इन सीटों को विधानसभा में खाली रखा जाएगा। **जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के मुद्दे** ● जनसंख्या के अतिरिक्त, वर्ष 2002 के परिसीमन अधिनियम में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट को निकट होना चाहिए। पर्यवेक्षकों के अनुसार, चल रहे परिसीमन अभ्यास में इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा है। ● आयोग ने "भौगोलिक द्वीपों को तराशा है और उन्हें अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ बिना किसी निकटता या संपर्क के जोड़ दिया है। ● 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम', 2019 (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल 6 मार्च को, केंद्रशासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। विदित हो कि, इस अधिनियम के तहत राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। ○ उदाहरण के लिए, एक तहसील का एक गाँव दूसरी तहसील के गाँवों से पूरी तरह घिरा हो सकता है। भौगोलिक निकटता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। परिणाम मतदाता द्वीपों का निर्माण करता है।
ऑपरेशन आहट (Operation AAHT) का शुभारंभ	**संदर्भ:** हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force- RPF) ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। **अन्य संबन्धित तथ्य** ● "ऑपरेशन आहट' (Operation AAHT)" के अनुसार सभी लंबी दूरी की ट्रेनों/मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

	● अवैध व्यापार करने वालों के लिए रेलवे परिवहन सबसे बड़ा, तेज़ और सबसे विश्वसनीय वाहक है, जो बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की तस्करी करते हैं। ● ऑपरेशन आहट के तहत बुनियादी ढां्ँचे और खुफिया नेटवर्क का उपयोग पीड़ितों, स्रोत, मार्ग, गंतव्य, संदिग्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों, वाहकों/एजेंटों, किंगपिन आदि की पहचान करने और अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने हेतु सुराग एकत्र करने, उनके मिलान और विश्लेषण करने हेतु किया जा सकता है। ● इसके तहत आरपीएफ खतरे को रोकने में स्थानीय पुलिस की सहायता हेतु राज्यों में एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है। **रेलवे सुरक्षा बल के बारे में** ● रेलवे सुरक्षा बल (RPF) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 द्वारा स्थापित एक सुरक्षा बल है; जिसे भारतीय संसद द्वारा " रेलवे संपत्ति और यात्री क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा" के लिए अधिनियमित किया गया। ● इसमें रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966, रेलवे अधिनियम, 1989 (समय-समय पर संशोधित) के तहत किए गए अपराधों की खोज, गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की शक्ति है। ● बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधिकार में है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	**संदर्भ:** केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) योजना में बदलाव किया है। इसके तहत अब महिलाओं को दूसरा बच्चा होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि, इसके लिए शर्त है कि दूसरा बच्चा लड़की होना चाहिए, खास बात है कि इससे पहले परिवार की पात्र गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाता था।
	● इस तहत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शामिल हैं।
	मातृत्व लाभ कार्यक्रम के बारे में
	● प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की घोषणा 31 दिसंबर, 2016 को की गई थी, जो पहले बच्चे के जन्म के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹6,000 का लाभ देती है।
	● लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में 5,000 रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है:
	  ○ गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण करने पर।
	  ○ प्रसव-पूर्व जाँच करने पर।
	  ○ बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करने पर।
	● पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana-JSY) के तहत 1,000 रुपए तक नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार पात्र महिला को औसतन 6,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होती है।
	● **कार्यान्वयन:** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
	● पीएमएमवीवाई का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य अभिधारण व्यवहार में सुधार तथा पारिश्रमिक के नुकसान की क्षतिपूर्ति करना है।
	चुनौतियाँ:
	● तीन वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात् भी यह योजना वास्तविक रूप से सार्वभौम नहीं बन पाई है।
	● अशिक्षित लोगों को इससे सम्बंधित लम्बे-लम्बे कागजात पूरे करने में समस्या हो रही है।
	● आवेदन की प्रक्रिया में स्त्रियों को रिश्वत देना पड़ता है।
	महत्त्व:
	भारत में आज भी महिलाओं में कुपोषण की समस्या है।देश में हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला में रक्ताल्पता की शिकायत है। कुपोषित महिला से जन्मे बच्चे का भार भी कम होता है। जब बच्चा पेट में है, उसी समय से पोषाहार मिले तो इसका लाभ बच्चे को जीवन-भर के लिए मिल जाता है। यह योजना इसी समस्या को केंद्र में रखकर पोषाहार पर विशेष बल देती है।

राष्ट्रीय एकल	**संदर्भ:** जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System-NSWS) के साथ एकीकृत

खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस)	होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) अर्थात व्यापार में सुगमता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। ● एनएसडब्ल्यूएस एक डिजिटल निवेशक मंच हैं। ● एनएसडब्ल्यूएस भारत औद्योगिक भूमि बैंक (India Industrial Land Bank -IILB) से जुड़ा है, जो जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्क शामिल हैं। इससे निवेशकों को जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में मदद मिलेगी। **एनएसडब्ल्यूएस के बारे में** ● भारत सरकार की वर्ष 2020 की बजटीय घोषणा के अंतर्गत एनएसडब्ल्यूएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। ● इस प्लेटफॉर्म को सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया था। ● एनएसडब्ल्यूएस सूचना एकत्र करने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों के लिए कई प्लेटफार्म/कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। ● एनएसडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित बीस मंत्रालयों / विभागों को एकीकृत किया गया है। वर्तमान में एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से 142 केंद्रीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। ● एनएसडब्ल्यूएस में शामिल 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। ● एनएसडब्ल्यूएस पर अपने अनुमोदन को जानें (केवाईए) मॉड्यूल एक गतिशील सहज प्रश्नावली के आधार पर निवेशकों को उनके व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुमोदनों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शन करता है। वर्तमान में, मॉड्यूल केंद्र और राज्यों में 3,000 से अधिक स्वीकृतियों की मेजबानी करता है।
आईडिया डेटाबेस	**संदर्भ:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में किसानों के डेटाबेस (एग्रिस्टैक) की एक मुख्य परत के आसपास निर्मित विभिन्न कृषि सेवाओं को बनाने का काम शुरू कर दिया है। ● एग्रीस्टैक बनाने के लिए, केंद्र सरकार "इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (आईडीईए)" को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो एग्रीस्टैक्स के निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। ● यह पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से किसानों की आय बढ़ाने और समग्र रूप से कृषि क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने की दिशा में प्रभावी योजना बनाने में सरकार की मदद करेगा। ● इस दिशा में पहले कदम के रूप में, सरकार ने पहले से ही संघबद्ध किसानों के डेटाबेस का निर्माण शुरू कर दिया है जो परिकल्पित एग्रीस्टैक के मूल के रूप में काम करेगा। ● विभाग में मौजूद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों और सरकार में विभिन्न डेटा साइलो (data silos) में और उन्हें डिजीटल भूमि अभिलेखों से जोड़कर संघबद्ध किसानों का डेटाबेस बनाया जा रहा है। ● एग्रीस्टैक में डेटा संरक्षण/डेटा गोपनीयता आदि के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा रहा है इसलिए अब तक, डेटाबेस में किसानों के अनिवार्य नामांकन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ● वर्तमान में प्रस्तावित किसानों के डेटाबेस में पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकृत किसान शामिल होंगे।
ई-पंचायत सुविधा	**संदर्भ:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions-PRIs) के कामकाज को बदलने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (Mission Mode Project-MMP) लागू कर रहा है। ● ई-पंचायत के तहत 11 कोर कॉमन एप तैयार किये गये थे, जो पंचायतों के पूरे कामकाज को जैसे- नियोजन, निगरानी, बजट, लेखा, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि से लेकर नागरिक सेवा वितरण संचालन जैसे- प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि को अभिलक्षित करते हैं।

	• इन 11 सॉफ्टवेयर एप को मिलाकर पंचायत इंटरप्राइजेज सूट का निर्माण होता है। • 2 फरवरी 2022 तक, 2.55 लाख ग्राम पंचायत (GP), 5390 ब्लॉक पंचायत और 481 जिला पंचायतों ने 2021-22 के लिए अपनी विकास योजनाएँ eGramSwaraj एप्लिकेशन पर तैयार और अपलोड की हैं। • इसके अलावा, 2.19 लाख ग्राम पंचायतों ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भुगतान हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। **भारतनेट के बारे में** • देश में सभी ग्राम पंचायतों और समकक्षों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। • 17.01.2022 तक, देश में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 1,70,136 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। • भारतनेट का दायरा 30.06.2021 को देश में ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण	**संदर्भ:** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पाकिस्तानी नागरिक के बच्चों द्वारा की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की जांच करने का फैसला किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह से डिटेंशन सेंटर (Detention Centre In India) में है। **अन्य संबंधित तथ्य** • बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। • भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है। • **रिट पांच प्रकार की होती हैं:** बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, उत्प्रेषण और क्यू वारंटो। ○ **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus Writ) :** इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करें और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। ○ **मैंडमस रिट या परमादेश (Mandamus Writ):** इसमें कोर्ट संबंधित अधिकारी/गवर्निंग बॉडी/सरकार को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। ○ **प्रोहिबिशन या प्रतिशेध रिट(Prohibition Writ) :** इसमें कोर्ट न्यायिक संस्था या लोअर कोर्ट को आदेश दे सकती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहे, उससे बाहर निकलकर कार्य न करे। ○ **सर्टिओरी या उत्प्रेषण रिट (Certiorari Writ) :** इसके तहत सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकती है। निचली अदालतों में ऐसी सुनवाई को रोकने, निरस्त करने या ऊपरी अदालतों को ट्रांसफर करने का आदेश देती है। ○ **वॉरंटो (Qua Warranto Writ) :** क्वो वारंटो एक विशेषाधिकार रिट है जिसके लिए उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसे यह दिखाने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उनके पास किसी अधिकार, शक्ति, या मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उनके पास क्या अधिकार है।
डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीड)	**द्वारा:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री **के लिए:** विमुक्त जनजातियों (डिनोटिफाइड ट्राइब्स/डीएनटी), खानाबदोश जनजातियों (नोमेडिक ट्राइब्स/एनटी) एवं अर्ध घुमंतू जनजातियों के कल्याण 2014 में विमुक्त जनजातियों (डिनोटिफाइड ट्राइब्स/डीएनटी), खानाबदोश जनजातियों (नोमेडिक ट्राइब्स/एनटी) एवं अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग: श्री भिकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में। **पृष्ठभूमि** डि-नोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजाति सबसे अधिक उपेक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। उनमें से अधिकांश पीढ़ियों से निराश्रित जीवन जी रहे हैं और अभी भी अनिश्चित और अंधकारयुक्त भविष्य में हैं। • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विपरीत गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों को हमारे विकासात्मक ढांचे की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। • हमारे विकासात्मक ढांचे का ध्यान भटका और इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

	विपरीत समर्थन से वंचित रह गए। ● ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों की कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थी। ● इन जनजातियों ने अपनी आजीविका और आवास के उपयोग के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया। ● उनमें से कई विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं और अपने अस्तित्व के लिए जटिल पारिस्थितिक निशान बनाते हैं। ● पारिस्थितिकी और पर्यावरण में परिवर्तन उनके आजीविका विकल्पों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ● योजना के चार घटक a) शैक्षिक सशक्तिकरण- इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए क्या दी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निशुल्क कोचिंग। b) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पीएम-जय के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा। c) आय सृजन का समर्थन करने के लिए आजीविका, एवं d) आवास (पीएमएवाई/आईएवाई के माध्यम से)
वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी)	**संदर्भ:** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन (One Rank One Pension-OROP) नीति पर केंद्र की अतिशयोक्ति ने सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों को वास्तव में दी जाने वाली स्थिति की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति प्रस्तुत की। **वन रैंक वन पेंशन (OROP) नीति क्या है?** ● ओआरओपी "वन रैंक, वन पेंशन" जिसका उद्देश्य नौकरी में रहते साथ समान रैंक पर रिटायर होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पेंशन एक जैसी हो। ● वन रैंक, वन पेंशन' से पहले, पूर्व सैनिकों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन मिलती थी। ● उत्तर प्रदेश और पंजाब में OROP लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। ● सशस्त्र बल कार्मिक, जो 30 जून, 2014 तक सेवानिवृत्त हुए थे, वे इसके अंतर्गत आते हैं। ● इस योजना का कार्यान्वयन भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय पैनल कोश्यारी समिति की सिफारिश पर आधारित था।
सरकार ने 'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम' को मंजूरी दी	**ख़बरों में:** केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप व्यस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए “नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” (New India Literacy Program) को मंजूरी दी। ● इस योजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। ● सरकार ने अब देश में "वयस्क शिक्षा" शब्द को 'सभी के लिए शिक्षा' के रूप में बदल दिया है। **इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना हैं जैसे कि** ● महत्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता सहित, शिशु देखभाल तथा शिक्षा एवं परिवार कल्याण), ● व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से), ● बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित) और ● सतत शिक्षा (कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ-साथ स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए रुचि या उपयोग के अन्य विषय, जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री सहित)।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की घोषणा के 6 वर्ष पूरा होने के बाद इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीज़न के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। **यह क्या है:** पीएमएफबीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 6 साल पहले शुरू की गई थी, जिसे

	2020 में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को आसान बनाने के लिए नया रूप दिया गया था। ○ इसके माध्यम से किसान फसल बीमा ऐप, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की रिपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। साथ ही, पात्र किसान के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे की धनराशि भी अंतरित की गई। ● पीएमएफबीवाई के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, किसानों के आसान नामांकन के लिए फसल बीमा मोबाइल ऐप, एनसीआईपी के माध्यम से किसान प्रीमियम का प्रेषण, सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल और एनसीआईपी के माध्यम से दावा रिलीज मॉड्यूल इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ● इस योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। ● प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। ● 'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ' अभियान एक महीने तक चलाया जायेगा। इसमें रबी फसल तहत बीमारी सभी किसानों को उनके घर जाकर फसल बीमा के दस्तावेज दिए जाएंगे। ● यह योजना सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इस योजना में नामांकित लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। ● भारत की वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के दौरान फसल बीमा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में हाल की घोषणा से धरातल पर योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण और भी अधिक मजबूत होगा।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना	**ख़बरों में:** सरकार ने 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan-RUSA) की योजना को 2026 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। ● इस प्रस्ताव में 12929.16 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है। ● यह व्यापक योजना समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्त पोषण करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। ● रूसा के नए चरण का लक्ष्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्रों; दूरदराज/ग्रामीण क्षेत्रों; कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों; वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्र; उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर); आकांक्षी जिलों, द्वितीय श्रेणी (टियर-2) के शहरों, कम जीईआर वाले क्षेत्रों आदि तक पहुंचना और सबसे अधिक वंचित क्षेत्रों एवं एसईडीजी को लाभ पहुंचाना है। ● इस योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति की उन सिफारिशों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जोकि वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देते हैं ताकि इस प्रणाली में सुधार लाकर इसे फिर से सक्रिय किया जा सके और इस तरह समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। **नए चरण में परिकल्पना** ● इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोज़गार बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी। ● राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सहयोग दिया जाएगा। बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाएगी। ● भारतीय भाषाओं में सिखाने-सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिये मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को मज़बूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान किया जाएगा।
मौलिक कर्तव्य	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से "व्यापक, अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों" के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक याचिका का जवाब देने के लिए कहा। **अन्य संबंधित तथ्य**

	पृष्ठभूमि: इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग IV-A में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। - यह संशोधन ऐसे समय में आया है जब चुनाव स्थगित कर दिए गए थे और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। - वर्तमान में अनुच्छेद 51(A) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के ज़रिये संविधान में शामिल किया गया था। **स्थिति:** ये वैधानिक कर्तव्य हैं, कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन एक अदालत किसी मामले पर निर्णय देते समय उन्हें ध्यान में रख सकती है। **उद्देश्य:** उनके निगमन के पीछे का विचार मौलिक अधिकारों के बदले नागरिक के दायित्व पर जोर देना था जो उसे प्राप्त है। - मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। - कुछ कर्तव्य हैं? - संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र गान का आदर करना। - भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। - देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। - हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व देना और संरक्षित करना। - वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणिमात्र के लिए दयाभाव रखना।
अंगदिअस (Angadias)	**संदर्भ:** अंगदिया और उनके कर्मचारियों को कथित रूप से धमकाने के आरोप में मुंबई पुलिस के तीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। **अंगदिया प्रणाली क्या है?** - अंगदिया प्रणाली देश में एक सदी पुरानी समानांतर बैंकिंग प्रणाली है जहां व्यापारी आमतौर पर अंगदिया नामक एक व्यक्ति के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में नकद भेजते हैं जो कूरियर के लिए है। - मुंबई-सूरत सबसे लोकप्रिय मार्ग होने के कारण आभूषण व्यवसाय में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है क्योंकि वे हीरे के व्यापार के दो छोर हैं। - इसमें शामिल नकदी बहुत बड़ी है और यह अंगदिया की जिम्मेदारी है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में नकदी हस्तांतरित करे, जिसके लिए वे मामूली शुल्क लेते हैं। - आम तौर पर गुजराती, मारवाड़ी और मालबारी समुदाय इस व्यवसाय में शामिल होते हैं। - अंगदिया प्रणाली पूरी तरह भरोसे पर काम करती है। **क्या यह सिस्टम कानूनी है?** - अंगदिया प्रणाली अपने आप में कानूनी है, गतिविधि पर एक बादल मंडराता है क्योंकि यह संदेह है कि इसका उपयोग कई बार बेहिसाब धन हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। - चूंकि व्यापार नकद में होता है और इसके लिए कोई खाता नहीं रखा जाता है, इसलिए संदेह है कि इसका उपयोग हवाला लेनदेन जैसे काले धन के हस्तांतरण के लिए भी किया जाता है जो आम तौर पर देशों में उपयोग किया जाता है।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी)	**प्रसंग:** केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board -BBMB) के सदस्यों के चयन के लिये एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है। इसमें हरियाणा और पंजाब की स्थायी सदस्यता खत्म हो गई है। - स्थायी सदस्यता खत्म करने को लेकर पंजाब व हरियाणा में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस व अकाली दल ने इसके विरोध किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** - भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974 के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पॉवर और सिंचाई से संबंधित

	स्थायी सदस्य क्रमशः पंजाब तथा हरियाणा से थे। ● लेकिन 2022 के संशोधित नियमों में उनकी स्थायी सदस्यता को हटा दिया गया है। ● विपक्षी दल तर्क दे रहे हैं कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब और हरियाणा की स्थायी सदस्यता समाप्त करना हरियाणा के अधिकारों पर हमला था। **पृष्ठभूमि** ● 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार, तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी विशेष उपयोग हेतु भारत को आवंटित किया गया और देश के भीतर सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है। ● ब्यास और सतलुज पर भाखड़ा देहर और ब्यास बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया गया। ● बीबीएमबी इन परियोजनाओं को नियंत्रित करता है, और व्यय भागीदार राज्यों द्वारा उनके शेयरों के अनुपात में साझा किया जाता है। ● पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत, बीबीएमबी के हिस्से को पंजाब और हरियाणा के बीच 58:42 के अनुपात में विभाजित किया गया था, जिसमें कुछ हिस्सा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को बाद में जोड़ा गया था। ● मुख्य रूप से, पंजाब और हरियाणा दो प्रमुख लाभार्थी हैं, और पंजाब का बड़ा हिस्सा है। **भाखड़ा नांगल बांध की विशेषताएं:** ● भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर निर्मित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांँध है और उत्तरी भारत में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों की सीमा पर निर्मित है। ● यह टिहरी बांध (261 मीटर) के पास 225.55 मीटर ऊंँचा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। ● इसका जलाशय, जिसे "गोबिंद सागर" (Gobind Sagar) के नाम से जाना जाता है। ● यह 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी को संग्रहीत करता है।
प्रजातिकेंद्रिकता (Ethnocentrism)	● एथनोसेंट्रिज्म मोटे तौर पर जातीय आत्म-केंद्रितता और आत्मविश्वाश को संदर्भित करता है। ● यह मनोवृत्ति किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिला सकती है कि उसकी अपनी संस्कृति या जीवन जीने का तरीका ही जीने का सही तरीका है। ● इसका परिणाम अन्य संस्कृतियों के प्रति शत्रुता भी हो सकता है। ● नृवंशविज्ञानवाद अपने स्वयं के समूह, 'इन-ग्रुप' को आदर्श और अन्य सभी समूहों को 'आउट-ग्रुप्स' के रूप में देखने की प्रवृत्ति है। ● इन-ग्रुप की सीमाओं को एक या एक से अधिक देखने योग्य विशेषताओं जैसे भाषा, उच्चारण, भौतिक विशेषताओं या धर्म द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो सामान्य वंश को दर्शाता है। **परिभाषाएं** ● चार्ल्स डार्विन ने तर्क दिया कि अन्य समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा लोगों को अपने समूह के सदस्यों के साथ अधिक सहयोगी बनाती है, जो समूह की समृद्धि को और अधिक प्रभावित करती है। ● हर्बर्ट स्पेंसर ने तर्क दिया कि सामान्य रूप से समाजों में आंतरिक मैत्री (किसी के समूह के सदस्यों के प्रति) और बाहरी शत्रुता (बाकी सभी के प्रति) की विशेषता होती है। हालाँकि उनमें से किसी ने भी जातीयतावाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ● "एथनोसेंट्रिज्म" शब्द को पहली बार अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम जी सुमनेर द्वारा सामाजिक विज्ञान में लागू किया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार 1906 की पुस्तक, फोकवेज़ में, सुमनेर ने जातीयतावाद का वर्णन "चीजों के दृष्टिकोण के लिए तकनीकी नाम के रूप में किया ● जिसमें किसी का अपना समूह हर चीज का केंद्र होता है, और अन्य सभी को इसके संदर्भ में स्केल और रेट किया जाता है। ● जातीयतावाद अक्सर गर्व , घमंड , अपने स्वयं के समूह की श्रेष्ठता में विश्वास और बाहरी लोगों के लिए अवमानना की ओर ले जाता है। ● भूविज्ञानी और मानवविज्ञानी विलियम जॉन मैक्गी के लिए, नृवंशविज्ञानवाद अहंकेंद्रवाद के समान सोचने का एक

	विशेष तरीका था, लेकिन यह जातीय समूहों की विशेषता थी। **जातीयतावाद को ख़राब क्यों माना जाता था?** ● **व्यक्तिगत क्षमताओं को कम करना :** प्रारंभिक मानवविज्ञानी ने तर्क दिया कि समूह के बारे में श्रेष्ठता की इस भावना ने एक व्यक्ति की अन्य समूहों की प्रथाओं और मूल्यों को समझने तथा उन पर भरोसा करने की क्षमता को कम कर दिया। ● **सामाजिक तनाव:** इस भावना से पूर्वाग्रह, नापसंदगी, प्रभुत्व, जातीय संघर्ष और यहां तक कि युद्ध भी हो सकता है। ● **राजनीतिक विकल्प:** जातीयतावाद उपभोक्ता की पसंद, मतदान को भी प्रभावित कर सकता है और लोकतांत्रिक संस्थानों की अस्थिरता को जन्म दे सकता है। **जातीयतावाद, रवैया और व्यवहार** ● बाद के सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि नृजातीयतावाद केवल आउट-ग्रुप्स पर इन-ग्रुप्स के लिए प्राथमिकता हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन-ग्रुप्स और आउट-ग्रुप्स के अलगाव को पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ● दूसरे शब्दों में, उन्होंने तर्क दिया कि आप आउट-ग्रुप्स के प्रति उदासीन हो सकते हैं या उनके जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके इन-ग्रुप की तरह एक से भी कम। ● कोई व्यक्ति किसी बाहरी समूह को नापसंद कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह रवैया किसी विशेष परिस्थिति में किसी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार में तब्दील हो जाए। ● **उदाहरण:** भारत में रवि अपने हाथों से खाना खाना पसंद करते हैं। रवि अपने अमेरिकी दोस्त रॉबर्ट को भारत में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। जब रॉबर्ट शादी में आता है, तो वह सभी को कटलरी का उपयोग करने के बजाय अपने हाथों से खाते हुए देखकर अचम्भा हो जाता है, जैसा कि वे ज्यादातर अमेरिका में करते हैं। रॉबर्ट का रवैया सचेत या बेहोश हो सकता है लेकिन भोजन खाने के इस तरीके को किसी अन्य संस्कृति के रूप में स्वीकार करने में उनकी असमर्थता अभ्यास और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ या उन्नत के रूप में देखते हुए इसे आदिम के रूप में देखने की उसकी प्रवृत्ति जातीय केंद्रित है। **जातीयतावाद और राष्ट्रवाद** ● जातीयतावाद भी राष्ट्रवाद से काफी मिलता-जुलता है। ● जातीयतावाद की सभी अभिव्यक्तियाँ, जैसे श्रेष्ठता की भावनाएँ और बाहरी समूहों के प्रति शत्रुता, को आसानी से राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ● लेकिन जब जातीयतावाद एक जातीय समूह के स्तर पर होता है, तो राष्ट्रवाद एक राष्ट्रीय समूह के स्तर पर होता है। ● फिर भी, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद कुछ ऐसे कारकों को भी ग्रहण करता है जो जातीयतावाद के लिए आवश्यक नहीं हैं। ● राष्ट्रीय समूहों को एक ऐसे समूह से संबंधित होने से परिभाषित किया जाता है जो एक राष्ट्रीय राज्य में रहता है या एक राष्ट्रीय राज्य बनाने की इच्छा रखता है जबकि जातीय समूहों को राष्ट्रीय राज्यों को जातीय समूह कहने की आवश्यकता नहीं होती है, और उनके पास एक साझा सार्वजनिक संस्कृति या यहां तक कि क्षेत्र की कमी हो सकती है। ● एक परिचित संस्कृति और समूह श्रेष्ठता के लिए वरीयता जैसी जातीय भावनाओं और दृष्टिकोणों का राष्ट्रवाद द्वारा शोषण किया गया है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति ● आर्य जाति की श्रेष्ठता के आधार पर यहूदियों पर हिटलर का जनसंहार
स्थानीय नौकरी कानून जो संवैधानिक सवाल उठाना	**संदर्भ:** भारत का सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन पर रोक (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए) को हटाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई करेगा। ● यह अधिनियम राज्य में निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करता है। ● यह अधिनियम उन नौकरियों पर लागू होता है जो प्रति माह 30,000 रुपए तक का भुगतान करते हैं, और नियोक्ताओं को ऐसे सभी कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करना होता है। ● सरकार अधिसूचना द्वारा कुछ उद्योगों को छूट भी दे सकती है, और अब तक राज्य के भीतर नए स्टार्ट-अप और नई

आईटी कंपनियों के साथ-साथ अल्पकालिक रोजगार, कृषि श्रम, घरेलू काम और पदोन्नति और स्थानान्तरण को छूट दी गई है।

इस अधिनियम के लिए संवैधानिक चुनौतियां क्या हैं?

इस अधिनियम से कम से कम तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठते हैं।

1. स्वतंत्रता का अधिकार

- सबसे पहले, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) किसी भी व्यवसाय, व्यापार को करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। "आम जनता के हित में" उचित प्रतिबंध हो सकते हैं।
- यह अधिनियम, निजी व्यवसायों को स्थानीय लोगों के लिए 75% निचले स्तर की नौकरियों को आरक्षित करने की आवश्यकता के द्वारा, किसी भी व्यवसाय को करने के उनके अधिकार का अतिक्रमण करता है।

2. अनुच्छेद 16

- दूसरा, अधिवास या निवास के आधार पर आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 16 विशेष रूप से सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 16 जन्म स्थान और निवास सहित कई आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हालाँकि, यह संसद को कानून बनाने की अनुमति देता है जिसके लिए किसी सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति के लिए राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता होती है।
- यह सक्षम प्रावधान सार्वजनिक रोजगार के लिए है न कि निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए। और कानून संसद द्वारा बनाए जाने की जरूरत है, न कि राज्य विधायिका द्वारा।

3. आरक्षण की मात्रा (Quantum of Reservation)

- तीसरा सवाल यह है कि क्या 75% आरक्षण की अनुमति है।
- 1992 में इंद्रा साहनी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया।
- हालांकि यह कहा गया है कि असाधारण स्थितियां हो सकती हैं जिन्हें इस नियम में छूट की आवश्यकता हो सकती है। इसने यह भी निर्दिष्ट किया कि "ऐसा करने में, अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए"।
- इसलिए, आरक्षण की 50% ऊपरी सीमा में ढील देने के लिए, असाधारण परिस्थितियों का एक विशेष मामला बनाने का दायित्व राज्य पर है।
- मराठों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र अधिनियम को मई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने 50% की सीमा के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया था।
- निजी क्षेत्र पर लगाई गई कोई भी आरक्षण आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा नौकरी आरक्षण अधिनियम की अन्य आलोचनाएँ क्या हैं?

- **समानता को प्रभावित करना:** हरियाणा अधिनियम "जाति नियम" को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि यह जाति के बावजूद राज्य के सभी निवासियों के लिए है, लेकिन यह भारत के सभी नागरिकों की समानता की धारणा का उल्लंघन करता है।
- **राज्यों में व्यापक असमानता:** कंपनियों के लिए संभावित रूप से बढ़ती लागत के अलावा, राज्यों में आय असमानता में भी वृद्धि हो सकती है क्योंकि गरीब राज्यों के नागरिक जिनके पास कम रोजगार के अवसर हैं, वे अपने राज्यों में फंस गए हैं।
- **राष्ट्र का विचार:** पिछले तीन वर्षों में, तीन राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो राज्य के बाहर के नागरिकों के लिए रोजगार को सीमित करते हैं। ये कानून एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा पर सवाल खड़े करते हैं।
    - संविधान भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में मानता है जिसमें सभी नागरिकों को देश में कहीं भी रहने, यात्रा करने और काम करने का समान अधिकार है। ये कानून राज्य के बाहर के नागरिकों के राज्य में रोजगार खोजने के अधिकार को प्रतिबंधित करके इस दृष्टि के खिलाफ जाते हैं।

निष्कर्ष

- अदालतों को, इन कानूनों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के संकीर्ण प्रश्नों को देखते हुए, यह भी जांचना

	चाहिए कि क्या वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखता है जो राज्यों का संघ है, न कि स्वतंत्र राज्यों के समूह के रूप में। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● आंध्र प्रदेश स्थानीय लोगों की पहली नीति ● मध्य प्रदेश अधिवास आधारित कोटा, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है

अर्थव्यवस्था

रिवर्स रेपो सामान्यीकरण	**संदर्भ:** हाल ही में एक रिपोर्ट में, भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि रिवर्स रेपो सामान्यीकरण के लिए चरण निर्धारित है। **भारत में मौद्रिक नीति सामान्यीकरण क्या है?** ● भारतीय रिजर्व बैंक, सही कामकाज सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन की कुल राशि में बदलाव करता रहता है। ● जब आरबीआई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो वह तथाकथित "ढीली मौद्रिक नीति" अपनाता है। ● ऐसी नीति के दो भाग होते हैं, अर्थात्, अर्थव्यवस्था में अधिक धन (तरलता) लगाना और जब वह उन्हें पैसा उधार देता है तो आरबीआई बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज दर को भी कम करता है; इस दर को रेपो रेट कहा जाता है। ● एक ढीली मौद्रिक नीति का उल्टा एक "तंग मौद्रिक नीति" है और इसमें आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाता है और बॉन्ड बेचकर (और सिस्टम से पैसा निकालकर) अर्थव्यवस्था से तरलता को बाहर निकालता है। ● जब कोई केंद्रीय बैंक पाता है कि एक ढीली मौद्रिक नीति प्रतिकूल होने लगी है (उदाहरण के लिए, जब यह उच्च मुद्रास्फीति दर की ओर ले जाती है), तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के रुख को सख्त करके "नीति को सामान्य करता है"। ● सामान्य परिस्थितियों में, जब अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से बढ़ रही होती है, रेपो दर अर्थव्यवस्था में बेंचमार्क ब्याज दर बन जाती है। ● हालांकि, कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से भारत में रिवर्स रेपो बेंचमार्क दर बन गया था। **क्या है रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन?** ● रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का मतलब है कि रिवर्स रेपो दरें बढ़ जाएंगी। ● पिछले कुछ महीनों में, बढ़ती मुद्रास्फीति के सामने, दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंकों ने या तो ब्याज दरों में वृद्धि की है या संकेत दिया है कि वे ऐसा जल्द ही करेंगे। ● भारत में भी, यह उम्मीद की जाती है कि आरबीआई रेपो दर बढ़ाएगा। लेकिन उससे पहले उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा और दोनों दरों के बीच के अंतर को कम करेगा। ● सामान्यीकरण की यह प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है, न केवल अतिरिक्त तरलता को कम करेगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बोर्ड भर में उच्च ब्याज दरों में भी परिणाम देगी - इस प्रकार उपभोक्ताओं के बीच पैसे की मांग को कम करेगी और व्यवसायों के लिए नए ऋण उधार लेना महंगा हो गया है। **रेपो बनाम रिवर्स रेपो दर** ● रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करता है। ● रिवर्स रेपो दर वह ब्याज है जो आरबीआई उन बैंकों को देता है जो उनके पास फंड जमा करते हैं।
पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल 'पीएम-डिवाइन' की घोषणा	**ख़बरों में:** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, पीएम-डिवाइन (Prime Minister's Development Initiative for North-East - PM-DevINE) की घोषणा की। ● PM-DevINE को नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगी, इस नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। ● यह पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित

	करेगा। **उद्देश्य:** • यह प्रधानमंत्री गतिशक्ति की भावना में बुनियादी ढांचे और पूर्वोत्तर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा। • विभिन्न क्षेत्रों में कमियों को पूरा करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना। **प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना** • देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि के साथ, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान से पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti-National Master Plan) का उद्घाटन किया। 100 लाख करोड़ रुपये की पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। • प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा अलग-अलग योजना बनाने और डिजाइन करने के बजाय एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं (जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है) को एक मंच पर लाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। • पीएम गति शक्ति अभियान के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अधिक स्पीड (गति) और पॉवर (शक्ति) देना है। **पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म छह स्तंभों पर आधारित है:** • व्यापकता • प्राथमिकता • अनुकूलन • तादात्म्य • विश्लेषणात्मक • गतिशील
हाइड्रोजन सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना	**खबरों में:** गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने मध्यप्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। • गेल ने सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में हाइड्रोजन सम्मिश्रण की तकनीकी-व्यावसायिक संभाव्यता स्थापित करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में हाइड्रोजन सम्मिश्रण शुरू किया है। • यह परियोजना हाइड्रोजन आधारित और कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। • इस स्लेटी हाइड्रोजन को बाद में हरित हाइड्रोजन से बदल दिया जाएगा। • प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन डालने के पहलुओं को कवर करने के लिए भारत में एक मजबूत मानक और नियामक ढांचे के निर्माण में मदद करना • गेल ने प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के प्रभाव का आकलन करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया है। • यह भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास और भारत के हरित और स्वच्छ पर्यावरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है। चूंकि हमारा देश कार्बन-न्यूट्रल और आत्मनिर्भर भविष्य प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, यह परियोजना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। **ध्यान देना :** • शून्य-उत्सर्जन हाइड्रोजन दुनिया भर में गति प्राप्त कर रहा है और स्रोत के आधार पर हाइड्रोजन को हरे, नीले और भूरे रंग में वर्गीकृत किया जा सकता है। **ग्रीन हाइड्रोजन** • स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिये हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्त्वों में से एक है।

<table>
<tr><td></td><td>

- हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है:
  - ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।
  - इसके तहत विद्युत द्वारा जल (H2O) को हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O2) में विभाजित किया जाता है।
  - उपोत्पाद: जल, जलवाष्प।
- ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
- ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
- ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है।

उपयोग:

- हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, न कि स्रोत और यह ऊर्जा की अधिक मात्रा को वितरित या संग्रहीत कर सकता है।
- इसका उपयोग फ्यूल सेल में विद्युत या ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है।
- वर्तमान में पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में हाइड्रोजन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि परिवहन एवं अन्य उपयोगिताएँ इसके लिये उभरते बाज़ार हैं।
- हाइड्रोजन और ईंधन सेल वितरित या संयुक्त ताप तथा शक्ति सहित विविध अनुप्रयोगों में उपयोग के लिये ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं; अतिरिक्त उर्जा; अक्षय ऊर्जा के भंडारण और इसे सक्षम करने के लिये सिस्टम; पोर्टेबल बिजली आदि।

</td></tr>
<tr><td>

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

</td><td>

प्रसंग: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यकर्ता अभी भी लंबित वेतन भुगतान में लगभग 3,360 करोड़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

- जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे बड़ा लंबित भुगतान है।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र ने चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए अपने बजट आवंटन में 25% की कमी की है।
- यदि इन लंबित मजदूरी और भौतिक भुगतान देनदारियों को अगले वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ाया जाता है, तो यह अगले वर्ष श्रमिकों को भुगतान करने के लिए उपलब्ध धन की राशि को और कम कर देगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) क्या है?

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 में अधिसूचित किया गया था।
- **लक्ष्य -** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा में सुधार करना।
- यह एक सार्वभौमिक योजना है जो मांग व्यक्त करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है।
- इसका उद्देश्य 'काम के अधिकार' की गारंटी देना है।
- प्रत्येक पंजीकृत परिवार को अपने पूरे किए गए कार्य को ट्रैक करने के लिए एक जॉब कार्ड (JC) प्राप्त होता है।
- योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
- नौकरी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार के प्रावधान की विफलता के परिणामस्वरूप नौकरी चाहने वालों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
- आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।
- मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

</td></tr>
<tr><td>

लाकाडोंग हल्दी

</td><td>

संदर्भ: मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स ने पेलोड डिलीवरी के लिए ड्रोन- यूएवी तकनीक के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए

</td></tr>
</table>

(Lakadong Turmeric)	अपनी तरह का पहला फ्लाई-ऑफ इवेंट देखा। ● यह राज्य के उच्च गुणवत्ता वाले लकडोंग हल्दी किसानों के लिए कनेक्टिविटी मुद्दों को हल करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। **इसके बारें में** ● लकडोंग हल्दी की पहचान एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) पहल के तहत पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय से निर्यात के उत्पाद के रूप में की गई है। ● ओडीओपी ने अग्नि मिशन के साथ भी भागीदारी की। ● इस मामले में, अधिकारियों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत नौ प्रौद्योगिकी मिशनों में से एक, अग्नि मिशन के साथ भागीदारी की, जो लकाडोंग हल्दी के एंड-टू-एंड प्रसंस्करण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। ● मेघालय में वेस्ट जयंतिया हिल्स की लकडोंग हल्दी दुनिया की सबसे बेहतरीन हल्दी किस्मों में से एक है जिसमें सबसे अधिक करक्यूमिन 7-9% है, जबकि अन्य किस्मों में करक्यूमिन 3% या उससे कम होती है। हल्दी की इस किस्म की खेती जिले की अर्थव्यवस्था में तेजी से गेम चेंजर बनती जा रही है। ● मेघालय ने लकडोंग हल्दी के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किया है। ● भारत विश्व की 78% हल्दी का उत्पादन करता है। **एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में** ● यह योजना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ● इसका उद्देश्य बिक्री को बढ़ावा देने और स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र से एक प्रतिस्पर्धी और मुख्य उत्पाद को बढ़ावा देना है। ● यह मूल रूप से एक जापानी व्यवसाय विकास अवधारणा है। ● भारत में, उत्तर प्रदेश 2018 में यह अवधारणा शुरू करने वाला पहला राज्य था।
ई-नाम पोर्टल पर मंडियों की संख्या में वृद्धि	**संदर्भ:** 31 मार्च 2018 से, 415 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है। ● केंद्रीय बजट घोषणा 2020-21 के अनुसार, अतिरिक्त 1000 मंडियों को e-NAM प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म के बारे में** ● राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने विकसित किया है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। ● इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना है। ● इसका सीधा लाभ किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों को मिलेगा। बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद का व्यापार किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम देगा, वहीं व्यापारियों को भी कारोबार के अधिक मौके मिलेंगे। ● **नियंत्रण मंत्रालय:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ● ई-नाम संपर्क रहित दूरस्थ बोली और मोबाइल आधारित किसी भी समय भुगतान की सुविधा प्रदान करता है जिसके लिए व्यापारियों को इसके लिए मंडियों या बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ● यह कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क करता है और इसका एक दृष्टिकोण है: ○ एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना। ○ खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करना और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य की खोज को बढ़ावा देना। **ई-मंडी के फायदे** ● इस समय किसान अपनी उपज को स्थानीय कृषि मंडी में ले जाते हैं, जहां कारोबारी उनके कृषि उत्पाद खरीदते हैं।

	एनएएम से जुड़ने के बाद कोई भी कृषि उपज मण्डी राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती है। ● किसान जब स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मण्डी में लाएंगे तो उन्हें स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपने माल बेचने का विकल्प मिलेगा।
राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – "पर्वतमाला"	**संदर्भ:** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषणा की राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – "पर्वतमाला" – पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर लिया जाएगा, जो कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक पसंदीदा पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प होगा। **अन्य संबंधित तथ्य** ● पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने का विचार है। ● इसमें भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, जहां पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली संभव नहीं है। ● वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2022-23 में 60 किमी की लंबाई के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे। ● यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है। **रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने वाले प्रमुख कारक** ● **परिवहन का किफायती तरीका:** चूंकि रोपवे परियोजनाएं पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में बनाई जाती हैं, इस लिए इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण की लागत भी कम आती है। इसलिए, सड़क परिवहन की तुलना में प्रति किलोमीटर रास्ते के निर्माण की अधिक लागत होने के बावजूद, रोपवे परियोजनाओं की निर्माण लागत सड़क परिवहन की तुलना में अधिक किफायती हो सकती है। ● **परिवहन का तेज़ माध्यम:** परिवहन के हवाई माध्यम के कारण, रोपवे का सड़क मार्ग परियोजनाओं की तुलना में एक फायदा यह है कि रोपवे एक पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में बनाए जा सकते हैं। ● **पर्यावरण के अनुकूल:** धूल का कम उत्सर्जन। सामग्री के कंटेनरों को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है ताकि पर्यावरण में किसी भी तरह की गंदगी फैलाने से बचा जा सके। ● **लास्ट माइल कनेक्टिविटी:** 3 एस (एक तरह की केबल कार प्रणाली) या समकक्ष तकनीकों को अपनाने वाली रोपवे परियोजनाएं प्रति घंटे 6000-8000 यात्रियों को ले जा सकती हैं।
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee)	**संदर्भ:** भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रखी क्योंकि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 4% पर रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया ताकि रुख को अनुकूल रखा जा सके। **अन्य संबंधित तथ्य** ● सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। ● रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है। ● **जीडीपी अनुमान:** 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। ● **समायोजनात्मक रुख:** इसने विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो, तब तक एक समायोजन रुख के साथ जारी रखने का फैसला किया, जबकि यह सुनिश्चित किया गया कि मुद्रास्फीति आगे भी लक्ष्य के अंदर बनी रहे। o एक उदार रुख का मतलब है कि जब भी जरूरत होगी, एक केंद्रीय बैंक वित्तीय प्रणाली में पैसा लगाने के लिए दरों में कटौती करेगा। **मुख्य शर्तें** ● रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में आरबीआई) धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। यहां, केंद्रीय बैंक सुरक्षा खरीदता है। ● रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के अंदर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। ● **बैंक दर:** यह वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर है। ● सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ): सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अपनी मौद्रिक नीति (2011-12) में घोषित एक नई योजना है। यह दंड दर को संदर्भित करता है, जिस पर बैंक एलएएफ विंडो के

	माध्यम से केंद्रीय बैंक से ऊपर और ऊपर उपलब्ध धनराशि उधार ले सकते हैं। ● यह बैंकों के लिए एक आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेने के लिए एक खिड़की है जब इंटरबैंक तरलता पूरी तरह से सूख जाती है। **मौद्रिक नीति समिति क्या है?** ● वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की। ● यह वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक सांविधिक और संस्थागत ढांचा है। ● **संरचना:** छह सदस्य (अध्यक्ष सहित) - आरबीआई के तीन अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य। ○ RBI के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ● **कार्य:** एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य (वर्तमान में 4%) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति ब्याज दर (रेपो दर) निर्धारित करता है। बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं और टाई होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।
मुस्कान: आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन	**ख़बरों में:** हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए यह सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा "स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" नामक योजना तैयार की गई है। ● इसमें केंद्रीय क्षेत्रक की 'भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिये योजना' नामक एक उपयोजना भी शामिल है। ● ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ● इसके तहत दो उप-योजनाएं शामिल हैं- ○ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना ○ भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना ● यह योजना उन अधिकारों की पहुंच को मजबूत और विस्तारित करती है जो लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन का वादा देते हैं। ● यह सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखता है जिसकी पहचान, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक अवसरों और आश्रय के कई आयामों के माध्यम से आवश्यकता होती है। ● मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक इस योजना के लिए 365 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है। ● **ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** नौवीं और स्नातकोत्तर तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ● **कौशल विकास और आजीविका:** विभाग की पीएम-दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका। ● **समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य:** चयनित अस्पतालों के माध्यम से लिंग-पुष्टिकरण सर्जरी का समर्थन करने वाले PM-JAY के साथ अभिसरण में एक व्यापक पैकेज। ● **'गरिमा गृह' के रूप में आवास:** आश्रय गृह 'गरिमा गृह' जहां भोजन, वस्त्र, मनोरंजन सुविधाएं, कौशल विकास के अवसर, मनोरंजक गतिविधियां, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान की जाएंगी। ● **ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान:** अपराधों के मामलों की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर संरक्षण की स्थापना करना और अपराधों का समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना। ● ई-सेवाएं (राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन और विज्ञापन) और अन्य कल्याणकारी उपाय। **भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास** ● **सर्वेक्षण और पहचान:** लाभार्थियों का सर्वेक्षण और पहचान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। ● **संघटन:** भीख मांगने वाले व्यक्तियों को आश्रय गृहों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।

	• **बचाव/आश्रय गृह:** आश्रय गृह भीख मांगने के कार्य में लगे बच्चों और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करेंगे। **व्यापक पुनर्वास** • क्षमता और वांछनीयता प्राप्त करने के लिए कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार में संलग्न होकर गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। • दस शहरों जैसे दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद में व्यापक पुनर्वास पर पायलट परियोजनाएं शुरू की गईं।

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP)	**संदर्भ:** केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपने 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' (Draft red herring prospectus: DRHP) दाखिल किया है।
	अन्य संबंधित तथ्य
	• ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) एक दस्तावेज है, जो एक नये व्यवसाय या उत्पाद को एक संभावित निवेशक को पेश करने के लिए तैयार किया जाता है।
	• यह एक निवेशक के लिए अंतिम दस्तावेज नहीं है, बल्कि मूल्य प्रदर्शित करने और निवेशकों को पर्याप्त जानकारी प्रदान करने का एक तरीका है ताकि वे यह तय कर सकें कि वे कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या नहीं।
	• शेयर बिक्री को हरी झंडी देने से पहले सेबी को DRHP में बताए गए तथ्यों की जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बदलाव की सिफारिश करनी चाहिए।
	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
	• यह भारत सरकार के स्वामित्व वाले भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
	• इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसे सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था।
	• सेबी तीन समूहों की जरूरतों के लिए जिम्मेदार है:
	  ○ प्रतिभूतियों के जारीकर्ता
	  ○ निवेशक
	  ○ बाजार बिचौलिये
	• **कार्य:**
	  ○ अर्ध-विधायी - ड्राफ्ट विनियम
	  ○ अर्ध-न्यायिक - निर्णय और आदेश पारित करता है
	  ○ अर्ध-कार्यकारी - जांच और प्रवर्तन कार्रवाई करता है
	• **शक्तियां:**
	  ○ प्रतिभूति एक्सचेंजों के उप-नियमों का अनुमोदन करना।
	  ○ सिक्योरिटीज एक्सचेंज को अपने उपनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है।
	  ○ खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करना और मान्यता प्राप्त प्रतिभूति एक्सचेंजों से आवधिक रिटर्न मांगना।
	  ○ वित्तीय मध्यस्थों के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करना।
	  ○ कुछ कंपनियों को अपने शेयरों को एक या अधिक प्रतिभूति एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए बाध्य करना।
	  ○ o दलालों और उप-दलालों का पंजीकरण।

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)	**संदर्भ:** कोविड-19 (Covid-19) महामारी के प्रकोप से खाली हो चुके सार्वजनिक खजाने को फिर से भरने के लिए भारत में अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ लिस्टिंग (IPO listings) में से एक पर विचार किया जा रहा है। • सरकार द्वारा संचालित भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 13 फरवरी को पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) को अपना एक मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस प्रस्तुत किया। • एलआईसी में सरकार की 100 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं सेबी में की गई फाइलिंग के अनुसार सरकार कंपनी (LIC) के 31.62 करोड़ इक्विटी शेयर या आईपीओ में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश कर रही है। **आईपीओ के बारे में**

	• प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या स्टॉक लॉन्च एक सार्वजनिक पेशकश है जिसमें किसी कंपनी के शेयर संस्थागत निवेशकों और आमतौर पर खुदरा निवेशकों को भी बेचे जाते हैं।
	• आईपीओ आमतौर पर एक या अधिक निवेश बैंकों द्वारा अंडरराइट किया जाता है, जो शेयरों को एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की व्यवस्था भी करते हैं।
	कौन सी कंपनियां आईपीओ ला सकती हैं?
	• निवेशकों की सुरक्षा के लिए, सेबी ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जिनके लिए कंपनियों को फंड जुटाने के लिए जनता के पास जाने से पहले कुछ मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
	• अन्य शर्तों के साथ, कंपनी के पास होना चाहिए
	    ○ कम से कम 3 करोड़ रुपये की शुद्ध वास्तविक संपत्ति,
	    ○ पिछले तीन पूर्ण वर्षों में से प्रत्येक में 1 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति,
	    ○ पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से कम से कम तीन में न्यूनतम औसत कर-पूर्व लाभ 15 करोड़ रुपये होना चाहिए।
	किसी कंपनी को सूचीबद्ध करने के क्या लाभ हैं?
	• यह एक कंपनी को पूंजी जुटाने, विविधता लाने और अपने शेयरधारक आधार को विस्तृत करने में मदद कर सकता है।
	• लिस्टिंग से कंपनी के मौजूदा निवेशकों को बाहर निकलने का मौका मिलता है।
	• एक सूचीबद्ध कंपनी अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश या एफपीओ के माध्यम से भविष्य में वृद्धि और विस्तार के लिए शेयर पूंजी जुटा सकती है।

चौथी भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता (India-Australia Energy Dialogue)	**चर्चा के बिंदु:**
	• ऊर्जा परिवर्तन वार्ता और दोनों ऊर्जा मंत्रियों में चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, ईवी, महत्वपूर्ण खनिज, खनन आदि पर ध्यान देने के साथ अपने-अपने देशों में ऊर्जा संक्रमण गतिविधियां।
	• विकासशील देशों के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत द्वारा जलवायु वित्त की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।
	• वार्ता के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आशय पत्र (Letter of Intent - LoI) पर हस्ताक्षर किए।
	• बिजली क्षेत्र के अलावा, अन्य जेडब्ल्यूजी के तहत सहयोग के कई वांछनीय क्षेत्रों पर सहमति बनी है जैसे-
	    ○ ग्रीन हाइड्रोजन की लागत कम करना;
	    ○ कोयला आधारित ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन परिनियोजन के क्षेत्र में सहयोग;
	    ○ खनिज क्षेत्र में निवेश के अवसर; अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ एलएनजी भागीदारी की संभावना तलाशना।

Mumbai में शुरू हुई देश की पहली Water Taxi सर्विस	**संदर्भ:** भारत की पहली वॉटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ जो उपनगर नवी मुंबई को मुंबई के मुख्य शहर से जोड़ेगी। **अन्य संबंधित तथ्य** • राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बेलापुर जेट्टी का उद्घाटन किया, जबकि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वॉटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। • 8.37 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई वॉटर टैक्सी परियोजना के तहत वर्तमान समय में ये तीन रूट पर चलेगी। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र ने खर्च का आधा-आधा हिस्सा साझा किया है। • इन तीन मार्गों में बेलापुर से फेरी घाट और डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल, बेलापुर से एलीफेंटा गुफाएं और बेलापुर से जेएनपीटी (JNPT) तक का सफर शामिल है। • शुरू में इन मार्गों पर 10 से 30 यात्रियों की क्षमता वाली सात स्पीडबोट और लगभग 50 से 60 की यात्री क्षमता वाला एक कटमैरन (catamaran) चलेगा। • इस क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने हेतु निवेशकों के लिए परिवहन की सुगमता एक महत्वपूर्ण कारक है। **क्या आप जानते हैं?**

	• भारत की पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली और धीरे-धीरे पूरे देश में इसका विस्तार हुआ।
ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022	**संदर्भ:** IT मंत्रालय ने एक मसौदा पॉलिसी 'इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी' पेश किया है। • यह सरकार-से-सरकार के बीच डेटा साझा करने के लिए एक रूपरेखा के प्रस्ताव के साथ यह सुझाव देता है कि कुछ निश्चित शर्तों के साथ प्रत्येक सरकारी विभाग या उसके संगठन के सभी डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से खुले और साझा किए जा सकते हैं। • सार्वजनिक परामर्श के लिए परिचालित 'इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी' का मसौदा सरकार द्वारा सीधे या मंत्रालयों, विभागों और अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से बनाए गए, उत्पन्न और एकत्र किए गए सभी डेटा और सूचनाओं पर लागू होगा। • इस मसौदे में उल्लिखित नीतिगत उद्देश्य प्राथमिक रूप से वाणिज्यिक प्रकृति के हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को मौलिक रूप से बदलना है।

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL)	**संदर्भ:** गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 2 के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Security Printing and Minting Corporation of India Ltd - SPMCIL) के दिल्ली मुख्यालय को 'निषिद्ध स्थान (prohibited place)' घोषित किया है। यह अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है।
	अन्य संबंधित तथ्य
	• भारतीय सुरक्षा मुद्रण और टकसाल निगम लिमिटेड (SPMCIL) एक सरकारी मुद्रण और खनन एजेंसी है।
	• यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
	• इसे 2006 में नई दिल्ली में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ शामिल किया गया था।
	• **भूमिका:** यह निम्नलिखित के निर्माण और उत्पादन में लगी हुई है:
	  ○ मुद्रा और बैंक नोट
	  ○ सुरक्षा कागज
	  ○ गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट
	  ○ स्टेशनरी
	• पासपोर्ट और वीजा स्टिकर, सुरक्षा स्याही, संचलन, स्मारक सिक्के और अन्य।
	  ○ SPMCIL की नौ उत्पादन इकाइयाँ, जहाँ बैंकनोट और अन्य सरकारी कागज़ात निर्मित होते हैं, पहले से ही निषिद्ध स्थान हैं।
	• **नौ उत्पादन इकाइयां :** चार भारत सरकार टकसाल, दो मुद्रा नोट प्रेस, दो सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, नासिक, देवास और नर्मदापुरम में स्थित एक सुरक्षा पेपर मिल।

बजट : राजकोषीय समेकन का महत्वपूर्ण विश्लेषण	**संदर्भ:** भारत का केंद्रीय बजट 2022-23 आगामी वित्तीय खर्च को पूरा करने के लिए उच्च स्तर के उधार पर निर्भर करेगा। इस हिसाब से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में संशोधित राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानत: 6.9 प्रतिशत है। • यह राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप है, जिसकी पिछले वर्ष घोषणा की गई थी कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के नीचे लाया जाएगा। **इस वर्ष के बजट निर्माण का आर्थिक संदर्भ क्या था?** • **श्रम आय में तेज कमी:** हालांकि हर आर्थिक संकट में उत्पादन वृद्धि दर में तेज कमी शामिल है, भारत में वर्तमान संकट की विशिष्टता मुनाफे की तुलना में श्रम आय में तेज कमी में निहित है। • **कम खपत:** श्रमिक आय में परिणामी कमी खपत-जीडीपी अनुपात में तीव्र गिरावट के साथ-साथ महामारी के दौरान उपभोग व्यय के से संबंधित थी। ○ जबकि 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के महामारी पूर्व स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है, वास्तविक उपभोग व्यय 2019-20 की तुलना में कम बना हुआ है। • **पूर्व-महामारी मंदी:** महामारी के दौरान मंदी स्वयं उदारीकरण की अवधि के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास मंदी की सबसे लंबी अवधि के रूप में सामने आई थी। **बजट 2022 के साथ व्यापक चुनौतियां क्या थीं?**

- पहली चुनौती महामारी के लिए विशिष्ट है और श्रम आय एवं उपभोग व्यय को बढ़ावा देने वाली नीतियों को शुरू करने की आवश्यकता से संबंधित है।
- दूसरी चुनौती भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने से संबंधित थी जिसने महामारी से पहले की अवधि के दौरान भी विकास को प्रतिबंधित कर दिया था।

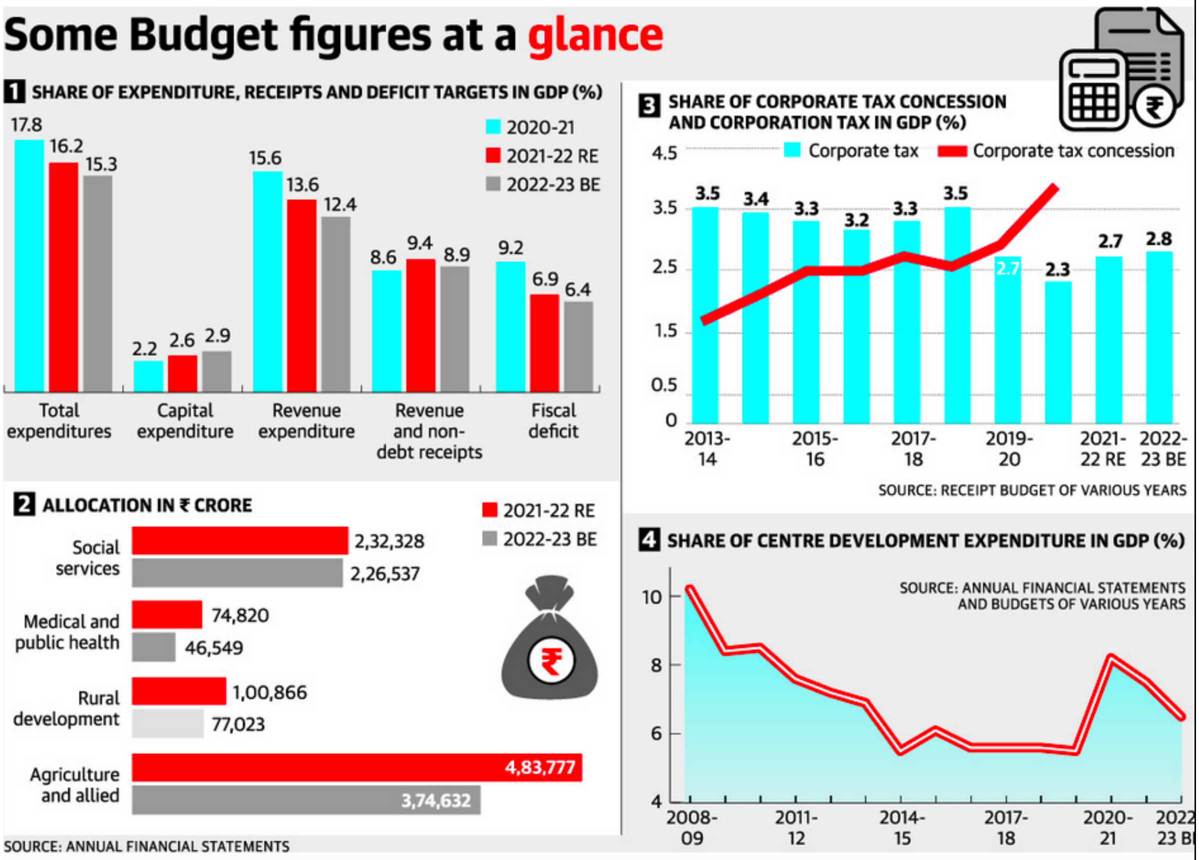

इस पृष्ठभूमि में बजट का प्रदर्शन कैसा रहा है और प्रमुख कमियां क्या हैं?

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य को जारी रखते हुए, बजट उपरोक्त दोनों चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहता है। इस राजकोषीय समेकन प्रक्रिया की तीन विशिष्ट विशेषताएं हैं।

1. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग के रूप में राजस्व व्यय में कटौती

- सबसे पहले, सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों का हिस्सा अधिक या कम अपरिवर्तित बना रहता है, राजकोषीय समेकन का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यय-जीडीपी अनुपात को कम करके प्राप्त करने की मांग है (चित्र 1 देखें)।
- इस व्यय संपीडन का खामियाजा राजस्व व्यय पर पड़ा।
- पूंजीगत व्यय के आवंटन में सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मामूली वृद्धि की गई है। अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण या तो राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को स्थगित करके या राजस्व बढ़ाकर किया जा सकता है।
- हालांकि, बजट में राजस्व व्यय-जीडीपी अनुपात के लिए आवंटन को कम करके पूंजीगत व्यय में वृद्धि और राजकोषीय समेकन हासिल करने की मांग की गई है।

2. श्रम आय को बढ़ावा नहीं दिया गया

- दूसरा, चूंकि राजस्व व्यय के बड़े हिस्से में सब्सिडी जैसी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में खर्च शामिल है, राजस्व व्यय के लिए आवंटन में कमी ने श्रम की आय और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है (चित्र 2 देखें)।
- उदाहरण के लिए, कृषि और संबद्ध गतिविधियों एवं ग्रामीण विकास दोनों के लिए आवंटन में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में नाममात्र की निरपेक्ष रूप से तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

3. बढ़ी हुई कर रियायतें

	• तीसरा, महामारी के दौरान मुनाफे में तेज वृद्धि के बावजूद, कर रियायतों के कारण कॉर्पोरेट टैक्स-जीडीपी अनुपात 2018-19 के स्तर से नीचे बना हुआ है। • पिछले दशक में सकल घरेलू उत्पाद में कॉर्पोरेट कर रियायतों की हिस्सेदारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो 2020-21 तक 3.9% पर अपने चरम पर पहुंच गई (आंकड़ा 3 देखें)। • परिणामस्वरुप कॉरपोरेट टैक्स-जीडीपी अनुपात में विशेष रूप से 2018-19 के बाद से गिरावट दर्ज की गई, जब कॉर्पोरेट टैक्स-अनुपात 3.5% से 2.7% तक तेजी से गिर गया। • राजकोषीय समेकन के उद्देश्य के बावजूद, कॉर्पोरेट कर अनुपात कम बना हुआ है और राजस्व प्राप्तियों को सीमित करता है। **विकास खर्च के लिए क्या निहितार्थ हैं?** • राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने में असमर्थता के साथ-साथ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य ने विकास व्यय पर बाधा उत्पन्न की। • ब्याज भुगतान, प्रशासनिक व्यय और विभिन्न अन्य घटकों सहित गैर-विकास व्यय के साथ, व्यय संपीड़न का खामियाजा विकास व्यय पर पड़ा है। • चित्र 4, वर्ष 2008-09 से जीडीपी में केंद्र के विकास व्यय (विकास व्यय की गणना सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय के योग के रूप में की जाती है) के हिस्से में प्रवृत्ति को दर्शाता है। • जबकि वर्ष 2010 के दशक को विभिन्न सरकारों द्वारा अपने व्यय को समायोजित करके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की विशेषता थी, यह 2019-20 में महामारी के आने तक विकास व्यय अनुपात में तेज गिरावट दर्ज की। • महामारी के पहले वर्ष में लागू किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन ने वर्ष 2020-21 में एक संक्षिप्त सुधार लाया। • पिछले वर्षों में की गई राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति ने एक बार फिर विकास व्यय अनुपात को नीचे की ओर धकेल दिया है। **निर्यात आधारित वृद्धि की क्या संभावनाएं हैं?** • सरकार की राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति को देखते हुए, वर्तमान में आर्थिक पुनरुद्धार की संभावना और सीमा बाहरी मांग पर बहुत अधिक निर्भर है। • पिछली कुछ तिमाहियों में निर्यात में सीमित सुधार के बावजूद निर्यात चैनल पर निर्भर आर्थिक सुधार की संभावना वर्तमान में धूमिल प्रतीत हुई है क्योंकि विभिन्न देशों ने पहले ही राजकोषीय समेकन का प्रयास करना शुरू कर दिया है। **निष्कर्ष** • इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पास एक प्रभावी नीति साधन की कमी है जो श्रम आय और कुल मांग को बढ़ावा दे सके। **क्या आप यह कोशिश कर सकते हैं?** भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए FRBM अधिनियम की प्रासंगिकता का विश्लेषण करें। इस संबंध में एन के सिंह पैनल की सिफारिशों पर भी विस्तार से चर्चा कीजिए।
केंद्रीय बजट 2022-23: कृषि में खुशी का कोई कारण नहीं दिखता	**संदर्भ:** 1 फरवरी को जारी केंद्रीय बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र और संबंधित नीतियों पर सीमित ध्यान दिया गया। **बजट क्या कहता है?** • फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की महत्वपूर्ण योजनाओं में निधियों की भारी कमी देखने के बावजूद, वर्ष के लिए कुल आवंटन में 4.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। • बजट भाषण में कृषि आय को दोगुना करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का कोई उल्लेख नहीं था, जो इस वर्ष (2022) की समय सीमा तक पहुंच गई। • केंद्रीय बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 2021-22 के संशोधित अनुमान (आरई) 126,807.86 करोड़ रुपए के मुकाबले 132,513.62 करोड़ रुपए हो गया। • हालांकि, बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस) को पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान के 3,959.61 करोड़ रुपए से 62 प्रतिशत कम 1,500 करोड़ रुपए ही आवंटित हुए हैं। • प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) में और भी बड़ी कटौती हुई है। इसे 2021-22 में 400

करोड़ रुपए के खर्च के मुकाबले सिर्फ 1 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उपरोक्त दोनों योजनाएं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मुख्यत: दलहन और तिलहन की खरीद सुनिश्चित करती हैं।

प्रधानमंत्री-अन्नदाता आया संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) में कटौती

- यह कटौती ऐसे समय में हुई है, जबकि किसान संगठनों की प्रमुख मांग है कि फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाए। जिस पर सरकार ने इन संगठनों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और इसी आश्वासन के बाद किसान संगठनों ने एक साल तक चला आंदोलन वापस लिया था। आईसीआरआईईआर की सीनियर फेलो और भारतीय कृषि नीतियों पर शोध करने वाली श्वेता सैनी कहती है कि पीएम-आशा के आवंटन में कमी के दो कारण हो सकते हैं।
- या तो सरकार यह अनुमान लगा रही है कि दालों और तिलहनों की कीमतें 2022-23 में भी महंगी बनी रहेंगी और एमएसपी पर नहीं बेची जाएंगी।
- दूसरा कारण यह सकता है कि पीएम-आशा अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिए इसे बंद करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस पर संदेह तब खड़ा होता है, जब सरकार यह कह रही है कि वह एमएसपी के तहत खरीद करेगी और दूसरा पोषण सुरक्षा के बारे में भी बात कर रही है, तो फिर आवंटन क्यों कम किया गया है।

खाद्य और पोषण सुरक्षा में कटौती

- बजट दस्तावेज में खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर विरोधाभासी बात दिखती है। यह दस्तावेज कहता है कि मिशन का उद्देश्य पोषण सुरक्षा के साथ इन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन और पोषक अनाज पर विशेष जोर देना है।
- जबकि खाद्य और पोषण सुरक्षा के तहत आवंटन में 2021-22 में 1540 करोड़ रुपये (संशोधित) से घटकर 1395 करोड़ रुपये हो गया है।
- इसके तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को दालों का वितरण करने के लिए खरीदी गई दालों के स्टॉक का निपटान करना है।
- इसके अलावा मिड डे मील , सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), आईसीडीएस आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए केवल 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- जबकि 2021-22 में संशोधित अनुमान 50 करोड़ रुपए था। हालांकि 2021-22 के बजट में अनुमानित आवंटन 300 करोड़ रुपये था। इसका मतलब साफ है कि सरकार दालों की खरीद और वितरण पर होने वाले खर्च का अनुमान नहीं लगा रही है"।
- 2021-22 में एमएसपी पर 120.8 मिलियन टन धान और गेहूं की खरीद से 16.3 मिलियन किसान लाभान्वित हुए। यह उन 19.7 मिलियन किसानों की कमी है, जिन्हें 2021 में 128.6 मिलियन टन की खरीद से लाभ हुआ था।
- खरीद के लिए सीधे भुगतान में किया गया 2.37 लाख रुपये भी 2020-21 में किए गए 2.48 लाख करोड़ रुपये से कम है।

अन्य कटौती

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) या फसल बीमा योजना के लिए आवंटन भी 15,989 करोड़ रुपये से घटाकर 15,500 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत किसानों की संख्या में क्रमिक गिरावट की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इसे उपयोगी नहीं पाते हैं।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के आवंटन में बढ़ोत्तरी की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में इसके लिए 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, लेकिन 2021-22 में संशोधित अनुमान 200 करोड़ रुपए था, हालांकि बजट अनुमान 900 करोड़ रुपये था।
    - मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। यह फंड बाद के छह वर्षों में खर्च करने के लिए था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आज के बजट में किया गया आवंटन निराशाजनक है।

उज्ज्वल स्थान: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और पीएम-किसान

- इस तरह की योजनाओं को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है:
    - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल

	○ परम्परागत कृषि विकास योजना ○ मृदा और स्वास्थ्य उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना ○ बारानी क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन ○ फसल अवशेषों के प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन ● ये योजनाएं पहले हरित क्रांति कार्यक्रम का हिस्सा थीं। यह योजना 2007-08 से चल रही है और पिछले कुछ वर्षों में आवंटन कम हो गया था। लेकिन सरकार ने इसे इस बजट में पुनर्जीवित किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। यह योजना राज्यों को अधिक स्वायत्तता देगी और वे इसके तहत अपने खर्च को प्राथमिकता दे सकते हैं। ● पीएम-किसान के तहत आवंटन, जो सभी भूमि धारक किसानों को नकद लाभ के माध्यम से आय सहायता प्रदान करता है, पिछले साल के 67,500 करोड़ रुपये से मामूली रूप से बढ़कर 68,000 करोड़ रुपये हो गया है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. क्या इस साल के बजट में कृषि में खुशी की कोई कारण नजर नहीं आ रहा है? चर्चा कीजिए

पर्यावरण

फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन (Fly Ash Management and Utilisation Mission)	**संदर्भ:** हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal - NGT) ने 'फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन' के गठन का निर्देश दिया है। **इस मिशन के बारे में** ● फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन तथा निपटान हेतु समन्वय एवं निगरानी करना। ● मिशन का नेतृत्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), केंद्रीय कोयला और विद्युत मंत्रालय के सचिव और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे। ● MoEF&CC के सचिव समन्वय और अनुपालन के लिये नोडल एजेंसी होंगे। ● मिशन संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के समन्वय से सिंगरौली एवं सोनभद्र जिलों के बाहर विद्युत परियोजनाओं द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन एवं फ्लाई ऐश के समुपयोग का अनुश्रवण भी कर सकता है। ● मिशन फ्लाई ऐश प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी देता है। **फ्लाई ऐश क्या है?** ● इसे आमतौर 'चिमनी की राख' अथवा 'चूर्णित ईंधन राख' (Pulverised Fuel Ash) के रूप में जाना जाता है। यह कोयला दहन से निर्मित एक उत्पाद होती है। ● यह कोयला-चालित भट्टियों (Boilers) से निकलने वाले महीन कणों से निर्मित होती है। ● **संयोजन:** फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2), एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al2O3), फेरिक ऑक्साइड (Fe2O3) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) शामिल होते हैं। ● **उपयोग:** कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, मेटल रिकवरी और मिनरल फिलर आदि में किया जाता है। ● **हानिकारक प्रभाव:** ○ फ्लाई ऐश के कण ज़हरीले वायु प्रदूषक हैं। वे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। ○ ये पानी के साथ मिलने पर भूजल में भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बनते हैं। ○ ये पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित करते हैं। **एनजीटी क्या है?** ● यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार 2010 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ● यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पूरी तरह से देश में पर्यावरणीय मामलों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से विशेषज्ञता से लैस है। ● एनजीटी के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ● यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों

	द्वारा निर्देशित होगा। ● ट्रिब्यूनल के आदेश बाध्यकारी हैं और इसके पास प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे और हर्जाने के रूप में राहत देने की शक्ति है।
परजीवी फूल वाले पौधे की नई प्रजाति	**संदर्भ:** हाल ही में निकोबार द्वीप समूह से एक परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति (genus) की खोज की गई है। **पौधे के नए जीनस के बारे में** ● 'सेप्टेमेरंथस' जीनस पौधे की प्रजाति 'हॉर्सफील्डियाग्लाब्रा' (ब्लूम) वारब के सहारे बढ़ता है। ● यह जीनस 'लोरेंथेसी' परिवार से संबंधित है, जो सैंडलवुड (चंदन) ऑर्डर के तहत एक हेमी-पैरासाइट है, जो कि काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। ● परजीवी फूल वाले पौधों में संशोधित जड़ संरचना होती है जो पेड़ के तने पर फैली होती है और मेजबान पेड़ की छाल के अंदर लगी होती है। ● यह अपने मेजबानों से पोषक तत्व प्राप्त करता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण में सक्षम हरी पत्तियां होती हैं। ● यह केवल निकोबार द्वीप समूह के लिये ही स्थानिक है।
COP-26 पर भारत का स्टैंड	**सुर्ख़ियों में:** भारत सरकार ने ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) में पार्टियों के सम्मेलन (COP26) के 26 वें सत्र में विकासशील देशों की चिंताओं को व्यक्त किया है। इसके अलावा, भारत ने अपनी जलवायु कार्रवाई के निम्नलिखित पांच अमृत मंत्र (पंचामृत) प्रस्तुत किए: 1. भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक 500 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी 2 . भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। 3 . भारत अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को अब से 2030 तक एक अरब टन कम करेगा। 4 . भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम करेगा। 5 . 2070 तक, भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। **प्रमुख बिंदु:** ● विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जलवायु वित्त और कम लागत वाली जलवायु प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। ● विकसित देशों की जलवायु वित्त पर महत्वाकांक्षाएं वैसी नहीं रह सकतीं जैसी वे 2015 में पेरिस समझौते के समय थीं। ● जिस प्रकार यूएनएफसीसीसी जलवायु शमन में हुई प्रगति को ट्रैक करता है, उसी प्रकार उसे जलवायु वित्त पर भी नज़र रखनी चाहिए। ● भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा को समझता है, उन्हें साझा करता है, और इसलिए विकासशील देशों की आवाज उठाता है। ● **जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए पर्यावरण के लिए जीवन शैली का मंत्र साझा किया गया:** पर्यावरण के लिए जीवन शैली को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का एक जन आंदोलन बनाने के लिए एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाना है। भारत द्वारा दिया गया संदेश यह था कि दुनिया को नासमझ और विनाशकारी उपभोग के बजाय सोच-समझकर उपयोग करने की आवश्यकता है। ● अपने समग्र दृष्टिकोण रूप में, भारत ने समानता के मूलभूत सिद्धांतों, और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं पर जोर दिया। ● पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर तापमान वृद्धि को बनाए रखने के लिए सभी देशों को वैश्विक कार्बन बजट, एक सीमित वैश्विक संसाधन तक समान पहुंच होनी चाहिए और सभी देशों को जिम्मेदारी से इसका उपयोग करते हुए, इस वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से के भीतर रहना चाहिए। ● भारत ने विकसित देशों से जलवायु न्याय के लिए और मौजूदा दशक के दौरान उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने का आह्वान किया ताकि उनकी घोषित तारीखों से बहुत पहले शून्य तक पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने घटते वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से से अधिक का उपयोग किया है। ● विश्व के कई देशों ने भारत की जलवायु कार्रवाई के पांच अमृत तत्वों (पंचामृत) की सराहना की है।

भारत में चीता (Cheetah) का परिचय	**संदर्भ:** भारत सरकार चीता लाने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ परामर्श बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया में है। ● वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए चीता परिचय परियोजना के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 38.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ● देश में नई चीता आबादी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पार्कों/भंडार/क्षेत्रों से लगभग 12-14 जंगली चीता 8-10 नर और 4-6 मादा को रखने की व्यवस्था की जाएगी। ● एक नई चीता आबादी स्थापित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका / नामीबिया / अन्य अफ्रीकी देशों से आवश्यक रूप से पांच साल के लिए संस्थापक स्टॉक के रूप में आयात किया जाएगा। **चीता के बारे में** ● चीता बड़े आकार की बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। इसके पूर्वजों का पता पांच मिलियन साल पहले के 'मिओसीन युग' में लगाया जा सकता है। ● चीता दुनिया का सबसे तेज स्थलीय स्तनपायी जीव भी है, जो अफ्रीका और एशिया में रहता है। ● स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी प्राणी चीता है। ● चीता भारतीय पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग, एक प्रमुख विकासवादी शक्ति और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत रहा है। ● उनकी बहाली से खुले जंगल, घास के मैदान, और झाड़ीदार पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर संरक्षण की संभावना होगी, जिसके लिए वे एक प्रमुख प्रजाति के रूप में काम करेंगे। ● आईयूसीएन स्थिति: ○ अफ्रीकी चीता: कमजोर ○ एशियाई चीता: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
समुद्री संसाधनों का संरक्षण	**संदर्भ:** भारत सरकार ने कानून के कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी के माध्यम से तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पहल की हैं। ● भारत का वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम (1972) कई समुद्री जानवरों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में तटीय क्षेत्रों को कवर करने वाले कुल 31 प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। ● 1993 में गठित मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और प्रवाल भित्तियों पर राष्ट्रीय समिति ने समुद्री प्रजातियों के संबंध में प्रासंगिक नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को परामर्श देती है। ● तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (1991 और बाद के संस्करण) नाजुक तटीय पारिस्थितिक तंत्र में विकासात्मक गतिविधियों और कचरे के निपटान पर निषेध लगाते हैं। ● भारत का जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम 2004, और उसके दिशानिर्देश सरकार को जैव विविधता के संरक्षण और परिरक्षण, सतत उपयोग और इसके घटकों के समान बंटवारे, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि से संबंधित मामलों पर परामर्श देते हैं। ● भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना लागू कर रहा है। इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं (ए) एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन और (बी) मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा। ● समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र (सीएमएलआरई), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) का एक संबद्ध कार्यालय, पारिस्थितिक तंत्र निगरानी और मॉडलिंग गतिविधियों के माध्यम से समुद्री जीवन संसाधनों के लिए प्रबंधन रणनीतियों के विकास के साथ अनिवार्य है। ● स्थानीय समुदायों की भागीदारी को अक्सर समुद्री संसाधनों के संरक्षण के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र लक्षद्वीप द्वीप समूह के मछुआरे समुदाय देने के लिए सामाजिक सेवाओं पर एक अंतर्निर्मित घटक के साथ समुद्री सजीव संसाधन (एमएलआर) पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। सामाजिक सेवाओं की पहल का उद्देश्य जंगली में सजावटी और चारा मछली के स्टॉक को बढ़ाना है। कार्यक्रम के तहत, समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र ने "लक्षद्वीप द्वीप समूह में

	समुद्री सजावटी मछली प्रजनन और पालन" पर प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की है। ● इसके अलावा, मत्स्य विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना के तहत, मत्स्य पालन प्रबंधन योजनाओं के विकास, एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांवों के विकास, सागर मित्र को बढ़ावा देने, मछली पकड़ने के जहाजों में शौचालय, संचार और ट्रैकिंग उपकरण, मछली प्रतिबंध अवधि के दौरान मत्स्य परिवारों को आजीविका सहायता आदि की स्थापना के प्रावधान है। ***नोट: समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए)*** ● *एमपीए एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है जो अपने सभी या उसके प्राकृतिक संसाधनों के हिस्से के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।* ● *एमपीए के अंदर कुछ गतिविधियां विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी, या मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमित या प्रतिबंधित हैं।*
वन ओशन समिट	**संदर्भ:** भारत के प्रधानमंत्री ने शुवीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'वन ओशन समिट' के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। **अन्य संबंधित तथ्य** ● शिखर सम्मेलन के उच्च-स्तरीय खंड को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों द्वारा संबोधित किया जाएगा।। ● फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9-11 फरवरी से वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। ● शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। ● वन ओशन समिट का लक्ष्य समुद्री मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वाकांक्षा के सामूहिक स्तर को ऊपर उठाना और महासागर के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी को मूर्त प्रतिबद्धताओं में बदलना है। ○ वन ओशन समिट के दौरान अवैध मत्स्यन (मछली पकड़ने), वि-कार्बनीकरण (डीकार्बोनाइजिंग) शिपिंग एवं प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी प्रतिबद्धता की जाएगी। ○ वन ओशन समिट खुले समुद्रों के शासन में सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के समन्वय के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
उच्च ऊंचाई वाले हिमालय में वार्मिंग	**ख़बरों में:** हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि जल वाष्प वायुमंडल के शीर्ष (टीओए) पर एक सकारात्मक विकिरण प्रभाव प्रदर्शित करता है, जो इसके कारण उच्च ऊंचाई वाले हिमालय में समग्र तापमान में वृद्धि के बारे में बता रहा है। ● अवक्षेपित जल वाष्प (पीडब्ल्यूवी) वातावरण में सबसे तेजी से बदलते घटकों में से एक है और मुख्य रूप से निचले क्षोभमंडल में जमा होता है। ● स्थान और समय में बड़ी परिवर्तनशीलता के कारण मिश्रित प्रक्रियाओं व विषम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला में योगदान, साथ ही विरल माप नेटवर्क विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में स्थान और समय पर पीडब्ल्यूवी के जलवायु प्रभाव को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल है। ● इसके अलावा इस क्षेत्र में वतिलयन (एरोसोल) बादल वर्षा की अंतःक्रिया जो कि सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से उचित अवलोकन संबंधी आंकड़ों की कमी के कारण खराब समझा जाता है। शोधकर्ताओं ने हिमालयी रेंज पर एरोसोल और जल वाष्प विकिरण प्रभावों के संयोजन का आकलन किया, जो विशेष रूप से क्षेत्रीय जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख ग्रीनहाउस गैस और जलवायु बल घटक के रूप में जल वाष्प के महत्व पर प्रकाश डाला।
नदी के किनारे रेत खनन	**प्रसंग:** 60 खनन क्षेत्रों को जारी पर्यावरण मंजूरी ने राजस्थान में बजरी (नदी के किनारे की रेत) के कानूनी खनन का मार्ग प्रशस्त किया है। ● उच्चतम न्यायालय ने चार साल पहले नदी तल में रेत खनन गतिविधियों पर तब तक रोक लगा दी थी जब तक कि वैज्ञानिक पुनःपूर्ति अध्ययन पूरा नहीं हो जाता। ● बाद में शीर्ष अदालत ने अवैध रेत खनन के मुद्दे की जांच के लिए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) नियुक्त किया।

	सिफारिशें: ● विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा सुझाए गए आशय पत्र के सभी वैध धारकों को तीन महीने के भीतर पर्यावरण मंजूरी जारी करना और ● पूर्व शर्त के रूप में वैज्ञानिक पुनःपूर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर न देना। ● खनन के दौरान पुनःपूर्ति अध्ययन किया जा सकता है। ● सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसमें सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और लागू करों के भुगतान के बाद नदी के किनारे रेत खनन की अनुमति दी गई थी। **नदी तल रेत खनन क्या है?** ● रेत खनन मुख्य रूप से एक खुले गड्ढे के माध्यम से रेत की निकासी है, लेकिन कभी-कभी समुद्र तटों और अंतर्देशीय टीलों से खनन किया जाता है या समुद्र और नदी के तल से निकाला जाता है। ● **उपयोग:** ○ रेत का उपयोग अक्सर निर्माण में अपघर्षक या कंक्रीट के रूप में किया जाता है। ○ रेत खनन रूटाइल, इल्मेनाइट और जिरकोन को निकालने में मदद करता है, जिसमें औद्योगिक रूप से उपयोगी तत्व टाइटेनियम और जिरकोनियम होते हैं। ● **गन्दा प्रभाव:** ○ रेत खनन कटाव का एक सीधा कारण स्थानीय वन्य जीवन को प्रभावित करना ○ विभिन्न जानवर घोंसले के शिकार के लिए रेतीले समुद्र तटों पर निर्भर हैं, और खनन के कारण भारत में घड़ियाल लगभग विलुप्त हो गए हैं। ○ पानी के अंदर और तटीय रेत के विक्षोभ से पानी में मैलापन आ जाता है, जो प्रवाल जैसे जीवों के लिए हानिकारक होता है जिन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ○ o यह मत्स्य पालन को भी नष्ट कर सकता है, उनके संचालकों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
कोआला (Koala)	**संदर्भ:** ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कोआला (Koala) को एक लुप्तप्राय प्रजाति (endangered species) के रूप में नामित किया है, जिसे 10 साल पहले कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ● पिछले बीस वर्षों में लंबे समय तक सूखे, आग लगने की घटनाओं, शहरीकरण और आवास के नुकसान के संचयी प्रभावों के प्रभाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। **कोआलासी के बारे में** ● कोआला एक शाकाहारी जानवर है, जो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ○ मार्सुपियल्स होने के कारण, कोआला अविकसित युवाओं को जन्म देते हैं जो अपनी मां के पाउच में रेंगते हैं, जहां वे अपने जीवन के पहले छह से सात महीनों तक रहते हैं। ● यह अपने मोटे, बिना पूंछ वाले शरीर से आसानी से पहचानी जा सकती है। ● जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार, कोआला प्रजाति कम से कम 25 मिलियन वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में निवास कर रही है। ○ लेकिन आज, केवल एक ही प्रजाति बची हुई है, यानी फास्कोलार्क्टोस सिनेरेस। ● कोआला को वर्ष 2012 में "सुभेद्य" के रूप में घोषित किया गया था। ● कोआला के विशिष्ट आवास खुले नीलगिरि वुडलैंड्स हैं तथा उनका अधिकांश आहार पेड़ों की पत्तियां हैं। ● यूकेलिप्टस के पत्तों में पोषक तत्त्वों का स्तर कम होने के कारण कोआला हर दिन 18 घंटे तक सो सकता है। ● एक और बड़ा खतरा क्लैमिडिया का प्रसार है, जो एक यौन संचारित रोग है यह कोआला में अंधापन और प्रजनन मार्ग में अल्सर का कारण बनता है।
सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति	**संदर्भ:** अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक फोटोवोल्टिक कचरा 2050 तक 78 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा।

	• भारत के शीर्ष पांच फोटोवोल्टिक-अपशिष्ट रचनाकारों में से एक होने की उम्मीद है।
	अन्य संबंधित तथ्य
	• जबकि भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि कर रहा है, उसके पास अभी तक उपयोग किए गए सौर पैनलों या निर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन पर कोई ठोस नीति नहीं है।
	• वर्तमान में, भारत सौर कचरे को अपने उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरे का एक हिस्सा मानता है और इस प्रकार स्वतंत्र रूप से इसका हिसाब नहीं रखता है।
	• इसके अलावा, देश में कोई व्यावसायिक रूप से संचालित कच्चा माल सौर ई-कचरा रिकवरी सुविधा नहीं है।
	• लेकिन तमिलनाडु के गुम्मीदीपोंडी में एक निजी कंपनी द्वारा सौर पैनल रीसाइक्लिंग और सामग्री वसूली के लिए एक पायलट सुविधा स्थापित की गई थी।
	भारत में सौर ऊर्जा
	• इस साल तक सरकार का 100GW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है।
	• भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) की प्रतिबद्धता में 2022 तक अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है।
	• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मुद्दों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।
	• राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य पूरे देश में इसके परिनियोजन के लिए नीतिगत शर्तें बनाकर भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।
	• **रूफटॉप सोलर योजना:** घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करना
	• भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
	• **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए):** वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड (OSOWOG) को सक्षम करने के विजन के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था।
	    ○ वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG): वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क, परस्पर जुड़े अक्षय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जिसे आसानी से साझा किया जा सकता है।
	क्या आप जानते हैं?
	• ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्रतिष्ठानों की संचयी क्षमता लगभग 40 गीगावॉट है।
	• लगभग 35.6 GW की क्षमता ग्राउंड-माउंटेड प्लांट्स से और 4.4 GW रूफटॉप सोलर से उत्पन्न होती है।
	    ○ एक गीगावाट एक हजार मेगावाट के बराबर होता है।
	• **सौर फोटोवोल्टिक:** सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) सेल सौर विकिरण (सूर्य के प्रकाश) को बिजली में परिवर्तित करते हैं। सौर सेल सिलिकॉन और/या अन्य सामग्रियों से बना एक अर्ध-संचालन उपकरण है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर बिजली उत्पन्न करता है।

जीवन - पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LIFE - LIfestyle for Environment)	• जीवन हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए जीवन शैली विकल्प बनाने के बारे में है। • LIFE एक लचीली और टिकाऊ जीवनशैली की दृष्टि है जो जलवायु संकट व भविष्य की अन्य अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने में काम आएगी। • LIFE (पर्यावरण के लिये जीवन शैली- UNFCCC COP-26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई) को एक जन आंदोलन बनाना P3 के लिये एक मज़बूत आधार हो सकता है। • प्रो प्लैनेट पीपल (3-पीएस) का यह वैश्विक आंदोलन जीवन के लिए गठबंधन है। ये तीन वैश्विक गठबंधन वैश्विक साझाताओं में सुधार के लिए हमारे पर्यावरण प्रयासों की त्रिमूर्ति का निर्माण करेंगे।
इंदौर में बना 'एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी	**संदर्भ:** भारतीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी संयंत्र का वस्तुतः उद्घाटन करेंगे। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • गीले कचरे के निपटान हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लांट को स्थापित किया गया है।

प्लांट'	● यह प्लांट पीपीपी मोड पर बनाया गया है, जिससे इंदौर नगर निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। ● 400 सिटी बसों को बायो सीएनजी उपलब्ध करवाने की योजना है। ● इंदौर में बना यह प्लांट करीब 15 एकड़ जमीन में फैला है। ● देश के लगभग 20 राज्यों के स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। **अन्य संबंधित तथ्य** ● कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन हैं और इनका उपयोग डीजल, गैसोलीन और मिट्टी के तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है। ● मृत जानवरों और पौधों के कार्बनिक पदार्थों के अवशेषों से लाखों साल पहले जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। ● चूंकि जीवाश्म ईंधन संसाधन सीमित हैं और जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अक्षय संसाधनों से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करें। ● सौर, पवन, बायोमास और लघु जल विद्युत के साथ भारत की अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ी क्षमता वाली प्रौद्योगिकियों का प्रतिनिधित्व करती है। ● इन सबके बीच, बायोमास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ○ पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित पदार्थ जो शैवाल, पेड़, और फसलों सहित बढ़ते पौधों से या पशु खाद से प्राप्त होते हैं, बायोमास कहलाते हैं। ● बायोमास का अवायवीय पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण में बदल जाते हैं जिसे आमतौर पर बायोगैस कहा जाता है। ● बायोमीथेन को सिलिंडर में संपीड़ित और बोतलबंद भी किया जा सकता है और इसे बायो-कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (बायो-सीएनजी) या बस कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) कहा जाता है।
क्रायटोडैक्टाइलस एक्सर्सिटस	**संदर्भ:** पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन के एक जंगली हिस्से से 'बेंट-टोड गेको' (bent-toed gecko) की एक नई प्रजाति को दर्ज किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● इसका वैज्ञानिक नाम 'क्रायटोडैक्टाइलस एक्सर्सिटस' (Crytodactylus exercitus) है और अंग्रेजी नाम 'इंडियन आर्मी बेंट-टोड गेको' (Indian Army's bent-toed gecko) है। ● इस अध्ययन की खोज 'यूरोपियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी' के नवीनतम अंक में प्रकाशित हुई थी। ● उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मिजोरम के लंगलेई शहर में पाई गई 'बेंट-टोड गेको' की एक प्रजाति को 'क्रायटोडैक्टाइलस लंगलेनेसिस' (CyrtodactylusLungleiensis) नाम दिया गया था। ● भारत अब बेंट-टोड गेको की 40 प्रजातियां है, जिनमें से 16 उत्तर-पूर्व में है। ● सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को 'हर्पेटोलॉजिस्ट' (Herpetologists) या सरीसृप विज्ञानवेत्ता कहते हैं। **क्या आप जानते हैं?** ● Cyrtodactylus एशियाई जेकॉस की एक विविध प्रजाति है, जिसे आमतौर पर बेंट-टोड जेकॉस, बो-फिंगर्ड जेकॉस और फॉरेस्ट जेकॉस के रूप में जाना जाता है। ● वर्ष 2020 तक जीनस में कम से कम 300 वर्णित प्रजातियां हैं, जो इसे सभी जेको जेनेरा में सबसे बड़ा बनाती है।
प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी	**संदर्भ:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिये दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है। ● यह कदम एक जुलाई, 2022 से प्रभावी हो जायेगा। **अन्य संबंधित तथ्य** ● दिशानिर्देश निम्नलिखित के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं: ○ प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ○ प्लास्टिक के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देना

	○ व्यापार प्रतिष्ठान टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ● पैकेजिंग के लिए ताजा प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने के लिए दिशानिर्देशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुन: उपयोग अनिवार्य किया गया है। ● पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के साथ-साथ ईपीआर के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के न्यूनतम स्तर के पुनर्चक्रण के प्रवर्तनीय नुस्खे से प्लास्टिक की खपत में और कमी आएगी और प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पुनर्चक्रण में सहायता मिलेगी। ● ईपीआर दिशानिर्देश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के औपचारिकता और आगे के विकास को बढ़ावा देंगे। ● पहली बार, दिशानिर्देश सरप्लस विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद की अनुमति देते हैं, इस प्रकार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक बाजार तंत्र स्थापित करते हैं। ● ईपीआर का कार्यान्वयन एक अनुकूलित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा जो सिस्टम की डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करेगा। ● ऑनलाइन प्लेटफार्म में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की ट्रैकिंग तथा निगरानी उपलब्ध होगी। ● दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था भी की गई है कि प्रदूषण पैदा करने वाले पर पर्यावरण जुर्माना लगाया जायेगा। इसके लिये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा न करने पर निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड के स्वामियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। ● इसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी सुरक्षा करने और प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों को रोकना तथा नियंत्रित करना है। जमा निधियों का इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक को इकट्ठा करने, उसे री-साइकिल करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये जमा न किये जाने वाले प्लास्टिक का निपटारा करने के लिये किया जायेगा। ● इसके अंतर्गत निर्माता, आयातक और ब्रांड स्वामी, जमा वापसी प्रणाली या पुनर्खरीद या किसी अन्य तरीके वाली परिचालन योजनायें चला सकते हैं, ताकि ठोस अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के घालमेल को रोका जा सके। **क्या आप जानते हैं?** ● विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) एक नीतिगत दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्पादकों को उपभोक्ता के बाद के उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी - वित्तीय और/या भौतिक - दी जाती है।

भूगोल और ख़बरों में स्थान

बम चक्रवात (Bomb Cyclone)	**संदर्भ:** हाल ही में, 'बम चक्रवात' पूर्वी अमेरिका से टकराया, जिससे परिवहन और बिजली संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। **बम चक्रवात क्या है?** ● बम चक्रवात एक बड़ा, तीव्र मध्य अक्षांश का तूफान है, जिसके केंद्र में कम दबाव, मौसम के मोर्चे और विभिन्न प्रकार के संबंधित मौसम हैं, जो बर्फ़ीले तूफ़ान से लेकर तेज़ आंधी से लेकर भारी वर्षा तक हैं। ● पूर्वानुमानकर्ता हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि बम चक्रवात महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। ● Bomb Cyclone आने का कारण क्या हैं? ○ यह तब निर्मित हो सकता है जब ठंडी वायु का द्रव्यमान गर्मवायु के द्रव्यमान से टकराता है जैसे कि गर्म समुद्री जल के ऊपर की वायु। इस तेज़ी से मजबूत होने वाली मौसम प्रणाली का बनना एक प्रक्रिया है जिसे बॉम्बोजेनेसिस (Bombogenesis) कहा जाता है। ○ यह तब होता है जब एक मध्य अक्षांश चक्रवात तेज़ी से बढ़ता है तथा जिसमें 24 घंटों में कम-से-कम 24 मिलीबार की गिरावट आई हो। **एक तूफान से एक बम चक्रवात को क्या अलग करता है?** ○ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तूफान बनते हैं और गर्म समुद्रों द्वारा संचालित होते हैं। नतीजतन, वे गर्मियों में या शुरुआती गिरावट में सबसे आम हैं, जब समुद्री जल अपने सबसे गर्म होता है।

	○ बम चक्रवात आमतौर पर ठंडे महीनों के दौरान होते हैं। ○ उष्णकटिबंधीय जल में तूफान आते हैं, जबकि बम चक्रवात उत्तर-पश्चिम अटलांटिक, उत्तर-पश्चिम प्रशांत और कभी-कभी भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं।
ग्रेटर मालदीव रिज का विवर्तनिक विकास	• मालदीव रिज (Maldive Ridge) एक एसिस्मिक रिज (Aseismic Ridge) है जो भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित नहीं है। • भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित इस रिज की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई है। एसिस्मिक रिज की संरचना और भू-गतिकी को समझना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है (क्योंकि यह महासागरीय घाटियों के विकास को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है)। • एक अध्ययन ने उपग्रह-व्युत्पन्न उच्च-रिज़ॉल्यूशन गुरुत्वाकर्षण डेटा (Satellite-Derived High-Resolution Gravity Data) की सहायता से पहली बार GMR के साथ संभावित भूगर्भीय क्रॉस-सेक्शन (Geological Cross-Sections) को चिह्नित किया है। • शोधकर्त्ताओं ने माना कि GMR एक समुद्री क्रस्ट के नीचे हो सकता है। • उनके अध्ययन के परिणाम हिंद महासागर के प्लेट-टेक्टोनिक विकास को बेहतर ढंग से समझने में अतिरिक्त बाधाएं प्रदान कर सकते हैं। • शोध से पता चलता है कि मालदीव रिज मध्य-महासागर रिज के निकट के क्षेत्र में बना हो सकता है (जहां लिथोस्फेरिक प्लेटों या प्रसार केंद्र की विचलन गति के कारण एक नए महासागर तल का निर्माण होता है)।

इतिहास और संस्कृति

होयसल मंदिर (Hoysala Temple)	**संदर्भ:** कर्नाटक में बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-2023 के लिए विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया है। **यूनेस्को की विश्व धरोहर के बारे में** • विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण के साथ एक मील का पत्थर या क्षेत्र है। • विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किया गया है। **होयसला वास्तुकला के बारे में** • होयसल वास्तुकला 11वीं एवं 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है जो ज़्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है। • होयसल मंदिर, हाइब्रिड या बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनकी अनूठी शैली न तो पूरी तरह से द्रविड़ है और न ही नागर। • होयसल मंदिरों में एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूह में कई मंदिर शामिल होते हैं और यह संपूर्ण संरचना एक जटिल डिज़ाइन वाले तारे के आकार में होती है। • ये सॉपस्टोन अर्थात सेलखड़ी पत्थर से बने होते हैं जो अपेक्षाकृत नरम पत्थर होता है। • ये अपने तारे जैसी मूल आकृति एवं सजावटी नक्काशियों के कारण अन्य मध्यकालीन मंदिरों से भिन्न हैं। • कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं: ○ होयसलेश्वर मंदिर (Hoysaleshvara Temple) जो कर्नाटक के हलेबिड में है, इसे 1150 ईस्वी में होयसल राजा द्वारा काले शिष्ट पत्थर (Dark Schist Stone) से बनवाया गया था। ○ कर्नाटक के सोमनाथपुरा में चेन्नेकेशवा मंदिर जिसे नरसिम्हा III की देखरेख में 1268 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। ○ विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित कर्नाटक के बेलूर में केशव मंदिर।
पुनौरा धाम	**प्रसंग:** बिहार सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण

	सर्किट में शामिल किया है। • पुनौरा धाम के गंतव्य को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। • पुनौरा धाम, हिंदू देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है। • मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल है। **प्रसाद योजना** • प्रसाद योजना सभी धर्मों के तीर्थ केंद्रों पर सुविधाओं और अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। • अक्टूबर 2017 में इसे प्रसाद योजना से बदलकर "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन" कर दिया गया। • **उद्देश्य:** • चिन्हित तीर्थ स्थलों का समग्र विकास; • महत्वपूर्ण तीर्थ और विरासत स्थलों का कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन; • समुदाय आधारित विकास का पालन करना और स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करें; • अवसंरचनात्मक कमियों को पाटने के लिए तंत्र को सुदृढ़ बनाना। **स्वदेश दर्शन योजना** • वहीं स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिये वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई थी, जैसे- रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट आदि। • रोजगार सृजन के लिए पर्यटन क्षेत्र को एक प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना। • पर्यटन मंत्रालय सर्किट के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।
समानता की मूर्ति (Statue Of Equality)	**संदर्भ:** भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हैदराबाद में महान संत रामानुजचार्य की 216 फीट लंबी मूर्ति का उद्घाटन किया। इस मूर्ति को "स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी" (Statue of Equality) यानि समानता की मूर्ति कहा गया है। **रामानुजाचार्य कौन थे?** • संत रामानुजचार्य हिन्दू भक्ति परंपरा से आते हैं। उनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। • उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की सिफारिश करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। • रामानुज ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया, और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। • उन्हें अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। • उन्होंने नवरत्नों के नाम से जाने जाने वाले नौ शास्त्रों की रचना की, और वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की। • उन्होंने जाति, पंथ, लिंग, नस्ल और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना हर इंसान की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए काम किया। **इन्हें समानता की मूर्ति क्यों कहा जाता है?** • रामानुज सदियों पहले सभी वर्गों के लोगों के बीच सामाजिक समानता के हिमायती थे। • उन्होंने मंदिरों को समाज में जाति या स्थिति के बावजूद सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को उनमें प्रवेश करने से मना किया गया था। • उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुँचाया जो इससे वंचित थे। • उनका सबसे बड़ा योगदान "वसुधैव कुटुम्बकम" की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद "सारा ब्रह्मांड एक परिवार है" के रूप में है।

चिंतामणि पद्य नाटकम	**संदर्भ:** इस साल की शुरुआत में, आंध्र प्रदेश सरकार ने 'चिंतामणि पद्य नाटकम' नामक एक 100 वर्ष पुराने नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया था। **चिंतामणि नाटकम क्या है?** • यह प्रसिद्ध तेलुगू नाटक वर्ष 1920 में नाटककार कल्लाकुरी नारायण राव द्वारा लिखित है, जो एक समाज सुधारक भी थे। • इस नाटक में, लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे लोग कुछ सामाजिक बुराइयों का शिकार होकर अपने परिवारों की उपेक्षा करते हैं। • सुब्बिसेटी (Subbisetty), चिंतामणि, बिल्वमंगलुडु (Bilvamangaludu), भवानी शंकरम और श्रीहरि इस नाटक के कुछ पात्र हैं।
राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस)	**उद्देश्य:** राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली भारत की एक एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है जो रिमोट सेंसिंग उपग्रहों और अन्य पारंपरिक तकनीकों से प्राकृतिक संसाधनों के बारे में डेटा एकत्र करती है। • पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पति परिवर्तन के तंत्र का अनुकरण करने के लिए ज्ञान आधारित निर्णय उपकरण का विकास। • हिमालयी क्षेत्र के हिम और हिमनदों की निगरानी। • भारत का मरुस्थलीकरण स्थिति मानचित्रण। • रिमोट सेंसिंग (आरएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीकों का उपयोग कर नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु के नमक प्रभावित भूमि रूपों में मिट्टी और जल गुणवत्ता मूल्यांकन करना। • ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत भूमि उपयोग, जल और ऊर्जा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग: ऊर्जा वृक्षारोपण के अवसर तलाशना, सार्वजनिक प्रणाली समूह। • उपग्रह रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का उपयोग करके अचनकुमार - अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के सूक्ष्म तत्वों, संरचना और विविधता पर भूमि उपयोग की गतिशीलता और प्रभाव होना। • रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग कर गुजरात के चुनिंदा इको-टूरिज्म साइट्स और इससे जुड़े वातावरण का प्राकृतिक संसाधन आकलन करना।
महाराजा सूरज माली	• महाराजा सूरज मल या सुजान सिंह भारत के राजस्थान में भरतपुर के एक हिंदू जाट शासक थे। • एक समकालीन इतिहासकार ने उनकी "राजनीतिक दूरदर्शिता, स्थिर बुद्धि और स्पष्ट दृष्टि" के कारण उन्हें " जाट जनजाति का प्लेटो " और एक आधुनिक लेखक द्वारा "जाट ओडीसियस " के रूप में वर्णित किया था। • सूरज मल के नेतृत्व में जाटों ने आगरा में मुगल चौकी पर कब्जा कर लिया। सूरज मल 25 दिसंबर 1763 की रात को हिंडन नदी, शाहदरा, दिल्ली के पास रोहिल्ला सैनिकों द्वारा घात लगाकर मारे गए थे। • उनके किलों पर तैनात सैनिकों के अलावा, उनकी मृत्यु के समय 25,000 पैदल सेना और 15,000 घुड़सवार सेना की एक सेना थी।
गुरु रविदास	• रविदास, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, 15 वीं से 16 वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के उत्तर भारतीय रहस्यवादी कवि थे। • गुरु रविदास (रैदास) पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में गुरु (शिक्षक) के रूप में सम्मानित, रवीदास के भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर स्थायी प्रभाव डाला। • वह एक कवि-संत, सामाजिक सुधारक और एक आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्हें 21 वीं सदी के रविदासिया धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जो पहले सिख धर्म के साथ जुड़े थे। • रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश, भारत में वाराणसी के पास गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। • उनके माता का नाम घुरबीनीया और पिता का नाम रघुराम था। • उनका परिवार मृत पशुओं और उनकी त्वचा के साथ चमड़े के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए काम करता था, उन्हें अछूत चमार जाति माना जाता था। • रविदास के भक्ति गीतों को सिख शास्त्र, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था।

	• वह एक निराकार ईश्वर की पूजा को महत्व देते थे। • कबीर के साथ, वह भगत रामानन्द के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। • भक्त रविदास के 41 छंद सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल हैं। • वे वर्ण (जाति) व्यवस्था के खिलाफ मुखर थे। • उन्होंने बेगमपुरा नामक एक समतावादी समाज की कल्पना की, जिसका अर्थ है "दुख के बिना भूमि"। • उनके शिष्यों को रविदास-पंथी के रूप में जाना जाने लगा और अनुयायियों को रविदासियस के रूप में जाना जाने लगा। • उन्होंने 'सहज' का भी उल्लेख किया, एक रहस्यमय राज्य जहां कई और एक के सत्य का मिलन होता है।
जॉर्डन में खुदाई के दौरान मिला 9 हजार साल पुराना मंदिर	**संदर्भ:** जॉर्डन और फ्रांस के पुरातत्वविदों (Archaeologists) की एक टीम ने दावा किया है कि उन्हें जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान (Eastern desert) में एक सुदूर नवपाषाण स्थल (Neolithic site) पर करीब 9000 वर्ष पुराना 'धार्मिक स्थल' (Shrine) मिला है। **अन्य संबंधित तथ्य** • यहाँ 'डेजर्ट काइट्स' (desert kites) नाम की बड़ी संरचनाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 'मास ट्रैप' का इस्तेमाल जंगली जानवरों के वध के लिए किया जाता था। • रिपोर्ट के अनुसार, 'डेजर्ट काइट्स' नाम की संरचनाओं में दो या दो से अधिक पत्थर की ऊंची दीवारें होती हैं, जो आगे जाकर संकरी होती जाती हैं। • इन दीवारों में जंगली जानवर फंस जाते थे जिसके बाद इंसान उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। • इस तरह की संरचनाएं मध्य पूर्व (Middle East) के रेगिस्तान में भी पाई जाती हैं। • इस साइट के भीतर दो नक्काशीदार खड़े पत्थर पाए गए हैं, जिनके ऊपर मानव समान आकृतियां बनी है। • शोधकर्ताओं ने कहा कि यह साइट अब तक अज्ञात नवपाषाण युग के लोगों के प्रतीकवाद, कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ-साथ उनकी आध्यात्मिक संस्कृति पर एक नई रोशनी डालती है। **नवपाषाण युग** • यह पाषाण युग की तीसरी अवधि है और इसे अक्सर "नया पाषाण युग" कहा जाता है। • भारत में, यह लगभग 7,000 ई.पू. 1,000 ई.पू. हुई थी। • नवपाषाण काल मुख्य रूप से बसे हुए कृषि के विकास और पॉलिश किए गए पत्थरों से बने औजारों और हथियारों के उपयोग की विशेषता है। • इस अवधि के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें रागी, चना, कपास, चावल, गेहूं और जौ थीं। • इस युग में पहली बार मिट्टी के बर्तन दिखाई दिए।

भारतीय मंदिर वास्तुकला 'देवायतनम'	मंदिर हमेशा अपने तरीके से भारतीय जीवन और इसके पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग रहा है। मंदिर निर्माण न केवल उपमहाद्वीप में एक पवित्र कार्य के रूप में प्रचलित था, बल्कि यह विचार दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया जैसे निकटतम पड़ोस में भी गया; इसलिए, यह एक दिलचस्प अध्ययन बन जाता है कि कैसे मंदिर वास्तुकला की कला और तकनीक भारत से अन्य क्षेत्रों में फैल गई और इस कला को कैसे संशोधित किया गया। **भारत में मंदिरों के स्थापत्य सिद्धांतों का वर्णन शिल्प शास्त्र में किया गया है -** ● **नागर शैली:** 'नागर' शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में 'कलिंग', गुजरात में 'लाट' और हिमालयी क्षेत्र में 'पर्वतीय' कहा गया। ● **द्रविड़ शैली:** मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो गई। मंदिरों की द्रविड़ शैली को राजवंशीय रूप से विकसित किया गया था, हालांकि इन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं राजवंशों में समान थीं। ● **वेसर शैली:** सातवीं शताब्दी के मध्य में, चालुक्य शासकों के संरक्षण में कर्नाटक क्षेत्र में मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई। इस क्षेत्र के मंदिर एक संकर शैली का अनुसरण करते हैं जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताओं को जोड़ती है। **तीन शैलियों की समानताएं और अंतर:**

	नागर शैली	द्रविड़ शैली	वेसर शैली
	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	दक्कन क्षेत्र (विंध्य और कृष्णा नदी के बीच)
	यह क्षेत्रीय रूप से विकसित प्रत्येक क्षेत्र में अपने विशेष गुणों को प्रकट करता है	वंशाक्रम रूप से विकसित	दो शैलियों का मिश्रण हाइब्रिड शैली। इसे क्षेत्रीय और राजवंशीय रूप से विकसित किया गया था।
	ग्राउंड प्लान: ज्यादातर चौकोर आकार	ग्राउंड प्लान: ज्यादातर चौकोर आकार	ग्राउंड प्लान: तेजी से जटिल, जिसमें स्टार्ट लाइक प्लान भी शामिल है
	घुमावदार मीनार (गर्भगृह के ऊपर बना शिखर) धीरे-धीरे अंदर की ओर मुड़ी हुई	पिरामिड टॉवर घटते आयाम में कई स्मृतियों के साथ	गुम्बद का आकार पिरामिड जैसा लेकिन ऊंचाई कम होना
	एकाधिक शिखर	सहायक मंदिर या तो मुख्य मंदिर की मीनार के भीतर समाहित हैं, या मुख्य मंदिर के बगल में अलग, अलग छोटे मंदिरों के रूप में स्थित हैं।	कई मंदिर साथ-साथ मौजूद होना
	चौकोर हॉल	चौकोर हॉल	चौकोर हॉल
	पवित्र स्थान गर्भगृह	पवित्र स्थान गर्भगृह	पवित्र स्थान गर्भगृह
	गोपुरम अनुपस्थित	गोपुरम होना	गोपुरम मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी
	पानी की टंकी मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी	मंदिर के सामने एक पानी की टंकी मौजूद है जहाँ से पवित्र उद्देश्यों (sacred purposes) के लिए पानी निकाला जाता है	पानी की टंकी मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी
	परिसर की दीवारें अनुपस्थित होना	एक परिसर की दीवार के अंदर संलग्न होना	कंपाउंड दीवारें मौजूद हो भी सकती हैं और नहीं भी
	उदाहरण - दशावतार मंदिर (देवगढ़), विश्वनाथ मंदिर (खजुराहो), लक्ष्मण मंदिर (खजुराहो), जगन्नाथ मंदिर (पुरी)	उदाहरण - शोर मंदिर (महाबलीपुरम), बृहदीश्वर मंदिर (तंजावुर), मीनाक्षी मंदिर (मदुरै)	उदाहरण - बादामी मंदिर, दुर्गा मंदिर (ऐहोल), विरुपाक्ष मंदिर (पट्टडकल), केशव मंदिर (सोमनाथपुर)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर	**खबरों में:** प्रोजेक्ट 75 की पांचवीं पनडुब्बी, आईएनएस वागीर, भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास ने 01 फरवरी 22 को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। **अन्य संबंधित तथ्य** • भारतीय नौसेना पोत (आईएनएस) वागीर कलवरी श्रेणी की छह पनडुब्बियों में पांचवां है। • कक्षा में अन्य आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला तथा आईएनएस वागशीर हैं। **तकनीकी जानकारी**

	● कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का डिज़ाइन स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है, जिनमें डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम हैं। ● ये मुख्य रूप से हमलावर पनडुब्बियां या 'हंटर-किलर' प्रकार की हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें विरोधी नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने और डुबोने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ● सतह पर यह 11 समुद्री मील की उच्चतम गति तक और डूबे रहने पर 20 समुद्री मील तक पहुंच सकता है। ● इन पनडुब्बियों में वायु स्वतंत्र प्रणोदन (एआईपी) है जो गैर-परमाणु पनडुब्बियों को सतही ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना लंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाता है। **क्या आप जानते हैं?** ● कलवरी का अर्थ है टाइगर शार्क, वागीर का नाम एक शिकारी समुद्री प्रजाति 'सैंड फिश' (Sand Fish) के नाम पर रखा गया है। ● खंडेरी का नाम छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित एक द्वीप किले के नाम पर रखा गया है, जिसने उनकी नौसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ● करंज का नाम भी मुंबई के दक्षिण में स्थित एक द्वीप के नाम पर रखा गया है।

सुपरकंप्यूटर परम प्रवेग (Supercomputer Param Pravega)	**संदर्भ:** भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बेंगलुरु ने भारत में "परम प्रवेग" (Param Pravega) नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है।
	अन्य संबंधित तथ्य
	● यह भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है, और राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत एक भारतीय शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ा है।
	● इस प्रणाली से विविध अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को शक्ति मिलने की उम्मीद है। परम प्रवेग सुपरकंप्यूटर में 3.3 पेटाफ्लॉप्स (प्रति सेकेंड 1015 ऑपरेशन) की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता है।
	● यह NSM के तहत 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग' (सी-डैक) द्वारा स्थापित किया गया है।
	● इस सुपरकंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश घटकों को स्वदेशी रूप से निर्मित और असेंबल किया गया है। इसका सॉफ्टवेयर भी भारत में ही विकसित किया गया हैने वाले अधिकांश घटकों का निर्माण और संयोजन भारत में किया गया है।
	राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) क्या है?
	● इस मिशन की घोषणा 2015 में की गई थी।
	● एनएसएम ने 4500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सात साल की अवधि में पूरे भारत में राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से 70 उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करने की परिकल्पना की है।
	● मुख्य निकाय: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)।
	● एनएसएम की नोडल एजेंसियां- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु।
	● एनएसएम के तहत, दीर्घावधि योजना अगले पांच वर्षों में 20,000 कुशल व्यक्तियों का एक मजबूत आधार बनाने की है जो सुपर कंप्यूटर की जटिलताओं को संभालने के लिए सुसज्जित होंगे।
	● वर्ष 2020 में, एक आरटीआई जवाब से पता चला कि भारत ने एनएसएम के तहत वर्ष 2015 के बाद से सिर्फ तीन सुपर कंप्यूटर का उत्पादन किया है।
	  ○ 837 टेराफ्लॉप क्षमता के साथ IIT-BHU, वाराणसी में स्थापित परम शिवाय।
	  ○ दूसरा 1.66 पेटाफ्लॉप क्षमता के साथ आईआईटी-खड़गपुर में।
	  ○ ISER-पुणे में परम ब्रह्मा, की क्षमता 797 TeraFlop है।

चंद्रयान-3	**ख़बरों में:** वर्ष 2022 में चंद्रयान -3 अगस्त लॉन्च होने वाला है। ● चंद्रयान-2 जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान-2 के दौरान लॉन्च किए गए ऑर्बिटर

	का इस्तेमाल चंद्रयान-3 में किया जाएगा। • चंद्रयान-3 इसरो के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आगे के अंतरग्रहीय मिशनों के लिए लैंडिंग करने की भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। • चंद्रयान-3 अक्टूबर 2008 में शुरू किए गए पहले चंद्रयान मिशन से सीख लेता है जिसने चंद्र सतह पर पानी के सबूत खोजने सहित प्रमुख खोजें कीं। **चंद्रयान-2 का क्या हुआ?** • चंद्रयान-2, चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन, चंद्र सतह पर सॉफ्ट-लैंडिंग करने में विफल रहा था। • लैंडर और रोवर अंतिम क्षणों में खराब होकर दुर्घटनाग्रस्त हो थे। **अब तक इकट्ठी की गई महत्वपूर्ण जानकारियां** • चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति जो पानी के बारे में अब तक की सबसे सटीक जानकारी है। • सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति: क्रोमियम, मैंगनीज और सोडियम का पहली बार सुदूर संवेदन के माध्यम से पता लगाया गया है। • **सोलर फ्लेयर्स के बारे में जानकारी:** सक्रिय क्षेत्र के बाहर बड़ी संख्या में माइक्रोफ्लेयर पहली बार देखे गए हैं। यह सौर कोरोना को गर्म करने के पीछे के तंत्र को समझने में मदद करेगा।
स्पुतनिक लाइट वैक्सीन	**संदर्भ:** ड्रग रेगुलेटर DCGI (ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया) ने भारत में सिंगल-डोज़ स्पुतनिक लाइट COVID-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) प्रदान किया है। **वैक्सीन के बारे में** • स्पुतनिक लाइट पुनः संयोजक मानव एडीनोवायरस सीरोटाइप संख्या 26 (स्पुतनिक वी का पहला घटक) पर आधारित है। • यह COVID-19 की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला पंजीकृत संयोजन वेक्टर टीका है। • वैक्सीन डेवलपर रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (RDIF) के अनुसार, स्पुतनिक लाइट का एक शॉट टीकाकरण प्रशासन में आसानी प्रदान करता है और बूस्टर शॉट के रूप में उपयोग किए जाने पर अन्य टीकों की प्रभावकारिता और अवधि को बढ़ाने में मदद करता है। **आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए)** • यह COVID-19 के कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों या स्थितियों के प्रभाव को रोकने और/या कम करने के लिए टीकों और दवाओं के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक नियामक तंत्र है। **भारत के औषधि महानियंत्रक के बारे में** • DCGI भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएसओ) के विभाग के प्रमुख हैं। • केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन राज्य नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर काम करता है और औषध अधिनियम के एकसमान प्रवर्तन को सुनिश्चित करने में उनकी सहायता करता है। • भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके, और सीरा जैसी विशिष्ट श्रेणियों की दवाओं के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होता है । • DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक भी निर्धारित करता है। • यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
कोविन पोर्टल	**संदर्भ:** केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण के वास्ते 'CoWin' प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से एक का ही होना अनिवार्य है। **कोविन क्या है?** • CoWIN (Covid Vaccine Intelligence Work) COVID-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के लिए भारत सरकार का वेब पोर्टल है। यह आस-पास के क्षेत्रों में उपलब्ध COVID-19 वैक्सीन के स्लॉट प्रदर्शित करता है और इसे वेबसाइट पर बुक किया जा सकता है।

	• यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद प्रमाण बूत है जहां लोग यह जानते हैं कि उन्हें कब, कहां और किसके द्वारा टीका लगाया गया था। • कुल मिलाकर, CoWIN भारत में कोविड-19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्लाउड-आधारित आईटी समाधान है। • यह प्रणाली को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण के उपयोग, अपव्यय, कवरेज की निगरानी करने की अनुमति देता है। • CoWIN प्रणाली भारत में टीकाकरण अभियान को वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक करती है। • पोर्टल डिजिटल प्रारूप में टीकाकरण प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। • CoWIN पोर्टल अनिवार्य रूप से eVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) का विस्तार है।
परमाणु संलयन ऊर्जा	**संदर्भ:** मध्य इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के पास संयुक्त यूरोपीय टोरस (जेईटी) सुविधा में एक टीम ने दिसंबर में एक प्रयोग के दौरान 59 मेगाजूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न की, जो 1997 के रिकॉर्ड को दोगुना से अधिक है। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह परमाणु संलयन ऊर्जा के उत्पादन में या सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन के तरीके की नकल करने में एक नया मील का पत्थर है। • एक डोनट के आकार का उपकरण टोकामक नामक मशीन में ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। • इन महत्वपूर्ण प्रयोगों का रिकॉर्ड और वैज्ञानिक डेटा आईटीईआर के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। • इन महत्वपूर्ण प्रयोगों का रिकॉर्ड और वैज्ञानिक डेटा आईटीईआर के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। **परमाणु संलयन के बारे में** • परमाणु संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक एक या अधिक भिन्न परमाणु नाभिक और उप-परमाणु कण बनाने के लिए संयुक्त होते हैं। • अभिकारकों और उत्पादों के बीच द्रव्यमान में अंतर ऊर्जा के विमोचन या अवशोषण के रूप में प्रकट होता है • परमाणु संलयन द्वारा ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में से एक है क्योंकि यह कम कार्बन होने का वादा करती है, जो अब परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने की तुलना में सुरक्षित है और एक दक्षता के साथ जो तकनीकी रूप से 100% से अधिक हो सकती है। • एक किलो संलयन ईंधन में एक किलो कोयला, तेल या गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा होती है। • **कार्य करना:** ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्लाज्मा बनाने के लिए सूर्य के केंद्र की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म तापमान पर गर्म किए जाते हैं। ○ यह सुपरकंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग करके आयोजित किया जाता है क्योंकि यह चारों ओर घूमता है, फ़्यूज़ करता है और गर्मी के रूप में जबरदस्त ऊर्जा छोड़ता है। **क्या आप जानते हैं?** • ITER फ़्यूज़न ऊर्जा की वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता को और प्रदर्शित करने के लिए फ्रांस के दक्षिण में स्थित सात सदस्यों - चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और यू.एस. द्वारा समर्थित एक संलयन अनुसंधान मेगा-प्रोजेक्ट है।
भारत ने ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया	**संदर्भ:** हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आयात के लिए ड्रोन के निषेध को प्रभावी करते हुए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली), 2022 को अधिसूचित किया। **अन्य संबंधित तथ्य** • इस कदम का उद्देश्य मेड-इन-इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देना है। • नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि जहां आरएंडडी, रक्षा और सुरक्षा के लिए अपवाद प्रदान किए गए थे, इन

	उद्देश्यों के लिए ड्रोन आयात करने के लिए "उचित मंजूरी" की आवश्यकता होगी। ● हालांकि, ड्रोन घटकों के आयात के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ● पिछले साल, मंत्रालय ने उदारीकृत ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया, जिसने अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और भारत को ड्रोन हब के रूप में बनाने के उद्देश्य से कई स्वीकृतियों को समाप्त कर दिया। ● वित्तीय वर्षों के लिए 120 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ड्रोन और उनके घटकों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी। **ड्रोन के बारे में** ● ड्रोन मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft) के लिये प्रयुक्त एक आम शब्दावली है। ● मूल रूप से सैन्य और एयरोस्पेस उद्योगों के लिये विकसित ड्रोन ने सुरक्षा एवं दक्षता के उन्नत स्तरों के परिणामस्वरूप अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ● ड्रोन निम्न स्तर से लेकर उन्नत स्तर तक संचालित हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यह अपनी गति की गणना करने के लिये सेंसर और LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) डिटेक्टरों की एक प्रणाली पर निर्भर करता है। **ड्रोन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग** ● **रक्षा:** ड्रोन प्रणाली को आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक सममित हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ● इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल वितरण हेतु ● कृषि: सूक्ष्म पोषक तत्वों को ड्रोन की मदद से फैलाया जा सकता है ● निगरानी: SVAMITVA योजना में ड्रोन तकनीक ने आबादी क्षेत्रों का मानचित्रण करके लगभग आधा मिलियन गाँव के निवासियों को उनके संपत्ति कार्ड प्राप्त करने में मदद की है। ○ ड्रोन का ममहत्त्वपूर्ण उपयोग निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिये भी किया जा सकता है तथा उनकी दूरस्थ निगरानी क्षमता बेहद खास है। ● कानून स्थापित करने वाली संस्था
सौर तूफान	**प्रसंग:** एलोन मस्क (Elon Musk) के स्टारलिंक (Starlink) ने दर्जनों उपग्रह खो दिए क्योंकि वे 3 फरवरी, 2022 को लॉन्च होने के बाद एक भू-चुंबकीय तूफान (geomagnetic storm) में फंस गए थे। स्टारलिंक ने 49 उपग्रहों को लॉन्च किया था, जिनमें से 40 प्रभावित हुए। यह उपग्रह चालू होने से पहले ही कक्षा से नीचे गिर गये। इनको कमीशन किया गया। **सौर तूफान के बारे में** ● सौर तूफान चुंबकीय प्लाज्मा होता है, जिन्हें सौर सतह से बड़ी गति से बाहर निकाला जाता है। ● वे चुंबकीय ऊर्जा की निकासी के दौरान आते हैं, जो सनस्पॉट (सूर्य पर अंधेरे क्षेत्रों) से जुड़े होते हैं। यह कुछ मिनट या घंटों तक चल सकता है। ● उपग्रहों की परिक्रमा करने वाला सौर तूफान 1 और 2 फरवरी को आया था, और इसके शक्तिशाली मार्ग 3 फरवरी को देखे गए थे। **पृथ्वी पर प्रभाव** ● सभी सौर ज्वालाएं पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन सौर ज्वालाएं/तूफान, जो करीब आती हैं, पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। ● सौर तूफान वैश्विक पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस), रेडियो और उपग्रह संचार जैसी अंतरिक्ष-निर्भर सेवाओं के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। ● भूचुंबकीय तूफान उच्च आवृत्ति वाले रेडियो संचार और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप करते हैं। ● विमान उड़ानें, पावर ग्रिड और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम असुरक्षित हैं।
अभ्यास मिलान	**संदर्भ:** नौसेना विशाखापत्तनम में 12वें राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा (पीएफआर) आयोजित करने के लिए तैयार है और इसके कुछ दिनों बाद यह इस क्षेत्र में सबसे बड़े बहुपक्षीय अभ्यास, मिलान 2022 की मेजबानी करेगी। **अन्य संबंधित तथ्य**

<table>
<tr><td></td><td>

- मिलान 2022 में क्वाड देशों, रूस और पश्चिम एशिया सहित सभी प्रमुख नौसेनाओं की भागीदारी होगी। अभ्यास के लिए 46 देशों को आमंत्रित किया गया है।
- इसमें विषय-वस्तु विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के साथ-साथ अन्य के बीच पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे कई विषय हैं।
- इस अभ्यास के दौरान, नौसेना संकट में पनडुब्बियों को बचाने के लिए अपनी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (DSRV) क्षमताओं का भी प्रदर्शन करेगी।
- भारत इस क्षेत्र के कुछ देशों में से एक है जिसके पास यह क्षमता है।
- मिलन 1995 में शुरू हुआ और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।

</td></tr>
<tr><td>भारतीय वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी का प्रोबायोटिक विकसित किया</td><td>

खबरों में: भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में डेयरी उत्पाद से अगली पीढ़ी के प्रोबायोटिक जीवाणु लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम जेबीसी5 की पहचान की है, जो स्वस्थ बुढ़ापा देने में व्यापक आशा जगाती है।

- नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. एली मेटचनिकॉफ के प्रस्ताव के बाद किण्वित डेयरी उत्पादों में स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ बैक्टीरिया की खोज की।
- यह एक मॉडल जीव है जिसे कैनोर्हाडाइटिस एलिगेंस कहा जाता है ---एक मुक्त-जीवित, पारदर्शी सूत्रकृमि है जीवित समशीतोष्ण मिट्टी के वातावरण में रहती है
- लैक्टोबैसिलस प्लांटारम जेबीसी5 कैनोर्हाडाइटिस एलिगेंस में एंटीऑक्सिडेंट, जन्मजात प्रतिरक्षा और सेरोटोनिन-सिग्नलिंग पथों को संशोधित करके दीर्घायु और स्वस्थ उम्र बढ़ने में सुधार करता है।
- जीवाणु ने स्वस्थ उम्र बढ़ने की पहचान के साथ मॉडल जीव काईनोर्हेब्डीटीज एलिगेंस के जीवन काल में 27.81 प्रतिशत की वृद्धि का प्रदर्शन किया, रोगजनक संक्रमणों के खिलाफ बेहतर प्रतिरक्षा प्रदान करके सीखने की क्षमता और स्मृति, आंत शुद्धता और ऑक्सीडेटिव तनाव सहनशीलता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत यह शरीर में वसा और सूजन के संग्रह को काफी कम कर देता है।
- प्रोबायोटिक जीवाणु का उपयोग कर दही भी विकसित की है जिसका सेवन इन सभी स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसको लेकर एक पेटेंट दायर किया गया है ।
- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक प्रत्येक ग्यारह में से एक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक उम्र का होगा।
- हालांकि, बुढ़ापा आम तौर पर उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के एक उच्च जोखिम से जुड़ा होता है, जैसे मोटापा, न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग (पार्किंसंस, अल्जाइमर), हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, ऑटोइम्यून रोग और सूजन आंत्र रोग।
- इसलिए, यह भारत जैसे अत्यधिक आबादी वाले देशों में चिंताओं को उठाता है और स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता पर जोर देता है।

</td></tr>
<tr><td>डॉक्सिंग</td><td>

प्रसंग: मेटा के पर्यवेक्षण बोर्ड ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को सख्त डॉक्सिंग (Doxxing) नियम बनाने का सुझाव दिया है।

- इसने मेटा से डॉक्सिंग को एक अपराध के रूप में मानने का आग्रह किया, जो अस्थायी खाता निलंबन का संकेत देगा।

डॉक्सिंग क्या है?

- डॉक्सिंग किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान को प्रकट कर सकता है और उन्हें उत्पीड़न और साइबर हमलों का शिकार बना सकता है।
- फर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे डॉक्सिंग का उपयोग उन लोगों को शर्मिंदा करने या दंडित करने के लिए किया जा सकता है, जो अपनी मान्यताओं या अन्य प्रकार की गैर-मुख्यधारा की गतिविधि के कारण अपनी पहचान छिपाकर (गुमनाम) रहना पसंद करते हैं।
- डॉक्सिंग के परिणामस्वरूप भावनात्मक कष्ट, और यहां तक कि शारीरिक नुकसान या मृत्यु भी हो सकती है।

</td></tr>
<tr><td>PSLV C-52 मिशन</td><td>

संदर्भ: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- PSLV C-52 मिशन ने तीन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है।

</td></tr>
</table>

	● इसका वजन 1,710 किलोग्राम है। ○ ईओएस-04 एक 'रडार इमेजिंग सैटेलाइट' है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों एवं सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ○ यह उपग्रह धीरे-धीरे सूर्य की समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होगा। ● बेंगलुरु के यू आर राव उपग्रह केंद्र से प्रक्षेपित उपग्रह 2,280 वॉट ऊर्जा पैदा करता है। पीएसएलवी अपने साथ में इन्सपायर सैट-1 उपग्रह भी लेकर गया है। ● एक सह-यात्री के रूप में INS-2TD प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह और INSPIRE सैट 1 छात्र उपग्रह को भी कक्षा में स्थापित किया गया। ● INS-2TD एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है। यह INS-2B उपग्रह का अग्रदूत है, जिसे भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ● INS-2TD में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। यह भूमि की सतह के तापमान, पानी की सतह के तापमान और वनस्पति के परिसीमन का आकलन करेगा। ● INS-2TD का वजन 17.5 किलोग्राम है। ○ इंस्पायर सैट-1, कोलोराडो विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी की प्रयोगशाला के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का एक छोटा उपग्रह है। **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान** ● ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ● यह चार चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटरों का उपयोग किया जाता है और दूसरे एवं चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। ● यह तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है।
लस्सा बुखार (Lassa Fever)	**संदर्भ:** 11 फरवरी, 2022 को यूनाइटेड किंगडम में लस्सा बुखार (Lassa fever) से पीड़ित तीन व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है। इन मामलों को पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा गया है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और इसे पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लस्सा में खोजा गया था। ● यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है और मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है, जहां यह (लस्सा बुखार) स्थानिक है। ● यदि कोई व्यक्ति संक्रमित चूहे के मूत्र या मल से दूषित भोजन के घरेलू सामान के संपर्क में आता है तो वह संक्रमित हो सकता है। ● यह कभी- कभार किसी बीमार व्यक्ति के संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ या आंख, नाक या मुंह जैसे श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ● इसके लक्षण आमतौर पर एक्सपोजर के 1-3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। ● इसके हल्के लक्षणों में हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सिरदर्द शामिल हैं और अधिक गंभीर लक्षणों में रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे की सूजन, छाती, पीठ और पेट में दर्द शामिल हैं। ● आमतौर पर बहु-अंग विफलता के परिणामस्वरूप। संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका चूहों के संपर्क से बचना है। ● महामारी की रोकथाम कैसे करें: चूहों को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए स्वच्छता बनाए रखना, चूहे-रोधी कंटेनरों में भोजन रखना और चूहेदानी बिछाना।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए)	**संदर्भ:** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 लाभार्थियों के डेटाबेस को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए काम कर रहा है ताकि लाभार्थी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें।

	एनएचए क्या है? ● एनएचए को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के कार्यान्वयन के साथ अनिवार्य किया गया है। ○ AB PM-JAY योजना के तहत गरीब परिवारों के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मुहैया कराया जाता है। ● एनएचए पात्र लाभार्थियों को योजना से संबंधित जानकारी और योजना के तहत पात्रता प्रदान करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों का उपयोग करने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है। **एनएफएसए क्या है?** ● NFSA "पात्र परिवारों" से संबंधित व्यक्तियों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ● इसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटे अनाज 1 रुपये / किलोग्राम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत शामिल हैं। ● **लाभार्थी:** पात्र परिवारों में दो श्रेणियां शामिल हैं - प्राथमिकता वाले घर और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार। ● **लाभ:** प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं, जबकि एएवाई परिवार समान कीमतों पर प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने के हकदार हैं। ● **कवरेज:** ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% तक। **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) क्या है?** ● सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), जिसने 1931 के बाद से जाति पर पहला आंकड़ा एकत्र किया। ● SECC आवास, शैक्षिक स्थिति, भूमि जोत, विकलांग, व्यवसाय, संपत्ति का कब्जा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, आय आदि के आधार पर परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर करने के लिए डेटा की आपूर्ति करता है।
पुलवामा हमला	**ख़बरों में:** वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद किया। ● इस काफिले में जा रहे सीआरपीएफ के 40 जवान 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवाना शहर में एक वाहन-जनित आत्मघाती हमले में शहीद हो गए। ● आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। ● बालाकोट हवाई हमले को पुलवामा बमबारी की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। **ऑपरेशन बंदर (Operation Bandar)** ● पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ठिकाने पर बमबारी करने के भारतीय वायुसेना के मिशन को 'ऑपरेशन बंदर' कोडनेम दिया गया था। यह एक दुर्लभ ऑपरेशन था जिसमें भारतीय वायुसेना ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) को पार किया और पाकिस्तानी क्षेत्र में लक्ष्य पर बम गिराए। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक छोटा सा शहर है। ● 26 फरवरी, 2019 को, भारतीय वायु सेना के मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने पूरे भारत में हवाई अड्डों से उड़ान भरी। भारतीय वायु सेना के जेट विमानों ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा को पार किया और बालाकोट में जैश के आतंकी शिविरों पर सटीक-निर्देशित मिसाइलों से बमबारी की। ● यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने एक दिन बाद की गई। पाकिस्तान वायु सेना ने भारतीय धरती पर हवाई हमले का प्रयास किया। भारतीय वायु सेना ने जवाब में अपने लड़ाकू जेट विमानों को लॉन्च किया, जिससे भारतीय और पाकिस्तानी जेट विमानों के बीच एक दुर्लभ हवाई लड़ाई हुई। इस झड़प में, एक IAF मिग -21 बाइसन फाइटर जेट ने संघर्ष के दौरान एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा उड़ाए जा रहे भारतीय मिग-21 को भी मार गिराया गया और उसे पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। काफी विचार-विमर्श के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को दो दिन बाद पाकिस्तान के कब्जे से रिहा कर दिया गया। इस कार्य ने दो सप्ताह के बढ़े

	हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को शांत किया। **प्रीलिम्स वैल्यू एडिशन** • एनआईए का गठन 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियमन के साथ किया गया था। • एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है और यह गृह मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन में काम करती है।
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं	**संदर्भ:** डिजिटल सेवा कंपनी Jio Platforms ने पूरे भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए लक्ज़मबर्ग स्थित उपग्रह से जुड़ी सामग्री कनेक्टिविटी समाधान प्रदाता SES के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। **अन्य सम्बंधित तथ्य** • संयुक्त उद्यम मल्टी-ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क, जियोस्टेशनरी (जीईओ), और मीडियम अर्थ ऑर्बिट (एमईओ) उपग्रह नक्षत्रों के संयोजन का उपयोग करेगा। • जो उद्यमों, मोबाइल बैकहॉल और भारत और पड़ोसी क्षेत्रों के रिटेल ग्राहकों को मल्टी-गीगाबिट लिंक और क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। • कुछ अंतरराष्ट्रीय वैमानिकी और समुद्री ग्राहकों को छोड़कर, जिन्हें एसईएस द्वारा सेवा दी जा सकती है, संयुक्त उद्यम भारत में एसईएस के उपग्रह डेटा और कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने का माध्यम होगा। • इसमें एसईएस से 100 जीबीपीएस क्षमता तक की उपलब्धता होगी। **Jio की प्रस्तावित सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा Starlink या OneWeb सेवाओं से कैसे अलग है?** • एसईएस के मुख्य रूप से जीईओ और एमईओ में उपग्रह हैं, जबकि एलोन मस्क के नेतृत्व वाले स्टारलिंक और भारती समूह के वनवेब के उपग्रह कम पृथ्वी की कक्षा (एलईओ) में हैं। • उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी के उस क्षेत्र के समानुपाती होती है जिसे वह कवर करता है। • इसलिए, एक उपग्रह जितना ऊंचा स्थित होता है, वह उतना ही बड़ा क्षेत्र कवर करता है। **GEO, MEO और LEO के फायदे और नुकसान क्या हैं?** • उपग्रह संचार में GEO और LEO उपग्रहों को दो चरम सीमाएँ माना जाता है। • जबकि GEO उपग्रह एक बड़ा कवरेज प्रदान करते हैं और इसलिए केवल तीन उपग्रह पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं, एक बड़े क्षेत्र को कवरेज प्रदान करने के लिए सैकड़ों LEO उपग्रहों की आवश्यकता होती है। • LEO उपग्रह छोटे होते हैं और GEO या MEO की तुलना में लॉन्च करने के लिए सस्ते हैं। • एमईओ उपग्रहों के लिए एक साधारण भूमध्यरेखीय कक्षा वैश्विक आबादी के 96% को कवर करती है, यह भूमध्य रेखा से दूर स्थानों के लिए एक उच्च झुकाव वाले एंटीना की आवश्यकता होती है और जीईओ उपग्रहों के कुछ नुकसान साझा करती है।
अवसाद पर रिपोर्ट (Report on depression)	**संदर्भ:** अवसाद पर एक लैंसेट एंड वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन आयोग ने कहा है कि दुनिया अवसाद के लगातार और तेजी से गंभीर वैश्विक संकट से निपटने में विफल हो रही है। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में 5% वयस्क हर साल अवसाद से पीड़ित होते हैं, और फिर भी यह एक उपेक्षित वैश्विक स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। • इस स्थिति की खराब समझ और मनोसामाजिक तथा वित्तीय संसाधनों की कमी पहले से ही रोकथाम, निदान, उपचार और राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर रही है। • इस बात के काफी प्रमाण हैं कि संसाधन-सीमित सेटिंग्स में भी अवसाद को रोकने और वसूली में सहायता के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर भी, बहुत से लोग पीड़ित हैं। • जबकि उच्च आय वाले देशों में, अवसाद से पीड़ित लगभग आधे लोग इस श्रेणी में आते हैं, यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह बढ़कर 80-90% हो जाता है। • COVID-19 महामारी ने अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा की हैं,

	• **सिफारिश:** अवसाद के बोझ को कम करने में निवेश करने से लाखों लोगों को स्वस्थ, खुश और समाज के अधिक उत्पादक सदस्य बनने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी, और वर्ष 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कॉर्बेवैक्स (Corbevax)	**संदर्भ:** वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड ने घोषणा की कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स (Corbevax) को 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए भारत के दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) मिल गया है। **अन्य संबंधित तथ्य** • हैदराबाद स्थित फर्म के अनुसार, कॉर्बेवैक्स कोविड-19 के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (RBD) प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है। • इसका मतलब है कि यह SARS-CoV-2 के एक विशिष्ट भाग से बना है - वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन। • स्पाइक प्रोटीन वायरस को शरीर में कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है ताकि यह दोहराने और बीमारी का कारण बन सके। हालांकि, जब यह प्रोटीन अकेले शरीर को दिया जाता है, तो यह हानिकारक होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बाकी वायरस अनुपस्थित हैं। • इंजेक्शन वाले स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित होने की उम्मीद है। इसलिए, जब असली वायरस शरीर को संक्रमित करने का प्रयास करता है, तो उसके पास पहले से ही एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तैयार होगी जिससे व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की संभावना नहीं होगी। • कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को इंट्रामस्क्युलर मार्ग के माध्यम से दो खुराक के साथ 28 दिनों के अंतराल के साथ प्रशासित किया जाता है। • और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहीत किया जाता है और इसे 0.5 मिली (एकल खुराक) और 5 मिलीलीटर (10 खुराक) शीशी पैक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। **आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए)** • यह COVID-19 के कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों या स्थितियों के प्रभाव को रोकने और/या कम करने के लिए टीकों और दवाओं के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक नियामक तंत्र है।
समुद्र के नीचे केबल सिस्टम	**संदर्भ:** देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अपनी उच्च गति की वैश्विक नेटवर्क क्षमता के विस्तार के लिए भारती एयरटेल एसईए-एमई-डब्ल्यूई-6 (सी-मी-वी-6) समुद्र के अंदर केबल लगाने के गठजोड़ में शामिल हो गई है। • एयरटेल ने कहा, वह एसईए-एमई-डब्ल्यू-6 में प्रमुख निवेशक के रूप में भाग ले रही है। केबल प्रणाली में कुल निवेश का 20 फीसदी जुटाएगी। **अन्य संबंधित तथ्य** • 19,200 आरकेएम (रूट किलोमीटर) का एसईए-एमई-डब्ल्यू-6 सिंगापुर और फ्रांस को जोड़ेगा। • यह 2025 में लाइव हो जाएगा। • यह वैश्विक स्तर पर दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल प्रणाली होगी। • SEA-ME-WE-6 के 12 अन्य सदस्यों में बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी, धीरागु (मालदीव), जिबूती टेलीकॉम, मोबिली (सऊदी अरब), ऑरेंज (फ्रांस), सिंगटेल (सिंगापुर), श्रीलंका टेलीकॉम, टेलीकॉम इजिप्ट, टेलीकॉम मलेशिया और तेलिन (इंडोनेशिया) शामिल हैं। • एयरटेल ने मुख्य SEA-ME-WE-6 सिस्टम पर एक फाइबर पेयर का अधिग्रहण किया है और केबल सिस्टम के हिस्से के रूप में सिंगापुर-चेन्नई-मुंबई के बीच चार फाइबर पेयर का सह-निर्माण करेगा। **रिलायंस** • जियो इन्फोकॉम की अगली पीढ़ी की मल्टी-टेराबिट इंडिया-एशिया-एक्सप्रेस (आईएएक्स) समुद्र के अंदर की केबल प्रणाली मालदीव के हुलहुमाले को जोड़ेगी। • आईएएक्स प्रणाली मुंबई में पश्चिम से निकलती है और सिंगापुर को जोड़ती है। इसकी अतिरिक्त लैंडिंग के साथ शाखाएं भारत, मलयेशिया और थाइलैंड में हैं। • आईएएक्स 2023 अंत तक सेवा के लिए तैयार हो जाएगी।

	• यह उच्च क्षमता और गति वाली प्रणाली 16,000 किमी से अधिक में 200 टीबी/एस से अधिक क्षमता के साथ 100 जीबी/एस गति प्रदान करेगी।

बोइंग ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा	**संदर्भ:** विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान दिया है। यह 2016 में अनुबंधित चार अतिरिक्त पी-8आई विमानों के लिए फॉलो-ऑन क्लॉज को पूरा करता है।
	• मई 2021 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने 6 अतिरिक्त P-8I विमानों और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी, इस सौदे की अनुमानित लागत $2.42 बिलियन थी।
	• ये P-8I एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों के साथ स्थापित होंगे क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) के मूलभूत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
	P-8I के बारे में
	• P-8s (पोसीडॉन-आठ) भारतीय संस्करण को P-8I कहा जाता है।
	• P-8I विमान लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह-विरोधी युद्ध, खुफिया, निगरानी और व्यापक क्षेत्र, समुद्री और तटवर्ती अभियानों के दौरान नजर रखने के लिए इस्तेमाल होगा।
	• यह विमान भारतीय नौसेना की नजर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और महत्वपूर्ण समुद्री संचालन करता है।
	• यह भारत के समुद्री योद्धाओं को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है।
	• **P-8I इसके लिए जिम्मेदार है:**
	  ○ तटीय गश्त
	  ○ खोज और बचाव,
	  ○ एंटी-पायरेसी,
	  ○ सेना के अन्य हथियारों के संचालन का समर्थन करना।

ब्लोटवेयर ऐप्स	**संदर्भ:** डिवाइस के स्टोरेज को अनावश्यक रूप से भरने और सिस्टम की बैटरी लाइफ और समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए 'ब्लोटवेयर ऐप्स' की आलोचना की जा रही है।
	अन्य संबंधित तथ्य
	• ब्लोटवेयर ऐप्स को 'संभावित अवांछित प्रोग्राम' (Potentially Unwanted Programs – PUP) के रूप में भी जाना जाता है। यह आपकी डिवाइस के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले अनावश्यक प्रोग्राम होते हैं।
	• डिवाइस निर्माताओं ने रास्ते में पैसे कमाने के दौरान उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोग्राम प्रदान करने के लिए इन ब्लोटवेयर ऐप्स को पेश किया, जिनका वे उपयोग करना चाहते हैं।
	• धीरे-धीरे, ये ऐप्स मददगार होने के बजाय, उपयोगकर्ताओं के लिए सिरदर्द बन जाते हैं।
	• आमतौर पर, बैकग्राउंड में चलने वाले ये ऐप छिपे होते हैं और उन्हें ढूंढना यूजर्स के लिए एक कठिन काम हो जाता है।
	• यह, आपके कंप्यूटर, फोन या टैबलेट पर कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो मेमोरी, स्टोरेज और बैटरी लाइफ जैसे बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करता है।
	• सबसे आम प्रकार के तीन 'ब्लोटवेयर', किसी भी डिवाइस में पाए जा सकते हैं।
	  ○ **उपयोगिताएँ (Utilities):** इस प्रकार के ब्लोटवेयर निर्माताओं और तृतीय-पक्ष डेवलपर्स से आते हैं और आमतौर पर आपके डिवाइस पर पहले से लोड होते हैं।
	• ये आपके डिवाइस में अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करते हैं।
	  ○ **ट्रायलवेयर:** उपयोगकर्ता ऐप का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश नए उपकरणों में निःशुल्क परीक्षण मोड प्रदान करते हैं।
	ट्रायलवेयर (Trialware): उपयोगकर्ता इस प्रकार की ऐप का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इनमे से अधिकांश ऐप्स को नए उपकरणों में निःशुल्क परीक्षण मोड में उपलब्ध कराया जाता है।
	• हालाँकि, परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद भी, ये प्रोग्राम आपके डिवाइस के संसाधनों का उपभोग करते रहते हैं।

	○ **एडवेयर (Adware):** इस प्रकार के ब्लोटवेयर आमतौर पर इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय डाउनलोड हो जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस)	**प्रसंग:** हाल ही में रूस ने यह कहकर दुनिया को धमकी दी है कि रूस अंतरिक्ष से आईएसएस को गिराकर अमेरिकी प्रतिबंधों का जवाब दे सकता है। ● रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि आईएसएस अमेरिका, यूरोप, भारत और चीन के ऊपर गिर सकता है। ● इसका कक्षीय उड़ान पथ आमतौर पर इसे अधिकांश रूसी क्षेत्र में नहीं है। **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में** ● अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अब तक एकमात्र परिचालन अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, जो जमीन की सतह से लगभग 400 किमी ऊपर एक प्रक्षेपवक्र में पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। ● यह 15 से अधिक भागीदार देशों द्वारा संचालित है। ● ISS के कुछ भागीदार देश रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कई सदस्य है । ● फुटबॉल के मैदान के आकार का आईएसएस लगभग 28,000 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। ○ यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डेढ़ घंटे में पूरा करता है। इसलिए, यह एक दिन में दुनिया भर में लगभग 16 चक्कर लगाता है। ● आईएसएस बनाया और संचालित होने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। ○ पहले कई छोटे अंतरिक्ष स्टेशनों का उपयोग किया गया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध रूसी मीर अंतरिक्ष स्टेशन है जो 1980 के दशक में संचालित हुआ था, उसके बाद अमेरिकी स्काईलैब है । ● आईएसएस 1998 से प्रचालन में है और इसके कम से कम वर्ष 2028 तक जारी रहने की उम्मीद है। ○ हालांकि, रूस ने संकेत दिया है कि वह संभवतः 2024 तक सहयोग से बाहर हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

अफ्रीकी संघ ने बुर्किना फासो को निलंबित किया	**ख़बरों में :** हाल ही में अफ्रीकी संघ (एयू) के 15 सदस्यों वाली शांति और सुरक्षा परिषद ने संविधान की बहाली होने तक एयू की सभी गतिविधियों में बुर्किना फासो की हिस्सेदारी को निलंबित कर दिया था। ● इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द अफ्रीकन स्टेट्स ने भी बुर्किना फासो को सभी रैंक से निलंबित कर दिया और साथ ही प्रतिबंधों को लेकर चेतावनी दी थी।

	अफ्रीकी संघ के बारे में ● यह एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। ● वर्ष 2017 में, एयू ने मोरक्को को एक सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार किया। ● एयू की घोषणा 1999 में सिरते, लीबिया में सिरते घोषणा में की गई थी। ● इसकी स्थापना 2001 में अदीस अबाबा, इथियोपिया में हुई थी। ● इसे 2002 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। ● एयू का सचिवालय, अफ्रीकी संघ आयोग, अदीस अबाबा में स्थित है।
श्रीलंका का एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क	**संदर्भ:** भारत ने श्रीलंका को इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए अनुदान प्रदान करने की सहमति जतायी है। ● यह फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से आधार कार्ड पर आधारित है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● प्रस्तावित एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क के तहत, निम्नलिखित विशेषताएं दी गई है। ○ बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर एक व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण (personal identity verification device) ○ साइबर स्पेस में व्यक्तिगत पहचान को प्रदर्शित करने वाले एक डिजिटल उपकरण (digital tool) को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। ○ इन दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल और भौतिक वातावरण में व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन सटीकता से किया जा सकता है। ● यह पहल दिसंबर 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई है। **आधार नंबर क्या है?** ● आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भारत के निवासियों को जारी किया गया एक 12-अंकीय यादृच्छिक संख्या है। ● कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र और लैंगिक का हो, जो भारत का निवासी है, आधार संख्या प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से नामांकन कर सकता है। ● नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी होगी जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ● एक व्यक्ति को केवल एक बार आधार के लिए नामांकन करने की आवश्यकता है। ● कानूनी ढांचा: संसद ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया है जो पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है।
यूरोपीय संघ के चिप्स अधिनियम	**संदर्भ:** यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ के चिप्स अधिनियम का अनावरण करने की योजना बनाई है जो सार्वजनिक और निजी निवेश का 43 बिलियन यूरो (49.1 बिलियन डॉलर) से अधिक जुटाएगा और यूरोपीय संघ को 2030 तक अपनी वर्तमान बाजार हिस्सेदारी को दोगुना कर 20% तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। **अन्य संबंधित तथ्य** ● चिप्स उत्पादन में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 20% हासिल करने का मतलब मूल रूप से उद्योग के प्रयासों को चौगुना करना होगा। ● **उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक कारों और स्मार्टफोन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटक के लिए एशिया पर यूरोपीय संघ की निर्भरता को सीमित करना। ● **महत्व:** महामारी के झटके के बाद आपूर्ति बंद हो जाने के बाद सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन यूरोप के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है, जिससे कारखाने ठप हो गए हैं और उत्पादों की दुकानों को खाली कर दिया गया है। ● ज्ञात हो कि सेमीकंडक्टर का निर्माण ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर होता है।

	• यूरोपीय संघ का लक्ष्य है कि ब्लॉक के अंदर ही कारखाने और कंपनियां इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएं। **क्या आप जानते हैं?** • अनुमान है कि सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इस दशक में $1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत तेजी से बढ़ सकता है और 2026 तक आज के 27 अरब डॉलर से 64 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। • मोबाइल, वियरेबल्स, आईटी और औद्योगिक घटक भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रमुख खंड हैं, जिनका वर्ष 2021 में लगभग 80% राजस्व में योगदान है। मोबाइल और वियरेबल्स सेगमेंट का मूल्य 13.8 बिलियन डॉलर है और वर्ष 2026 में 31.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Program - WFP)	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के अनुसार, गंभीर सूखे की स्थिति के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अनुमानित रूप से 13 मिलियन लोगों को गंभीर भूख का सामना करना पड़ रहा है। • अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती , इरिट्रिया , इथियोपिया और सोमालिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त देश शामिल हैं। **अन्य संबंधित तथ्य** • सोमालिया, इथियोपिया और केन्या सहित इस क्षेत्र में लोग 1981 के बाद से दर्ज की गई सबसे शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। • सूखे की स्थिति चारागाही और कृषक समुदायों को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुपोषण दर भी अधिक है। • संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि अगले छ: महीनों में 45 लाख लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे 327 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है। **विश्व खाद्य कार्यक्रम** • विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है। • यह भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है। • यह 1961 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य मानवीय संकट के दौरान खाद्य सहायता के साथ दुनिया की भूख से पीड़ित लोगों का उन्मूलन करना था। • इसका मुख्यालय रोम , इटली में स्थित है।
नीति आयोग की 'समृद्ध (SAMRIDH)' पहल	**संदर्भ:** अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग, और U.S. Agency for International Development (USAID) ने हेल्थकेयर की इनोवेटिव डिलीवरी (SAMRIDH) पहल के लिए बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच के तहत एक नई साझेदारी की घोषणा की। **लक्ष्य:** • यह नई पार्टनरशिप टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बस रहे कमजोर आबादी के लिए गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा के पहुंच में सुधार करेगी। • बाजार आधारित स्वास्थ्य समाधान तैयार करने और तेजी से पैमाना बनाने हेतु सार्वजनिक और परोपकारी निधियों को वाणिज्यिक पूंजी के साथ जोड़ना। • यह साझेदारी कमजोर आबादी तक पहुँचने और नवाचार और उद्यमिता में AIM की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए SAMRIDH के प्रयासों को बढ़ाएगी। • सहयोग COVID-19 की चल रही तीसरी लहर के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया को माउंट करने और भविष्य में संक्रामक रोग के प्रकोप एवं स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी का निर्माण करने के सामान्य लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य परिदृश्य में नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
क्वाड (Quad)	**संदर्भ:** क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान) के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन से संबंधित टीकों, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। • क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्री जारी क्वाड सहयोग की समीक्षा करेंगे और 2021 में आयोजित दो शिखर सम्मेलनों में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा घोषित सकारात्मक एवं रचनात्मक एजेंडे का निर्माण करेंगे • ताकि समकालीन चुनौतियों जैसे कि कोविड-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन,

	बुनियादी ढांचे आदि का समाधान किया जा सके।'' ● क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से इस गर्मी में होने वाले दूसरे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की आधारशिला रखने की उम्मीद है। **क्वाड** ● पूर्ण रूप: चतुर्भुज सुरक्षा संवाद ● **देश:** यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ● **उद्देश्य:** मुख्य उद्देश्य एक नियम-आधारित व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला को सक्षम करना है। ● यह एक 'उभरते चीन' को रोकना चाहता है और अपने हिंसक व्यापार और आर्थिक नीतियों के खिलाफ काम करना चाहता है।
चौथी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक	**संदर्भ:** हाल ही में चौथी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई थी। **बैठक की मुख्य बातें** ● ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यू.एस. के विदेश मंत्रियों ने कहा कि क्वाड पहले से ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खतरों पर खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग कर रहा है। ● उन्होंने समूह के गठन के बाद पहली बार मुंबई (2008) में 26/11 के आतंकवादी हमलों और पठानकोट एयरबेस हमले (2016) के लिए न्याय की मांग की। ● उन्होंने भारत में निर्मित होने वाले एक अरब से अधिक COVID-19 टीकों के वितरण में तेजी लाने का संकल्प लिया। ● क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। ● उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।
भारत-मालदीव रक्षा संबंध	**संदर्भ:** भारत के रक्षा सचिव ने हाल ही में दूसरे रक्षा सहयोग वार्ता के हिस्से के रूप में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ चर्चा के लिए मालदीव का दौरा किया। **रक्षा सहयोग वार्ता के बारे में** ● यह रक्षा सहयोग वार्ता भारत की नीति-स्तरीय रूपरेखाओं में से एक है। ● इसका उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे और पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। ● पहली रक्षा सहयोग वार्ता जुलाई 2016 में अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम की अध्यक्षता के दौरान और दूसरी डीसीडी जनवरी 2019 में आयोजित की गई थी। ● मालदीव की अवस्थिति, हिंद महासागर के माध्यम से चलने वाली वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के चौराहे पर, भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के आलोक में। **भारत-मालदीव रक्षा संबंध** ● वर्ष 1988 से, रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। ● इस सहयोग का विस्तार रक्षा प्रशिक्षण और उपकरण आवश्यकताओं के साथ मालदीव की सहायता करना है। ● भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के लिए सबसे अधिक संख्या में प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। ● वर्ष 2016 में, दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए।
भारत और यूएई ने ऐतिहासिक सीईपीए पर हस्ताक्षर किए	**ख़बरों में:** भारत और यूएई ने ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार को अगले पांच वर्षों में 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। ● भारत-यूएई सीईपीए भारतीय फार्मा उत्पादों के लिए स्वचालित प्राधिकरण, मूल के सख्त नियम और आयात में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षा तंत्र सहित कई पहली चीजें देखता है। ● सीईपीए कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा, जूते, फार्मा, कृषि उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, प्लास्टिक, खेल के सामान और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में 10 लाख रोजगार पैदा करेगा। दोनों राष्ट्र नियम आधारित निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं, पारस्परिकता की भावना से एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं और यह निर्धारित किया जाता है कि दोनों देशों के लोगों और व्यवसायों को गहन जुड़ाव से पारस्परिक रूप से लाभ उठाना चाहिए।

<table>
<tr><td>लुगांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों को स्वतंत्र के रूप में मान्यता दी</td><td>

संदर्भ: रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन (President Vladimir Putin) ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी गणराज्यों डोनेट्स्क (Donetsk) और लुगांस्क (Lugansk) को स्वतंत्र मान्यता दे दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों के विद्रोही नेताओं ने श्री पुतिन से उन्हें स्वतंत्र के रूप में मान्यता देने की अपील की थी।
- रूसी समर्थित अलगाववादी 2014 से इस क्षेत्र में यूक्रेनी सरकारी बलों से जूझ रहे हैं।
- तब से इस क्षेत्र में लड़ाई में 13,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
    - **निहितार्थ:** रूस की दो क्षेत्रों की मान्यता अलगाववादी नेताओं को रूस से सैन्य मदद का अनुरोध करने की अनुमति दे सकती है, जिससे यूक्रेन में सैन्य आक्रमण का रास्ता आसान हो जाएगा।
- यूक्रेन इसकी व्याख्या करेगा क्योंकि रूसी सैनिक यूक्रेनी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
- निर्णय का अर्थ यह भी है कि मिन्स्क शांति प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
- वर्ष 2014 और 2015 में हुए मिन्स्क I और II समझौते ने डोनेट्स्क और लुहान्स्क ओब्लास्ट में रूसी समर्थित विद्रोहियों के बीच युद्धविराम लाया था, और संघर्ष को हल करने के लिए एक फार्मूला सामने रखा था।

</td></tr>
<tr><td>नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन</td><td>

संदर्भ: जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि उनके देश ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन संकट के मद्देनजर रूस के खिलाफ दंडात्मक उपाय कर रहे हैं।

नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है?

- रूस तथा जर्मनी के बीच नोर्ड स्ट्रीम-2 पाइपलाइन के निर्माण की योजनाएं 2015 में तैयार की गई थीं।
- यह परियोजना रूसी गैजप्रोम तथा पांच यूरोपीय कंपनियों-एनगी(फ्रांस), ओएमवी (ऑस्ट्रिया), शेल (नीदरलैंड/ब्रिटेन), यूनिपर (जर्मनी), तथा विंटरशॉल (जर्मनी) को एक साथ लाती है। पाइपलाइन की अनुमानित लागत 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी।
- यह 1,200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो रूस से जर्मनी तक बाल्टिक सागर के रास्ते होकर गुज़रती है। इसमें प्रतिवर्ष

</td></tr>
</table>

55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ले जाने की क्षमता होगी।

- 'नॉर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टम' को पहले ही पूरा किया जा चुका है और 'नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन' के साथ मिलकर यह जर्मनी को प्रतिवर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करेगा।
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन यूरोपीय संघ के सदस्यों जर्मनी और डेनमार्क के क्षेत्र में आती है, और लगभग 98% पूर्ण है।

यूरोप की परिषद (Council of Europe)

संदर्भ: यूरोप की परिषद (Council of Europe) ने यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस (Russia) को यूरोप के मानवाधिकार संगठन से निलंबित कर दिया।

- संगठन ने कहा कि रूस उसका सदस्य रहा है और प्रासंगिक मानवाधिकार संधियों का पालन करने के लिए बाध्य है।
- दूसरी ओर, यूक्रेन में हजारों लोग सुरक्षा की तलाश में पड़ोसी देशों में पश्चिम की ओर चले गए।
- पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा के अधिकारियों ने आश्रय, भोजन और कानूनी सहायता प्रदान करते हुए उन्हें प्राप्त करने के लिए जुटाया।

यूरोप की परिषद

- यह यूरोप में मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसके 46 सदस्य देश हैं (सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित)।

	• कोई भी देश पहले यूरोप की परिषद से जुड़े बिना यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हुआ है। • यूरोप की परिषद एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। • यह बाध्यकारी कानून नहीं बना सकता, लेकिन इसके पास चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की शक्ति है। • इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में हैं।
सुर्खियों में स्थान : चेरनोबिल	**संदर्भ:** यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र में विकिरण का स्तर बढ़ गया था और चेतावनी दी थी कि रूसी सैनिकों पर हमला करके परमाणु संयंत्र की जब्त के भयानक परिणाम हो सकते हैं। **अन्य संबंधित तथ्य** • यूक्रेन के अधिकारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित किया था कि बिजली संयंत्र से अत्यधिक रेडियोधर्मी ईंधन की छड़ों पर नियंत्रण खो दिया है। • यूक्रेन के पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्लूटोनियम-239 की यह महत्वपूर्ण मात्रा एक परमाणु बम बन सकती है जो हजारों हेक्टेयर को एक मृत, बेजान रेगिस्तान में बदल देगी। **चेरनोबिली के बारे में** • एक संक्षिप्त लेकिन भयंकर युद्ध के बाद, रूसी सैनिकों ने उत्तरी यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया, जो मानव इतिहास में सबसे खराब परमाणु आपदाओं में से एक था। • चेरनोबिल शहर से लगभग 16 किमी दूर और यूक्रेन की राजधानी कीव से 100 किमी की दूरी पर स्थित, बिजली संयंत्र ने 1986 में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा देखी। • यह आपदा 25-26 अप्रैल के बीच हुई, जब तत्कालीन सोवियत-नियंत्रित यूक्रेन में तकनीशियनों के एक समूह ने एक खराब सुरक्षा परीक्षण किया, जिसके कारण चेरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई और इसके कोर का आंशिक रूप से मंदी का सामना करना पड़ा। • विस्फोटों ने वातावरण में रेडियोधर्मी सामग्री के कोर और छोड़े गए बादलों को उजागर किया। • ऐसा कहा जाता है कि जापान में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 400 गुना अधिक विकिरण जारी किया गया था। • वास्तव में, तबाही को उन प्रमुख कारकों में से एक माना जाता है जिसके कारण कुछ वर्षों बाद सोवियत संघ का पतन हुआ। **रूस ने चेरनोबिल पर कब्जा क्यों किया?** • चेरनोबिल पर कब्जा करना एक रणनीतिक निर्णय था जिसने रूसी सैनिकों को बेलारूस से कीव तक त्वरित और आसान पहुंच प्रदान की, जो मास्को का सहयोगी है। • चेरनोबिल पर कब्जा करके, रूस ने अपनी जमीनी ताकतों के लिए यूक्रेन में एक मार्ग सुरक्षित कर लिया है।

	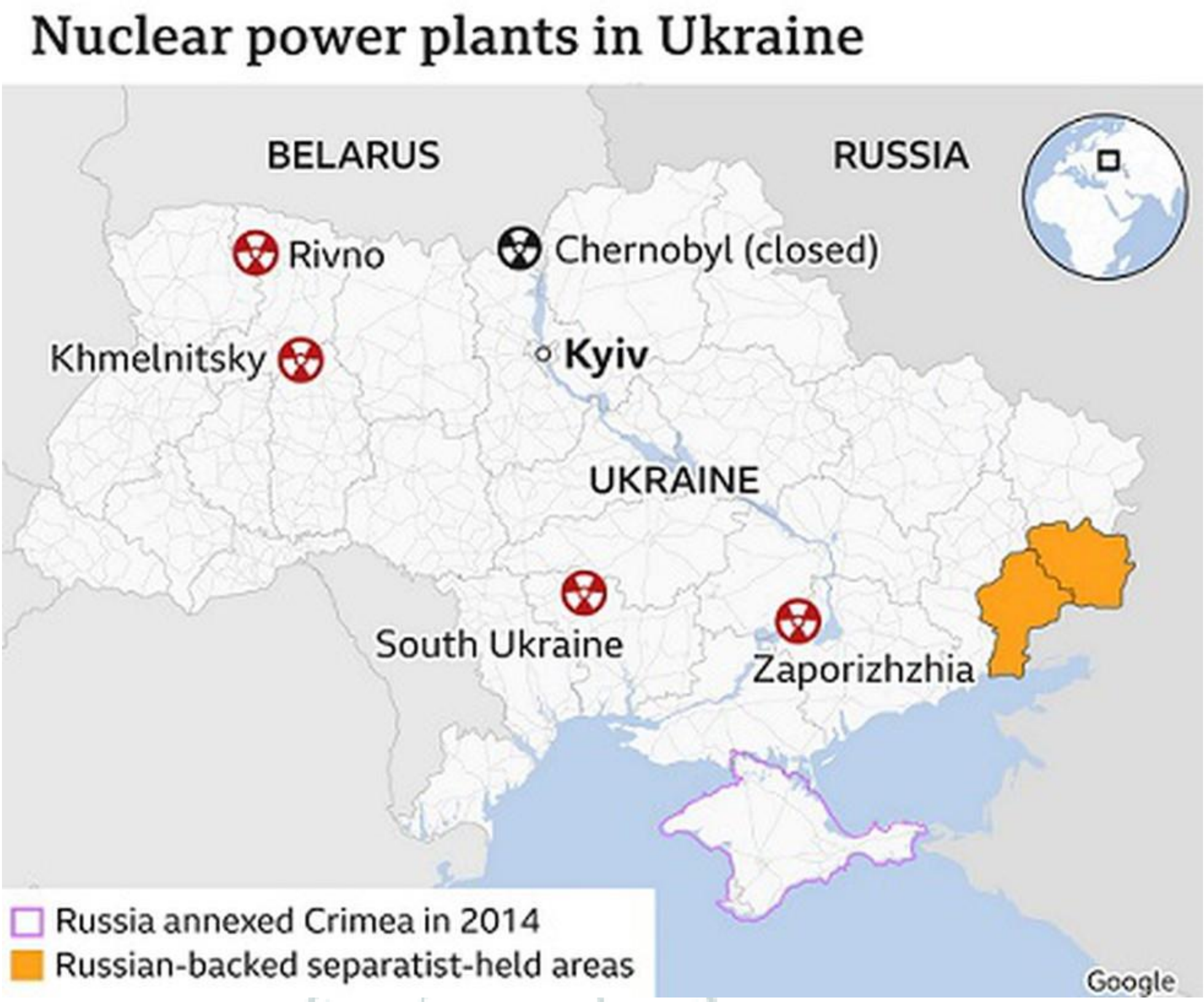

विविध (MISCELLANEOUS)

भारत के अल्पसंख्यक समुदाय:	ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और पारसी
कृषि उड़ान योजना 2.0	• केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य से कृषि उड़ान योजना 2.0 (PM Krishi Udan Yojana 2.0) शुरू की है। • इसके तहत किसानों (Farmer) को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद करने के लिए पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों पर कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। • इसके अलावा कृषि उड़ान-2 के तहत सरकार राज्यों को विमानन ईंधन पर बिक्री कर को एक प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। • किसानों (Farmer) को अपनी उपज बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ऐसे में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार बाजार में पहुंचकर उनकी फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों की मेहनत बेकार हो जाती है। किसानों को इस नुकसान से बचाने और फसलों को सही समय पर बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना 2.0 शुरू की गई। • **उद्देश्य:** कृषि-उत्पादों के परिवहन के लिए मोडल मिक्स में हवाई परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाना, जिसमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं। • मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाना, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले

	खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करना।
एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव 'मेदारम जतारा' पारंपरिक हर्षोल्लास से तेलंगाना में आरंभ	• मेदराम जतारा को 'सम्मक्का सरलम्मा जात्रा' के नाम से भी जाना जाता है। • कुम्भ मेले के बाद मेदारम जतारा, देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है, जिसे तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी कोया जनजातीय चार दिनों तक मनाती है। • एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला होने के नाते, मेदारम जतारा देवी सम्माक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। • यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। यह वारंगल ज़िले के तड़वई मंडल के मेदराम गाँव से प्रारंभ होता है। • यह दो साल में एक बार "माघ" (फरवरी) के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। • लोग अपने वज़न के बराबर मात्रा में देवी-देवताओं को बंगारम/बेल्लम (गुड़) चढ़ाते हैं • एक जनजातीय कहानी के अनुसार, 13वीं शताब्दी में कुछ आदिवासी नेता जो शिकार के लिए गए थे, उन्हें एक नवजात लड़की (संमक्का) मिली जो अत्यधिक प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी और बाघों के बीच खेल रही थी। उन्हें उनके आवास पर ले जाया गया। जनजाति के मुखिया ने उसे गोद ले लिया और बाद में वह उस क्षेत्र के आदिवासियों की तारणहार बन गई। • इसे वर्ष1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था।
चंडीगढ़ 'हेरिटेज सिटी'	• वर्ष 1953 में इस शहर की नींव रखी गई। • चंडीगढ़ भारत का पहला नियोजित शहर है। इसकी योजना फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बूसियर ने बनाई थी। • अपनी बेदाग शहरी योजना और डिजाइन के लिए अलग है • इस शहर को 1-स्टार कचरा मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया।
नोक्टे जनजाति:	अरुणाचल प्रदेश • ये वैष्णव धर्म को मानती है।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (NWM):	राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक भारतीय राष्ट्रीय स्मारक है, जो दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित है। यह भारतीय सेना के उन सैनिकों को समर्पित है जो स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में शहीद हुए है।
'आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग' (IVFRT) योजना	• **उद्देश्य:** आप्रवास और वीज़ा सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना है। • **लक्ष्य:** इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा वितरण ढांचा विकसित और कार्यान्वित करना है जो सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैध यात्रियों की सुविधा प्रदान करता है। • IVFRT के लागू होने के बाद, जारी किए गए वीजा और प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड की संख्या 2014 में 44.43 लाख से 7.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 2019 में 64.59 लाख हो गई। • पिछले 10 वर्षों में, भारत से आने-जाने वाला विदेशी यातायात 7.2 प्रतिशत की CAGR से 3.71 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ हो गया है।
मॉस्को में गोल्ड मेडल जीतकर देश लौटी वुशु स्टार सादिया तारिक	• वुशु , या चीनी कुंगफू, एक हार्ड और सॉफ्ट एवं पूर्ण मार्शल आर्ट है, साथ ही एक पूर्ण संपर्क खेल भी है। • चीनी मार्शल आर्ट के संदर्भ में इसका एक लंबा इतिहास है। इसे 1949 में पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट के अभ्यास को मानकीकृत करने के प्रयास में विकसित किया गया था।
एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज-VI (2022):	भारत-ओमान अभ्यास
राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान	• सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों को पहले से कहीं अधिक बीमारियों से बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाल के दिनों में, कई नए टीके पेश किए गए हैं, जैसे न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV), मीजल्स-रूबेला वैक्सीन (MR), और रोटावायरस वैक्सीन। • भारत सरकार ने बच्चों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में "इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन" को भी शामिल किया है। • भारत एक दशक से भी अधिक समय से पोलियो से मुक्त रहा है।

	• भारत में वाइल्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था।

मुख्य फोकस (MAINS)

भारतीय राजव्यवस्था और शासन

<table>
<tr>
<td>विधेयक को मंजूरी देने में राज्यपाल की भूमिका</td>
<td>
खबरों में: तमिलनाडु विधानसभा ने एक बार फिर एक विधेयक को पारित किया है जिसे पहले राज्यपाल द्वारा वापस कर दिया गया था।

इस विधेयक में तमिलनाडु में स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकार द्वारा आबंटित सीटों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (एनईईटी) से छूट प्रदान करने का प्रावधान है।
पिछले हफ्ते, राज्यपाल ने यह कहते हुए विधेयक को वापस कर दिया कि यह ग्रामीण और गरीब छात्रों के हितों के खिलाफ है।

विवाद क्या है?

एनईईटी एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जो स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाती है।
इसे 2013 में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) और कई अन्य प्रीमेडिकल परीक्षाओं की जगह पेश किया गया था। जो तब तक राज्यों और विभिन्न अन्य मेडिकल कॉलेजों द्वारा आयोजित किए जाते थे, लेकिन जैसा कि छात्रों को कई प्रवेश परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना चुनौतीपूर्ण लग रहा था, भारत सरकार ने तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक एकीकृत प्रवेश परीक्षा शुरू कराने का फैसला किया, लेकिन इसकी शुरुआत से ही यह प्रवेश परीक्षा विवादास्पद रही है और यहां तक कि इसके प्रारंभिक चरण में ही इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
पिछले कुछ वर्षों में एनईईटी प्रवेश परीक्षा को, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसमें यह तर्क स्थापित हुआ है कि एनईईटी भेदभावपूर्ण है और सामाजिक न्याय को नष्ट कर देता है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि एनईईटी सहकारी संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है और इस क्रम में एक नया कानून लाने की कोशिश की गई है। जो एनईईटी परीक्षा को समाप्त करने का प्रयास करता है, ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु सरकार और राज्य विधानसभा द्वारा 2017 में किया गया था जब उसने एनईईटी के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था, लेकिन इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी और राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था।

राज्यपाल की भूमिका

राज्यपाल राज्य का प्रमुख है (और वह कई मायनों में राज्य का नेतृत्व करता है।)
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में
संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में
राज्य में शासन के परिप्रेक्ष्य में
अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा
राज्यपाल 'दोहरी क्षमता' में कार्य करता है :-

राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में
केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में

वह केंद्र और राज्यों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है

क्या होता है जब राष्ट्रपति विधेयक पर विचार करते हैं?

इस प्रकार के विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
अनुच्छेद 201 कहता है कि जब किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा अपने विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक को स्वीकार करता है, या वह उसे सहमति देने से मना करता है।

</td>
</tr>
</table>

	● राष्ट्रपति राज्यपाल को यह भी निर्देश दे सकता है कि यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो राज्यपाल विधेयक को एक संदेश के साथ विधायिका को वापस कर दे। ● विधायिका के सदनों को, विधेयक को प्राप्त होने से छह महीने की अवधि के भीतर पुनर्विचार करना होगा। ● विधायिका विधेयक को किसी भी परिवर्तन के साथ या बिना किसी परिवर्तन के फिर से पारित कर सकता है। विधेयक को पुन राष्ट्रपति के समक्ष उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। **आगे की राह** ● संवैधानिक नैतिकता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ● अम्बेडकर और राष्ट्रपति नारायणन द्वारा प्रसिद्ध रूप से कहा गया था कि दोष संविधान का नहीं है, बल्कि इसे चलाने वालों के बीच है। ● ऐसे कई अवसर आए हैं जब केंद्र ने राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली। सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह ली जनि चाहिए। ● राज्यपाल के संवैधानिक कार्यालय और मुख्यमंत्री के निर्वाचित कार्यालय के बीच सौहार्द के सकारात्मक उदाहरणों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। ● जम्मू कश्मीर में बी. के. नेहरू का उदाहरण जिनके विचार श्रीमती गांधी के विचारों के विपरीत थे। वह एक स्वतन्त्र राज्यपाल का उदाहरण थे जो राज्य के बारे में अपने विचारों और केंद्र के अन्य नीतिगत निर्देशों में स्वतंत्र थे। ● संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच परिकल्पित संतुलन को बनाये रखना चाहिए। ● राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच परामर्श और प्रबुद्ध विचार-विमर्श की प्रक्रिया को अपनाकर यह किया जा सकता है।
केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022	**ख़बरों में:** हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022 जारी किये गए हैं। ● इस समय देश में पीआईबी द्वारा मान्यता प्राप्त 2,457 पत्रकार हैं। ● केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022 ने मान्यता वापस लेने की शर्तों को रेखांकित किया है यदि कोई पत्रकार देश के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करता है ○ सुरक्षा ○ संप्रभुता और अखंडता ○ विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ○ सार्वजनिक व्यवस्था ○ या उस पर गंभीर संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है। ● अधिकांश प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(2) से लिए गए हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध को निर्धारित करता है। **दिशा-निर्देशों के तहत प्रावधान:** **प्रत्यायन वापस लेने/निलंबित करने से संबंधित प्रावधान:** ● यदि कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के लिये गलत तरीके से कार्य करता है या उस पर गंभीर संज्ञेय अपराध का आरोप है। ● यदि उसका कार्य शालीनता या नैतिकता के प्रतिकूल है या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध हेतु उकसाने से संबंधित है। ● मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक/सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स या किसी अन्य फॉर्म या किसी भी प्रकाशित सामग्री पर "भारत सरकार से मान्यता प्राप्त" शब्द का उपयोग करने से प्रतिबंधित करना। **प्रत्यायन प्रदान करने से संबंधित प्रावधान:** ● प्रत्यायन केवल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के पत्रकारों के लिये ही उपलब्ध है जिसकी कई श्रेणियां हैं। ● एक पत्रकार को पूर्णकालिक पत्रकार या समाचार संगठन में एक कैमरापर्सन के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये या पात्र बनने के लिये फ्रीलांसर के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

	- एक समाचार पत्र या पत्रिका के लिये न्यूनतम दैनिक संचलन 10,000 होना चाहिये और समाचार एजेंसियों के पास कम-से-कम 100 ग्राहक होने चाहिये। विदेशी समाचार संगठनों और विदेशी पत्रकारों पर भी इसी तरह के नियम लागू होते हैं। **केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति (CMAC):** - सरकार 'केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति' नामक एक समिति का गठन करेगी। - इस समिति की अध्यक्षता प्रधान महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा की जाएगी और इसका समिति का गठन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित कार्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा नामित 25 सदस्यों को शामिल कर किया जाएगा। 'केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति' अपनी पहली बैठक की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये कार्य करेगी और यदि आवश्यक हो तो तिमाही में एक बार या अधिक बार बैठक करेगी। **संबंधित चिंताएँ:** - एक पत्रकार के प्रत्यायन को निलंबित या वापस लिया जाना चाहिये या नहीं, यह तय करते समय भारत की संप्रभुता या अखंडता के लिये क्या यह प्रतिकूल है, इसका आकलन करने हेतु दिशा-निर्देश सरकार द्वारा नामित अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिये गए हैं। - पत्रकार की मुख्य ज़िम्मेदारियों में से एक गलत कार्य को उजागर करना है, चाहे वह सार्वजनिक अधिकारियों, राजनेताओं, बड़े व्यापारियों, कॉर्पोरेट समूहों या सत्ता में बैठे अधिकारियों द्वारा क्यों न किया गया हो। - इसका परिणाम कई बार ऐसी शक्तियों द्वारा पत्रकारों को डराना या सूचना को बाहर आने से रोकना हो सकता है। - पत्रकार अक्सर उन मुद्दों और नीतिगत फैसलों पर रिपोर्टिंग करते हैं जो सरकार के विरुद्ध होते हैं। - संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी प्रकार के मामले को इनमें से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन माना जा सकता है। **प्रत्यायन कैसे मदद करता है?** **महत्त्वपूर्ण परिसर से रिपोर्ट करने की अनुमति:** कुछ आयोजनों में जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मौज़ूद होते हैं, वहाँ केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही परिसर से रिपोर्ट करने की अनुमति होती है। **पहचान की रक्षा में मदद:** दूसरा, प्रत्यायन यह सुनिश्चित करती है कि एक पत्रकार अपने स्रोतों की पहचान की रक्षा करने में सक्षम है। **पत्रकार को लाभ:** प्रत्यायन से पत्रकार और उसके परिवार को कुछ लाभ मिलते हैं, जैसे- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना में शामिल होना और रेलवे टिकट पर कुछ रियायतें मिलना। **प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:** - संविधान, अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक् स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। - प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है- "सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"। - भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** - तमिलनाडु प्रेस परिषद पर मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश - सोशल मीडिया विनियमन - डिजिटल मीडिया के नियमन पर (सुदर्शन टीवी केस)
झारखंड में नया	**संदर्भ:** झारखंड के कई हिस्सों में सरकारी नौकरियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही को

भाषा-अधिवास का विरोध	"क्षेत्रीय भाषाओं" के रूप में शामिल किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ● महिलाओं सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारी, मुख्य रूप से बोकारो और धनबाद के पूर्व-मध्य जिलों में, लेकिन गिरिडीह और रांची में भी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए, तख्तियों के साथ मार्च कर रहे हैं। **विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं?** ● 24 दिसंबर को, झारखंड कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से जिला स्तर की चयन प्रक्रिया में मगही, भोजपुरी और अंगिका सहित अन्य को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। ● अधिसूचना ने विशेष रूप से बोकारो और धनबाद में लोगों के एक वर्ग में नाराजगी पैदा कर दी, जिन्होंने भोजपुरी और मगही को आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों पर "उल्लंघन" के रूप में शामिल किया। ● प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इन दो जिलों में मगही और भोजपुरी भाषियों की "कम आबादी" ने नौकरी चयन प्रक्रिया में इन भाषाओं को शामिल करने का "वारंट" नहीं दिया। ● उपाख्यानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि इन जिलों में मगही- और भोजपुरी भाषी लोगों की अपेक्षाकृत कम संख्या है; हालाँकि, कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। **ये किस तरह की परीक्षाएं हैं?** ● अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। पात्रता आवश्यकताएं अपेक्षाकृत मामूली हैं, और जिलों में निचले स्तर की नौकरियों में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन इन नौकरियों का विज्ञापन होना बाकी है। ● यह राज्य के स्तर पर चयन प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है। अभी तक, अधिसूचना के खिलाफ कोई रिक्तियों का विज्ञापन नहीं किया गया है। ● यह पहली बार होगा जब परीक्षा में भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा के पेपर होंगे, और सरकार से वेटेज और अंकों के विवरण की घोषणा करने की उम्मीद थी। **अधिसूचना का विरोध कौन कर रहा है?** ● झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, मूलवासियों और आदिवासियों का एक संगठन, जो गैर-राजनीतिक होने का दावा करता है, ने पिछले कुछ दिनों में 50 से अधिक विरोध सभाओं का आयोजन किया है। ● विरोध का उद्देश्य बोकारो और धनबाद के दो जिलों में इन भाषाओं को शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। ● समिति इन भाषाओं को लातेहार, गढ़वा या पलामू में इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी इन भाषाओं को बोलती है।" **क्या प्रदर्शनकारियों के लिए यही एकमात्र मुद्दा है?** ● वे राज्य की अधिवास नीति के लिए भूमि अभिलेखों के प्रमाण को ध्यान में रखते हुए 1932 को कट-ऑफ तिथि बनाने की भी मांग कर रहे हैं। ● यह लंबे समय से विवादित रहा है। 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद, पहले प्रधान मंत्री, बाबूलाल मरांडी ने सोचा कि स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों सहित लाभ प्रदान करने के लिए 'झारखंडी' को परिभाषित करना आवश्यक है। ● 2016 में, रघुबर दास सरकार एक "आराम से अधिवास नीति" लेकर आई, जिसमें पिछले 30 वर्षों के लिए रोजगार जैसे मानदंड शामिल थे, और अनिवार्य रूप से 1985 को कट-ऑफ वर्ष बना दिया। ● 2019 में सत्ता में आने के बाद, हेमंत सोरेन सरकार ने अधिवास को फिर से परिभाषित करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया। **क्या विरोध का कोई विरोध है?** ● भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका मंच नामक एक समूह, जिसे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के झारखंड से अलग राजद लोकतांत्रिक द्वारा समर्थित है, ने विरोध की कथित ध्रुवीकरण प्रकृति की आलोचना की है। मंच के अध्यक्ष ने दावा किया है कि झारखंड में 1 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलते हैं, और राज्य में भोजपुरी और मगही बोलने वालों के "अत्यधिक योगदान" को याद किया। **तो यह विरोध किस ओर जा रहा है?**

	● भाषा के मुद्दे पर विरोध "विरोधाभासों से भरा" है। ● कुछ विधायक "सीधे भीड़-इकट्ठा करने में शामिल" रहे हैं, "इसलिए यह दावा कि यह आंदोलन अराजनीतिक है, सच नहीं है"। ● विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शित तख्तियों और बैनरों पर लिखा है, "बाहरी भाषा झारखंड में नई चलतू। (झारखंड के बाहर की भाषाएं यहां नहीं चल सकतीं।) ● हालांकि, प्रदर्शनकारियों को बंगाली या ओडिया को क्षेत्रीय भाषा बनाए जाने से कोई समस्या नहीं है, और न ही वे अन्य जिलों में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में रखने का विरोध करते हैं।
जाति डेटा का महत्व	**संदर्भ:** हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% कोटा बरकरार रखा। **योग्यता और आरक्षण के संबंध में निर्णय की मुख्य विशेषताएं** ● इसने दोहराया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोई अपवाद नहीं है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत समानता के सिद्धांत का विस्तार है। ● यह निर्णय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ओपन प्रतियोगी परीक्षाएं असमानताओं और सामाजिक पूर्वाग्रहों की अनदेखी करते हुए समान अवसर प्रदान करने का भ्रम देती हैं। ● अदालत ने विरासत में मिली सांस्कृतिक पूंजी (संचार कौशल, किताबें, उच्चारण, शैक्षणिक उपलब्धियां, सामाजिक नेटवर्क, आदि) के सामाजिक प्रभावों की ओर इशारा किया, जो उच्च-श्रेणी के प्रदर्शन के लिए उच्च जाति के बच्चों के अचेतन प्रशिक्षण को सुनिश्चित करता है। ● संविधान सभा ने संवैधानिक प्रावधानों को पेश करते हुए एक समान दर्शन का पालन किया जो सरकार को "निचली जातियों" के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। **क्या जाति आधारित आरक्षण जातिगत पहचान को कायम रखता है?** ● हालांकि, अंतर्निहित अच्छे इरादों के बावजूद, सकारात्मक भेदभाव एक विवादास्पद विषय रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रावधान केवल जातिगत मतभेदों को कायम रखते हैं और इसलिए "जातिहीन समाज" का आह्वान करते हैं। ● जैसा कि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, "जातिविहीनता" एक विशेषाधिकार है जिसे केवल उच्च जाति ही वहन कर सकती है क्योंकि उनके जातिगत विशेषाधिकार का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पूंजी में अनुवाद हो चुका है। ● दूसरी ओर, ऐतिहासिक नुकसान को पहचानने वाले आरक्षण जैसे उपायों के लाभों का दावा करने के लिए निचली जातियों से संबंधित व्यक्तियों को अपनी जाति पहचान बरकरार रखनी चाहिए। **आरक्षण को लेकर हमारा देश किन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है?** **1. आरक्षण की बढ़ी मांग** ● विशेष रूप से अधिक से अधिक समुदाय, जिन्हें अगड़ी जाति (forward castes) के रूप में माना जाता है, वे आरक्षण लाभ की मांग कर रहे हैं। ● हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए 50% से अधिक आरक्षण को रद्द कर दिया, जो कि इंद्रा साहनी मामले में निर्धारित सीमा थी। ● सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "जब अधिक लोग आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ेपन की आकांक्षा रखते हैं, तो देश खुद ही स्थिर हो जाता है कि कौन सी स्थिति संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है"। **2. वस्तुनिष्ठ डेटा का अभाव और सूची का संशोधन** ● इंद्रा साहनी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों को उचित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद ही लोगों के एक विशेष वर्ग के "पिछड़ेपन" का निष्कर्ष निकालना चाहिए। ● भले ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़ों को जनगणना में शामिल किया गया हो, ओबीसी पर कोई समान डेटा नहीं है। ● वर्ष 2011 में आयोजित सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) को "दोषपूर्ण" और "अविश्वसनीय" कहा गया है।

	● यहां तक कि मंडल आयोग की सिफारिशों की भी आयोग के सदस्यों के "व्यक्तिगत ज्ञान" और नमूना सर्वेक्षण पर आधारित होने के कारण आलोचना की गई थी। ● राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993, धारा 11 के तहत प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल में उन वर्गों को बाहर करने के लिए सूचियों को संशोधित कर सकती है जो पिछड़े नहीं हैं। **अब क्या चाहिए?** ● जाति के संबंध में डेटा संग्रह के विश्वसनीय अभ्यास किए जाने तक हमारे नागरिकों का विश्वास बहाल नहीं किया जा सकता है। ● जाति के आंकड़े न केवल इस सवाल में स्वतंत्र शोध को सक्षम करेंगे कि कौन करता है और किसे सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ● एक जाति जनगणना, जो संपूर्ण डेटा उत्पन्न करेगी, नीति निर्माताओं को बेहतर नीतियों, कार्यान्वयन रणनीतियों को विकसित करने की अनुमति देगी, और संवेदनशील मुद्दों पर अधिक तर्कसंगत बहस को भी सक्षम करेगी। ● वर्ष 2017 में ओबीसी समुदायों के उप-वर्गीकरण को देखने के लिए जस्टिस रोहिणी समिति नियुक्त की गई थी; हालाँकि, डेटा के अभाव में, कोई डेटा-बैंक या कोई उचित उप-वर्गीकरण नहीं हो सकता है। ● सभी आयोगों को पिछली जाति जनगणना (1931) के आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ा है। तब से मूल जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं और इसलिए, डेटा को अद्यतन किया जाना है। ● भारत को जाति, वर्ग, भाषा, अंतर-जातीय विवाह, अन्य मेट्रिक्स के आसपास डेटा एकत्र करके, जाति के मुद्दों से निपटने के लिए जिस तरह से अमेरिका करता है, डेटा और आंकड़ों के माध्यम से जाति के सवालों से निपटने में साहसी और निर्णायक होने की जरूरत है। ● निष्पक्ष डेटा और उसके बाद के शोध सबसे पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों को जाति और वर्ग की राजनीति की छाया से बचा सकते हैं। **निष्कर्ष** ● यह आरक्षण नहीं है जो हमारे समाज में वर्तमान विभाजन पैदा करता है बल्कि आरक्षण का दुरुपयोग है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● केस-वार डेटा के लिए तमिलनाडु आयोग ● एनपीआर और जनगणना ● जाति और जनगणना के आस-पास एक नया ढांचा
अधिक संघीय न्यायपालिका के लिए एक मामला	**प्रसंग:** लगभग 150 साल पहले, अपने समय के सबसे प्रमुख संवैधानिक वकील एवी डाइसी ने लिखा था, "संघवाद की आवश्यक विशेषता उन निकायों के बीच सीमित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरण का वितरण है जो एक दूसरे के साथ समन्वय और स्वतंत्र हैं"। ○ अब हम भारतीय न्यायपालिका और हमारी न्यायपालिका की संघीय प्रकृति को मजबूत करने की आवश्यकता की जांच करते हैं। **भारतीय न्यायपालिका की विशेषता के बारे में** ○ संघवाद एकतावाद के बीच एक मध्यबिंदु है जिसमें एक सर्वोच्च केंद्र होता है, जिसके अधीन राज्य अधीनस्थ होते हैं, और संघवाद जिसमें राज्य सर्वोच्च होते हैं, और केवल एक कमजोर केंद्र द्वारा समन्वित होते हैं। ○ एक संघीय राज्य की एक अभिन्न आवश्यकता यह है कि एक मजबूत संघीय न्यायिक प्रणाली हो जो इस संविधान की व्याख्या करती है, और इसलिए संघीय इकाइयों और केंद्रीय इकाई के अधिकारों पर और नागरिक और इन इकाइयों के बीच न्याय करती है। ○ संघीय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस अर्थ में शामिल हैं कि यह केवल ये दो अदालतें हैं जो उपरोक्त अधिकारों का न्याय कर सकती हैं। ○ **एकीकृत न्यायपालिका:** "भारतीय संघ एक दोहरी राजनीति के बावजूद दोहरी न्यायपालिका नहीं है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक एकल एकीकृत न्यायपालिका बनाते हैं जिसका अधिकार क्षेत्र होता है और संवैधानिक कानून, नागरिक कानून या आपराधिक कानून के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में उपचार प्रदान करता है।

- **न्यायाधीशों की समानता:** भारतीय संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति की समानता की परिकल्पना की, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीनस्थ नहीं थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर इस स्थिति को दोहराया है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल अपीलीय अर्थों में उच्च न्यायालय से श्रेष्ठ है।

भारतीय न्यायपालिका का केंद्रीकरण

- सैद्धांतिक स्थिति हमेशा से रही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समान हैं। बीआर अंबेडकर द्वारा देखे गए संवैधानिक ढांचे को काम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।
- इस संतुलन की आवश्यकता को आपातकाल के दौरान रेखांकित किया गया था, जब उच्च न्यायालय (एक महत्वपूर्ण संख्या, कम से कम) स्वतंत्रता के प्रकाशस्तंभ के रूप में सामने आए, भले ही सर्वोच्च न्यायालय इस कर्तव्य में विफल रहा।
- यह संतुलन आजादी के बाद से 1990 के दशक तक मौजूद रहा। तब से, हालांकि, यह केंद्रीय अदालत के पक्ष में झुका हुआ है।
- सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय (या बल्कि, इसके न्यायाधीशों का एक वर्ग, जिसे "कॉलेजियम" कहा जाता है) के पास उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है।
- दूसरा, क्रमिक सरकारों ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो अदालतों और न्यायाधिकरणों की समानांतर न्यायिक प्रणाली बनाते हैं जो उच्च न्यायालयों को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील करने का प्रावधान करते हैं।
- तीसरा, सुप्रीम कोर्ट तुच्छ मामलों से संबंधित मामलों के मनोरंजन में उदार रहा है।

न्यायपालिका के केंद्रीकरण के क्या प्रभाव हैं?

1. संघवाद का कमजोर होना

- संयुक्त राज्य अमेरिका में, कानूनी शोधकर्ता, इल्या सोमिन द्वारा अनुभवजन्य शोध से पता चलता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक संघीय क़ानून की तुलना में असंवैधानिक के रूप में एक राज्य क़ानून को रद्द करने की अधिक संभावना है। यह शोध इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि एक केंद्रीकृत न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा एकात्मकता (संघवाद के विपरीत) की ओर प्रवृत्त होती है।
- नाइजीरिया में, एक समान संघीय देश, अनुसंधान से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य इकाइयों पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का समर्थन करता है, और यह हाल ही में खनिज अधिकारों और उप-अधिकारों पर मुकदमों में प्रकट हुआ है।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज, एक कॉलेजियम की भूमिका निभाते हुए, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने या उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने, या नियुक्ति करने (या नियुक्ति में देरी) करने की शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है।

2. सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे गैर-संवैधानिक तुच्छ मामले

- एक आक्रामक रूप से हस्तक्षेप करने वाला सर्वोच्च न्यायालय कई लोगों को राष्ट्र पर पड़ने वाली सभी बीमारियों के लिए रामबाण के रूप में सीधे इसका रुख करने के लिए प्रेरित करता है।
- 2018 में, दिल्ली के कुछ लोगों ने दीपावली समारोह को कम करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने रिट याचिका पर तुरंत विचार किया और निर्देश जारी किया कि दीपावली केवल एक या दो घंटे के लिए ही मनाई जा सकती है।
- न्यायालय ने हाल ही में कहा, "तुच्छ मामले संस्था को निष्क्रिय बना रहे हैं... ये मामले अदालत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करते हैं, जिसे गंभीर मामलों, अखिल भारतीय मामलों पर खर्च किया जा सकता था।"

3. न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समानांतर पदानुक्रमों का निर्माण

- क्रमिक सरकारों ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो अदालतों और न्यायाधिकरणों की समानांतर न्यायिक प्रणाली बनाते हैं जो उच्च न्यायालयों को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील करने का प्रावधान करते हैं।

	○ इससे उच्च न्यायालयों के अधिकार कमजोर होते हैं या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अधीनता या उदासीनता की प्रवृत्ति की संभावना होती है। **निष्कर्ष** ○ सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं न्यायिक संघवाद के महत्व को पहचानना चाहिए और उच्च न्यायालयों को पुन: सशक्त करके संघीय संतुलन बहाल करना चाहिए। यह देश के हित में होगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ○ न्यायपालिका का भारतीयकरण ○ महिला और न्यायपालिका ○ न्यायपालिका में भाषा ○ न्यायपालिका और AI
सीलबंद कवर न्यायशास्त्र	**संदर्भ:** हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय के फैसले ने गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा चैनल सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाए गए मलयालम समाचार चैनल MediaOne पर प्रसारण प्रतिबंध को बरकरार रखा। ● उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत दस्तावेजों के मूल्यांकन पर आधारित था, "जिनकी सामग्री को समाचार चैनल के साथ साझा नहीं किया गया था"। **सीलबंद कवर न्यायशास्त्र क्या है?** ● यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी-कभी निचली अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रथा है, जिसके तहत सरकारी एजेंसियों से 'सीलबंद लिफाफों' में जानकारी मांगी जाती है और यह स्वीकार किया जाता है कि केवल न्यायाधीश ही इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। ● यद्यपि कोई विशिष्ट कानून 'सीलबंद कवर'के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश XIII के नियम 7 और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 से उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करता है। ● नियम के अनुसार, यदि मुख्य न्यायाधीश या अदालत कुछ सूचनाओं को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश देते हैं, तो किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुँच की अनुमति नहीं दी जाएगी। ● इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है यदि इसके प्रकाशन को जनता के हित में नहीं माना जाता है। ● इस अधिनियम के तहत राज्य के मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेज़ों की रक्षा की जाती है और एक सरकारी अधिकारी को ऐसे दस्तावेज़ों का खुलासा करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है। ● अन्य उदाहरण जहाँ गोपनीयता या विश्वास के तहत जानकारी मांगी जा सकती है, इसका प्रकाशन जाँच में बाधा डालता है जैसे- विवरण (Details) जो पुलिस केस डायरी का हिस्सा है; या किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग करता है। **यह अतीत में कब किया गया है?** ● हाल के दिनों में न्यायालयों द्वारा सीलबंद कवर न्यायशास्त्र को अधिकतर नियोजित किया गया है। ● विवादास्पद राफेल लड़ाकू जेट सौदे से संबंधित मामले में, वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से सौदे के निर्णय लेने और मूल्य निर्धारण से संबंधित विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने को कहा था। ○ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि केंद्र ने तर्क दिया था कि इस तरह के विवरण सौदे में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और गोपनीयता के प्रावधानों के अधीन थे। ● असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) से संबंधित मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NRC के समन्वयक प्रतीक हजेला को शीर्ष अदालत ने सीलबंद लिफाफे में अवधि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसे न तो सरकार और न ही याचिकाकर्ताओं तक पहुँचा जा सकता था। ● उस मामले में जहां सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और राष्ट्रीय एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)

	को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा था।
	● वर्ष 2014 के बीसीसीआई सुधार मामले में, क्रिकेट निकाय की जांच समिति ने एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि वह उन नौ क्रिकेटरों के नाम सार्वजनिक न करें जिन पर मैच और स्पॉट फिक्सिंग घोटाले का संदेह था।
	● भीमा कोरेगांव मामले में, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा किया था। पुलिस ने कहा था कि आरोपी को इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे चल रही जांच में बाधा उत्पन्न होगी।
	● 2G और कोयला घोटाला मामलों, रामजन्मभूमि मामले, जज बीएच लोया की मौत से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में राज्य एजेंसियों द्वारा सीलबंद लिफाफे में दी गई जानकारी पर भी भरोसा किया गया था। साथ ही 2019 का मामला राष्ट्रीय चुनावों के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज़ से संबंधित था।
	आलोचना क्या है और अदालतें क्या कहती हैं?
	● इस प्रथा के आलोचकों का तर्क है कि यह एक खुली अदालत के विचार के विपरीत भारतीय न्याय प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, जहां निर्णय सार्वजनिक जांच के अधीन हो सकते हैं।
	● अदालत के फैसलों में स्वेच्छाचारिता के दायरे को बढ़ाना, क्योंकि न्यायाधीशों को अपने फैसलों के लिये तर्क देना होता है, जो तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक की वे गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी पर आधारित न हों।
	● इसे निष्पक्ष न्यायनिर्णयन के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है जिससे आवेदक को सीलबंद लिफाफे की सामग्री का पता नहीं चलता है।
	● मुहरबंद या गुप्त दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाना "प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों" के खिलाफ था। उक्त सिद्धांत अनिवार्य करता है कि निर्णय की किसी भी प्रक्रिया में, विशेष रूप से एक जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, साक्ष्य "विवाद के लिए दोनों पक्षों के साथ साझा किया जाना चाहिए।"
	● आगे जो विरोध किया जाता है वह यह है कि क्या राज्य को गुप्त रूप से जानकारी प्रस्तुत करने का ऐसा विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए, जब बंद कमरे में सुनवाई जैसे मौजूदा प्रावधान पहले से ही संवेदनशील जानकारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।
	● इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि आरोपी पक्षों को ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान नहीं करना उनके निष्पक्ष परीक्षण और न्यायनिर्णयन के मार्ग में बाधा डालता है।
	  ○ पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य के मामले में 2019 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी द्वारा दस्तावेज़ों का खुलासा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, भले ही जाँच जारी हो क्योंकि दस्तावेज़ों से मामले की जाँच में सफलता मिल सकती है।
	  ○ वर्ष 2019 में INX मीडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सीलबंद लिफाफे में जमा किये गए दस्तावेज़ों के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत देने से इनकार करने के अपने फैसले को आधार बनाने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय की आलोचना की थी।

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022	**संदर्भ:** हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने "ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022" शीर्षक से एक नीति प्रस्ताव जारी किया। ● नागरिक डेटा का उत्पादन अगले दशक में तेजी से बढ़ने और भारत की $5 ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनने की उम्मीद है। **ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी का प्रस्ताव क्यों दिया गया है?** ● नीति का उद्देश्य "सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को मौलिक रूप से बदलना" है। ● राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, 2019 ने सरकारी डेटा शोषण के व्यावसायिक लाभों को नोट किया। निजी क्षेत्र को व्यावसायिक उपयोग के लिए चुनिंदा डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। ● नीति के साथ आने वाला एक पृष्ठभूमि नोट डेटा साझाकरण और उपयोग में मौजूदा बाधाओं को रेखांकित करता है।

- इसमें नीति निगरानी और डेटा साझा करने के प्रयासों को लागू करने के लिए एक निकाय की अनुपस्थिति,
- डेटा साझा करने के लिए तकनीकी उपकरणों और मानकों की अनुपस्थिति,
- उच्च मूल्य वाले डेटासेट की पहचान और लाइसेंसिंग और मूल्यांकन ढांचे शामिल हैं।

- यह अर्थव्यवस्था में डेटा के उच्च मूल्य को अनलॉक करने के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता इंगित करता है, अनुरूप और मजबूत शासन रणनीति, सरकारी डेटा को इंटरऑपरेबल बनाने और डेटा कौशल और संस्कृति को स्थापित करने के लिए।

ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?

- केंद्र सरकार और अधिकृत एजेंसियों द्वारा उत्पन्न, निर्मित, एकत्र या संग्रहीत सभी डेटा और जानकारी पॉलिसी द्वारा कवर की जाएगी।
- यह राज्य सरकारों को इसके प्रावधानों को अपनाने की भी अनुमति देगा।
- इसका संचालन समग्र प्रबंधन के लिए MEITY के तहत एक भारत डेटा कार्यालय (IDO) की स्थापना के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सरकारी संस्था एक मुख्य डेटा अधिकारी नामित करेगी।
- इसके अलावा, मानकों को अंतिम रूप देने वाले कार्यों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में एक इंडिया डेटा काउंसिल का गठन किया जाएगा।
  - यह इंगित नहीं किया गया है कि इंडिया डेटा काउंसिल में उद्योग, नागरिक समाज या प्रौद्योगिकीविदों की गैर-सरकारी भागीदारी होगी या नहीं।
- डेटा को डेटासेट की नकारात्मक सूची के तहत वर्गीकृत किया गया है जिसे साझा नहीं किया जाएगा , और प्रतिबंधित एक्सेस और केवल विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किया जाएगा, जैसा कि संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा नियंत्रित वातावरण के तहत परिभाषित किया गया है।
  - अधिक संवेदनशील श्रेणियों की परिभाषा, जिनकी सीमित पहुंच होनी चाहिए, स्वतंत्र सरकारी मंत्रालयों पर छोड़ दी गई है।
- इसके अतिरिक्त, मौजूदा डेटा सेटों को अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए समृद्ध या संसाधित किया जाएगा और उन्हें उच्च-मूल्य वाले डेटासेट कहा जाएगा।
- उच्च मूल्य वाले डेटासेट सहित सरकारी डेटासेट सरकारी विभागों के भीतर स्वतंत्र रूप से साझा किए जाएंगे और निजी क्षेत्र को लाइसेंस भी दिया जाएगा।
- गोपनीयता सुरक्षा के उपाय के रूप में, गुमनामी और गोपनीयता संरक्षण के लिए एक सिफारिश है।

ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के साथ गोपनीयता के मुद्दे क्या हैं?

- भारत में डेटा संरक्षण कानून (डेटा संरक्षण विधेयक) नहीं है जो गोपनीयता के उल्लंघन जैसे जबरदस्ती और अत्यधिक डेटा संग्रह या डेटा उल्लंघनों के लिए जवाबदेही और उपाय प्रदान कर सकता है।
- यहां, अंतर-विभागीय डेटा साझाकरण गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को प्रस्तुत करता है क्योंकि खुले सरकारी डेटा पोर्टल जिसमें सभी विभागों के डेटा शामिल हैं, के परिणामस्वरूप 360 डिग्री प्रोफाइल का निर्माण हो सकता है और राज्य प्रायोजित जन निगरानी को सक्षम कर सकता है।
- भले ही नीति गुमनामी को एक वांछित लक्ष्य मानती है, लेकिन कानूनी जवाबदेही और स्वतंत्र नियामक निरीक्षण का अभाव है।
- अज्ञात डेटा की पुन: पहचान के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण और स्वचालित उपकरणों की उपलब्धता पर विचार करने में भी विफलता है।
- व्यक्तिगत क्षेत्र को लाइसेंस देने के मौजूदा वित्तीय प्रोत्साहनों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां सरकार डेटा ब्रोकर के रूप में कार्य कर रही है।
- व्यक्तिगत डेटा की अधिक मात्रा के साथ डेटा का व्यावसायिक मूल्य बढ़ता है।
- एक एंकरिंग कानून की अनुपस्थिति आगे नीति को गोपनीयता में राज्य के हस्तक्षेप के लिए वैधता की दहलीज को पूरा करने में सक्षम नहीं होने की ओर ले जाती है जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता निर्णय के अपने

	ऐतिहासिक अधिकार में रखा था। **क्या नीति के साथ कोई अन्य मुद्दे हैं?** • नीति दस्तावेज़ के साथ तीन अतिरिक्त मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। • खुले डेटा की भाषा को अपनाते समय यह अपने नागरिकों के प्रति सरकार की पारदर्शिता प्रदान करने के अपने मूल सिद्धांत से भटक जाता है। पारदर्शिता का केवल एक उल्लेख है और इस तरह के डेटा साझाकरण से जवाबदेही और निवारण की मांगों को सुनिश्चित करने में कैसे मदद मिलेगी, इसका बहुत कम या कोई उल्लेख नहीं है। • दूसरा मुद्दा यह है कि नीति संसद को दरकिनार कर देती है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर डेटा साझा करने और संवर्धन पर विचार करती है जिसे सार्वजनिक धन से वहन किया जाएगा। • इसके अलावा, कार्यालयों का गठन, मानकों का निर्धारण जो न केवल केंद्र सरकार पर लागू हो सकता है, बल्कि राज्य सरकारों और उनके द्वारा प्रशासित योजनाओं पर भी विधायी विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। • यह हमें संघवाद के तीसरे और अंतिम मुद्दे पर लाता है। नीति, भले ही यह नोट करती है कि राज्य सरकारें "नीति के कुछ हिस्सों को अपनाने के लिए स्वतंत्र" होंगी, यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि ऐसी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाएगी। यह प्रासंगिक हो जाता है, यदि डेटा साझा करने के लिए या वित्तीय सहायता के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट मानक निर्धारित किए जाते हैं। • इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं है कि क्या राज्यों से एकत्र किए गए डेटा को केंद्र सरकार द्वारा बेचा जा सकता है और क्या इससे होने वाली आय को राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक
मातृभाषा: जीवन की आत्मा (Mother Tongue: Soul of Life)	**संदर्भ:** इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम का विषय है बहुभाषी सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर पर केंद्रित है। • भाषायी और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए दुनियाभर में हर साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। • भाषा जनगणना के अनुसार भारत में 19,500 भाषाएँ या बोलियाँ हैं, जिनमें से 121 भाषाएँ हमारे देश में 10,000 या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। • वर्ष 2020 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की पुरजोर वकालत की गई है। **इतिहास** • 21 फरवरी, 1952 के दिन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगलादेश) में बांग्ला भाषियों पर उर्दू थोपने के विरोध में आंदोलनरत छात्रों पर अकारण की गई पाकिस्तानी पुलिस की अंधाधुंध गोलीबारी में दर्जनों छात्रों की छात्रों की जान चली गई थी। • बंगाली भाषा आंदोलन ने उर्दू के अलावा बंगाली को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की, जो कि राष्ट्र के केवल 3-4% की मातृभाषा थी, जबकि बंगाली 50% से अधिक आबादी द्वारा बोली जाती थी। • 9 जनवरी, 1998 को, कनाडा स्थित रफीकुल इस्लाम ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर ढाका में 1952 में हुई हत्याओं को याद करने और दुनिया भर की भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए इस दिन को चिह्नित करने के लिए कहा। • इसलिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया। **चिंता के प्रमुख कारण** व्यक्ति के निर्माण में मातृभाषा का बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है। एक बच्चे की अपने आस-पास की दुनिया की पहली समझ, अवधारणाओं और कौशलों को सीखना और उसके अस्तित्व की धारणा, उस भाषा से शुरू होती है जो उसे सबसे पहले सिखाई जाती है वह उसकी मातृभाषा होती है। • जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलता है, तो हृदय, मस्तिष्क और जीभ के बीच सीधा संबंध स्थापित हो जाता

है।

- अधिक से अधिक भाषाएं लुप्त होने के कारण भाषाई विविधता पर खतरा बढ़ता जा रहा है।
- विश्व स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत आबादी के पास उस भाषा में शिक्षा तक पहुंच नहीं है जो वे बोलते या समझते हैं।
- हालाँकि, स्कूल और उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं का उपयोग स्वतंत्रता-पूर्व समय से ही किया जाता रहा है, दुर्भाग्य से, अंग्रेजी में अध्ययन करने के इच्छुक लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
- इससे अंग्रेजी भाषा द्वारा शासित एकभाषी शिक्षण संस्थानों का दबदबा बढ़ गया है और एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जो संवेदनशील, न्यायसंगत और न्यायसंगत नहीं है।
- अन्य सभी मातृभाषाओं पर अंग्रेजी के प्रभुत्व की प्रकृति छात्रों की शक्ति, स्थिति और पहचान से जुड़ी है। विभिन्न मातृभाषाएं बोलने वाले छात्र एक शैक्षिक संस्थान में अध्ययन करने के लिए एक साथ आते हैं जहां वे स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर बिना किसी कठिनाई के एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। फिर भी उन्हें एक विदेशी भाषा के माध्यम से एक भाषा में पढ़ाया जा रहा है जिससे सभी छात्र संबद्ध नहीं हो पाते हैं। पूरी प्रक्रिया ने मातृभाषाओं की अज्ञानता और छात्रों में अलगाव की भावना को जन्म दिया है।

बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने की जरूरत

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2003 और 2011 के बीच आश्चर्यजनक रूप से 273% की वृद्धि हुई है।

विषय के बारे में चिंताएं

- उनके माता-पिता सोचते हैं कि वे ठीक-ठीक जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों: उनका मानना है कि अंग्रेजी का ज्ञान नौकरी की सुरक्षा और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की कुंजी है, और वे आश्वस्त हैं कि उनके बच्चों के अवसरों में उनकी अंग्रेजी शब्दावली के अनुपात में वृद्धि होगी।
- वे सही कह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अंग्रेजी जानने से अच्छी नौकरी पाने में बहुत मदद मिलती है, लेकिन केवल तभी जब वह अंग्रेजी अर्थपूर्ण हो, अन्य सभी चीजों में समझ और बुनियादी ज्ञान के साथ बच्चे सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। अधिकांश भारतीय स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेजी किसी भी वास्तविकता सीखने की अनुमति नहीं देती है।
- विषय जटिल और आकर्षक है। भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए, एक आम भाषा का सपना शांत और मजबूत है। और कई लोगों को अंग्रेजी ही एकमात्र समाधान लगता है। फिर भी अब तक के परिणाम निराशाजनक रहे हैं।

स्कूल के प्रदर्शन को लेकर चिंता

- वर्ष 2009 के अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) में, भारत ने 77 देशों में से 75वां स्थान हासिल किया। यह इस बात का एक समग्र संकेतक है कि स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और विशेष रूप से अंग्रेजी को दोषी (culprit) के रूप में शामिल नहीं करता है। पीआईएसए दुनिया भर के देशों को रैंक करना जारी रखता है, लेकिन वर्ष 2009 के अपमान के बाद, भारत ने परीक्षण में सांस्कृतिक अनुपयुक्तता का हवाला देते हुए भाग लेने से इनकार कर दिया है।
- भारत की प्राथमिक शिक्षा रटकर सीखने, खराब प्रशिक्षित शिक्षकों और धन की कमी के लिए प्रसिद्ध है (भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.6% शिक्षा पर खर्च करता है; चीन 4.1 खर्च और ब्राजील 5.7। यह खर्च भारत के दोगुने से अधिक है)। शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी इसे बदतर बनती है - विकास की दृष्टि से, यह एक आपदा है।
- बच्चे के दृष्टिकोण से स्कूल पर विचार करना। अधिकतरछोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। जो अपने जीवन में पहली बार कई घंटों के लिए एक अजीब वातावरण में बड़ी संख्या में अन्य बच्चों के साथ रहते है जिन्हें वे नहीं जानते हैं। उन्हें शांत, चुप रहना और केवल आदेश पर ही बोलना चाहिए। और शिक्षक, जो एक अजनबी रहता वह उम्मीद करता है कि बच्चे पूरी तरह से नई अवधारणाओं में पढ़ना और लिखना; जोड़ना और घटाने इन सब में महारत हासिल करेंगे। इसके विपरीत अन्य देश अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते - चीन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड या स्पेन।

- अंग्रेजी को आमतौर पर दूसरी भाषा के रूप में महारत हासिल है - और प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख भाषा में है।
- इस समय, लगभग 17% भारतीय बच्चे ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हैं। वर्तमान रुझान बताते हैं कि आने वाले दशक में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा।

शिक्षकों की विषय-विशेषज्ञता के बारे में चिंता

- शोध से स्पष्ट है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं, यह विशेष रूप से भारत में अन्य सम्मोहक तर्क भी हैं।
- भारत में, वर्तमान समय में निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में कार्यरत 91 प्रतिशत शिक्षक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करने में असमर्थ थे।
- अक्षमता के इस स्तर के साथ, हम अभी भी उनसे ऐसी भाषा में पढ़ाने की अपेक्षा करते हैं, जो अपने आप में कमजोर है।

आगे की राह

- **पहल का विस्तार करना:** हमें प्राथमिक शिक्षा (कम से कम 5वीं कक्षा तक) छात्र की मातृभाषा में प्रदान करने के साथ शुरू करनी चाहिए, धीरे-धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों की पहल सराहनीय है, हमें पूरे देश में इस तरह के और प्रयासों की आवश्यकता है।
- **मूल भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें होना:** सभी स्तरों पर देशी भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों का अभाव है। यह अधिक छात्रों को अपनी मातृभाषा में रहने के लिए अड़चन पैदा करता है इसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम में सामग्री अंग्रेजी की ओर बहुत अधिक तिरछी है, जिसमें हमारे अधिकांश बच्चे शामिल नहीं हैं, और इसे ठीक करना होगा।
- **गैर-बहिष्कारवादी दृष्टिकोण:** सभी स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों को 'मातृभाषा बनाम अंग्रेजी' नहीं, बल्कि 'मातृभाषा प्लस अंग्रेजी' दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आज की तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में, विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता एक व्यापक दुनिया के लिए नए रास्ते खोलती है।

निष्कर्ष

- निर्देश की भाषा केवल एक वाहन, व्याकरण और शब्दों का एक सहज प्रवाह होना चाहिए, जिसे हर कोई अर्थ और परिभाषा के लिए पहेली किए बिना अब्सोर्ब्स (absorbs) कर लेता है।
- विज्ञान, गणित और साक्षरता काफी कठिन हैं क्योंकि यह जटिलता की इतनी सारी परतों को जोड़े बिना है। देश को अपनी अगली पीढ़ी के लीडरों की जरूरत है ताकि वे अपने योजना में पूरी तरह से महारत हासिल कर सकें ताकि वे दवा का अभ्यास कर सकें, पुल बना सकें, प्लंबिंग लगा सकें और सोलर लाइटिंग सिस्टम डिजाइन कर सकें। और बच्चे दूसरी, तीसरी और चौथी भाषाएँ सभी अच्छे समय में सीख सकते हैं।
- लेकिन यह तभी होगा जब वे युवा प्रेमपूर्ण भाषा के रूप में बड़े होंगे, उन्हें खतरा महसूस नहीं होगा और उनके द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा।

हमें उनकी जरूरत है कविता, गीत और उपन्यास लिखने के लिए। हमें चाहिए कि वे अपनी मातृभाषा पर गर्व महसूस करें, न कि क्षमाप्रार्थी और लज्जित हों जैसे कि उनकी बुद्धि इस बात पर आधारित है कि वे कितनी अंग्रेजी जानते हैं।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. बच्चों को अपनी मातृभाषा में क्यों सीखना चाहिए? चर्चा कीजिए।

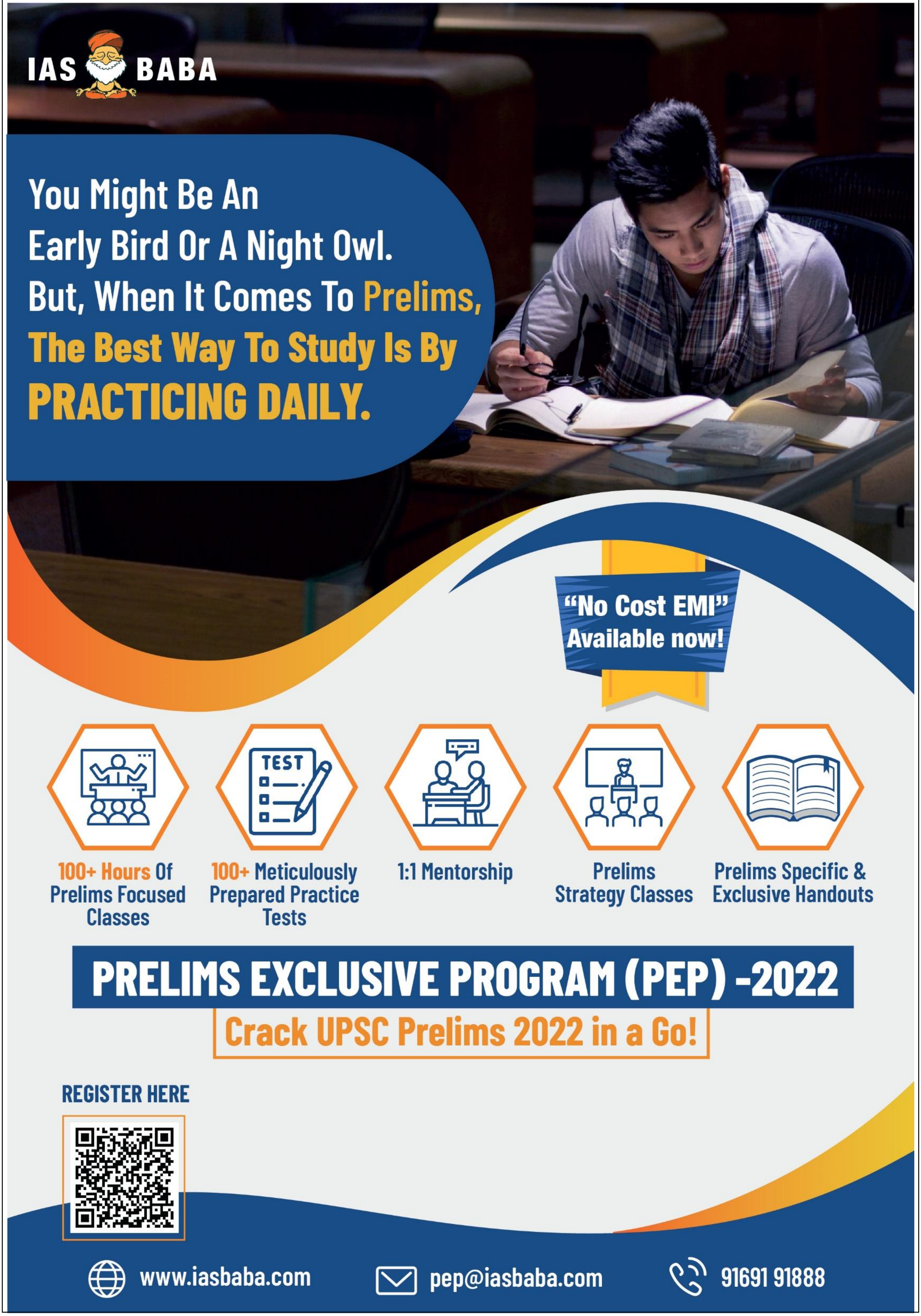
IAS BABA
You Might Be An
Early Bird Or A Night Owl.
But, When It Comes To Prelims,
The Best Way To Study Is By
PRACTICING DAILY.
"No Cost EMI"
Available now!
TEST
100+ Hours Of Prelims Focused Classes
100+ Meticulously Prepared Practice Tests
1:1 Mentorship
Prelims Strategy Classes
Prelims Specific & Exclusive Handouts
PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) -2022
Crack UPSC Prelims 2022 in a Go!
REGISTER HERE
www.iasbaba.com
pep@iasbaba.com
91691 91888

आभासी डिजिटल संपत्ति और डिजिटल मुद्रा (Virtual digital assets and Digital Currency)	**संदर्भ:** वित्तमंत्री ने अपने बजट 2022 के भाषण में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की। • उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। • इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक मौद्रिक सीमा से ऊपर 1 प्रतिशत पर आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक TDS का भी प्रस्ताव रखा। • इस संक्षेप में, वित्त मंत्री ने निवेशक द्वारा किसी भी दीर्घकालिक या अल्पकालिक होल्डिंग की परवाह किए बिना डिजिटल संपत्ति लाभ पर एक समान 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव किया है। • इसके अतिरिक्त, यदि किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट निवेशक को लेन-देन के दौरान नुकसान होता है, तो इसे किसी अन्य आय के विरुद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। • आभासी डिजिटल संपत्तियों को उपहार में देने पर भी प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। **आभासी डिजिटल संपत्ति क्या हैं और वे डिजिटल मुद्रा से कैसे भिन्न हैं?** • रिजर्व बैंक एक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा, यह केवल एक मुद्रा है जब इसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, भले ही वह क्रिप्टो हो। • लेकिन जो कुछ भी इससे बाहर है, हम सभी उसे क्रिप्टोक्यूरेंसी कहते हैं, लेकिन वे मुद्राएं नहीं हैं। • केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि आरबीआई अगले वित्त वर्ष में जो जारी करेगा वह डिजिटल मुद्रा होगा और इसके अलावा बाकी सब कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही डिजिटल संपत्ति है और सरकार ऐसी संपत्ति के लेनदेन के दौरान होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाएगी। • इसके अलावा, बाजार उभर रहा है जहां एक आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भुगतान ऐसी किसी अन्य संपत्ति के माध्यम से किया जा सकता है। तदनुसार, विधेयक में ऐसी आभासी डिजिटल संपत्तियों पर कराधान प्रदान करने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव किया गया है। **सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के क्या लाभ हैं?** • भौतिक नकदी का विकल्प • **तात्कालिक प्रक्रिया (Instantaneous process) :** CBDC के साथ लेन-देन एक तात्कालिक प्रक्रिया होगी। अंतर-बैंक निपटान की आवश्यकता गायब हो जाएगी क्योंकि यह एक केंद्रीय बैंक की देनदारी होगी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपी जाएगी। • **मुद्रा प्रबंधन की लागत कम करना :** भारत का मुद्रा-से-जीडीपी अनुपात काफी उच्च है, जो सीबीडीसी लाभ रखता है। बड़े नकद उपयोग को CBDC द्वारा बदला जा सकता है। साथ ही, कागजी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। • **समय की मांग:** यदि निजी मुद्राओं को मान्यता मिल जाती है, तो सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राएं किसी प्रकार के खतरे में आ सकती हैं। इसलिए सीबीडीसी समय की जरूरत बन गए हैं। • **अस्थिरता:** सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक द्वारा कानूनी निविदा होने के कारण, क्रिप्टोकरेंसी के मामले में कोई अस्थिरता नहीं देखी जाएगी। • **मुद्रा की सरल ट्रैकिंग:** एक राष्ट्र में सीबीडीसी की शुरुआत के साथ, इसका केंद्रीय बैंक मुद्रा की प्रत्येक इकाई के सटीक स्थान का ट्रैक रखने में सक्षम होगा। • **अपराध पर अंकुश:** आपराधिक गतिविधियों को आसानी से देखा और समाप्त किया जा सकता है जैसे कि आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि। • **व्यापार का क्षेत्र:** सीबीडीसी को अपनाने वाले देशों के बीच विदेश व्यापार लेनदेन में तेजी लाई जा सकती है। **सरकार आभासी डिजिटल संपत्ति को कैसे परिभाषित करती है?**

	● वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में, सरकार ने कहा, "आभासी डिजिटल संपत्ति" शब्द को परिभाषित करने के लिए, अधिनियम की धारा 2 में एक नया खंड (47A) डालने का प्रस्ताव है। ● प्रस्तावित नए खंड के अनुसार, एक आभासी डिजिटल संपत्ति का मतलब किसी भी जानकारी या कोड या संख्या या टोकन (भारतीय मुद्रा या कोई विदेशी मुद्रा नहीं है), क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों से उत्पन्न होता है, जो मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है अंतर्निहित मूल्य के वादे या प्रतिनिधित्व के साथ या बिना विचार के आदान-प्रदान किया गया, या मूल्य के भंडार या खाते की एक इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें किसी भी वित्तीय लेनदेन या निवेश में इसका उपयोग शामिल है, लेकिन निवेश योजनाओं तक सीमित नहीं है और इसे स्थानांतरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत या व्यापार किया जाता है। ● अपूरणीय टोकन और; समान प्रकृति के किसी अन्य टोकन को परिभाषा में शामिल किया गया है।
घटती जन्म दर और बदलाव की जरूरत (Declining Birth Rate and need for Change)	**संदर्भ:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश की प्रजनन दर पहले ही प्रतिस्थापन स्तर-2 से नीचे गिर चुकी है। ● महामारी की वजह से चल रहे झटके और अनिश्चितता से जन्म दर और भी कम होने की संभावना है। ● घटी हुई प्रजनन क्षमता के कई लाभ हैं, लेकिन यह जनसांख्यिकीय उपलब्धि एक ऐसी कीमत के साथ आ सकती है जिसका भारत के स्वास्थ्य, वित्तीय और लैंगिक नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।. 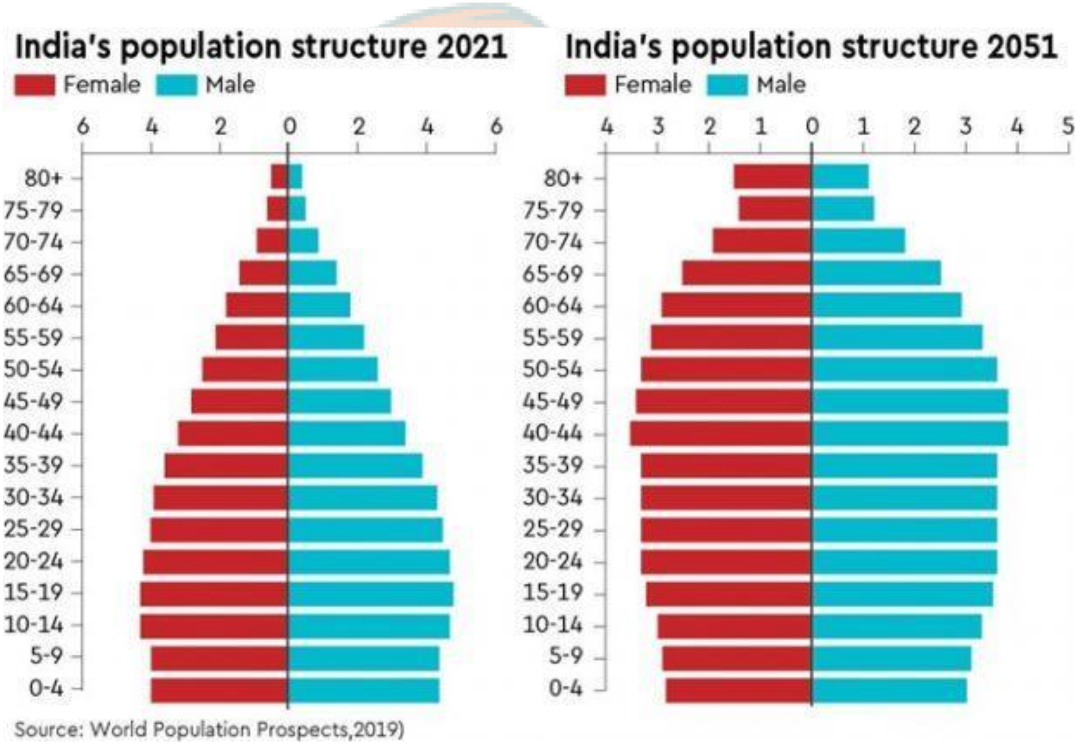 **कम जन्मदर से क्या चिंताएँ हैं?** ● सिकुड़ती युवा आबादी (Shrinking YouthPopulation): जन्म कम होने से युवा आबादी सिकुड़ती रहेगी। जैसे-जैसे युवा आबादी का आकार गिरता जाएगा, वृद्ध वयस्कों की संख्या युवाओं से आगे निकल जाएगी। ● **बढ़ती निर्भरता अनुपात:** निर्भरता अनुपात को 15-64 आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। यह 1960 में 5.4 से बढ़कर 2020 में 9.8 हो गया है और 2050 में बढ़कर 20.3 से अधिक हो जाएगा। ● **नौकरी का दबाव (Job Squeeze) :** वृद्ध वयस्क आबादी के भीतर काम की मांग बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति में देरी हो सकती है, जिससे "नौकरी का दबाव (job squeeze) " हो सकता है जिसमें युवा और बूढ़े समान रूप से सीमित संख्या में नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ● **नई स्वास्थ्य चुनौतियां:** वृद्ध वयस्कों की बढ़ती संख्या के साथ, गैर-संचारी रोगों की संख्या पहले से ही संक्रामक रोगों को बढ़ा रही है। यह मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी रुग्णताओं को रोकने और प्रबंधित करने की दिशा में

	एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की मांग है। ● **स्वास्थ्य बीमा के साथ चुनौतियाँ:** 1% से कम वृद्ध वयस्कों के पास स्वास्थ्य बीमा है, और उम्र बढ़ने से संबंधित रुग्णता कवरेज के मामले में एक ग्रे क्षेत्र है। अधिकांश बड़े वयस्क स्वास्थ्य देखभाल के लिए परिवारों और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं। चूंकि घटती जन्म दर के कारण परिवार का आकार सिकुड़ता है, ऐसे अनौपचारिक सुरक्षा जाल निकट भविष्य में एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकते हैं। ● **खाद्य सुरक्षा पर चुनौतियां:** वृद्ध वयस्कों को अभी भी खाद्य और पोषण असुरक्षा का खतरा है, क्योंकि उनकी घटती सामाजिक और आर्थिक सौदेबाजी की शक्ति अकसर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर बनाती है। 45 वर्ष से अधिक आयु के 6% भारतीयों ने घर में अपर्याप्त भोजन का अनुभव किया है जिसके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है। ● **लैंगिक समस्या:** जैसे-जैसे जनसंख्या का वृद्ध भाग बढ़ता है, वृद्ध वयस्क महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होगी। वर्ष 2050 तक 80 वर्ष की आयु में महिलाएं भारत की जनसंख्या का 56% होंगी। ○ जीवन प्रत्याशा में अंतर के कारण, ज्यादा महिलाएं अपने जीवन के बाद के चरणों में विधवा के रूप में रहेंगी। ऐतिहासिक रूप से, विधवापन भारत में सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा के निकटता से जुड़ा है। ○ वृद्ध महिलाएं कम सशक्त होंगी, सामाजिक असुरक्षा के प्रति संवेदनशील होंगी और पुराने एवं तीव्र स्वास्थ्य विकारों दोनों के अधिक जोखिम में होंगी। ● **सामाजिक सुरक्षा फोकस के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता:** भारत को अपने सामाजिक-सुरक्षा फोकस का पुनर्मूल्यांकन करने और वृद्ध वयस्कों की बढ़ती संख्या को स्वास्थ्य देखभाल, आय-सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा-नेट तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए निवेश करने की आवश्यकता होगी। **आगे की राह** ● **भारत को एक साथ दो लक्ष्यों की ओर बढ़ने की जरूरत होना :** लंबे समय में एक स्वस्थ और सशक्त आबादी के निर्माण के लिए आज के युवाओं में निवेश करना, और वृद्ध वयस्कों के लिए तत्काल लाभ प्रदान करने के लिए एक अधिक संरक्षित मंच बनाना। ● ऐसा करके, भारत "स्वस्थ बुढ़ापा" पा सकता है और उस वक्र को समतल कर सकता है जहां उम्र के साथ रोग, विकलांगता और अशक्तता जमा होती है। ● युवा श्रमिकों के बीच स्वस्थ निवेश व्यवहार को बढ़ावा देने से बाद की उम्र में आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। ● स्वस्थ जीवन प्रथाओं के लिए लक्षित व्यवहार-परिवर्तन संचार युवाओं को स्वस्थ होने में सक्षम बनाएगा। ● आशा कार्यकर्ताओं के मॉडल की नकल करना, और वृद्धावस्था और उसके रोगों से संबद्ध चिकित्साशास्त्र की शाखा (geriatrics) की पहली पंक्ति की देखभाल में प्रशिक्षित स्वास्थ्य आउटरीच कार्यकर्ताओं का एक कैडर बनाना मददगार होगा। ● वृद्धावस्था के नकारात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अंत होना चाहिए। ● सरकारी नीतियों को वृद्ध वयस्कों को आर्थिक रूप से उत्पादक बनाए रखने के लिए सक्रिय उम्र बढ़ावा देने के लक्ष्य के इर्द-गिर्द एकजुट होना चाहिए। ● वरिष्ठ कार्यबल की भागीदारी एक अतिरिक्त लाभ हो सकती है जब वृद्ध वयस्क युवा ऊर्जा को अनुकूलित करने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान को कार्यस्थल पर लाते हैं। ● आगे बढ़ते हुए, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा और समग्र कल्याण के लिए लैंगिक दृष्टिकोण में एक नया आयाम शामिल होना चाहिए। ● भारत को अपनी वृद्धावस्था पेंशन हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 1% है।
निजीकरण नीति पर पुन: विचार करने का समय (Time to relook at the Privatisation Policy)	**संदर्भ:** नीति निर्माताओं के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (public sector undertakings-PSU) के निजीकरण के लिए नव-उदार विश्व व्यवस्था में, तेजी से बढ़ने की क्षमता हेतु आम सहमति है। **क्या है निजीकरण की यथार्थ?** ● **निजीकृत फर्मों के प्रदर्शन की गारंटी न होना :** स्वायत्तता वाले सार्वजनिक उपक्रमों और निजी फर्मों के बीच विकास (और सेवा) में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। ○ उदाहरण के लिए: अध्ययनों से पता चला है कि ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश गैस और रेलवे की प्रसिद्ध

ब्रिटिश निजीकरण पहल ने प्रदर्शन में कोई व्यवस्थित अंतर नहीं किया।

  - विकासशील देशों में निजीकरण के बाद प्रदर्शन पर साक्ष्य और भी मिश्रित हैं।

- **प्रदर्शनअन्य कारकों के कारण होना :** निजीकरण के बाद की वृद्धि अक्सर कई कारकों के कारण होती है (उदाहरण के लिए, एक निजी प्रमोटर के तहत बेहतर वित्त पोषण बनाम एक सूखे सरकारी बजट, एक बेहतर व्यापार चक्र)। कभी-कभी, पीएसयू के प्रदर्शन में अंतर केवल सरकारी उदासीनता का होता है।
- **राजस्व की कम प्राप्ति होना :** एक राजस्व स्रोत के रूप में निजीकरण ने विनिवेश से वास्तविक प्राप्तियों के साथ मामूली प्रतिफल की पेशकश की है जो हमेशा लक्ष्य से काफी कम होता है। उदाहरण के लिए, FY11 में, ₹40,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹22,846 करोड़ जुटाए गए; FY20 तक, ₹1 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹50,304 करोड़ जुटाए गए।
  - कुल मिलाकर, FY11 और FY21 के बीच, लगभग ₹5 लाख करोड़ जुटाए गए थे (अर्थात, केवल FY22 के अनुमानित वित्तीय घाटे का लगभग 33% ₹15.06 लाख करोड़।)
- भारत में एकमुश्त निजीकरण के परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। एयर इंडिया के अलावा, हाल ही में लगभग 21 तेल और गैस ब्लॉकों की नीलामी में केवल तीन फर्मो ने भाग लिया था, जिनमें से 18 ब्लॉक केवल एक बोली के साथ समाप्त हुए दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे।
- **मूल्यांकन की चुनौती** : उदाहरण हेतु लगभग 300 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से लगभग 65% महत्वपूर्ण टोल संग्रह वृद्धि दर्ज कर रहे हैं (>15%, क्योंकि वे परिचालन में हैं); ऐसी संपत्तियों के किसी भी मूल्यांकन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि वे टोल राजस्व में संभावित वृद्धि पर कब्जा कर लें।
- **सामाजिक परिणाम:** अतीत में पीएसयू रोजगार के महत्वपूर्ण उत्पादक रहे हैं, गुणक प्रभावों के साथ वर्ष 2018 में लगभग 348 सीपीएसयू अस्तित्व में थे, जिसमें कुल निवेश ₹16.4 ट्रिलियन था और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (2019 में) में लगभग 10.3 लाख कर्मचारी थे। कम रोजगार सृजन की अवधि में, निजीकरण के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी एक धक्का है।
- **चुनिंदा निजी हाथों में सार्वजनिक संपत्ति की एकाग्रता:** भारत में, वित्त वर्ष 2010 में कॉर्पोरेट क्षेत्र में उत्पन्न सभी मुनाफे का लगभग 70% केवल 20 फर्मों के पास था। सभी क्षेत्रों में कुलीन वर्ग उभर रहा है। सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के साथ मिश्रित इस तरह की एकाग्रता से उच्च उपयोग शुल्क (पहले से ही दूरसंचार में देखा जा रहा है) और मुद्रास्फीति के साथ-साथ रणनीतिक नियंत्रण का नुकसान होने की संभावना है।

क्या निजीकरण के लिए कोई वैकल्पिक मॉडल हैं?

1. मारुति मॉडल

- सरकार का सुज़ुकी कॉर्पोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम था, लेकिन सुज़ुकी के पास केवल 26% शेयरधारिता होने के बावजूद नियंत्रण छोड़ दिया। सरकार के लिए बेहतर मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए मारुति से छोटी किश्तों में निकासी की गई।
- अनुभवजन्य साक्ष्य (Empirical evidence) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हिस्सेदारी बिक्री को एक पसंदीदा मार्ग माना जाता है (1977 और 2000 के बीच लगभग 108 देशों में सभी पीएसयू बिक्री का लगभग 67% इस मार्ग के माध्यम से आयोजित किया गया था), क्योंकि यह मूल्य की खोज को सुनिश्चित करने के लिए समय देता है, जिससे मूल्यांकन बढ़ाने के लिए बेहतर प्रदर्शन की अनुमति मिलती है।

2. होल्डिंग कंपनी के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का निगमीकरण

- चीन में, पिछले कुछ दशकों से, विकास का नेतृत्व निगमीकृत सार्वजनिक उपक्रमों ने किया है, ये सभी एक होल्डिंग कंपनी (एसएएसएसी) के अधीन हैं, जो बेहतर शासन को बढ़ावा देती है, नेतृत्व की नियुक्ति करती है और विलय एवं अधिग्रहण को क्रियान्वित करती है।
- सिंगापुर में, वित्त मंत्रालय नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि टेमासेक (होल्डिंग फर्म) वैश्विक स्तर पर अपने सार्वजनिक उपक्रमों (उदाहरण के लिए, सिंगटेल, पीएसए, सिंगापुर पावर, सिंगापुर एयरलाइंस) के निगमीकरण और विस्तार पर केंद्रित है।
- एक होल्डिंग फर्म के माध्यम से सरकार के नियंत्रण के साथ अधिक स्वायत्तता वाला एक सार्वजनिक उपक्रम भी सही प्रोत्साहन के अधीन हो सकता है।

निष्कर्ष

	निजीकरण पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। केवल इस मार्ग पर चलते हुए, चुनाव चक्र में ऋण माफी या लोकलुभावन उपहारों के उपयोग करने से काम नहीं चलेगा। तत्काल राजस्व की तलाश आम भारतीय के दीर्घकालिक हितों पर हावी नहीं होनी चाहिए।

भारतीय कृषि को बदलने के लिए एक एमएसपी योजना (An MSP scheme to transform Indian agriculture)	**संदर्भ:** हाल के किसान आंदोलन में देखी गई व्यापक एकजुटता (गहरी विभाजनकारी सामाजिक दोष रेखाओं के बावजूद) ने देश को कृषि क्षेत्र में व्याप्त संकट के बारे में जागृत किया है।
	एमएसपी किस उद्देश्य की पूर्ति करता है?
	सिद्धांत रूप से एमएसपी तीन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है -
	● खाद्यान्न बाजार में मूल्य स्थिरीकरण
	● किसानों को आय सहायता
	● किसानों की ऋणग्रस्तता से निपटने के लिए एक तंत्र
	पिछले कुछ वर्षों में मूल्य स्थिरीकरण नीति कैसे विकसित हुई है?
	● भारत में खाद्यान्न के लिए मूल्य स्थिरीकरण नीति समय के साथ विकसित हुई, पहले 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ सट्टा निजी व्यापार और फिर 1960 के दशक में एमएसपी के कारण मूल्य वृद्धि का मुकाबला हेतु।
	● बाजार के हस्तक्षेप के लिए खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के साथ एक बफर स्टॉक नीति विकसित की गई थी जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से बिक्री के लिए खरीदे गए अधिशेष को निर्गम मूल्य पर संग्रहीत करना और आवश्यक समझे जाने पर मूल्य को स्थिर करने के लिए बाजार हस्तक्षेप करना शामिल था।
	● इस कार्य के लिए अधिक केंद्रीकृत निवेश और नियंत्रण के साथ खरीद, भंडारण एवं वितरण को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है।
	● नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, यह किसानों को हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के फसल पैटर्न में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया।
	उपरोक्त नीतियों के क्या परिणाम हुए हैं?
	● हरित क्रांति की अवधि से खरीद और पीडीएस ने चावल और गेहूं के लिए सुनिश्चित मूल्य प्रोत्साहन प्रदान किया, लेकिन बाजरा, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन सहित एमएसपी के लिए चर्चा के लिए 20 फसलों को छोड़ दिया।
	● परिणामस्वरूप, इस आंशिक एमएसपी कवरेज ने कई मोटे अनाजों और बाजरा के मुकाबले विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल पैटर्न को तिरछा कर दिया।
	    ○ हरित क्रांति के समय से हाल तक, चावल की खेती का क्षेत्र 30 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 44 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जबकि गेहूं के तहत 90 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 31 मिलियन हेक्टेयर हो गया।
	    ○ हालांकि, मोटे अनाज की खेती का क्षेत्र 37 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया।
	● परिणामस्वरूप, ये बची हुई फसलें (ज्यादातर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती हैं) राशन की दुकानों में उपलब्ध नहीं कराई गईं, जिससे लोगों की पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई।
	    ○ लगभग 68% भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है और इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें आमतौर पर अधिक सूखा प्रतिरोधी, पौष्टिक और गरीब निर्वाह किसानों के आहार में मुख्य होती हैं।
	● इस तरह का शासन सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डाला क्योंकि बाजार मूल्य से नीचे बेचने के लिए सब्सिडी वाली कुल आर्थिक लागत लगभग 3 लाख करोड़ रुपये होगी।
	एमएसपी में सुधार के लिए क्या उपाय किए जाने की जरूरत है?
	● **व्यापक एमएसपी:** एमएसपी के तहत सभी 23 फसलों का अधिक कवरेज, वर्षा आधारित क्षेत्रों में सबसे गरीब किसानों को खाद्य सुरक्षा और आय सहायता दोनों में सुधार करने का एक बेहतर तरीका है।
	● **मूल्य बैंड:** यदि फसल की स्थिति के अनुसार मूल्य पर एक सीमा निर्धारित की जाती है तो कुल आर्थिक लागत एक मूल्य "बैंड" के भीतर रहेगी।
	    ○ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चयनित मोटे अनाजों की कीमत

	अपर बैंड के अनुसार तय की जा सकती है। ● **बैंक ऋण:** कृषि ऋण की आवर्ती समस्या में एक वास्तविक सफलता एमएसपी के तहत अनाज की बिक्री को विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए बैंक ऋण के प्रावधान से जोड़कर बनाई जा सकती है। ○ किसान एमएसपी पर अनाज बेचने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है जो कि बेची गई राशि के अनुपात में क्रेडिट पॉइंट होगा और यह उन्हें बैंक ऋण के लिए पात्र बना सकता है। ● कार्यान्वयन एजेंसियों का विकेंद्रीकरण: एमएसपी योजना को पंचायतों के संवैधानिक रूप से अनिवार्य पर्यवेक्षण के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के विकेंद्रीकरण पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। **बढ़े हुए एमएसपी के मामले में सरकार के लिए अतिरिक्त लागत क्या होगी?** ● ● एमएसपी के अंतर्गत खरीदा गया अनाज, कुल उत्पादित अनाज का 45-50% ही रहता है, शेष अनाज किसान अपने स्व-उपभोग के लिए रखता है। ● ● यह विपणन अधिशेष कुल खरीद लागत की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है, जिसमें से पीडीएस के माध्यम से वसूल किए गए शुद्ध राजस्व में से कटौती की जानी चाहिए (यदि ये सभी फसलें राशन की दुकानों के माध्यम से बेची जाती हैं)। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इसे 5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ● यह एक बड़ी राशि नहीं है, यह देखते हुए कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों (जनसंख्या के 5% से कम) के लिए डीए के समान परिमाण का है। ● मुट्ठी भर औद्योगिक घरानों (₹3 लाख करोड़) के लिए बजट में घोषित आय से अतिरिक्त राशि का दोहन किया जा सकता है। ● एमएसपी पर बढ़े हुए खर्च आधी से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा और असंगठित क्षेत्र की अन्य 20% -25% आबादी को अप्रत्यक्ष रूप से भारत के 70% से अधिक नागरिकों को लाभ होगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● एमएसपी का आधार ● अधिशेष के युग में एमएसपी ● पिछले कुछ वर्षों में कृषि-विपणन नीति कैसे बदली है ● नए कृषि अधिनियम और इसका विरोध ● कृषि कानूनों का निरसन ● एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (Credit Rating agencies)	**संदर्भ:** हाल ही में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत को सबसे अधिक ऋणग्रस्त उभरता बाजार करार दिया और यह दावा किया कि नए बजट ने राजकोषीय समेकन योजनाओं पर स्पष्टता प्रदान नहीं की। ● इसके जवाब में वित्त सचिव ने उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करते समय रेटिंग एजेंसियों पर "दोहरे मानकों" का आरोप लगाया। **रेटिंग एजेंसियों ने क्या कहा?** ● रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा था कि हाल के केंद्रीय बजट में मध्यम अवधि के समेकन योजनाओं पर उच्च घाटे और स्पष्टता की निरंतर कमी देश के ऋण / जीडीपी में नीचे की ओर प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगाने के लिए तर्क था। ● रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, "विकास के संभावित झटके का जवाब देने के लिए सरकार के पास अपने मौजूदा स्तर पर बहुत कम वित्तीय हेडरूम है।" ● एक अन्य एजेंसी, मूडीज ने कहा कि केंद्रीय बजट विकासोन्मुखी था, कई जारीकर्ताओं के लिए ऋण सकारात्मक था लेकिन बजटीय प्रावधानों ने राजकोषीय चुनौतियों का सामना किया। इसमें कहा गया है कि पूंजीगत व्यय पर ध्यान दें, इसने निकट अवधि के विकास का समर्थन किया लेकिन दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन को चुनौती दी। इसके अतिरिक्त, बजट ने केंद्र सरकार के घाटे में केवल मामूली कमी का अनुमान लगाया। **रेटिंग एजेंसी क्या है?** ● रेटिंग एजेंसियां किसी इक्विटी, ऋण या देश की साख योग्यता (Creditworthiness) या क्षमता का आकलन करती हैं।

- किसी विशेष देश या उस भूगोल में कंपनियों में निवेश करने या न करने के बारे में एक सूचित निर्णय लिया जा सके।
- वे आकलन करते हैं कि क्या कोई देश, इक्विटी या ऋण वित्तीय रूप से स्थिर है और क्या यह कम/उच्च डिफ़ॉल्ट जोखिम पर है। सरल शब्दों में, इन रिपोर्टों से निवेशकों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि क्या उन्हें अपने निवेश पर प्रतिफल मिलेगा।
- एजेंसियां समय-समय पर नए विकास (उदाहरण के लिए, कोरोनावायरस महामारी या एक भूगोल-विशिष्ट जलवायु परिवर्तन), भू-राजनीतिक घटनाओं या संबंधित इकाई द्वारा एक महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणा के बाद पहले से निर्दिष्ट रेटिंग का पुनर्मूल्यांकन करती हैं।
- उनकी रिपोर्ट वित्तीय और दैनिक समाचार पत्रों में बेची और प्रकाशित की जाती है।

वे किस ग्रेडिंग पैटर्न का पालन करते हैं?

- इस समय रेटिंग की दुनिया में तीन बड़े नाम हैं- स्टैंडर्ड एंड पूअर, मूडीज़ और फिच। लगभग 95 प्रतिशत बाज़ार पर इनका कब्ज़ा है तथा ये एजेंसियाँ विस्तारवादी विपणन का उपयोग करती हैं।
- स्टैंडर्ड एंड पूअर ने अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक उच्च क्षमता वाले देशों, इक्विटी या ऋण के लिए अपना उच्चतम ग्रेड, यानी एएए, प्रदान किया है।
    - इसका निम्नतम ग्रेड 'डी' है, जो उन संस्थाओं को दिया जाता है जिनमें भुगतान में चूक या किसी लगाए गए वादे के उल्लंघन की उच्च संभावना होती है।
    - इसके ग्रेडिंग स्लैब में अक्षर A, B और C शामिल होते हैं जिनमें एक एकल या दोहरा अक्षर एक उच्च ग्रेड को दर्शाता है।
- मूडीज रेटिंग्स को छोटी और लंबी अवधि की परिभाषाओं में विभाजित करता है। पूर्व में तेरह महीने या उससे कम समय में परिपक्व होने वाले दायित्व शामिल हैं जबकि बाद में ग्यारह महीने या उससे अधिक में परिपक्व होने वाले दायित्व शामिल हैं।
    - इसकी लंबी अवधि की ग्रेडिंग Aaa से C तक होती है, जिसमें Aaa सबसे ज्यादा होती है। उत्तराधिकार पैटर्न S & P के समान है।
    - ल्पकालिक रेटिंग पैमाना P-1 से NP तक होता है, जिसमें P-1 उच्चतम होता है।
- फिच भी, एएए से डी तक की दरें, जिसमें डी सबसे कम है। यह मूडीज और फिच के समान उत्तराधिकार योजना का अनुसरण करता है।
- फिच भी, AAA से D तक की दरें, जिसमें डी सबसे कम है। यह मूडीज और फिच के समान उत्तराधिकार योजना का अनुसरण करता है।

क्या देश इन रेटिंग एजेंसियों पर ध्यान देते हैं?

- किसी देश की कम रेटिंग संभावित रूप से किसी विदेशी निवेशक द्वारा निवेश को बेचने या बेचने में घबराहट का कारण बन सकती है।
- वर्ष 2013 में, यूरोपीय संघ ने एजेंसियों को विनियमित करने का विकल्प चुना। क्रेडिट रेटिंग पर अधिक निर्भरता निवेशकों के लिए क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन के लिए अपनी क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहन को कम कर सकती है।
- सितंबर 2021 में, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने मूडीज इन्वेस्टर सर्विस से भारत की रेटिंग को अपग्रेड करने की सिफारिश की थी। मूडीज ने जून 2020 में भारत की रेटिंग को Baa3 से घटा दिया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सबसे कम निवेश ग्रेड लंबे समय तक आर्थिक मंदी और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के कारण दिया गया था।
- नवंबर में, फिच ने BBB- पर भारत की रेटिंग की पुष्टि की थी।

रेटिंग एजेंसियों की आलोचना

- लोकप्रिय रेटिंग एजेंसियां सार्वजनिक रूप से अपनी कार्यप्रणाली को प्रकट करती हैं, जो किसी देश द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा पर आधारित होती है, ताकि उनके अनुमानों को विश्वसनीयता प्रदान की जा सके।
- हालांकि, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय संकट को बढ़ावा देने के लिए गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा, जो 2017 में शुरू हुआ। उन पर पद्धति संबंधी त्रुटियों और कई मामलों में

हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे।

- क्रेडिट रेटिंग पर अधिक निर्भरता निवेशकों के लिए क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन के लिए अपनी क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहन को कम कर सकती है।
- तीन एजेंसियों (अर्थात् फिच, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स) के वर्चस्व से अक्सर क्रेडिट रेटिंग में विकृति आती है।

हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट: FAO-WFP

संदर्भ: हाल ही में 'हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट-Hunger Hotspots Report' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह चेतावनी दी गयी है कि, 20 देशों में लाखों परिवारों पर अकाल का संकट मंडरा रहा है।

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इथियोपिया, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, उत्तरी नाइजीरिया और यमन में अकाल और मौतों को रोकने के लिए तत्काल लक्षित मानवीय कार्रवाई महत्वपूर्ण है।
- तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे 20 देशों की सूची में यमन, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया शीर्ष स्थान पर है।
- इथियोपिया और मेडागास्कर विश्व के सबसे नए "उच्चतम अलर्ट" भूख वाले हॉटस्पॉट हैं।

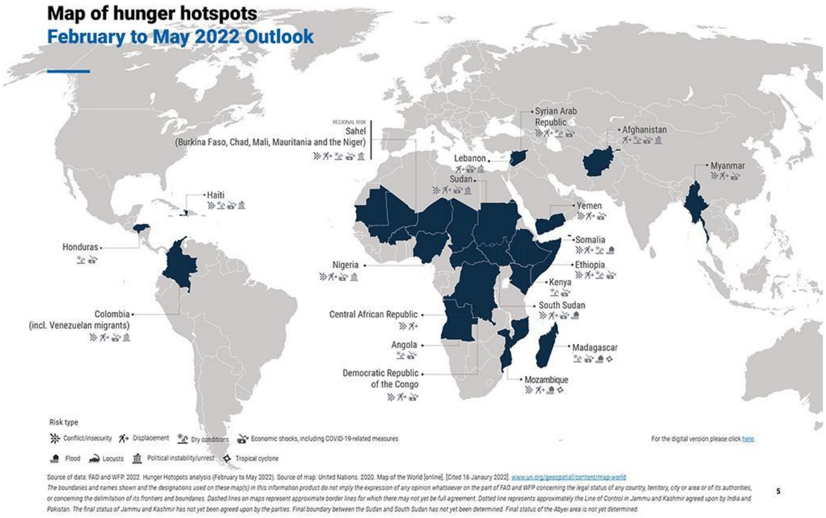

सूखा (Famine)

IPC ने अकाल को भोजन के अत्यधिक अभाव के रूप में परिभाषित किया। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें

- एक क्षेत्र में कम से कम 20 प्रतिशत परिवार भोजन की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं
- कम से कम 30 प्रतिशत बच्चे तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं और
- एकमुश्त भुखमरी या कुपोषण और बीमारी की परस्पर क्रिया के कारण प्रतिदिन मरने वाले प्रत्येक 10,000 लोगों में से 2 लोग है।

क्षेत्र के हिसाब से

- संघर्ष प्रभावित उत्तरी नाइजीरिया और विशेष रूप से बोर्नो राज्य में कम से कम 13,550 लोग जून से अगस्त 2022 तक विनाशकारी खाद्य असुरक्षा (आईपीसी चरण 5) का सामना कर सकते हैं यदि पर्याप्त मानवीय और लचीलापन-निर्माण सहायता प्रदान नहीं की जाती है।
- मार्च 2022 तक अफ़ग़ानिस्तान में कुल 8.7 मिलियन लोगों के गंभीर खाद्य असुरक्षा (आईपीसी चरण 4) के गंभीर स्तरों में जाने की उम्मीद है। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।

खाद्य असुरक्षा के चालक

आउटलुक अवधि के दौरान इन हॉटस्पॉट्स में तीव्र खाद्य असुरक्षा के पीछे कारकों का एक संयोजन है जैसे:

- संगठित हिंसा और संघर्ष (Organized violence and conflict) : म्यांमार, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मध्य साहेल, सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया, इथियोपिया, नाइजीरिया और मोजाम्बिक के उत्तरी हिस्सों में, संघर्ष की स्थितियों के कारण लोगों को अपनी जमीन, घर और नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- COVID-19 के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित रहेगी।

चरम मौसम की स्थिति

- भारी बारिश, उष्णकटिबंधीय तूफान, तूफान, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तनशीलता जैसे मौसम की चरम सीमा
- चरम जलवायु परिस्थितियों और ला नीना का प्रभाव अप्रैल और मई में भी जारी रहेगा एवं दुनिया के कई कई हिस्सों (अफगानिस्तान, मेडागास्कर से लेकर अफ्रीका के हॉर्न तक) में भुखमरी की समस्या बढ़ेगी।
    - खाद्य सुरक्षा पर जलवायु चरम सीमाओं का प्रभाव हैती, पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र बडघिज़्म में देखा गया।
- पशु और पौधों के कीट एवं रोग
- **खराब मानवीय पहुंच:** मानवीय पहुंच विभिन्न तरीकों से सीमित है, जिसमें प्रशासनिक/नौकरशाही बाधाएं, आंदोलन प्रतिबंध, सुरक्षा बाधाएं और पर्यावरण से संबंधित भौतिक बाधाएं शामिल हैं।

भारत में क्या हो रहा है?

महामारी के दौरान भारत की खाद्य प्रणाली कैसे काम करती थी?

- COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान, FAO, IFAD और WFP ने आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार के अधिकार प्राप्त समूह 5 का समर्थन करने हेतु निकट समन्वय में काम किया, इसलिए आवश्यक वस्तुएं जैसे कि भोजन और दवाएं उपलब्ध थीं।
- पिछले कुछ दशकों में, भारत एक सही आयातक से खाद्यान्न का सही निर्यातक बन गया है। यह मजबूती महामारी के माध्यम से स्पष्ट हुई है।
- अप्रैल से जून 2020 के दौरान, केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत के बड़े घरेलू खाद्यान्न भंडार से लगभग 23 मिलियन टन वितरित करने में सक्षम थीं।
- सरकार ने अप्रैल से नवंबर 2020 तक 820 मिलियन लोगों के लिए खाद्य-पदार्थ सफलतापूर्वक जुटाया, जिसमें 90 मिलियन स्कूली बच्चों को खाद्य-पदार्थ प्रदान करने के लिए वैकल्पिक समाधान खोजना शामिल है।
- महामारी के शुरुआती दिनों में, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने के प्रयास किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि गतिविधियां बाधित न हों।
- नतीजतन, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कृषि में 3.4% की वृद्धि हुई और इस खरीफ की खेती का क्षेत्र 110 मिलियन हेक्टेयर से अधिक हो गया।

भारत के सामने चुनौतियां

- **कुपोषितों की अधिक संख्या:** व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-18 से पता चला है कि 4 करोड़ से अधिक बच्चे लंबे समय से कुपोषित हैं, और 15-49 वर्ष की आयु की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं एनीमिक (anaemic) से ग्रस्त हैं।
- जलवायु परिवर्तन कृषि जैव विविधता के लिए एक वास्तविक और प्रबल खतरा बना हुआ है, जो खाद्य और कृषि प्रणालियों में उत्पादकता से लेकर आजीविका तक सब कुछ प्रभावित करेगा।
- **छोटी भूमि का आकार:** रसायनों के अत्यधिक उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के साथ गहन खाद्य उत्पादन प्रणाली के कारण मिट्टी का क्षरण होता है, भूजल तालिका का तेजी से क्षरण होता है और कृषि-जैव विविधता का तेजी से नुकसान होता है। ये चुनौतियाँ जोत के विखंडन में वृद्धि के साथ कई गुना बढ़ जाती हैं।

भारत के लिए आगे की राह और सीख

- जिस तरह से हम भोजन का उत्पादन करते हैं, उसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि पारिस्थितिकी और सतत उत्पादन प्रथाओं के माध्यम से बदलना चाहिए
- भारत को कचरा रोकना होगा - हमारे द्वारा उत्पादित भोजन का एक तिहाई बर्बाद हो जाता है।
- COVID-19 और अब नई वास्तविकता वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नवीन समाधानों को अपनाने का अवसर है ताकि वे बेहतर तरीके से निर्माण कर सकें और खाद्य प्रणालियों को अधिक लचीला और टिकाऊ बना सकें।
- **हर कोई (Everybody)** - सरकारें, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और स्थानीय समुदाय - हमारी खाद्य प्रणालियों को बदलने में भूमिका निभाते हैं ताकि वे बढ़ती अस्थिरता और जलवायु झटके का सामना कर सकें।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. खाद्य सुरक्षा की अवधारणा की चर्चा कीजिए। विश्व खाद्य समस्या के कारणों का भी परीक्षण कीजिए।

2. पर्याप्त खाद्य भंडार होने के बावजूद भूख और कुपोषण को दूर करने में भारत के निम्न प्रदर्शन में योगदान करने वाले कारक क्या हैं? की जांच कीजिए।

	3. कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और कार्यक्रम जो अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाने के लिए काम करते हैं। क्या आप उनमें से कम से कम तीन पर चर्चा कर सकते हैं? इसके अलावा, उनके जनादेश और उद्देश्यों पर चर्चा करें।

पर्यावरण

<table>
<tr>
<td>पर्यावरण मंजूरी की हमारी टूटी हुई प्रणाली</td>
<td>
संदर्भ: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने घोषणा की है कि वह सात अलग-अलग मानदंडों के आधार पर राज्य के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों को रैंक करेगा, जो उनकी दक्षता को प्रदर्शित करेगा/जिस गति से पर्यावरणीय अनुमोदन दिए जाते हैं। इसे हर तरफ से आलोचना मिली, जिसके कारण मंत्रालय को कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ा -
• इस कदम का उद्देश्य किसी भी नियामक सुरक्षा उपायों को कम किए बिना SEIAAs के कामकाज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है।
• SEIAAs बुनियादी ढाँचे, विकासात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं के एक बड़े हिस्से के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और लोगों पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव का आकलन करने और इस प्रभाव को कम करने का प्रयास करना है।
• मंत्रालय ने ईसी (पर्यावरण मंजूरी) प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और मंजूरी देने में लगने वाले अनुचित समय को कम करने के लिए कई पहल की हैं। एक कदम के रूप में SEIAAs के कामकाज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए SEIAAs की नई रेटिंग शुरू की गई है।
इसे बैकलैश का सामना क्यों करना पड़ा?
• पर्यावरण संरक्षण में नियामक निरीक्षण की भूमिका को कम करता है - जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों में मान्यता प्राप्त है।
• रैंकिंग अभ्यास पर्यावरण पर औद्योगिक, अचल संपत्ति और खनन योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए SEIAAs के जनादेश से समझौता करेगा।
ऐसे उदाहरण जहां मंत्रालय ने प्रमुख पर्यावरण विनियमों से किनारा कर लिया है
• 2022 से 2025 तक अधिकांश थर्मल पावर प्लांटों के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दी गई पारिस्थितिक सुरक्षा को कम करने की योजना बनाई।
• तटीय क्षेत्र अधिसूचना को कम किया और "रणनीतिक महत्व" के क्षेत्रों में ढांचागत परियोजनाओं के लिए वनों के उपयोग की अनुमति देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया।
• दी गई छूट में थर्मल पावर प्लांट, लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए कोयला, खनिज और साधारण मिट्टी का निर्माण और खनन शामिल है।
अन्य चुनौतियां
• अपर्याप्त क्षमताएं: प्रशिक्षित ईआईए पेशेवरों की कमी अक्सर अपर्याप्त और अप्रासंगिक ईआईए रिपोर्ट तैयार करने की ओर ले जाती है।
• सार्वजनिक परामर्श: प्रारंभिक चरण में सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार नहीं किया जाता है, जो अक्सर परियोजना मंजूरी के बाद के चरण में संघर्ष का कारण बनता है।
• स्वदेशी ज्ञान की उपेक्षा: डेटा संग्रहकर्ता स्थानीय लोगों के स्वदेशी ज्ञान का सम्मान नहीं करते हैं।
• संचार मुद्दे: अधिकांश रिपोर्ट अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा में नहीं। इसलिए, स्थानीय लोग रिपोर्ट की पेचीदगियों को नहीं समझते हैं।
• खराब समीक्षा या निगरानी: ईआईए समीक्षा सही नहीं है। इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी (IAA) नामक समीक्षा एजेंसी में अंतर-अनुशासनात्मक क्षमता का अभाव है।
• भ्रष्टाचार: धोखाधड़ी वाले ईआईए अध्ययनों के बहुत सारे मामले हैं जहां गलत डेटा का इस्तेमाल किया गया है, एक ही तथ्य दो पूरी तरह से अलग-अलग जगहों के लिए इस्तेमाल किया गया है।
• विकृत फोकस: ईआईए का फोकस प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दोहन से हटकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित होना चाहिए।
• छूट श्रेणियाँ: रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए, ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन योजना) को अक्सर राजनीतिक
</td>
</tr>
</table>

और प्रशासनिक कारणों से गोपनीय रखा जाता है।

- व्यापार करने में आसानी के लिए बाधा के रूप में माना जाता है: उद्योग और व्यावसायिक हितों ने लंबे समय से ईआईए को अपने पक्ष में एक कांटा के रूप में माना है जिससे उनकी लेनदेन लागत बढ़ रही है और व्यापार प्रक्रिया जटिल हो गई है।

निष्कर्ष

ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन भारत के बड़े हिस्से की पारिस्थितिक नाजुकता को घर ले जा रहा है और प्रदूषण एवं पानी की कमी शहरों, कस्बों और गांवों में लोगों की भलाई पर गंभीर असर डाल रही है, नियामक निकायों को अपने प्रदर्शन के लिए सक्षम नीतियों की आवश्यकता है। केंद्र को अपने कदम पर पुनर्विचार करना चाहिए।

ध्यान देना :

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)

- यूएनईपी ईआईए को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित करता है जिसका उपयोग निर्णय लेने से पहले किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
- **इसका उद्देश्य**
  - o यह योजना और डिजाइन में प्रारंभिक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना,
  - o प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीके और साधन खोजें,
  - o स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को आकार देना और
  - o निर्णयकर्ताओं को भविष्यवाणियां और विकल्प प्रस्तुत करना।
- ईआईए का उपयोग करके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे परियोजना कार्यान्वयन और डिजाइन की कम लागत तथा समय, उपचार/सफाई लागत और कानूनों और विनियमों के प्रभावों से बचना।
- भारत में ईआईए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित है जिसमें ईआईए पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।
- इसका मूल्यांकन एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के पीछे दर्शन क्या है?

- ईआईए के लिए वैश्विक पर्यावरण कानून का आधार "एहतियाती सिद्धांत" है। पर्यावरणीय नुकसान अक्सर अपूरणीय होता है - कोई भी तेल रिसाव को उलट नहीं सकता है।
- पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए उपाय करने की तुलना में यह सस्ता है।
- साथ ही, हम अंतरराष्ट्रीय संधियों और दायित्वों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के तहत एहतियाती सिद्धांत के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

भारत में ईआईए का इतिहास

- भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता सर्वप्रथम वर्ष 1976-77 में तब महसूस की गई, जब 'योजना आयोग' (वर्तमान नीति आयोग) ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नदी-घाटी परियोजनाओं की पर्यावरणीय दृष्टि से जाँच करने को कहा।
- पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1994 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (वर्तमान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा प्रख्यापित की गई थी।
- इस अधिसूचना के माध्यम से किसी भी निर्माण गतिविधि के विस्तार या आधुनिकीकरण या अधिसूचना की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं की स्थापना के लिये पर्यावरण मंज़ूरी (EC) को अनिवार्य बना दिया गया।
- भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थन प्राप्त है, जिसमें आकलन की पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।
- तब से 1994 की ईआईए अधिसूचना में 12 संशोधन किए गए हैं, नए अपडेट 2006 में किया गया है, जिसने परियोजना के आकार/क्षमता के आधार पर राज्य सरकार पर परियोजनाओं को मंजूरी देने की जिम्मेदारी डाल दी है।
- इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक और एडीबी जैसी भारत में कार्यरत दाता एजेंसियों के पास उनके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए आवश्यकताओं का एक अलग सेट है।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? क्या ईआईए भारत में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का केंद्र है? की जांच कीजिए।

एक हरित, लचीले और समावेशी विकास के लिए राह तय करना

संदर्भ: 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के दशक में विकासशील देशों में ढांचागत कमज़ोरियों को बढ़ते हुए देखा गया था। कोविड-19 की महामारी और जलवायु परिवर्तन, बढ़ती ग़रीबी और असमानता ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है।

- विकासशील देशों की इन कमज़ोरियों में घटता निवेश, उत्पादकता, रोज़गार और ग़रीबी घटाने की कमज़ोर होती कोशिशें; बढ़ता क़र्ज़; और क़ुदरती पूंजी की तबाही की रफ़्तार का तेज़ होना शामिल है।
- इस महामारी ने पहले ही दस करोड़ से ज़्यादा लोगों को भयंकर ग़रीबी और असमानता की तरफ़ धकेल दिया है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, साल 2030 तक 130 करोड़ और लोगों को भयंकर ग़रीबी की ओर धकेल देगा।

कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन ने इस धरती, अर्थव्यवस्था और इस पर आबाद इंसानियत की एक दूसरे पर निर्भरता को साफ़ तौर पर उजागर कर दिया है। सभी आर्थिक गतिविधियां, इकोसिस्टम की सेवाओं पर आधारित हैं। ऐसे में ये सेवाएं देने वाले क़ुदरती संसाधन कम होंगे, तो निश्चित रूप से इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा।

रिकवरी पैकेज

आज दुनिया के सामने जो जटिल चुनौतियां हैं, और इसकी संरचना में जो कमज़ोरियां सामने आई हैं, उनसे निपटने और आर्थिक विकास को पहले जैसे पटरी पर लाने वाला कोई ऐसा रिकवरी पैकेज लाया जाता है, जिसमें क़ुदरती संसाधनों और आर्थिक गतिविधियों के बीच के इस नाज़ुक रिश्ते को पर्याप्त रूप से तवज्जो नहीं दी जाती है, तो आने वाला दशक भी विकास के हाथ से निकल गए मौक़ों वाला साबित होगा।

- सामाजिक आर्थिक, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधिता की चुनौतियों से एक साथ निपटने के बजाय इन्हें अलग अलग करके देखेंगे, तो हमारी कोशिशों का असर कम होगा। क्योंकि, ये समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
- अगर हम विकास के मौजूदा तौर तरीक़ों पर अमल करते रहे, तो हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट से जुड़ी बुनियादी कमज़ोरियां दूर नहीं होंगी और आगे चलकर प्राकृतिक पूंजी कम होती जाएगी। इससे दूरगामी विकास के जोखिम बढ़ जाएंगे।
- जैसे-जैसे जंगलों, महासागरों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को हो रहा नुक़सान तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के ख़र्च की तुलना में, हमारे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की क़ीमत बढ़ती जा रही है, और इसका सबसे बुरा असर ग़रीब और कमज़ोर तबक़े को झेलना पड़ रहा है, जो इससे सबसे अधिक वंचित हैं।

ग्रिड (GRID) वाला नज़रिया

इसका हल एक हरित, लचीला और समावेशी विकास का तरीक़ा अपनाने में है, जो ग़रीबी उन्मूलन और साझा समृद्धि के लक्ष्य को टिकाऊ विकास के दूरगामी नज़रिए से देखता है. ये नज़रिया आर्थिक विकास की दर दोबारा हासिल करने के दौरान विकास के दूरगामी लक्ष्यों पर भी नज़र बनाए रखता है;

- दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के लिए दृष्टि की एक पंक्ति बनाए रखना
- लोगों, ग्रह और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर्संबंधों को पहचानता
- एकीकृत तरीके से जोखिमों से निपटता है

हरित सुधार न केवल जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि सरकारी खर्च और उपज के विकास के परिणामों के लिए सर्वोत्तम आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा। जीआरआईडी दृष्टिकोण दो तरह से नया है।

- पहला, विकास के पैरोकार लंबे समय से ग़रीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित रहे हैं।
- दूसरा, GRID को हासिल करने का मतलब, संस्थागत तरीक़े से एक साथ टिकाऊ विकास, लचीलेपन और सबको साथ लेकर चलना है।

जीआरआईडी एक संतुलित दृष्टिकोण है जो विकास और स्थिरता पर केंद्रित है और प्रत्येक देश की जरूरतों एवं उसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के उद्देश्यों के अनुरूप है। इस तरह का रास्ता स्थायी आर्थिक विकास हासिल करेगा जो आबादी में साझा किया जाता है, एक मजबूत वसूली प्रदान करता है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर गति बहाल करता है।

GRID के माध्यम से कोविड-19 से उबरना

आगे चलकर अगर हम GRID के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हर तरह की (मानवीय, ढांचागत, प्राकृतिक और सामाजिक) पूंजी में फौरी और व्यापक मात्रा में निवेश की ज़रूरत होगी। तभी ढांचागत कमज़ोरियों से पार पाकर विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

- अर्थव्यवस्था की L के आकार की रिकवरी के लिए सबसे पहले तेज़ी से सबको वैक्सीन उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन हासिल करने और टीकाकरण अभियान को लागू करने की चुनौतियां बहुत व्यापक हैं। इनसे

अलग अलग देशों की ख़ास ज़रूरत के हिसाब से तेज़ी से निपटने की ज़रूरत है, जिसके लिए मज़बूत तालमेल चाहिए।

- कौशल निर्माण करके, ख़ास तौर से समाज के कमज़ोर तबक़े को महामारी से जुड़े नुक़सान से उबारने और विकास करने के लिए मानव पूंजी के विकास पर ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो महामारी ने सबको शिक्षा देने की चुनौती को और सामने ला दिया है। लेकिन, इस महामारी ने ये भी दिखाया है कि पारंपरिक तरीक़े से हर इंसान को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ, यथास्थिति में बदलाव लाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करके शिक्षा की सेवाओं को इस दौर के दबावों का सामना करने लायक़ बनाया जा सकता है।
- महिलाओं को GRID के एजेंडे के केंद्र में रखा जाना चाहिए. लड़कियों को परिवार नियोजन, प्रजनन और यौन संबंधी सेहत के साथ साथ नियमित शिक्षा और महिलाओं को आर्थिक अवसर देने से विकास के हरित, लचीले और समावेशी आयामों को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास में तकनीक और इनोवेशन की भूमिका निश्चित रूप से अहम होगी। रिकवरी के लिए घोषित किए जाने वाले पैकेज एक मौक़ा हैं, जिनसे मूलभूत ढांचे के विकास और बदलाव लाने वाली तकनीक में निवेश को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- GRID एजेंडा लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर हरित पूंजी हासिल करना ज़रूरी होगा. हालांकि, सम्मेलन में विकसित देशों को वो हरित परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी पूंजी जुटाने में दिक़्क़त आई, जिससे विकासशील देश अपने यहां टिकाऊ और सबके लिए समान विकास के एजेंडे को लागू कर सकें।
- संस्थागत निवेशों और परिवर्तन की ज़रूरत और महत्व
    - प्रमुख व्यवस्थाओं में बदलाव लाने वाले क़दमों की ज़रूरत होगी- जैसे कि ऊर्जा, कृषि, खाद्य पदार्थ, पानी, ज़मीन, शहरों, परिवहन और निर्माण- जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, और ग्रीनहाउस गैसों के 90 फ़ीसद उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं।
    - आर्थिक भेदभाव की चुनौती को दूर करके, ऐसे बदलाव से अधिक आर्थिक कुशलता आएगी और इससे उत्पादकता और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर से भी बचा जा सकेगा, जिससे विकास के बेहतर परिणाम मिल सकेंगे।
    - संपत्ति कर लगाकर और टैक्स चोरी को ख़त्म करके. इसी तरह ख़र्च करने में भी अधिक कुशलता लाने और चुनकर ख़र्च करने की ज़रूरत है।
    - इस बदलाव के फ़ायदे सबको बराबर से नहीं मिल सकेंगे. इसके लिए श्रम बाज़ार और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ऐसी कई नीतियों की ज़रूरत होगी, जो बुरे असर से निपट सकें, कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा कर सकें और एक न्यायोचित बदलाव हासिल करने में मददगार बनें।
    - इसीलिए, GRID का नज़रिया देशों की ऊर्जा ज़रूरतों को समझते हुए और सबसे ग़रीब लोगों को लक्ष्य आधारित सहयोग देते हुए कम कार्बन उत्सर्जन वालीअर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का समर्थन करता है।
- घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके। नियमित औद्योगिक गतिविधियों से बाहर के कारोबार पर कर लगाना एक बड़े संभावित राजस्व का ऐसा स्रोत है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इससे निजी क्षेत्र को भी टिकाऊ गतिविधियों में निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा घरेलू स्तर पर संसाधन जुटाने का काम कर प्रणाली का दायरा बढ़ाकर भी किया जा सकता है। जैसे कि संपत्ति कर लगाकर और टैक्स चोरी को ख़त्म करके इसी तरह ख़र्च करने में भी अधिक कुशलता लाने और चुनकर ख़र्च करने की ज़रूरत है।
- निजी क्षेत्र की मज़बूत भागीदारी की भी ज़रूरत होगी। जितने बड़े पैमाने पर निवेश की ज़रूरत है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता से परे है। उचित क्षेत्रों और तकनीकों में निजी क्षेत्र के निवेश की राह में आने वाली बाधाएं दूर करने की ज़रूरत है।
- इस तरह किसी देश के स्तर पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच मज़बूत भागीदारी और संवाद की आवश्यकता है।
    - हरित पूंजी निवेश के नियमों को जैसे कि जानकारी देने के मानकों और हरित पूंजी पर टैक्स के नियमों और विकसित करके लागू करने की ज़रूरत है।
    - बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) और विकास वित्त संस्थानों (DFIs) को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बदलाव को प्रेरणा देने वाले निवेश पर ध्यान देना होगा, जिससे ऐसी हरित, समावेशी और लचीली

	परियोजनाओं पर काम हो सके, जो आर्थिक विकास, रोज़गार और आमदनी बढ़ाने में सहयोग दें। **निष्कर्ष** ● आज तमाम देशों के पास ऐसा ऐतिहासिक मौक़ा है, जब वो आने वाले दौर के लिए बेहतर राह चुन सकते हैं। महामारी के चलते आई तबाही के बावजूद इस अभूतपूर्व संकट से जिस तरह निपटने की कोशिश की गई है, वो हमें एक अनूठा अवसर मुहैया कराती है जिससे हम पुरानी नीतियों की कमियों और पूंजी निवेश की भयंकर दिक़्क़तें दूर कर सकते हैं। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. हरित, लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए अभी निवेश करके, देश अधिक समृद्ध और स्थिर भविष्य के लिए COVID-19 और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। चर्चा कीजिए। 2. जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 के बीच अन्योन्याश्रय - टिप्पणी कीजिए।
ओडिशा में इस साल हाथियों के संघर्ष में सबसे ज्यादा मानव हताहतों की संख्या (Odisha can see highest human casualties due to elephant conflict this year)	**संदर्भ:** विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ओडिशा में मानव-हाथी संघर्ष (HEC) के कारण पिछले वर्षों की तुलना में 2021-2022 में सबसे अधिक मानव हताहत हो सकते हैं। ● ओडिशा में पिछले एक साल में हाथी एवं मानव की लड़ाई में 97 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 96 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। ● गौरतलब है कि वर्ष 2014 से 2022 के बीच राज्य में हाथी-मनुष्यों की लड़ाई की 1145 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें अब तक 730 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 657 लोग घायल हुए हैं। ● अप्रैल 2014 से 18 जनवरी 2022 तक 611 हाथियों की मौत हो चुकी है। इसमें से 191 हाथियों की मौत अप्राकृतिक है जबकि 90 हाथियों की बिजली गिरने से मौत, 77 हाथियों का शिकारियों ने किया शिकार, 24 हाथियों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। **मानव-पशु संघर्ष के कारण:** ● वनों में मानव बस्तियों का विस्तार - शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, रेलवे/सड़क के बुनियादी ढांचे, पर्यटन आदि का विस्तार। ● वन क्षेत्रों में पशुओं को चरने देना। ● भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे संरक्षित वन क्षेत्रों से कृषि और बागवानी भूमि में परिवर्तन और मोनोकल्चर वृक्षारोपण वन्यजीवों के आवासों को और नष्ट कर रहे हैं। ● देश में वन प्रबंधन की अवैज्ञानिक संरचनाएं और प्रथाएं। ● अनियंत्रित खनन गतिविधि के कारण, तनावग्रस्त हाथी गुस्से में होकर भोजन की तलाश में गांवों में जाते हैं, इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की मौत हो जाती है। घने जंगलों में खनन प्रस्ताव (mining proposal) जो हाथियों के आवास और चारागाह हैं, को विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। **आगे की राह** भारत की सहिष्णुता की संस्कृति को मानव-वन्यजीव इंटरफेस को नियंत्रित करने वाले अभिनव, साक्ष्य-संचालित, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण संस्थानों द्वारा पूरा होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार और नागरिक समाज को प्रासंगिक और सामयिक डेटा की आवश्यकता है। ***सबसे पहले, हमें मुख्य पारिस्थितिक चर को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है*** ● हाथी कितने हैं, और उनका वितरण कैसे किया जाता है? क्या हाथी जिन जंगलों में रहते हैं, उनमें पर्याप्त स्वादिष्ट वनस्पतियां हैं, या क्या इसकी जगह इनवेसिव (invasive) खरपतवार और सागौन जैसे अखाद्य वृक्षारोपण कर दिए गए हैं? ● पूर्वोत्तर भारत में, हम यह भी नहीं जानते कि हाथी कहाँ जाते हैं, जिससे उनके आवास और जीवन की सुरक्षा बाधित होती है। इस तरह के महत्वपूर्ण डेटा संरक्षणवादियों को हाथियों की बड़ी आबादी का समर्थन करने के लिए आवश्यक वन पुनर्जनन, घास के मैदान की बहाली और गलियारे की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना सकते हैं। ***दूसरा, मानव-हाथी संघर्ष पर डेटा*** ● वर्तमान में, हाथियों द्वारा क्रॉप-राइडिंग (crop-raiding), हाथियों की मौत, और संघर्ष के कारण मानव मृत्यु के आंकड़े देश भर में बिखरी हुई कागजी फाइलों में दबे हैं, जिससे समय पर विश्लेषण नहीं हो पाता है। यदि राज्य सरकारें मानव-हाथी संघर्ष पर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस विकसित करती हैं, तो सरकार और मानव समाज उन जगहों पर

हस्तक्षेप को लक्षित कर सकते हैं जहां हाथी समुदायों को परेशान कर रहे हैं।

- हम रणनीतिक रूप से चुन सकते हैं कि किसानों को खतरनाक बिजली की बाड़ को प्रभावी गैर-घातक बाधाओं से बदलने में मदद करने के लिए, आकस्मिक मुठभेड़ों को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना और उचित मुआवजा कार्यक्रमों के प्रशासन को मजबूत करना।
- हाथियों की सुरक्षा के लिए ऐसे साक्ष्य-संचालित संस्थानों के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होती है। जबकि गैर सरकारी संगठन निजी क्षेत्र की मदद ले सकते हैं, यह कदम सरकार को भी बढ़ाना चाहिए।

तीसरा, जानवरों के प्रति क्रूरता को कम करने पर विचार करना

- वर्तमान में, अवैध शिकार के लिए सजा का मार्गदर्शन करने वाले वन्यजीव कानून इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि क्या जानवर को धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। भारत के संरक्षण कानून प्रजातियों की रक्षा के लिए तैयार हैं, न कि पशु क्रूरता को रोकने के लिए।
- यह स्वीकार करते हुए कि लोग जंगली जानवरों को मारना जारी रखेंगे, शायद हमारे कानूनों को कोई विकल्प न होने पर बंदूक से फसलों की रक्षा करने की तुलना में क्रूर कृत्यों को अधिक कठोर माना जाना चाहिए।

और भी

- एचईसी के 60 प्रतिशत में टस्कर शामिल थे। इन टकरावों को रोकना संभव था यदि टस्कर्स की पहचान की गई और विशेषज्ञ ट्रैकर्स द्वारा लगातार ट्रैक किया गया। ट्रैकिंग नहीं हो रही है क्योंकि अधिकांश ट्रैकर्स वास्तव में अन्य कामों पर तैनात हैं।
- स्थानीय युवकों ने हाथियों के झुण्डों को चिढ़ाना और फिर हाथियों द्वारा अपना गुस्सा उन बूढ़े लोगों पर निकालना निकाला जो दौड़ नहीं सकते थे। कुछ लोग हाथियों के साथ सेल्फी ले रहे थे। यह सब वन विभाग को चेतावनी साइन बोर्ड लगाकर अपराधियों को दंडित करके इस उत्पीड़न को रोकना चाहिए।
- लगभग 25 प्रतिशत मानव हताहत हुए जब धान और शराब पर हमला करने के लिए हाथियों द्वारा झोपड़ियों की दीवारों को गिरा दिया गया। शयन कक्षों में अनाज और शराब के भंडारण के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वन विभाग द्वारा एक व्यापक डोर-टू-डोर अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।
- वन विभाग के लोगों को आरक्षित वनों और अभयारण्यों से फल इकट्ठा करने से रोकना चाहिए ताकि हाथियों के खाने के लिए पर्याप्त बचा रहे।
- डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति खंभों को मजबूत करना चाहिए, बिजली लाइनों को निर्धारित 5.5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ाना चाहिए और अचानक बिजली काटने के बजाय अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को ठीक करना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना कि अति उत्साही विकासात्मक दृष्टिकोण के कारण हाथी गलियारों को तोड़ा/उपेक्षित नहीं किया जाता है।
- हाथियों की रेडियो टैगिंग खतरे के स्थानों की पहचान करने और मानव-पशु संघर्ष से बचने में मदद कर सकती है।
- हाई टेंशन बिजली के तारों की ऊंचाई बनाए रखने के लिए उचित दिशा-निर्देशों के साथ अवैध विद्युत बाड़ लगाने पर प्रतिबंध - बिजली लाइनों की केबलिंग अनिवार्य होनी चाहिए।
- विभिन्न हाथी परिदृश्यों के लिए एक उचित क्षेत्र-वार प्रबंधन योजना - हाथियों को कहां अनुमति दी जाए और कहां उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित किया जाए।
- देश के भीतर सफल मॉडलों का उपयोग करते हुए हाथी गलियारों का विस्तार करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें निजी धन का उपयोग करके भूमि का अधिग्रहण और सरकार को उनका हस्तांतरण शामिल है।

ध्यान देना :

विश्व हाथी दिवस : 12 अगस्त

भारतीय हाथी (The Indian elephant)

- हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है।
- एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं- भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई।
- महाद्वीप पर शेष बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की संख्या और रेंज व्यापक है।
- भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति:
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
  - IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय (Endangered)

	○ CITES: परिशिष्ट-I **हाथी परियोजना के बारे में** ● यह पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ● वर्ष 1992 में शुरू की गई यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ● मुख्य रूप से हाथी, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करने के उद्देश्य से ● यह मानव-पशु संघर्ष और पालतू हाथियों के कल्याण के मुद्दों को संबोधित करता है। ● हाथी गलियारे दो बड़े आवासों को जोड़ने वाली भूमि की पट्टियाँ हैं, जो हाथियों को एक परिदृश्य से दूसरे परिदृश्य में प्रवास करने हेतु एक सुरक्षित गलियारा प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। भारत में 101 हाथी गलियारे हैं। **हाथी सूचना नेटवर्क (ईआईएन)** ● दक्षिणी भारत में मानव-हाथी सह-अस्तित्व को सक्षम बनाया है। ● हाथियों के पास होने पर लोगों को सचेत करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी तंत्र के रूप में कार्य करता है, नकारात्मक मानव-हाथी बातचीत को कम करता है, और हाथियों के प्रति लोगों की सहनशीलता को बढ़ाता है। ● श्री आनंद कुमार द्वारा **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** भारत में मानव-पशु संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं? उच्च जोखिम/संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और यह भी सुझाव दें कि इन संघर्षों से बचने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं? **2.** मानव-वन्यजीव संघर्ष रैखिक नहीं है, और जैव विविधता एवं वन पारिस्थितिकी तंत्र पर अप्रत्याशित लहर प्रभाव पड़ सकता है। चर्चा कीजिए।
महासागरों को समझना: क्यों यूनेस्को दुनिया के 80% समुद्र तल का मानचित्रण करना चाहता है (Understanding oceans: Why UNESCO wants to map 80% of the world's seabed)	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 10 फरवरी, 2022 को संकल्प लिया कि वर्ष 2030 तक दुनिया के लगभग 80 प्रतिशत समुद्र तल का मानचित्रण किया जाएगा। ● वर्तमान में, केवल 20 प्रतिशत सीबेड का मानचित्रण और अध्ययन किया गया है। ● संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने इस अभ्यास को अंजाम देने के लिए अपने अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) के 150 सदस्य देशों और निजी क्षेत्र को जुटाने का आह्वान किया। ● वर्ष 2017 में जापान के निप्पॉन फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है और सीबेड 2030 कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए अन्य परियोजनाओं के बीच समुद्री संसाधन विकास पर काम किया। ● इस परियोजना के लिए कुल 5 अरब डॉलर (37,600 करोड़ रुपये से अधिक) की आवश्यकता होगी। यह वर्ष 2030 तक औसतन $625 मिलियन प्रति वर्ष है। **डेटा एकत्र करना** महासागर पृथ्वी की सतह के 70 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं, खनिज संसाधनों के गठन और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की एक विशाल विविधता की मेजबानी करते हैं, और भूमि की सतह से नष्ट या भंग होने वाली कई सामग्रियों का अंतिम भंडार हैं। इसलिए, महासागरों में बड़ी मात्रा में सामग्री होती है जो वर्तमान में मनुष्यों के लिए प्रमुख संसाधन के रूप में काम करती है। निम्नलिखित की पहचान करने के लिए समुद्र तल की टोपोलॉजी और गहराई का अध्ययन करके ज्ञान का भंडार प्राप्त किया जाएगा : ● समुद्र के फॉल्ट्स का स्थान ● महासागरीय धाराओं और ज्वार की कार्यप्रणाली ● तलछट का परिवहन ● भूकंपीय और सुनामी जोखिम ● धारणीय मात्स्यिकी संसाधन ● तेल रिसाव, हवाई दुर्घटना और जलपोतों से निपटने के तरीके ● अपतटीय अवसंरचना की संभावना **महासागर भविष्य के लिए एक महान संसाधन आधार के रूप में है**

- समुद्र की खोज के माध्यम से किए गए निष्कर्ष गहरे समुद्र के क्षेत्रों में अज्ञात को कम करने और वर्तमान एवं उभरते विज्ञान तथा प्रबंधन दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक उच्च मूल्य वाली पर्यावरणीय खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए मुख्य हैं।
- अन्वेषण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समुद्री संसाधनों का न केवल प्रबंधन किया जाता है, बल्कि अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है।
- समुद्र की खोज के माध्यम से, हम पर्यावरण परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने हेतु आवश्यक आधारभूत जानकारी स्थापित कर सकते हैं, अज्ञात में विश्वसनीय और आधिकारिक विज्ञान प्रदान करने के लिए अंतराल को भर सकते हैं जो भविष्य की स्थितियों के बारे में दूरदर्शिता प्रदान करने और इस गतिशील ग्रह पर प्रत्येक दिन हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले निर्णयों को सूचित करने के लिए आधारभूत है।
- गहरे समुद्र में आने वाली आपदाओं की स्थिति में उचित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक बुनियादी जानकारी के लिए यही ज्ञान अक्सर एकमात्र स्रोत होता है।
- समुद्र की खोज से प्राप्त जानकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के रहस्यों को खोलने से चिकित्सा दवाओं, भोजन, ऊर्जा संसाधनों और अन्य उत्पादों के नए स्रोत सामने आते हैं।
- गहरे समुद्र में खोज से प्राप्त जानकारी भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकती है और हम यह जानकारी हासिल कर सकते है कि पृथ्वी के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से कैसे प्रभावित और प्रभावित हो रहे हैं।

यूनेस्को द्वारा हाल के प्रयास

- विभिन्न बिंदुओं और दिशाओं पर एक साथ पानी की ऊंचाई मापने के लिए मल्टी-बीम सोनार एक ऐसा उपकरण है जो कम अवधि में सीबेड को स्कैन करने में मदद करेगा।
- 50 समर्पित मानचित्रण जहाजों का एक बेड़ा तैनात करना, स्वायत्त जहाजों पर सोनार के उपयोग को तेज करना, सरकारों और निगमों द्वारा संग्रहीत कार्टोग्राफिक डेटा का प्रसारण IOC विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए अन्य उपकरण हैं।
- यूनेस्को ने समुद्री अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में समग्र दृष्टिकोण के लिए नीति निर्माताओं और पाठ्यक्रम डेवलपर्स के लिए शैक्षिक सामग्री का एक संग्रह भी लॉन्च किया।
- इसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान के उपयोग की भी सिफारिश की।

भारत और महासागर

भारत की एक अद्वितीय समुद्री स्थिति है। इसकी 7517 किमी लंबी तटरेखा नौ तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। फरवरी 2019 में प्रतिपादित वर्ष 2030 तक भारत सरकार के नए भारत के विजन ने नीली अर्थव्यवस्था को विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर किया।

- भारत के लिए, 7,517 किमी लंबी तटरेखा, देश की 30 प्रतिशत आबादी वाले अच्छे तटीय राज्य और महासागरों से घिरे तीन ओर के साथ, महासागर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और नीला व्यापार का समर्थन करने वाला एक प्रमुख आर्थिक कारक है।
- महासागर भोजन, ऊर्जा, खनिज, औषधियों के भण्डार भी हैं।
- महासागर कार्बन पृथक्करण, तटीय संरक्षण, अपशिष्ट निपटान और जैव विविधता के अस्तित्व जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

भारत के मामले में नीले पानी की अर्थव्यवस्था का महत्व:

- भारत अपने सामरिक और राजनीतिक हितों को दूर रखने के लिए विशेष रूप से हिंद महासागर से संबंधित समुद्र के कानून पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न तदर्थ समितियों का हिस्सा रहा है। समुद्र तल पर मैंगनीज और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे विभिन्न खनिज संसाधनों की खोज के साथ समुद्री खनन की क्षमता ने भारत, चीन और जापान जैसे देशों को प्रेरित किया है।
- एशिया और अफ्रीका के बीच बढ़ते संबंधों के साथ हिंद महासागर भारत के सामरिक प्रभुत्व की कुंजी है। और साथ ही एशिया-प्रशांत के बढ़ते व्यापारिक संबंध, इन क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है।
- सौराष्ट्र में घोघा और दक्षिण गुजरात में दहेज के बीच रो-रो फेरी सेवाओं जैसी पहल से पर्यावरण के अनुकूल भारत की वास्तविक आर्थिक क्षमता का पता चलेगा और भूमि में वाहनों की आवाजाही कम होगी और इसलिए आर्थिक

	हित भी जुड़ेंगे। ● भारत के पास बड़ी तटरेखा है और गहरी मछली पकड़ने में नई प्रौद्योगिकियों के साथ मत्स्य पालन बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करेगा और निर्यात को बढ़ावा देने एवं व्यापार घाटे की समस्या को कम करने में भी मदद करेगा। **निष्कर्ष:** ● ब्लू इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं जिनका दोहन नहीं किया गया है। यदि इसका उचित तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह हमारे आर्थिक विकास को भारी बढ़ावा दे सकता है। जैसा कि कहा जाता है, जो समुद्र को नियंत्रित करता है वह दुनिया को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर इसे स्थायी रूप से नहीं खोजा गया, तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. यूनेस्को विश्व के 80% समुद्र तल का मानचित्रण क्यों करना चाहता है? की जांच कीजिए। 2. महासागरीय तल महत्वपूर्ण संसाधनों का विशाल भण्डार हैं। क्या आप ऐसे संसाधनों के वितरण की व्याख्या कर सकते हैं?
जलवायु परिवर्तन पर नया अध्ययन (New Study on Climate Change)	**पेरिस जलवायु समझौते के बारे में** ○ पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दों पर, देशों के लिये, क़ानूनी रूप से बाध्यकारी एक अन्तरराष्ट्रीय सन्धि है। ○ पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है, जिससे सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को पूर्वऔद्योगिक स्तर के 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। ○ यह समझौता पांच साल के चक्र पर काम करता है। ○ विकसित देश अल्प विकसित और विकासशील देशों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं। किसी देश की सरकार अकेले बूते इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए समझौते में विभिन्न संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। **तापमान में कमी के लक्ष्य से बहुत दूर हैं कई देश** ○ गंभीर रूप से अपर्याप्त (4 डिग्री से. से ज्यादा वैश्विक तापमान) : अर्जेंटीना ,रूस, सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका, यूक्रेन, वियतनाम ○ उच्च रूप से अपर्याप्त (4 डिग्री से. से कम वैश्विक तापमान): चीन, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापूर , दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूएई ○ अपर्याप्त (3 डिग्री से. से कम वैश्विक तापमान): ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, यूरोपियन यूनियन, कजाखस्तान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, स्विट्जरलैंड ○ अनुकूल (2 डिग्री से. से कम वैश्विक तापमान): भूटान, कोस्टारिका, इथोपिया, भारत, केन्या, फिलीपींस ○ पेरिस समझौते के अनुकूल (1.5 डिग्री से. से कम वैश्विक तापमान): मोरक्को, जांबिया ○ आदर्श स्थिति (1.5 डिग्री से. से कम वैश्विक तापमान): कोई देश नहीं (स्रोत: क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर) **भारत की स्थिति है बेहतर :** ○ वर्ष 2016 में भारत ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए। ○ भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन को 33-35 फीसद तक कम करना है। ○ इसके साथ ही भारत का लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.5-3 अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड के बराबर कार्बन में कमी लाना है। ○ भारत अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ○ जी-20 देशों में भारत इकलौता देश है, जिसके प्रयास वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री तक सीमित रखने के अनुकूल हैं। **भारत उठा रहा है बड़े कदम :** ○ जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत लगातार कोशिश में जुटा है। ○ भारतीय रेलवे ने जहां 2030 तक प्रदूषणमुक्त संचालन वाला दुनिया का पहला रेल नेटवर्क बनने का लक्ष्य तय किया है तो दूसरी ओर भारत अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। ○ भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। **ये हैं कमियां :** समझौते की सबसे बड़ी कमी यह है कि इससे जुड़े ज्यादातर प्रावधानों में गैर बाध्यकारी लक्ष्य हैं। जिन्हें पूरा

	करना या न करना देशों की इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं नहीं होंगी तब तक जलवायु परिवर्तन की दिशा में कोई बड़ा सकारात्मक कदम दिखने की उम्मीद कम है। **टैक्नॉलॉजी** • पेरिस समझौते में तकनीकी विकास और हस्तान्तरण को पूर्ण रूप से साकार करने की बात कही गई है ताकि जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ सहनक्षमता को बेहतर बनाया जा सके और कार्बन उत्सर्जनों में कटौती की जा सके। • इसके तहत एक टैक्नॉलॉजी फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि बेहतर ढँग से संचालित टैक्नॉलॉजी ढाँचे को दिशानिर्देश प्रदान किये जा सकें। • इस तन्त्र का लक्ष्य टैक्नॉलॉजी विकास की रफ़्तार को तेज़ करना और नीतिगत उपायों के ज़रिये उनका हस्तान्तरण सम्भव बनाना है। **क्षमता निर्माण** • सभी विकासशील देशों के पास जलवायु परिवर्तन से उपजने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये पर्याप्त क्षमता नहीं है। • इसके परिणामस्वरूप, पेरिस समझौते में जलवायु-सम्बन्धी क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस क्रम में विकसित देशों से आग्रह किया गया है कि विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिये ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन सुनिश्चित किया जाना होगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ○ पेरिस जलवायु समझौता ○ COP26 जलवायु सम्मेलन

UNEP के फ्रंटियर्स 2022 : जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल की आग अधिक बार-बार, बड़ी और तीव्र होगी	**ख़बरों में:** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने अपनी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों और दशकों में जंगल की आग और भी बदतर हो जाएगी।
	जंगल की आग
	• एक जंगल की आग एक मुक्त जलती हुई वनस्पति आग हैं।
	• यह प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, घास के मैदान में पौधों का अनियंत्रित जलना है जो प्राकृतिक ईंधन की खपत करता है और हवा, स्थलाकृति के आधार पर फैलता है।
	• ये चरम घटनाएं मानव स्वास्थ और पर्यावरण के लिए हानिकारी है।
	• जंगल की आग के लिए आवश्यक तीन शर्तें:
	  ○ ईंधन,
	  ○ ऑक्सीजन, और
	  ○ एक गर्मी स्रोत।
	• विश्व स्तर पर, जंगल की आग वातावरण में अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है।
	जंगल में आग लगने का क्या कारण है?
	• जंगल में आग लगने के मुख्य तीन कारण होते हैं- ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी।
	• अगर गर्मियों का मौसम है, तो सूखा पड़ने पर ट्रेन के पहिए से निकली एक चिंगारी भी आग लगा सकती है।
	• इसके अलावा कभी-कभी आग प्राकृतिक रूप से भी लग जाती है। ये आग ज्यादा गर्मी की वजह से या फिर बिजली कड़कने से लगती है।
	• वैसे जंगलों में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं इंसानों के कारण होती हैं, जैसे आगजनी, कैम्पफ़ायर, बिना बुझी सिगरेट फेंकना, जलता हुआ कचरा छोड़ना, माचिस या ज्वलनशील चीजों से खेलना आदि।
	• जंगलों में आग लगने के मुख्य कारण बारिश का कम होना, सूखे की स्थिति, गर्म हवा, ज्यादा तापमान भी हो सकते हैं. इन सभी कारणों से जंगलों में आग लग सकती है।
	• चरम मौसम की घटनाएं जैसे कि गर्म तापमान और अधिक सूखे के कारण आग के मौसम लंबे होते हैं और आग के मौसम की स्थिति की संभावना बढ़ जाती है

- उभरते हुए अध्ययन जलवायु परिवर्तन को विश्व स्तर पर आग की बढ़ती घटनाओं से जोड़ते हैं, विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में अमेज़ॅन के जंगलों में लगी भीषण आग।
- लंबी अवधि की आग, बढ़ती तीव्रता, उच्च आवृत्ति और अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति सभी को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है।
- ओडिशा में, जहां हाल ही में सिमलीपाल के जंगल में भीषण आग लगी थी, ग्रामीणों को महुआ के फूलों को इकट्ठा करने के लिए सूखे पत्तों में आग लगाने के लिए जाना जाता है, जो एक स्थानीय पेय तैयार करने में जाते हैं।
- **बिजली और प्रदूषण**
    - बढ़ती जंगल की आग के साथ, दुनिया में बिजली गिरने की अधिक घटनाएं देखने की संभावना है
    - जलवायु परिवर्तन के रूप में दुनिया के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की आवृत्ति में वृद्धि का अनुमान है। बिजली प्रज्वलन उत्तरी अमेरिका और उत्तरी साइबेरिया के बोरियल जंगलों में बड़े पैमाने पर जंगल की आग का प्रमुख चालक है।
    - आग से प्रेरित गरज के साथ जंगल की आग बढ़ने से उत्पन्न एक नया खतरा है।

जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल क्यों है?

- **कठिन भूभाग (Difficult Terrain) :** जंगल का इलाका और उस तक पहुंच आग बुझाने के प्रयासों को शुरू करने में बाधा उत्पन्न करती है।
- **लोगों की कमी:** व्यस्त मौसम के दौरान, अग्निशमन दल भेजने में कर्मचारियों की कमी एक और चुनौती है। घने जंगलों के माध्यम से आग के प्रकार के आधार पर वन कर्मचारियों, ईंधन और उपकरणों को समय पर जुटाना चुनौतियां बनी हुई हैं।
- **पुरानी तकनीकें:** चूंकि पानी से लदे भारी वाहनों को घने जंगलों में ले जाना असंभव है, इसलिए अधिकांश आग बुझाने की शुरुआत ब्लोअर और इसी तरह के उपकरणों का उपयोग करके मैन्युअल रूप से की जाती है। लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करके जंगल की आग को नियंत्रण में लाया जा सकता है।
- **मौसम कारक (Weather Factors) :** हवा की गति और दिशा जंगल की आग को नियंत्रण में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आग अक्सर हवाओं की दिशा में और अधिक ऊंचाई की ओर फैलती है।

इतनी भीषण आग के ईंधन किसके होते हैं?

- वन भूमि पर सूखे पत्तों का कूड़ा तैयार ईंधन के रूप में कार्य करता है। गिरे हुए पेड़ के पत्ते, सूखी घास, खरपतवार, लकड़ी, लॉग और स्टंप आदि ईंधन का निर्माण करते हैं।
- ढीले कूड़े के नीचे, सड़ने वाली सामग्री जैसे लकड़ी, झाड़ियाँ, जड़ें, बहुत कुछ इसमें शामिल हैं।
- सतह के स्तर से ऊपर, सूखे खड़े पेड़, काई, लाइकेन, सूखे एपिफाइटिक या परजीवी पौधे, और निचली मंजिल में फंसी गिरी हुई शाखाएँ आग को ऊपरी पत्ते और पेड़ के ऊपरी सिरे तक फैला सकती हैं।

कौन से कारक जंगल की आग को चिंता का विषय बनाते हैं?

- **जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में वन की भूमिका:** वे एक सिंक, जलाशय और कार्बन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। एक स्वस्थ वन किसी भी अन्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन का भंडार और पृथक्करण करता है।
- **लोगों और जानवरों की आजीविका को खतरे में डालना:** जंगल की आग वन्यजीवों को अंडे जलाकर, युवा जानवरों को मारकर और वयस्क जानवरों को उनके सुरक्षित ठिकाने से दूर भगाकर भी प्रभावित कर सकती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में, 1.70 लाख गाँव जंगलों के करीब हैं, कई करोड़ लोगों की आजीविका ईंधन की लकड़ी, बांस, चारे और छोटी लकड़ी पर निर्भर है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्जनन क्षमता को प्रभावित करना :** जंगल की आग के वन आवरण, मिट्टी, वृक्षों की वृद्धि, वनस्पति और समग्र वनस्पतियों और जीवों पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। आग कई हेक्टेयर जंगल को बेकार कर देती है और राख को पीछे छोड़ देती है, जिससे यह किसी भी वनस्पति विकास के लिए अनुपयुक्त हो

	जाता है। • **वनों का सिकुड़ना:** आग के दौरान उत्पन्न गर्मी पशु आवासों को नष्ट कर देती है। उनकी संरचना में परिवर्तन के साथ मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। मिट्टी की नमी और उर्वरता भी प्रभावित होती है। इस प्रकार वन आकार में सिकुड़ सकते हैं। आग से बचने वाले पेड़ अक्सर अविकसित रह जाते हैं और विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। • जल प्रणाली पर प्रभाव: वन जलभृतों को बनाए रखने और धाराओं एवं झरनों के निरंतर प्रवाह में मदद करते हैं, तथा स्थानीय समुदायों को जलाऊ लकड़ी, चारा और गैर-लकड़ी उत्पाद प्रदान करते हैं - आग लगने की स्थिति में ये सभी क्षमताएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं। • **मृदा उत्पादकता पर प्रभाव:** जंगल की आग मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर सकती है और ऊपरी परत को क्षरण के लिए उजागर कर सकती है जिससे मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। • **वायु पर प्रभाव:** वायु प्रदूषण के लिए जंगल की आग भी जिम्मेदार है। सितंबर 2021 में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार, जंगल की आग से संबंधित प्रदूषण और मानव मृत्यु के प्रभाव के बीच एक संबंध है। **जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है - आगे की राह ?** **संवेदनशील समूहों को शामिल करके प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के बजाय एक निवारक दृष्टिकोण, जंगल की आग के अनुकूल होने में मदद करेगा।** • **बेहतर नीतियां:** जंगल की आग की रोकथाम, प्रतिक्रिया और प्रबंधन में सुधार की योजना और नीतियों के साथ-साथ प्रथाओं के लिए कॉल है। • **बढ़ी हुई क्षमताएं:** अग्निशमन क्षमताओं को बढ़ाना और सामुदायिक लचीलापन-निर्माण कार्यक्रमों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। • स्वदेशी अग्नि प्रबंधन तकनीकों की सराहना करना और उन्हें अपनाना। • उपग्रहों, रडार, बिजली का पता लगाने के साथ-साथ डेटा हैंडलिंग जैसी रिमोट-सेंसिंग क्षमताओं पर ध्यान देना। • **जंगल की आग के ईंधन से छुटकारा:** सूखे बायोमास के शिविर स्थलों को साफ करना। जहाँ वन हो सूखा कूड़ा जल्दी जलाना। • **वन की बदलती संरचना:** जंगल के अंदर अग्निरोधी पौधों की प्रजातियों की बढ़ती पट्टियां। • **रक्षात्मक तंत्र:** जंगलों में आग की रेखाएँ बनाना (आग को फैलने से रोकने के लिए जंगल में आग की रेखाएँ वनस्पति से साफ रखी जाती हैं)। • **अच्छी भविष्यवाणियां:** मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करते हुए आग की आशंका वाले दिनों की भविष्यवाणी करने से शुरुआती चरणों में जंगल की आग को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लंबी दूरी के मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान देना। • **समर्पित बल (Dedicated Force) :** एक बार आग लगने के बाद, अग्निशमन दस्तों द्वारा शीघ्र पहचान और त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियों के लिए राज्य के वन विभाग के पास अग्नि सुरक्षा और अग्नि नियंत्रण इकाई है। • **वन गतिविधियों का विनियमन:** वर्ष 1999 में, राज्य सरकार ने वन अग्नि नियमों को अधिसूचित किया जो वन क्षेत्रों में और उसके आसपास कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित या विनियमित करते हैं जैसे कि आग जलाना, कृषि पराली या अंडरग्राउंड (घासों) को जलाना तथा ज्वलनशील वन उपज जैसे सूखे पत्तों को ढेर करना। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** कुछ वनों में आग लगने की संभावना अधिक क्यों होती है? स्थानीय मौसम पैटर्न इस संवेदनशीलता को कैसे जोड़ते हैं? समझाये। **2.** झाड़ियों की आग/जंगल की आग को कम करने के लिए क्या रणनीति है? चर्चा कीजिए।
ग्रीन हाइड्रोजन	**सुर्ख़ियों में:** सरकार ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले भाग का अनावरण किया है। • सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है।

- नीति कार्बन मुक्त ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और भारत को एक निर्यात केंद्र बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली अक्षय ऊर्जा की मुफ्त अंतर-राज्यीय व्हीलिंग की अनुमति देती है।
- नीति के तहत 30 जून 2025 से पहले इस परियोजना के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन संयंत्र शुरू करने वाली कंपनी अगले 25 साल तक बिजली की मुफ्त ढुलाई तथा अन्य फायदे ले पाएगी।
- यह उत्पादकों को सृजित नवीकरणीय ऊर्जा के किसी भी अधिशेष को 30 दिनों तक बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) के पास जमा रखने और आवश्यकतानुसार इसका उपयोग करने की भी सुविधा प्रदान करती है।

हरा हाइड्रोजन क्या है?

यह पवन तथा सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करके उत्पादित की जाती है। ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये एक गेम-चेंजर हो सकता है, जो अपने तेल का 85% और गैस आवश्यकताओं का 53% आयात करता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के विशिष्ट लाभ हैं -

- **पर्यावरण के अनुकूल:** ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को अगली बड़ी चीज के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके उपयोग से शून्य उत्सर्जन होगा।
- **विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने की क्षमता:** यह एक स्वच्छ जलने वाला अणु है, जो लोहा और इस्पात, रसायन तथा परिवहन सहित कई क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज कर सकता है।
- **अक्षय ऊर्जा का कुशल उपयोग:** अक्षय ऊर्जा जिसे ग्रिड द्वारा संग्रहीत या उपयोग नहीं किया जा सकता है, को हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए प्रसारित किया जा सकता है।
- **दुर्लभ खनिजों पर कम निर्भरता:** ग्रीन हाइड्रोजन में विद्युत गतिशीलता को साफ करने की कुंजी भी है जो दुर्लभ खनिजों पर निर्भर नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन खनिजों पर कम निर्भरता और ऊर्जा भंडारण के रूप में दुर्लभ-पृथ्वी तत्व-आधारित बैटरी की दीर्घकालिक दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है।
- **पेरिस लक्ष्य हासिल करने में मदद करना :** भारत के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरित हाइड्रोजन ऊर्जा महत्वपूर्ण है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** हरित ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने में मदद करती है।

प्रमुख लक्ष्य:

- वर्ष 2030 तक देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाना
- 2030 तक,देश की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा
- देश अब से वर्ष 2030 के बीच कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।
- अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 2030 तक घटकर 45% से कम हो जाएगी,
  देश कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या सुविधाएं हैं?

- इस नीति के तहत बंदरगाह प्राधिकरण निर्यात से पहले भंडारण के लिए बंदरगाहों के पास बंकर स्थापित करने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादकों को लागू शुल्क पर भूमि प्रदान करेंगे।
- भारत में उत्पादित हरित हाइड्रोजन के लिए जर्मनी और जापान प्रमुख बाजार हो सकते हैं।

हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में चुनौतियां

- फ्यूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर: हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों को अपनाने में एक बड़ी बाधा ईंधन स्टेशन के बुनियादी ढांचे की कमी रही है - ईंधन सेल कारें पारंपरिक कारों के समान ईंधन भरती हैं, लेकिन एक ही स्टेशन का उपयोग नहीं कर सकती हैं (दुनिया में केवल 500) और वह भी यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया में है ।)
- परिवहन ईंधन सेल्स (Transportation Fuel Cells) के लिये हाइड्रोजन को प्रति मील के आधार पर पारंपरिक ईंधन और प्रौद्योगिकियों के साथ लागत-प्रतिस्पर्द्धी होना चाहिये।
- ईंधन सेल (Fuel cells) तकनीकी जिसका उपयोग कारों में प्रयोग होने वाले हाइड्रोजन ईंधन को ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है, अभी भी महंँगे हैं।
- कारों में हाइड्रोजन ईंधन भरने हेतु आवश्यक हाइड्रोजन स्टेशन का बुनियादी ढांँचा अभी भी व्यापक रूप से विकसित नहीं है।

	आगे की राह सरकार अनिवार्य रूप से तेल शोधन, उर्वरक और इस्पात क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के एक निश्चित अनुपात के लिए हरित हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की खरीदें। रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए अधिदेश कुल आवश्यकता क्षेत्रों के 15-20 प्रतिशत से शुरू हो सकता है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** इससे हरित हाइड्रोजन के उत्पादकों को क्या लाभ होगा? यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे बढ़ावा देगा? चर्चा कीजिए। **2.** क्या इससे हमें शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी? समालोचनात्मक जाँच करिये।

भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में होगा स्थापित	**संदर्भ:** हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मायावी डुगोंग (डुगोंग डगोन) के लिए एक संरक्षण रिजर्व की स्थापना के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, जो कि भारतीय समुद्र तट के कुछ हिस्सों में रहने वाली एक जलपरी प्रजाति है।
	● तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के लिये भारत के पहले संरक्षण रिज़र्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
	● तमिलनाडु सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और आधारभूत क्षेत्र अध्ययन करने के लिए 25 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की।
	डुगोंग के बारे में
	● डुगोंग (Dugong) एक समुद्री जानवर है जिसे विश्व संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा वैश्विक स्तर पर 'विलुप्त होने की संभावना'के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
	● यह लुप्तप्राय समुद्री प्रजाति, समुद्री घास और क्षेत्र में पाई जाने वाली अन्य जलीय वनस्पतियों पर जीवित रहती है।
	● डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी है और यह सिरेनिया क्रम की एकमात्र जीवित प्रजाति है।
	● यह स्तनपायी समुद्री घास के कारण तटीय निवास स्थान तक ही सीमित है, जो इसके आहार का एक प्रमुख हिस्सा है।
	● वे 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं तथा भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में देखे जा सकते हैं।
	● ● भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के अनुमान के अनुसार, जंगली में केवल 200-250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं।
	● **थ्रेट्स (Threats):**
	  ○ समुद्री घास के आवासों का नुकसान
	  ○ जल प्रदूषण
	  ○ विकासात्मक गतिविधियों के कारण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास
	  ○ मछली पकड़ने के जाल में दुर्घटनावश उलझ जाना
	  ○ सीमेंट उद्योगों द्वारा मूंगे और रेत का निष्कर्षण
	  ○ पानी की बढ़ी हुई मैलापन
	  ○ तेल रिफाइनरियों, रासायनिक उद्योगों द्वारा प्रदूषण
	  ○ मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नावें और नावों, ट्रॉलरों से टकराना।
	● **संरक्षण की स्थिति**
	  ○ आईयूसीएन- कमजोर
	  ○ CITES: परिशिष्ट I
	  ○ वन्य (जीवन) संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I
	  ○ भारत सरकार भी 1983 से प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (सीएमएस) के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है जहां उसने साइबेरियन क्रेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008) और रैप्टर्स (2016) के संरक्षण

और प्रबंधन पर गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज डुगोंग रिजर्व की आवश्यकता क्यों है?

क्योंकि डगोंग विलुप्त होने के कगार पर हैं।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इनकी जनसंख्या 100 से कम है।
- मन्नार की खाड़ी में बहुत कम बचे हैं।
- कच्छ की खाड़ी में बहुत कम छिटपुट रिकॉर्ड हैं।
- वे लक्षद्वीप में मौजूद थे लेकिन अब स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं।

संरक्षण रिजर्व के बारे में

- पाक खाड़ी में 500 किमी के क्षेत्र में समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा।
- प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र में देश में डगोंग का उच्चतम संकेंद्रण है।
- यह अभ्यारण्य आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा।
- कैम्पा-डुगोंग रिकवरी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में विभिन्न सर्वेक्षण किए गए।
- मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर और पश्चिमी श्रीलंका के बीच एक उथला खाड़ी क्षेत्र है।

आगे की राह

- **कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होना:** समुद्री भंडार के मामले में, समुद्र एक प्रकार का कॉमन है। और तटीय समुदाय इस पर अत्यधिक निर्भर हैं। एक संरक्षित समुद्री क्षेत्र को नामित करके, आप सचमुच ऐसे लोगों को संसाधनों से वंचित कर रहे हैं।
- यही कारण है कि समुदाय और संरक्षण भंडार हैं। यह एक संरक्षण रिजर्व होगा और इसे सह-प्रबंधित किया जाएगा। लेकिन प्रबंधन योजना को लागू करने में अभी भी समय लगता है।
- डुगोंग के बारे में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है क्योंकि बहुत कम लोग अंडमान में भी उनके बारे में जानते थे जहां वे राज्य पशु हैं। डुगोंग के लिए मृत्यु दर का मुख्य कारण आकस्मिक उलझाव है। वे समुद्री स्तनधारी हैं और उन्हें सांस लेने के लिए हर चार मिनट में सतह पर आना पड़ता है। मछुआरे गिलनेट का उपयोग करते हैं और अनजाने में डुगोंग फंस कर मारे जाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए।
    - यह प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डुगोंग पकड़ लिया और मछुआरों द्वारा छोड़ दिया जाए तो उन्हें अधिनियम के फोटो दस्तावेज उपलब्ध कराने पर 5,000 रुपये मिलेंगे। अगर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हर डुगोंग रिलीज पर पार्टी की जाए तो यह अद्भुत काम कर सकता है।
    - मछली पकड़ने वाले समुदायों को भी मांस के लिए डुगोंग का शिकार करने के बजाय भोजन के अन्य स्रोतों में स्थानांतरित करने का निर्णय लेना चाहिए, यदि वे चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां डुगोंग देखें।
- **कानून के प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना:** डुगोंग वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास भारतीय कानून के तहत उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा है। लेकिन बहुत कम लोगों को डुगोंग के अवैध शिकार के लिए गिरफ्तार, कैद या मुकदमा चलाया गया है। अगर हम प्रजातियों को संरक्षित करना चाहते हैं तो कानून के प्रवर्तन को मजबूत करने की जरूरत है।
- **संकटग्रस्त समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण:** अंततः, यदि समुद्री घास नहीं है, तो डगोंग नष्ट हो जाएंगे।

भूगोल

नदियों को जोड़ना (Linking Rivers)	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी है। **केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना** ● इस परियोजना में केन से बेतवा नदी पर दौधन बांध (Daudhan dam) का निर्माण और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर के माध्यम से पानी का हस्तांतरण, लोअर ओरर परियोजना (Lower Orr project), कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। ● नदियों को आपस में जोड़ना (आईएलआर) कार्यक्रम अतिरिक्त भंडारण सुविधाएं सृजित करने और जल-अधिशेष क्षेत्रों से पानी को अधिक सूखा-प्रवण क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का एक प्रमुख प्रयास है। **लाभ:** ● यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में फैले पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी।

- इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति होगी।
- और 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- कृषि गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन के कारण पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है। यह इस क्षेत्र से संकटपूर्ण प्रवास को रोकने में भी मदद करेगा।
- यह परियोजना व्यापक रूप से पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करती है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एक व्यापक परिदृश्य प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नदियों को जोड़ना (Linking Rivers)

भारत वर्षा में स्थानिक और लौकिक भिन्नताओं को देखता है, जो अधिकतर कुछ क्षेत्रों को बाढ़ प्रवण बनाता है जबकि अन्य को सूखा प्रवण बनाता है। साथ ही, देश के उत्तरी भाग में बहने वाली हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ ज्यादातर मौसमी हैं। नदी को जोड़ने की परियोजना में बाढ़ और सूखे को कम करने और अधिक सिंचाई के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अधिशेष क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल हस्तांतरण करने के लिए इन दो नदी प्रणालियों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

भारत में जल प्रबंधन के लिए नदी को जोड़ने के फायदे:

- **जलविद्युत उत्पादन:** इस परियोजना में कई बांधों और जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, यदि पूरी परियोजना को क्रियान्वित किया जाता है, तो एनआरएलपी लगभग 34000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है।
- **साल भर पानी की उपलब्धता:** नदी को आपस में जोड़ने से शुष्क मौसम के प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यही कारण है कि जब शुष्क मौसम होता है, जलाशयों में जमा अधिशेष पानी छोड़ा जा सकता है। इससे नदियों में कम से कम जल प्रवाह हो सकेगा।
- **सिंचाई में लाभ :** नदी को जोड़ने की परियोजना से पानी की कमी वाले स्थानों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। इससे कृषि उत्पादन में समस्याएँ आती हैं जब मानसून में देरी या अन्य कारण से यह सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने पर इसे हल किया जा सकता है।
- अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रणाली की बेहतर होने के कारण नदी को जोड़ने वाली परियोजना से व्यावसायिक में भी मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, जैसा कि मानचित्र 1 में दिखाया गया है, इससे पूरे भारत में नदियों का जटिल नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी जहां एनआरएलपी नदी को आपस में जोड़ने को लागू करेगा। इससे परिवहन क्षमता बढ़ेगी।
- इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आदि के रूप में आय का एक वैकल्पिक स्रोत होगा। यह अतिरिक्त वाटरलाइन रक्षा के माध्यम से देश की रक्षा और सुरक्षा को भी बढ़ाएगा।

प्रमुख मुद्दे

- **पारिस्थितिक मुद्दे:** प्रमुख चिंताओं में से एक यह है कि नदियाँ 70-100 वर्षों में अपना मार्ग बदलती हैं और इस प्रकार एक बार जुड़ जाने के बाद, भविष्य में परिवर्तन परियोजना के लिए बड़ी व्यावहारिक समस्याएं पैदा कर सकता है।
- **जलीय जीवन (Aqua life):** कई प्रमुख पर्यावरणविदों की राय है कि यह परियोजना एक पारिस्थितिक आपदा हो सकती है। डाउनस्ट्रीम प्रवाह में कमी होगी जिसके परिणामस्वरूप समुद्र में ताजे पानी के प्रवाह में कमी आएगी जिससे जलीय जीवन गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा।
- **वनों की कटाई:** नहरों के निर्माण के लिए भूमि के बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होगी जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी।

	- **जलमग्न क्षेत्र का होना :** नए बांधों की संभावना बड़ी आरक्षित भूमि के पानी या सतही जल में डूब जाने के खतरे के साथ आती है। उपजाऊ डेल्टा खतरे में होंगे, तटीय कटाव से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की भूमि और आजीविका को खतरा होने की उम्मीद है जो 160 मिलियन लोगों को प्रभावित करेगी। - **लोगों का विस्थापन (Displacement of people):** चूंकि भूमि की बड़ी पट्टियों को नहरों में बदलना पड़ सकता है, इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाली एक बड़ी आबादी को नए क्षेत्रों में बसाने की आवश्यकता होगी। - **स्वच्छ जल का गंदा होना:** जैसे-जैसे नदियाँ आपस में जुड़ती हैं, गंदे पानी वाली नदियाँ स्वच्छ पानी वाली नदियों से जुड़ जाएँगी, जिससे साफ पानी गंदा हो जाएगा। - लिंक नहरों के निर्माण से लेकर निगरानी और रखरखाव के बुनियादी ढांचे तक नदी को आपस में जोड़ना एक महंगा व्यवसाय है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए न केवल एक बड़ी वित्तीय पूंजी बल्कि राजनीतिक समर्थन की भी आवश्यकता होगी। - एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा राज्यों के बीच आम सहमति बनाना और भूमि अधिग्रहण है। - इस परियोजना से जैव विविधता और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। **निष्कर्ष** एक विहंगम दृष्टि से ऐसा लगता है कि नदी को आपस में जोड़ने से भारत के जल संकट के मुद्दे को हल करने की क्षमता है। हालाँकि, इस मुद्दे को नदी-आपस में जोड़ने की आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर देखना आवश्यक है। संघीय मुद्दों को आसान बनाने पर पर्याप्त जोर देने के साथ इसे मामला दर मामला आधार पर सबसे उपयुक्त रूप से देखा जाना चाहिए। इसके अलावा एक पूरक उपाय के रूप में हम पारंपरिक जल संचयन और जल प्रबंधन तकनीकों को शामिल कर सकते हैं जिससे भारत को जल सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। **ध्यान देना :** **रिवर सिटीज एलायंस (Launch of River Cities Alliance-RCA) का शुभारंभ** - **क्या:** शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए भारत में नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच, विचार-विमर्श और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए। - दुनिया में अपनी तरह का यह पहला गठबंधन दो मंत्रालयों अर्थात जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। - गठबंधन तीन व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा- नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** क्या आपको लगता है कि भारत में जल प्रबंधन के लिए नदी को आपस में जोड़ना सबसे उपयुक्त तरीका है? समालोचनात्मक जाँच कीजिए। **2.** देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे और बाढ़ से लड़ने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने का विचार आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण हो सकता है लेकिन इसके पारिस्थितिक परिणाम अन्य लाभों से कहीं अधिक हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी करें।
कैसे प्रौद्योगिकी भारत के भूजल को बचाने में मदद कर सकती है (How technology can help save India's groundwater)	**संदर्भ:** भूजल सदियों से मानवता के लिए एक अमूल्य संसाधन रहा है। आज प्रौद्योगिकी, स्थानीय शासन के साथ, भूजल को बचाने का आखिरी मौका प्रदान करती है, बेशक दुनिया एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ी हो। **भारत में जल संकट** - भूजल संसाधन आकलन समिति की रिपोर्ट (2015 से) के अनुसार, देश के 6,607 ब्लॉकों में से 1,071 का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है; यह वर्षों से खराब होने की संभावना है। - देश की एक तिहाई से अधिक आबादी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। - वर्ष 2011 तक देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1950 के स्तर के एक तिहाई से भी कम हो गई थी, यह बढ़ती आबादी और निरंतर उपयोग में वृद्धि के कारण। - भारत में 82 फीसदी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं है और 163 मिलियन घरों के पास स्वच्छ पानी

तक पहुंच उपलब्ध नहीं हैं।

भारत में भूजल

भूजल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। देश की अर्थव्यवस्था कई तरह से भूजल विकास से जुड़ी हुई है और इसकी अपर्याप्तता प्रगति को ख़तरे में डाल देगी।

- नलकूप, बोरवेल, झरने और कुएं भारत में भूजल उत्पादन और दुरुपयोग का प्राथमिक स्रोत हैं। वर्तमान में, उपलब्ध संसाधनों और निकाले गए पानी की मात्रा के बीच एक पूर्ण बेमेल है।
- आंकड़े बताते हैं कि भारत में भूजल की निकासी एक पूर्ण उद्योग है और इसमें वृद्धि भी हुई है।
    - ड्रिलिंग रिग और पंपों ने 10-12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।
    - पिछले दो दशकों में अतिरिक्त 10 मिलियन कुओं को सबमर्सिबल पंपों से सक्रिय किया गया है।
    - घरेलू, संस्थागत, वाणिज्यिक और मनोरंजन क्षेत्रों में केन्द्रापसारक पम्पों (Centrifugal pumps) का कोई हिसाब नहीं है।
- कुछ सीख:
    - यदि भूजल की अत्यधिक मांग को कम करना है तो भूजल निष्कर्षण को धन-उत्पादन से अलग करना होगा।
    - भूजल के उपयोग को 'बुराई' नहीं बनाया जाना चाहिए। हालाँकि, 'आवश्यकता' को 'लालच' से अलग करने में विफल होना आपराधिक है।

भूजल प्रदूषण के कारण

- **उद्योग-**विनिर्माण और अन्य रासायनिक उद्योगों को प्रसंस्करण और सफाई उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस उपयोग किए गए पानी को बिना उचित उपचार के वापस जल स्रोतों में पुनर्चक्रित किया जाता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे को डंप किया जाता है, जिसके रिसने से भूजल दूषित होता है।
- **कृषि-** पौधों को उगाने में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक, कीटनाशक और अन्य रसायन भूजल को दूषित करते हैं।
- **आवासीय क्षेत्र-** ये भूजल संदूषण के लिए प्रदूषक (सूक्ष्मजीव और कार्बनिक यौगिक) उत्पन्न करते हैं
- **माइनिंग-** माइन ड्रेन डिस्चार्ज, ऑयलफील्ड स्पिल्ज, स्लज और प्रोसेस वाटर भी भूजल को दूषित करते हैं।
- **तटीय क्षेत्र-** खारे पानी की घुसपैठ से आसपास के क्षेत्रों में भूजल की लवणता बढ़ जाती है।
- **अत्यधिक निष्कर्षण-** यह निकाले गए क्षेत्रों में खनिजों की सांद्रता को बढ़ाता है, जिससे यह दूषित हो जाता है।

भारत के भूजल को बचाने में तकनीक कैसे मदद हो सकती है?

भूजल की समग्र स्थिरता के लिए प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी और आजीविका का एकीकरण महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी भूजल उपयोग से संबंधित आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं पर 'निर्णय लेने' में मदद कर सकती है। प्रौद्योगिकी-निर्देशित निर्णय लेने से भूजल के दुरुपयोग को अलग करने और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

- स्वचालित निर्णय लेना एक ऐसा पहलू है जिसे भूजल निष्कर्षण के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। हमें उपयुक्त मानवीय प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने की आवश्यकता है।
- स्मार्ट पंपों को बुनियादी कुएं के स्तर पर स्वचालन का हिस्सा बनाना चाहिए। सेंसर और निर्णय लेने वाले उपकरणों को बुद्धिमान बनाने के लिए पंप डिजाइन के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- वास्तविक समय में लाखों कुओं के डेटा के विश्लेषण के लिए पूर्वानुमान उपकरणों के साथ बिग-डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और रीयल-टाइम मॉडलिंग द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है।
- जल निकासी प्रणालियों को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी को जल्द से जल्द अपनाया जाना चाहिए और अधिसूचना के पांच साल बाद पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए।
    - सभी मौजूदा नलकूप मालिकों को नई तकनीक में अपग्रेड करने की आवश्यकता होनी चाहिए। सभी नए कुओं को निर्माण के दौरान स्वचालन को एकीकृत करना चाहिए।
    - उद्योगों, खेतों, आवासीय परिसरों, थोक निकासी वाले कई कुओं वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अधिसूचना के छह महीने के भीतर स्वचालन लागू करना चाहिए।
    - अलग-अलग घरों, छोटे खेतों, स्कूलों, सार्वजनिक संस्थानों को ऑटोमेशन अपनाने और जल निकासी

	मानदंडों के अनुरूप प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ○ कुएं के मालिकों के लिए स्वचालन की लागत जेब पर चुटकी नहीं लेनी चाहिए, आदर्श रूप से मूल स्मार्टफोन की कीमत से मेल खाती है। **स्वचालन लाभ (Automation advantages)** ● आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने से निर्णय लेने और सक्रिय शासन के लिए उभरते परिदृश्यों की कल्पना करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, विभिन्न उपकरणों में स्मार्ट सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (रोजमर्रा की वस्तुओं में एम्बेडेड कंप्यूटिंग उपकरणों के इंटरनेट के माध्यम से इंटरकनेक्शन, जो डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है) परिणाम के डेटा की दृश्यता को सक्षम करेगा। ● लाखों नोड्स (कुओं) के डेटा का विकेंद्रीकृत तरीके से एक साथ विश्लेषण किया जा सकता है। मालिकों को सूचित करके यह निर्णय पूरे भारत में एक साथ लागू किए जा सकते हैं। ● सभी नोड्स से डेटा उन्नत क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए क्लाउड सर्वर पर एकत्रित होगा। ● स्वचालन के माध्यम से भूजल का उपयोग, चाहे वह कृषि, उद्योग, वाणिज्य, खेल, मनोरंजन और घरेलू उपयोग के लिए हो, दैनिक और वार्षिक खपत पर जल पदचिह्न मानदंडों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ● डेटा ट्रैफिक फ्लो के ज़ेटाबाइट्स (Zettabytes) कुएं, वाटरशेड, एक्विफर और रिवर बेसिन स्केल पर पानी के संतुलन के दैनिक ऑडिट को सक्षम करेंगे। ● बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई के साथ मिलकर, खतरे के अंतर्गत आम संपत्ति संसाधन की रक्षा के लिए शासन को राष्ट्रीय व्यवहार के अभ्यास में बदल देगा। प्रौद्योगिकी-निर्देशित निर्णय लेने से भूजल के दुरुपयोग को अलग करने और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह भावी पीढ़ी के लिए एक्वीफर्स के भीतर भूजल का सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करेगा। **आगे की राह** ● अपव्यय और संदूषण को रोकने में मदद करने के लिए सभी सक्रिय पंपिंग कुओं के लिए सेंसर और निर्णय लेने वाले उपकरणों को एकीकृत करना अनिवार्य बनाना। ● लाखों आम नागरिकों और संस्थानों द्वारा स्थापित निजी तौर पर वित्तपोषित कुओं, पंपों, परिवहन पाइपों, भंडारण जलाशयों, ड्रिपों, स्प्रिंकलरों के साथ-साथ उपचार संयंत्रों ने पहले से ही एक कुशल विकेन्द्रीकृत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया है। ● मौजूदा निवेश में अतिरिक्त तकनीक को शामिल करना अपव्यय को कम करने, दक्षता में सुधार और स्वशासन की दिशा में पहला कदम है। ● आगे के निर्माणों को विनियमित करने और जलभृतों के अंदर संसाधन के 50 प्रतिशत की अवधारण सुनिश्चित करने में उचित नीतिगत हस्तक्षेप केवल इसके निर्वाह में मदद कर सकते हैं। *भूजल एकमात्र प्राकृतिक संसाधन है जो सभी को मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। गरीबों के लिए यह सामाजिक गतिशीलता के साथ-साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया है।* **<u>नोट: भूजल मानचित्रण</u>** ● वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा शुष्क क्षेत्रों में भूजल स्रोतों के मानचित्रण के लिए नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इस प्रकार "हर घर नल से जल" योजना के पूरक के लिए पीने के लिए भूजल का उपयोग करने में मदद करता है। ● अनुमानित लागत 141 करोड़ के साथ 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के साथ पूरा काम वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** भारत के कृषि प्रधान राज्यों में भूजल संदूषण की समस्या का परीक्षण कीजिए। इस चुनौती से निपटने के संभावित तरीके क्या हैं? चर्चा करना। **2.** भूजल का नाइट्रेट प्रदूषण भारत के कई हिस्सों में गंभीर चिंता का विषय है। भूजल के नाइट्रोजन प्रदूषण का क्या कारण है? इससे जुड़े स्वास्थ्य खतरे क्या हैं। साथ ही इस समस्या के समाधान के उपायों पर भी चर्चा करें।

अप्रभावी जादू की गोलियां: एंटीबायोटिक प्रतिरोध अब दुनिया भर में मौतों का प्रमुख कारण है (Ineffective magic bullets: Antibiotic resistance is now the leading cause of deaths across the globe)	**प्रसंग:** जिस घटना से बैक्टीरिया और कवक बनते हैं और वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिरोधी होते हैं, उसे एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। रोगाणुरोधी शब्द का प्रयोग जीवित रोगाणुओं को लक्षित करने वाली दवाओं के लिए किया जाता है। • जीवाणु संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स, वायरल संक्रमण के लिए एंटी-वायरल, फंगल संक्रमण के लिए एंटीफंगल, और परजीवी के कारण संक्रमण के लिए एंटी-पैरासिटिक शामिल हैं। • यह शब्द मोटे तौर पर परिभाषित करता है कि कैसे पहले प्रभावी ढंग से काम करने वाली दवाएं रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने में असमर्थ हैं। आमतौर पर, एक रोगज़नक़ एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए दो मार्ग अपना सकता है: • एक रोगज़नक़ के अपने जीन दवा से लड़ने में मदद करने के लिए अनायास उत्परिवर्तित हो सकते हैं। उत्परिवर्तन एक जीवाणु आबादी के माध्यम से फैलने में समय लेते हैं। • क्षैतिज जीन स्थानांतरण- बग के लिए अपने पड़ोसियों से प्रतिरोध जीन उधार लेने के लिए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज कई मानव रोगजनकों ने पर्यावरण से अपने प्रतिरोध जीन को उठाया है। **कुंजी संख्या (Key Numbers)** • अनुपचारित संक्रमण के कारण दुनिया भर में प्रति वर्ष कम से कम 1.27 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। • इनमें एचआईवी/एड्स या मलेरिया से मरने वालों की संख्या अधिक है। • वर्ष 2019 में बैक्टीरियल AMR से जुड़ी अनुमानित 4.95 मिलियन मौतें हुईं। इनमें से 1.27 मिलियन मौतें सीधे तौर पर एएमआर के कारण हुईं। • छोटे बच्चे एएमआर से विशेष रूप से प्रभावित पाए गए, हालांकि प्रत्येक जनसंख्या समूह जोखिम में है। वर्ष 2019 में, एएमआर के कारण होने वाली पांच में से एक मौत पांच साल से कम उम्र के बच्चों में हुई। **चिंताओं** • **चिकित्सा प्रगति को पूर्ववत करना :** एएमआर आधुनिक चिकित्सा के लिए एक संभावित खतरे का प्रतिनिधित्व है। एएमआर एक धीमी सुनामी है जो चिकित्सा प्रगति की एक सदी को पूर्ववत करने की धमकी (threatens) देती है। • **बढ़ी हुई मृत्यु दर:** पहले से ही एएमआर एक वर्ष में 7,00,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। एएमआर से नवजात और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हुई । • **आर्थिक नुकसान:** जब तक इस खतरे को दूर करने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए जाते, हम जल्द ही एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं, जिसमें 10 मिलियन वार्षिक मौतें और वर्ष 2050 तक 100 ट्रिलियन डॉलर तक की लागत शामिल है। • **संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि:** जीवाणु और कवकीय संक्रमणों के उपचार के लिए कार्यात्मक रोगाणुरोधी दवाओं के बिना सबसे सामान्य शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं, साथ ही साथ कैंसर कीमोथेरेपी, अनुपचारित संक्रमणों से जोखिम से भरा रहेगा। • **गरीब अर्थव्यवस्थाओं पर अनुपातहीन बोझ:** एशिया और अफ्रीका के निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) को असाध्य संक्रामक रोगों से ग्रस्त होने का गंभीर खतरा है। • वृद्ध आबादी की तुलना में कमजोर प्रतिरक्षा के कारण बाल रोगी श्वसन और दस्त के संक्रमण की चपेट में हैं। • इनमें से अधिकांश संक्रमण वायरस के कारण होते हैं जो बुखार, बहती नाक, खांसी और पानी से भरे दस्त का कारण बनते हैं। • वायरल संक्रमण आमतौर पर स्वयं सीमित होते हैं और लक्षणों को दूर करने के लिए केवल दवाओं की आवश्यकता

होती है; उदाहरण के लिए, पेरासिटामोल बुखार को कम करता है। सेलाइन नोज ड्रॉप बंद नाक से राहत दिलाता है।

- जीवाणु संक्रमण का इलाज करने के लिए बने एंटीबायोटिक्स का वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है।
- बच्चों को अकसर हर साल एंटीबायोटिक के कई कोर्स (courses) मिलते हैं क्योंकि वायरल संक्रमण बार-बार होता है। यह समस्या उन बच्चों में और अधिक होती है जिनके पास अतिसंवेदनशील वायुमार्ग होते हैं जो जलवायु परिस्थितियों या प्रदूषण के स्तर में बदलाव होने पर उन्हें खांसी होती हैं। इन स्थितियों को अकसर बैक्टीरियल निमोनिया के रूप में गलत माना जाता है और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ अनावश्यक रूप से इलाज किया जाता है।

कारण

- **प्राकृतिक प्रक्रिया उत्प्रेरित:** सूक्ष्मजीव एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में रोगाणुरोधी एजेंटों के लिए प्रतिरोध विकसित करते हैं। लेकिन, मानव गतिविधि ने इस प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है।
- **एंटीबॉडी का दुरुपयोग:** मानव, पशुधन और कृषि के लिए रोगाणुरोधी दवाओं का दुरुपयोग और अति प्रयोग शायद इसका सबसे बड़ा कारण है, लेकिन अन्य कारक भी योगदान करते हैं। COVID-19 ने संक्रमण और नियंत्रण उपायों जैसे हाथ धोने और निगरानी के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने से यह आशंका बढ़ गई है कि रोगियों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण एएमआर खराब हो जाएगा।
- **अपशिष्ट रिलीज (Waste releases) :** एक बार सेवन करने के बाद, 80% तक एंटीबायोटिक दवाएं प्रतिरोधी बैक्टीरिया के साथ-साथ बिना चयापचय के बाहर निकल जाती हैं। इसके अलावा, वे घरों और स्वास्थ्य एवं दवा सुविधाओं से अपशिष्टों में छोड़े जाते हैं, तथा कृषि अपवाह, प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों का प्रसार कर रहा है।
- **अप्रभावी अपशिष्ट जल उपचार:** भारत में एक उपचार सुविधा से दवा निर्माताओं के लिए एकल अपशिष्ट जल निर्वहन के विश्लेषण में पाया गया कि प्रति दिन 40,000 से अधिक लोगों का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की सांद्रता काफी अधिक है। इस प्रकार, अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं सभी एंटीबायोटिक्स और प्रतिरोधी बैक्टीरिया को हटाने में असमर्थ हैं।
- **प्रदूषण:** अनुसंधान एएमआर में पर्यावरण और प्रदूषण की भूमिका की ओर इशारा करता है।
- **अन्य कारण:** पानी, एएमआर के प्रसार के लिए एक प्रमुख माध्यम हो सकता है, विशेष रूप से अपर्याप्त जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता वाले स्थानों में। वन्यजीव जो रोगाणुरोधी युक्त निर्वहन के संपर्क में आते हैं, वे भी दवा प्रतिरोधी जीवों के उपनिवेश बन सकते हैं।

आगे की राह

भारत एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बुरी तरह प्रभावित है और इससे बीमारियों का बोझ बढ़ गया है। सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा करने से लेकर उसे संबोधित करने के लिए कई उपाय करें।

- **व्यापक निगरानी ढांचा:** रोगाणुओं में प्रतिरोध के प्रसार को ट्रैक करने के लिए, इन जीवों की पहचान करने हेतु निगरानी उपायों को अस्पतालों से परे विस्तारित करने और पशुधन, अपशिष्ट जल और खेत के अपवाह को शामिल करने की आवश्यकता है।
- **सतत निवेश:** अंत में, चूंकि रोगाणु अनिवार्य रूप से विकसित होते रहेंगे और नए रोगाणुरोधी भी प्रतिरोधी बनेंगे, इसलिए हमें निरंतर आधार पर नए प्रतिरोधी उपभेदों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए निरंतर निवेश और वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है।
- **फार्मास्युटिकल कचरे का प्रबंधन होना :** फार्मास्युटिकल कचरे के माध्यम से एएमआर फैलाने में विनिर्माण और पर्यावरण प्रदूषण की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, फार्मास्युटिकल कचरे में जारी सक्रिय एंटीबायोटिक दवाओं की मात्रा को रोकने के उपायों पर गौर करने की आवश्यकता है।
- **नियंत्रित नुस्खे और उपभोक्ता जागरूकता:** प्रदाता प्रोत्साहनों के माध्यम से नुस्खे को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अनुपयुक्त मांग को कम करने के लिए शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए।
- **बहु-क्षेत्रीय समन्वय:** एएमआर अब केवल स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रेषण नहीं होना चाहिए, बल्कि कृषि, व्यापार और

	पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ाव की आवश्यकता है। क्लीनिकल चिकित्सा में समाधान कृषि, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण में एएमआर की बेहतर निगरानी के साथ एकीकृत किए जाने चाहिए। ● एंटीमाइक्रोबायल्स के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह चिकित्सकों को केवल स्वास्थ्य साधक को संतुष्ट करने के लिए रोगाणुरोधी दवाओं का सहारा नहीं लेने में मदद करेगा। ● **बेहतर और तेजी से निदान सुविधाएं:** रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे रैपिड मलेरिया एंटीजन टेस्ट, डेंगू एनएस 1 एंटीजन टेस्ट आदि की उपलब्धता ने क्लीनिकल निदान की पुष्टि करने और उचित उपचार देने में लगने वाले समय में क्रांति लाई। ● तर्कहीन एंटीबायोटिक संयोजनों के साथ-साथ एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर उपलब्धता से बचने हेतु देश को कड़े नियमों की आवश्यकता है। ● निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, मेनिन्जाइटिस, काली खांसी आदि जैसे जीवाणु रोगों को रोकने में टीकाकरण उपयोगी होता है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की गंभीरता पर विस्तार से बताएं। यह भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को कैसे प्रभावित करता है? 2. एक बड़ी चुनौती आम वायरल बीमारियों के लिए रोगाणुरोधी दवाओं के तर्कहीन उपयोग की जाँच करना है जिससे अधिकांश बच्चे पीड़ित हैं। चर्चा कीजिए।
साइबर धमकी (Cyber Threats)	**संदर्भ:** वर्ष 2020 में साइबर हमलों/साइबर अपराधों से दुनिया को होने वाली लागत का अनुमान $ 1 ट्रिलियन से अधिक माना जाता है और 2021 में यह $ 3 ट्रिलियन- $ 4 ट्रिलियन के बीच होने की संभावना है। ● अमेरिकी रक्षा सचिव ने चेतावनी दी कि संभावित कमजोरियों के एक नए युग को उजागर करते हुए दुनिया को एक तरह के 'साइबर पर्ल हार्बर' के लिए तैयार रहना होगा। ● हालांकि, उभरते साइबर खतरे से निपटने के तरीके के बारे में पश्चिमी देश अपने रास्ते से डगमगाते दिख रहे है। साइबर खतरों में वृद्धि के बावजूद प्रत्येक अगले वर्ष प्रतिक्रिया के तरीके में कोई बदलाव नहीं देखा गया। **संवेदनशील क्षेत्र** ● विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले समय में सबसे अधिक लक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान, संचार और सरकारें होने की संभावना है। ● सूचना युग में, डेटा सोना है। प्रमुख आईटी आउटेज के अलावा, क्रेडेंशियल खतरों और डेटा उल्लंघनों, फ़िशिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा, मुख्य चिंताओं में से एक है। ● अधिकांश साइबर हमले छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों पर निर्देशित होते हैं, और संभावना है कि यह प्रवृत्ति बढ़ेगी। ● रैंसमवेयर तीव्रता में बढ़ रहा है और एक निकट विनाशकारी खतरा बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि कई उपलब्ध आसान लक्ष्य हैं। इस संबंध में आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि हर 10 सेकेंड में नए हमले हो रहे हैं। ● घर से काम करने का भारी सुरक्षा प्रभाव (महामारी से तेज) साइबर हमलों की गति को और तेज करने की संभावना है। घरेलू कंप्यूटरों और नेटवर्कों पर हमलों की झड़ी लगना लगभग तय है ● विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में सब कुछ क्लाउड पर रखने की प्रवृत्ति का उल्टा असर हो सकता है, जिससे कई सुरक्षा होल, चुनौतियाँ, गलत कॉन्फ़िगरेशन और आउटेज हो सकते हैं। **कम स्पष्टता का मुद्दा** ● सबूतों के बावजूद, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार बढ़ रहे साइबर खतरे का उचित समाधान खोजने में असफल प्रतीत होते हैं। ● मानक तरीके अपनाने से सभी तरह के साइबर हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है। सुझाए गए कुछ मानक तरीके हैं:

	○ साइबर हमलों के जोखिम को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के जानकार एसएएसई - सिक्योर एक्सेस सर्विस एज - को शामिल करने वाले प्रत्येक उद्यम पर जोर दे रहे हैं। ○ अतिरिक्त समाधान प्रस्तावित किए जा रहे हैं जैसे कि CASB - क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर - और SWG - सिक्योर वेब गेटवे - जिसका उद्देश्य वेब-आधारित खतरों से उपयोगकर्ताओं को जोखिम रोकना है। ○ 0 जीरो ट्रस्ट मॉडल जो सख्त पहचान सत्यापन पर डालता है 'केवल अधिकृत और प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को डेटा एप्लिकेशन तक पहुंचने की अनुमति देना साइबर हमलों की वर्तमान लहर के सामने प्रभावी नहीं हो सकता है। ● जबकि पश्चिम ने साइबर खतरे के 'सैन्यीकरण' पर ध्यान केंद्रित किया, और यह अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं के साथ सबसे अच्छा कैसे जीत सकता है, बहुमूल्य समय खो गया जिससे गलत विचार और गलत सामान्यीकरण हो गए। **आगे की राह** ● पिछले दशक के दौरान हुए निम्न और मध्यम स्तर के सक्रिय साइबर हमलों की श्रृंखला के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। ● सुरक्षा में निवेश करने और अल्पकालिक लाभ को अधिकतम करने के बीच - व्यक्तिगत कंपनियों को ट्रेडऑफ़ से रोकने की आवश्यकता है। किसी को यह जागरूक करने की आवश्यकता है कि अपर्याप्त कॉर्पोरेट सुरक्षा की कंपनी के लिए भारी लागत हो सकती है और इस प्रकार इन कंपनियों को अपने संचालन में साइबर सुरक्षा को अपनाने के लिए राजी करना और उनका समर्थन करना चाहिए। ● राष्ट्रों और संस्थानों को, 'बिग बैंग साइबर हमले' की प्रतीक्षा करने के बजाय, सक्रिय रूप से साइबर हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए - अनिवार्य रूप से रैंसमवेयर यह मुख्य रूप से उपलब्ध डेटा पर निर्देशित है । ● परिणामस्वरूप कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर हमलों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। ● तकनीकी पक्ष को हल करते समय 'समाधान का एक हिस्सा, नेटवर्क और डेटा संरचनाओं को एक ही समय में विकेन्द्रीकृत और घने नेटवर्क, हाइब्रिड क्लाउड संरचनाओं, अनावश्यक अनुप्रयोगों और बैकअप प्रक्रियाओं के माध्यम से लचीलापन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है'। ● इसका तात्पर्य है 'नेटवर्क विफलताओं के लिए योजना और प्रशिक्षण ताकि व्यक्ति आक्रामक साइबर अभियान के बीच भी अनुकूलन कर सकें और सेवा प्रदान करना जारी रख सकें'। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● साइबर सुरक्षा और बैंक ● नेटग्रिड ● भारत को साइबर सुरक्षा रणनीति की जरुरत ● वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक
ड्रोन पर आयात प्रतिबंध (Import Ban on Drones)	**संदर्भ:** सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात को विनियमित करने वाला एक आदेश जारी किया। **क्या कहता है आदेश?** ● वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने फरवरी 2022 को ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया। ● सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं और ड्रोन निर्माताओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य के साथ-साथ रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात की अनुमति डीजीएफटी से अनुमोदन पर प्रदान की जाएगी। ● आदेश में यह भी कहा गया है कि ड्रोन घटकों का आयात "मुफ्त" है, जिसका अर्थ है कि डीजीएफटी से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जिससे स्थानीय निर्माताओं को डायोड, चिप्स, मोटर, लिथियम आयन बैटरी आदि जैसे पुर्जे आयात करने की अनुमति मिलती है। ● इस आदेश से पहले, ड्रोन का आयात "प्रतिबंधित" था और इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की पूर्व मंजूरी और DGFT से आयात लाइसेंस की आवश्यकता थी।

	• 250 ग्राम के ड्रोन नैनो ड्रोन कहलाते हैं। इन्हें उड़ाने के लिए अनुमति या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, उन्हें 50 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भरने की इजाजत रहेगी। माइक्रो ड्रोन यानी 250 ग्राम से ज्यादा और दो किलो तक के ड्रोन के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर, नो परमिशन-नो टेकऑफ टेक्नोलॉजी और स्थानीय पुलिस की अनुमति लेनी होगी। इन्हें अधिकतम 200 फीट तक उड़ाया जा सकेगा। **स्वदेशी ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने और क्या उपाय किए हैं?** • वर्ष 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और भारत को ड्रोन हब बनाने के उद्देश्य से उदारीकृत ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया। • इसके तहत कई प्रकार की अनुमतियों और अनुमोदनों को समाप्त कर दिया। इसके लिये जिन प्रपत्रों को भरने की आवश्यकता होती है, उनकी संख्या 25 से घटाकर पाँच कर दी गई • उन्होंने किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। • इन नियमों के तहत, R & D संस्थाओं को भी सभी प्रकार की अनुमतियों से पूरी छूट प्रदान की गई है, और भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। • सरकार ने भारत को "2030 तक वैश्विक ड्रोन हब" बनाने के उद्देश्य से ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है। ○ इसने तीन साल की अवधि के लिए ₹120 करोड़ आवंटित किए हैं जिसके तहत यह ड्रोन या ड्रोन घटकों या ड्रोन से संबंधित आईटी उत्पादों के निर्माता द्वारा किए गए मूल्यवर्धन के 20% का प्रोत्साहन प्रदान करेगा। **घोषणा का तत्काल प्रभाव क्या होने की संभावना है?** • आयात प्रतिबंध क्या करेगा कि यह सुनिश्चित करता है कि एक भारतीय निर्माता के पास आईपी, डिजाइन और सॉफ्टवेयर का नियंत्रण है जो उसे उत्पाद की पूरी समझ और नियंत्रण देता है। समय के साथ यह आगे स्वदेशीकरण को सक्षम कर सकता है। • घरेलू उद्योग ने पोषण और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा इसे बहुत अच्छा कदम माना है। • लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि प्रतिबंध को कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है। • उस अंतर पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो आयात प्रतिबंध विशेष रूप से तब होगा जब स्थानीय निर्माता विदेशी निर्मित घटकों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। • भारत में अधिकांश ड्रोन निर्माता भारत में आयातित घटकों को इकट्ठा करते हैं, और निर्माण कम होता है। • अपनी रक्षा जरूरतों के लिए, भारत इजरायल से आयात करता है और यू.एस. उपभोक्ता ड्रोन जैसे शादी की फोटोग्राफी के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन चीन से आते हैं और लाइट शो के लिए ड्रोन भी रूस के अलावा चीन से आते हैं। • भारतीय ड्रोन निर्माता और सेवा प्रदाता सर्वेक्षण और मानचित्रण, सुरक्षा और निगरानी, निरीक्षण, निर्माण प्रगति निगरानी और ड्रोन वितरण जैसे विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए ड्रोन की व्यवस्था करते हैं। • प्रतिबंध से उन लोगों को नुकसान होने की संभावना है जो शादियों और कार्यक्रमों के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से चीन से आते हैं क्योंकि ये सस्ते और उपयोग में आसान होते हैं और भारत को अभी भी इनके निर्माण में बहुत कुछ करना है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • ड्रोन और उनके अनुप्रयोग • कृषि में ड्रोन
भारत का भू-स्थानिक क्षेत्र (India's Geospatial Sector)	**संदर्भ:** फरवरी 2021 में भारतीयों के लिए भू-स्थानिक क्षेत्र को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश प्रभावी हुए। यह पीछे मुड़कर देखने और इसके प्रभाव का आकलन करने एवं बाधाओं की पहचान करने का समय है ताकि भू-स्थानिक क्षेत्र की पूरी क्षमता को महसूस किया जा सके। **भू-स्थानिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति** • भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र में एक सुदृढ़ पारितंत्र मौजूद है जहाँ विशेष रूप से भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey Of India- SoI), इसरो (ISRO), रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर (RSACs) एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और सामान्य रूप से सभी मंत्रालयों एवं विभाग भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

	- दिशा-निर्देशों की घोषणा के बाद केंद्रीय बजट 2022-23 में भू-स्थानिक क्षेत्र के बारे में आवश्यक चर्चा को उत्पन्न कर दिया है। वर्ष 2029 तक 13% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ इस क्षेत्र के निवल मूल्य में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। - नए दिशानिर्देशों के बाद से, कुछ ध्यान देने योग्य घटनाक्रम MapmyIndia की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की सदस्यता, भारत में Genesys International द्वारा एक शहर मानचित्रण कार्यक्रम की शुरुआत और भारत के भू-स्थानिक क्षेत्र में निवेशकों द्वारा आक्रामक रुख थे। **क्या सक्षम नीति लागू होने के बावजूद अभी भी बाधाएं हैं?** **जागरूकता की कमी के कारण कम मांग:** भारत की क्षमता और आकार से जुड़े पैमाने पर भू-स्थानिक सेवाओं और उत्पादों की कोई मांग नहीं है। यह मुख्य रूप से सरकारी और निजी में संभावित उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता की कमी के कारण है। **अपर्याप्त उत्पाद:** कुछ मामलों को छोड़कर, भारत की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए उपयोग के लिए तैयार समाधान अभी भी नहीं हैं। **जनशक्ति की कमी:** अन्य बाधा पूरे पिरामिड में कुशल जनशक्ति की कमी रही है। पश्चिम के विपरीत, भारत में मुख्य पेशेवरों की कमी है जो भू-स्थानिक को अंत तक समझते हैं। **गवर्नेंस गैप:** डेटा शेयरिंग और सहयोग पर स्पष्टता की कमी सह-निर्माण और संपत्ति को अधिकतम करने से रोकती है। अतीत की प्रतिबंधात्मक डेटा नीति इन सीमित कारकों में से कई का मूल कारण थी। **आगे की राह** **जागरूकता बढ़ाना:** नए दिशानिर्देश लागू होने के एक साल बाद भी, उपयोगकर्ता अभी भी चीजों से पूरी तरह अवगत नहीं हैं। जरूरत है पूरे पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित करने और सरकारी और निजी यूजर्स को चीजों से अवगत कराने की। - पूरे देश में नींव डेटा उत्पन्न करें जिसमें भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल उन्नयन मॉडल (InDEM), शहरों के लिए डेटा स्तर और प्राकृतिक संसाधनों का डेटा शामिल होना चाहिए। - सरकारी विभागों के पास उपलब्ध डेटा को 'अनलॉक' किया जाना चाहिये और डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये एवं इसे सुलभ बनाया जाना चाहिये। - सरकार को विकासशील मानकों में निवेश करने और इन मानकों के अंगीकरण को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। **ओपन डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल:** डेटा शेयरिंग, सहयोग और सह-निर्माण की संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है। यह केवल एक खुले डेटा साझाकरण प्रोटोकॉल के माध्यम से संभव होगा। **उद्यमिता को बढ़ावा देना:** समाधान डेवलपर्स और स्टार्ट-अप को विभागों में विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए समाधान टेम्पलेट बनाने के लिए लगाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रौद्योगिकी और समाधानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। **विकेंद्रीकरण विनियमन:** एसओआई और इसरो जैसे राष्ट्रीय संगठनों को विनियमन और राष्ट्र की सुरक्षा एवं वैज्ञानिक महत्व से संबंधित परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। **अकादमिक सहयोग:** भारत को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) में भू-स्थानिक विषय में भी स्नातक कार्यक्रम शुरू करना चाहिये। इनके अलावा एक समर्पित भू-स्थानिक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिये।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

एफटीए भारत और यूके	**संदर्भ:** हाल ही में, भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के उद्देश्य से दिल्ली में व्यापार वार्ता शुरू की। इस समझौते से 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार दोगुना होने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। **मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?**

- यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है।
- एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।
- मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।
- FTAs को अधिमान्य व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच हालिया विकास

- ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन में स्वायत्तता लाई गई, यूके ने दिसंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों पक्षों के लगभग 99% टैरिफ को समाप्त कर दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच माल के मुक्त प्रवाह की अनुमति मिली।
- इससे ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन और कृषि उत्पादों के निर्यात में लगभग 10 अरब डॉलर की बचत होगी तथा ऑटोमोबाइल, शराब और सौंदर्य प्रसाधन निर्यात में कई सौ मिलियन डॉलर की बचत होगी।
- यह समझौता आगे ब्रिटेन को पैसिफिक रिम तक पहुंचने में मदद करता है, ऑस्ट्रेलिया सहित एक 11-राष्ट्र व्यापार समूह जिसे व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप कहा जाता है।

भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?

- इसी तरह, ब्रेक्सिट ने भी ब्रिटेन के लिए भारत के साथ एक नए मुक्त मेगा व्यापार समझौते पर स्वतंत्र और व्यापक रूप से बातचीत करने का मार्ग प्रशस्त किया।
- भारत ने मई, 2021 में ब्रिटेन के साथ £1 बिलियन के निवेश और वाणिज्यिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे यूके में 6,500 नौकरियां पैदा हुई, यह उनके बीच वाणिज्य में एक नया अध्याय खोलने वाला एक किक-स्टार्टर था।
- भारत और यू.के. के बीच मुक्त व्यापार समझौता न केवल व्यापार में बल्कि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग में भी भारी बदलाव लाएगा।
- ब्रिटेन में भारत के पारंपरिक दांव ऊंचे हैं क्योंकि ब्रिटिश भारतीय कंपनियों ने महामारी के बीच भी 2021 में कुल मिलाकर £85 बिलियन से अधिक का कारोबार किया।
- साथ ही, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने पर भारत के व्यापार में भारी उछाल देखने को मिलेगा, जो पिछले साल के 23.3 बिलियन पाउंड से बढ़कर एफटीए के बाद 50 बिलियन पाउंड हो गया था।
- पिछले दो दशकों में उपमहाद्वीप में ब्रिटिश आवक निवेश लगभग £21 बिलियन था, जिससे ब्रिटेन भारत में सबसे बड़ा पश्चिमी निवेशक बन गया, और इसमें पर्याप्त वृद्धि भी होगी।
- वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, भारत न केवल यूके का सबसे पसंदीदा भागीदार बन गया है, एफटीए पर हस्ताक्षर होने पर यूके में इसके 1.5 मिलियन प्रवासी को एक शॉट मिलेगा।

भारत ब्रिटेन से क्या चाहता है?

- यह वार्ता सभी व्यापार बाधाओं और हरित व्यापार को दूर करने के लिए केंद्रित है, भारत भी हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए अपने कार्बन पदचिह्न को 45% तक कम करने के लिए ब्रिटेन से सहयोग मांग रहा है।
- भारत और यू.के. के बीच व्यापार बढ़ने के साथ, अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और शिक्षा में एक साथ पर्याप्त गतिविधियां हो रही हैं।
    - दूसरी हरित क्रांति, जिसका उद्देश्य भारत में अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन को 400 मिलियन टन तक बढ़ाना है, का नेतृत्व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिक कर रहे हैं।
- TIGR2ESS, आधुनिक कृषि पद्धतियों को बनाने की थीसिस के आधार पर सामाजिक नीति और विज्ञान, जल विज्ञान और फसल विज्ञान में भारतीय और ब्रिटिश विशेषज्ञों के बीच गठबंधन को मजबूत करेगा, जो आज भारत को स्वीकार्य समाज की जरूरतों को दर्शाता है।

	● दोनों देश शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए भी काम कर रहे हैं, और संभवत: भारत एफटीए के बाद ब्रिटेन के अधिक विश्वविद्यालयों को उपमहाद्वीप में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति देगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● भारत-अमरीका व्यापार नीति फोरम ● क्वाड (भारत+अमेरिका+ऑस्ट्रेलिया+जापान) ● औकुस
अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध और डूरंड रेखा: यह क्यों महत्वपूर्ण है?	**संदर्भ:** अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध हमेशा दबाव में रहे हैं। दो पड़ोसियों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु एक औपनिवेशिक विरासत की स्थिति डूरंड रेखा है, जो पश्तून-प्रभुत्व वाले आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ● पहले से ही अनिश्चित वातावरण में, तालिबान के प्रभुत्व के साथ, 2021 के अंतिम कुछ हफ्तों में तनाव में वृद्धि हो गई। रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने बाड़ लगाने के लिए चाहर बुर्जक जिले में अफगानी क्षेत्र के अंदर 15 किलोमीटर का अतिक्रमण किया, नंगहर प्रांत के पास ऐसा करने के उनके प्रयासों के बाद ऐसा दूसरा प्रयास तालिबान द्वारा विफल कर दिया गया। ● अफगानिस्तान में, सत्ता में बैठे लोगों के बावजूद, इस रेखा को एक 'ऐतिहासिक गलती' माना जाता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक अवशेष जिसे अफगानी स्वीकार नहीं करते हैं। अगस्त 2021 में अमेरिका द्वारा प्रायोजित सरकार को हड़पने के बाद, तालिबान ने अपनी स्थिति दोहराई, यह कहते हुए कि बाड़ ने परिवारों को अलग कर दिया है, साथ ही साथ यह भी कहा कि वे 'कथित' सीमा पर बाड़ लगाने के किसी भी नए प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगे। ● दूसरी ओर, पाकिस्तान इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है और बाड़ लगाने को एक निश्चित उपलब्धि मानता है क्योंकि इसका 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है, अफगानिस्तान के पास इसकी वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ● जिन परिस्थितियों के कारण डूरंड समझौते पर हस्ताक्षर और डूरंड रेखा की घोषणा का मार्ग प्रशस्त हुआ ● 18वीं शताब्दी में दुर्रानी राजवंश के पतन के बाद, पश्तून साम्राज्य बिखर गया और अंततः अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। लेकिन भीतरी इलाके हमेशा शासन करने के लिए एक कठिन क्षेत्र थे। ● जब दो एंग्लो-अफगान युद्ध (1838-42 और 1878-80) ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करने और जुझारू आदिवासी समूहों को वश में करने में विफल रहे, तो एक नीति पुनर्मूल्यांकन किया गया। ● मध्य एशिया की ओर रूसी प्रगति के डर से, और पश्तून जनजातियों द्वारा उनकी बसी हुई आबादी पर संभावित हमले के डर से, एक बहुस्तरीय रक्षा तंत्र-एक त्रिपक्षीय सीमा-तीन संकेंद्रित सीमाओं के साथ तैनात किया गया था: ○ सुलेमान पहाड़ियों की तलहटी में पहला, जहां तक अंग्रेजों का औपचारिक नियंत्रण था; ○ दूसरी जगह जहां जागीरदार राज्य अंग्रेजों के 'प्रभाव' में स्थित थे; तथा ○ अंतिम बफर जो स्वयं अफगानिस्तान था **डूरंड आयोग** ● विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड को अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया था। ● 12 नवंबर 1893 को डूरंड लाइन ने पश्तून-आबादी क्षेत्र का सीमांकन किया, जिससे उन लोगों के बीच एक दरार पैदा हुई, जो समान संस्कृति और जातीयता साझा करते थे और दोनों पार्टियों में से किसी के साथ पहचान नहीं रखते थे। ○ रूसी हमले के मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा समझौते ने ब्रिटेन को प्रमुख व्यापार और मार्गों तक पहुंच प्रदान की। ○ बढ़ते पश्तून राष्ट्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए फूट डालो और राज करो की अपनी रणनीति को लागू किया। ○ दोनों पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने और दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से परहेज करने पर सहमत हुए। ○ 40,000 वर्ग मील क्षेत्र के बदले जो अफगानिस्तान खो गया; अंग्रेजों ने अपने अनुदान को बढ़ाकर 60,000 पौंड प्रति वर्ष कर दिया और किसी भी स्थिति में सुरक्षा का आश्वासन दिया।

- सीमा आयोगों का गठन किया गया था, जिसकी अंतिम सीमा 1897 में तय की गई थी।
- जल्द ही विरोध शुरू हुआ, जनजातियों ने लाइन का विरोध किया, वर्तमान में प्रतिरोध जारी रहा। 1949 में लोया जिरगा (आदिवासी सभा) में, अफगानिस्तान एकतरफा समझौते से हट गया। यह स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है, भले ही देश में कोई भी प्रमुख हो।

- लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान गठित पश्तूनों के लिए, उनकी जातीय पहचान किसी भी राज्य द्वारा लगाई गई पहचान को पार कर गई।
- शुरू से ही एक साथ रहने के कारण, उन्होंने रेखा को एक 'कृत्रिम विभाजन' के अलावा और कुछ नहीं माना।
- कई पश्तून अभी भी अपने आदिवासी जीवन जीने के तरीके पर कायम हैं, राज्य प्रायोजित विचारधारा से अधिक 'पश्तूनवाली' को प्रोत्साहित करते हैं जो उन पर थोपी जाती है।
- आजादी से पहले भी, पश्तून खुदाई खिदमतगार आंदोलन (खान अब्दुल गफ्फार खान - फ्रंटियर गांधी) ने उत्तर-पश्चिमी सीमांत एजेंसी में विभाजन का विरोध किया, और जब विभाजन एक वास्तविकता बन गया, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एकीकरण से इनकार करते हुए एक स्वतंत्र 'पश्तूनिस्तान' के लिए जोर दिया।
- आजादी के बाद अंग्रेजों की सभी प्रमुख नीतियों को बनाए रखने के बाद, पाकिस्तान ने फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन (एफएआर) के माध्यम से तत्कालीन संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों (एफएटीए) पर शासन करना जारी रखा, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए पूरी जनजातियों को सामूहिक दंड देने की शक्ति प्रदान की गई।
- 2018 में इस प्रांत को खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में विलय करने के बाद ही इसे पाकिस्तानी राज्य की मुख्यधारा में लाने के प्रयास में एफएआर को प्रथागत कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

Source: [Indian Express]

(II) समझौते की वैधता

- समझौते की वैधता पर, संधि के कानून (1969) (वीसीएलटी) पर वियना कन्वेंशन के कुछ प्रावधानों के आधार पर सवाल उठाया गया है।
- अफगानिस्तान ने यह तर्क देने के लिए वीसीएलटी के अनुच्छेद 51 और 52 को लागू किया था कि
  - चूंकि समझौते पर आमिर के दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे कानूनी नहीं माना जा सकता है
  - 1949 में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के साथ हस्ताक्षरित सभी समझौतों से इसकी एकतरफा वापसी हुई

उत्तराधिकारी राज्य के रूप में पाकिस्तान की स्थिति पर इसकी आपत्ति

- पाकिस्तान ने 1905, 1919, 1921 और 1930 में हस्ताक्षर किए चार बाद के समझौतों के आधार पर अपने दावे का

बचाव किया

- अवर्गीकृत ब्रिटिश विदेश कार्यालय फाइलें अन्यथा इंगित करती हैं।
    - लाइन के आर्किटेक्ट एक अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थापित नहीं करना चाहते थे। उनके लिए इसकी उपयोगिता उस विशिष्ट समय और स्थान में थी। यह खुद डूरंड ने इंगित किया था, जो चिंतित थे कि समझौते को 'विभाजन' के रूप में देखना इस क्षेत्र में ब्रिटिश हितों के लिए अच्छा नहीं होगा।
    - यदि यह दावा सही साबित होता है, तो यह ऊपर बताए गए चार बाद के समझौतों पर पाकिस्तान की निर्भरता को भी कमजोर करता है क्योंकि ये सभी मूल संधि को दोहराते हैं।

आगे की राह

- डूरंड रेखा की समस्या का समाधान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़े राजनीतिक मेल-मिलाप के हिस्से के रूप में ही किया जा सकता है। इस तरह के सुलह में संप्रभुता के सवाल को टालना, सीमा पार आर्थिक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना, रेखा के दोनों ओर पश्तूनों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन समाप्त करना शामिल होगा।
- अफगानिस्तान मानवीय संकट के कगार पर है और तालिबान अंतरराष्ट्रीय समर्थन और मान्यता के अभाव में व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, पाकिस्तान का समर्थन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत और डिजिटल व्यापार: संयुक्त वक्तव्य पहल

संदर्भ: दिसंबर 2021 में COVID-19 के कारण WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को रद्द करने के बावजूद, डिजिटल व्यापार वार्ता अपने महत्वाकांक्षी मार्च को जारी रखा।

- इस संदर्भ में, ई-कॉमर्स पर बहुपक्षीय संयुक्त वक्तव्य पहल (जेएसआई) के सदस्यों ने पिछले तीन वर्षों में हुई 'पर्याप्त प्रगति' का स्वागत किया।

संयुक्त वक्तव्य पहल क्या है?

- जेएसआई विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया एक वार्ता उपकरण है जो विश्व व्यापार संगठन के आम सहमति निर्णय लेने के नियम का पालन किए बिना कुछ विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
- वे विश्व व्यापार संगठन के किसी भी सदस्य के लिए खुले हैं।
- जेएसआई का लक्ष्य अपने सदस्यों के बीच एक बाध्यकारी समझौता करना है।
- 2017 में, 11वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अवसर पर निम्नलिखित मुद्दों पर जेएसआई बनाए गए थे:
    - ई-कॉमर्स
    - विकास के लिए निवेश सुविधा
    - सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (MSMEs)
    - सेवाओं में घरेलू विनियमन
    - व्यापार और महिला आर्थिक सशक्तिकरण।
    - 2020 में, पर्यावरणीय स्थिरता और प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, व्यापार और पर्यावरण पर दो नई पहल शुरू की गईं।
- ई-कॉमर्स पर जेएसआई पारंपरिक व्यापार विषयों (जैसे व्यापार सुविधा) और कई डिजिटल नीति मुद्दों, जैसे सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण, ऑनलाइन उपभोक्ता संरक्षण और गोपनीयता तथा नेटवर्क तटस्थता दोनों को शामिल करता है।
- कुछ सदस्य जेएसआई को व्यापार उदारीकरण पर प्रगति करने के लिए प्रमुख तंत्र के रूप में देखते हैं, ऐसे संदर्भ में जहां विश्व व्यापार संगठन में नियम बनाने पर आम सहमति प्राप्त करना कठिन हो गया है।
- भारत और दक्षिण अफ्रीका ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया है और जेएसआई के सबसे मुखर आलोचक रहे।

भारत जैसे कुछ देशों द्वारा JSI का विरोध क्यों किया गया है?

- **बहुपक्षवाद को कमजोर करना:** भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ठीक ही बताया है कि जेएसआई विश्व व्यापार संगठन के सर्वसम्मति-आधारित ढांचे का उल्लंघन करता है, जहां आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक

	सदस्य की आवाज और वोट होता है। ● **विकासशील देशों में हाथ घुमाने का डर (Fear of arm twisting Developing countries) :** भले ही JSI के सदस्य वैश्विक व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा लेते हैं, और पहल नए प्रवेशकों का स्वागत करती है, विश्व व्यापार संगठन के आधे से अधिक सदस्य (बड़े पैमाने पर विकासशील दुनिया से) इन वार्ताओं से बाहर रहना जारी रखते हैं। उन्हें डर है कि विकसित देशों द्वारा बनाए गए वैश्विक नियमों को स्वीकार करने के लिए उन्हें हाथ से घुमाया जाएगा। ● **नीति बनाने के लिए राज्यों के संप्रभु अधिकार:** कई देशों ने डेटा स्थानीयकरण अधिदेश लागू किए हैं जो निगमों को क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर डेटा संग्रहीत और संसाधित करने के लिए मजबूर करते हैं। विकसित देशों का मानना है कि इससे अनुपालन लागत बढ़ जाती है, नवाचार में बाधा आती है और यह अनुचित संरक्षणवाद है। ○ घरेलू कानूनों के संबंध में एक समान असहमति है जो स्रोत कोड के प्रकटीकरण को अनिवार्य करती है जिसे विकासशील देश एल्गोरिथम पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए आवश्यक मानते हैं। ○ डेटा संप्रभुता 'डेटा उपनिवेशवाद' का विरोध करने के साधन के रूप में चैंपियन है और किसी भी नीति से न केवल बड़े खिलाड़ियों (विकसित देशों में) बल्कि विकासशील देशों के छोटे खिलाड़ियों को भी लाभ होना चाहिए। **आगे की राह क्या है?** ● जल्दबाजी में व्यापारिक दायित्वों पर हस्ताक्षर करने से उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए उपलब्ध स्थान कम हो सकता है। लेकिन व्यापार वार्ता से बाहर बैठने का मतलब होगा कि भारत इन नियमों को आकार देने के अवसरों को इसका हिस्सा बनने से चूक रहा है। ○ चीन और इंडोनेशिया ने तर्क दिया कि उन्होंने किनारे पर बैठने के बजाय पहल के भीतर से नियमों को आकार देने की मांग की। ● बातचीत का मतलब समझौता नहीं है। उदाहरण के लिए, डिजिटल व्यापार नियमों के अपवाद, जैसे 'वैध सार्वजनिक नीति उद्देश्य' या 'आवश्यक सुरक्षा हित', जहां आवश्यक हो, नीति निर्धारण को संरक्षित करने के लिए बातचीत की जा सकती है। ○ सिंगापुर, चिली और न्यूजीलैंड के बीच डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट (DEPA) से संकेत लेते हुए, भारत एक ऐसे ढांचे पर जोर दे सकता है, जहां देश उन मॉड्यूलों को चुन सकें। **निष्कर्ष** ● अपनी विफलताओं के बावजूद, विश्व व्यापार संगठन वैश्विक शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। घरेलू नीति-निर्माण को आत्मसमर्पण किए बिना बातचीत करना भारत के डिजिटल भविष्य की कुंजी है।
भारत और नेपाल: क्या बिम्सटेक प्रमुख हो सकता है?	संदर्भ: भारत और नेपाल के द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज़ से 2022 की शुरुआत एक दोस्ताना फ़ोन कॉल के ज़रिए हुई. जनवरी महीने में नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फ़ोन पर बातचीत की। इसे दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं में नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ज़ाहिर है कि दोनों ही देश पहले से चली आ रही और नई परियोजनाओं के ज़रिए अपने द्विपक्षीय रिश्तों के बेहतर आयाम की तलाश कर रहे हैं। ● पिछले कुछ अर्से से (ख़ासतौर से 2019 के बाद से) दोनों ही देशों के रिश्तों पर बर्फ़ सी जम गई थी। रिश्तों में ठंडक लाने के पीछे सीमा को लेकर जारी विवादों के अलावा भारत से कोविड-19 के टीकों की आपूर्ति में हुई देरी तक के मुद्दे शामिल रहे। ● वर्ष 2021 में नेपाल की घरेलू राजनीति में भारी अस्थिरता और उथल-पुथल का दौर रहा। आगे चलकर शेर बहादुर देउबा की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ। **सीमा विवाद** ● तात्कालिक उत्तेजना कालापानी, भारत-नेपाल सीमा के निकट भूमि का एक टुकड़ा, भारत-चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे के निकट लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय समस्या है। ○ लिपुलेख दर्रा सीमा व्यापार के लिए स्वीकृत बिंदुओं में से एक है और तिब्बत में कैलाश-मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। ● हालाँकि, अंतर्निहित कारण कहीं अधिक जटिल हैं जहाँ नेपाली राजनीतिक वर्ग नेपाली राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर

भारत को एक आधिपत्य के रूप में चित्रित करता है जो पड़ोसियों के बीच अविश्वास पैदा करता है।

Image courtesy: [TKP]

पोस्ट COVID-19: भारत और नेपाल

ग़ौरतलब है कि 2015 में भारत-नेपाल के बीच नाकेबंदी (blockade) के बाद से ही नेपाल की भावनाएं नकारात्मक हो गई थीं. पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच के रिश्तों में उथलपुथल के बावजूद बिम्सटेक में दोनों साथ बने रहे। हालांकि, बिम्सटेक के भीतर दोनों देशों के बीच का संवाद उतार-चढ़ावों से भरा रहा है. इसी कड़ी में 2018 एक बड़ी असहमति दिखाई दी थी।

- लेकिन COVID-19 के बाद की अवधि में और जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद जमीन पर स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।
- सीमा को अब फिर से खोल दिया गया है और इतने लंबे समय से बाधित वाहनों के अलावा लोगों की सीमा पार आवाजाही फिर से शुरू हो गई है।
- यहां तक कि सीमा पार शादियां भी एक सामान्य घटना बन गई हैं।
- दूसरे देश के संबंधित अधिकारियों द्वारा एक देश की COVID-19 परीक्षण रिपोर्ट की मान्यता ने लोगों और वाहनों की सीमा पार आवाजाही को और आसान बना दिया।
- नेपाल ने पहली बार भारत को अधिशेष बिजली का निर्यात करना शुरू किया।
- भारत को जलविद्युत के निर्यात ने भारत से राजस्व अर्जित करने की एक नई संभावना खोल दी है, जो कुछ हद तक भारत के साथ व्यापार संतुलन में अंतर को पाट सकता है।
- भारत को नेपाल के निर्यात में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- अनुमान है कि 6 से 8 मिलियन नेपाली, विशेष रूप से देश के पहाड़ी क्षेत्र से, भारत में रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। नेपाल को इन लोगों से भारी मात्रा में प्रेषित धन (remittance) प्राप्त होता है।
- भारत सरकार ने रेलवे के जनकपुर-जयनगर सेक्टर को नेपाल सरकार को सौंप दिया है। भारत सरकार ने 2014 में जयनगर (भारत) और जनकपुरी/कुर्था-बरदीबास (नेपाल) के बीच 69 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया था, जिसमें से 34 किलोमीटर जयनगर-जनकपुर/कुर्थ खंड पहले ही पूरा करके नेपाल को सौंप दिया गया है। रेलवे लाइन के बचे हुए हिस्से पर काम चल रहा है। रेलवे परियोजना की पूरी लागत 8.8 बिलियन है। यह भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

क्या बिम्सटेक सूत्र हो सकता है?

- नेपाल बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के बहुपक्षीय मंच में पेश किए जा रहे अवसरों को भुनाने में बहुत प्रगति कर रहा है, और इसके योगदान के लिए भी इसकी सराहना की गई है।
- इस संगठन के अंदर नेपाल मुख्य रूप से संस्कृति, पर्यटन और लोगों से लोगों के संपर्क मंचों के उप-वर्गों के साथ लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र का नेतृत्व करता है। इस फोरम में नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह 2015 के भारत-नेपाल नाकाबंदी के बाद से नकारात्मक नेपाली भावनाओं की अंतर्धारा के साथ पिछले कुछ वर्षों से चल रही उथल-पुथल भरी यात्रा के कारण है। हालांकि, बिम्सटेक के अंदर दोनों देशों की बातचीत बहुत सहज नहीं रही है।
- वर्ष 2018 में इस मंच में एक बड़ी असहमति देखी गई जब नेपाली सरकार ने बिम्सटेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास

में नेपाली सेना की भागीदारी को सिरे से खारिज कर दिया था। भले ही तत्कालीन प्रमुख नेपाली सेना को पुणे, भारत में छह दिवसीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास के समापन समारोह में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया था, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के सख्त निर्देश ने किसी भी नेपाली भागीदारी को रद्द कर दिया। यह अभ्यास मुख्य रूप से भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था और बिम्सटेक संयुक्त प्रयास की आड़ में इस तरह के आयोजन में भारत के अपने निहित स्वार्थ के बारे में तर्क परिपक्व थे।

- इसके अलावा, अन्य आलोचकों ने उल्लेख किया था कि यह आयोजन भारत द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के खिलाफ बिम्सटेक को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यम था, जो कथित भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के कारण निष्क्रियता से बाहर निकलने में सक्षम नहीं है। जिससे क्षेत्र के लिए निहितार्थ उत्पन्न होकर नेपाल जैसी छोटी शक्तियों को प्रेरित करते हैं।
- साथ ही, नेपाल ने चीन के साथ अपनी निकटता को देखते हुए इस तरह के एक रणनीतिक अभ्यास के नतीजों को महसूस किया, जो भारत के साथ किसी भी सैन्य संपर्क को चित्रित करने के लिए तैयार नहीं है, जो बाद के साथ अच्छे संबंध साझा नहीं करता है।

आगे की राह : कुछ मुद्दों पर असहमति से बाहर निकलने की जरूरत

- नेपाल को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्व और भारत के समर्थन से होने वाले लाभों का एहसास होना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र के माध्यम से, भारत अपनी जलविद्युत क्षमता को साकार करने के लिए नेपाल जैसे देश के लिए बड़ा निवेश और लंबी अवधि की सहायता प्रदान कर सकता है।
- साथ ही, गंगा के तट पर, गंडकी (चितवन राष्ट्रीय उद्यान के पास) और कोशी नदियों, दक्षिण से पटना (बिहार, भारत) तक बड़े, मोटर चालित जहाजों के नेविगेशन के साथ सीमा पार नदी परिवहन की संभावनाएं भारत में बहने वाले बैराज, विराटनगर के पश्चिम में, का नवीनीकरण किया जा सकता है।
- भले ही इन नेपाली नदियों को मोटर चालित नेविगेशन के लिए 'अनुपयुक्त' घोषित किया गया था, वर्ष 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने अपने भारतीय समकक्ष के साथ, डॉक और बंदरगाह, नदी सीमा शुल्क बिंदु, आव्रजन कार्यालय और (quarantine facilities) क्वारंटाइन सुविधाएं स्थापित करने की संभावनाओं के साथ सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की थी। हालाँकि, इस मोर्चे पर बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच बिम्सटेक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का अवसर मिलता है। इस प्रकार दोनों देश भविष्य के लिए स्वास्थ्य लाभ के साथ द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भले ही 2022 इस द्विपक्षीय संबंध के लिए उज्ज्वल दिख रहा हो, लेकिन असहमति की यादों को मिटाने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है, जिन तक पहुंच आसान है।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. क्या नेपाल और भारत बिम्सटेक में सहयोग के नए रास्तों पर ध्यान केंद्रित करके अतीत की बाधाओं से आगे बढ़ सकते हैं? चर्चा कीजिए।

क्या भारत को	**संदर्भ:** इस महीने शशि थरूर ने लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया, जिसमें शरणार्थी और शरणार्थी स्थल कानून

शरणार्थी कानून और शरण स्थल कानून की जरूरत है?	के अधिनियमन का प्रस्ताव किया गया था। ● यह विधेयक प्राधिकारियों द्वारा इस तरह (पुनर्वापसी) के मनमाने आचरण को समाप्त कर देगा। ● भारत में शरण लेने का अधिकार सभी विदेशियों को उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म या जातीयता के इतर उपलब्ध होगा, और ऐसे सभी आवेदनों (शरण के लिए अनुमति प्राप्त करने और निर्णय लेने) के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। ● यदि यह विधेयक अधिनियमित किया जाता है, तो यह भारत को दुनिया में शरण प्रबंधन में सबसे आगे कर देगा। यह अंततः शरणार्थियों से निपटने के दौरान मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भारत की दीर्घकालिक और निरंतर प्रतिबद्धता को मान्यता देगा। **भारत में शरणार्थी नीति** ● शरण चाहने वालों के लिए एक समान और व्यापक कानून के अभाव में, भारत में शरणार्थी प्रबंधन पर एक स्पष्ट दृष्टि या नीति का अभाव है। ● इस विषय के सन्दर्भ में, भारत में विदेशी अधिनियम, 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, पासपोर्ट अधिनियम (1967), प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962, नागरिकता अधिनियम, 1955 (इसके विवादास्पद 2019 संशोधन सहित) और विदेशी आदेश, 1948 जैसे कानूनों का एक मिश्रण है। ● ये सभी कानूनों, सभी विदेशी व्यक्तियों को "एलियंस" के रूप में एक साथ क्लब करते हैं। ● वर्ष 2011 में जब भारत शरण चाहने वालों को दीर्घकालिक वीजा प्रदान करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लेकर आया था, तो यह चिंता जाहिर की गई थी कि कानून के अभाव में, इन अधिसूचनाओं के आवेदन में राजनीतिक और बाहरी कारणों के आधार पर आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। **क्या आप जानते हैं?** ● भारत दो लाख से अधिक शरणार्थियों की मेजबानी करता है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शरणार्थी आंदोलनों के केंद्र में है। ● यह तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के शरणार्थियों का घर रहा है। ● 1996 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य को भारत में रहने वाले सभी मनुष्यों की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना रक्षा करनी है, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का आनंद लेते हैं, न कि केवल भारतीय नागरिकों को। **शरणार्थियों के साथ सरकार के व्यवहार के हालिया उदाहरण** ● सरकार ने म्यांमार को रोहिंग्या शरणार्थियों के दो जत्थों को देश में उत्पीड़न के गंभीर जोखिम के कारण निष्कासित कर दिया, वे भाग गए थे। ● इसने अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं और मिजोरम में म्यांमारियों के साथ भी ऐसा ही करने का प्रयास किया है। ● इसके अलावा, तालिबान द्वारा अपने देश के अधिग्रहण से भारत में फंसे अफगान छात्रों के वीजा का नवीनीकरण नहीं हुआ है, और वे खुद को इसी तरह की स्थिति में पा सकते हैं। ● भारत ने इस विषय पर न तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की सदस्यता ली है और न ही शरणार्थियों से निपटने के लिए एक घरेलू विधायी ढांचा स्थापित किया है, उनकी समस्याओं को तदर्थ तरीके से निपटाया जाता है। **प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?** ● प्रस्तावित विधेयक शरणार्थियों पर वर्तमान नीति, संविधान के सिद्धांतों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल करने का प्रयास करता है। ● भारत में शरण लेने का अधिकार सभी विदेशियों को उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म या जातीयता के बावजूद उपलब्ध होगा। ● ऐसे सभी आवेदनों को प्राप्त करने और उन पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय शरण आयोग का गठन किया जाएगा। ● बिना किसी अपवाद के गैर-प्रतिशोध के सिद्धांत की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है, हालांकि सरकार के संप्रभु अधिकार का सम्मान करने हेतु शरणार्थी की स्थिति के बहिष्कार, निष्कासन और निरसन के लिए कारण निर्दिष्ट किए गए हैं। ● यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ढांचे की आवश्यकता है कि शरणार्थी बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकें, आय के कुछ स्रोत के लिए कानूनी रूप से नौकरी और आजीविका के अवसरों की तलाश कर सकें।

	○ इस तरह के ढांचे का अभाव शरणार्थियों को शोषण, विशेष रूप से मानव तस्करी के प्रति संवेदनशील बना देगा। **विधेयक की खूबियां** ● विधेयक के प्रावधान शरण चाहने वालों को शरणार्थी के रूप में मान्यता और देश में उनके अधिकारों पर स्पष्टता और एकरूपता प्रदान करते हैं। ● यह अस्पष्टता और मनमानी की एक प्रणाली को समाप्त करने का भी प्रयास करता है, जिसके परिणामस्वरूप अकसर अत्यधिक कमजोर आबादी के साथ अन्याय होता है। ● यह विधेयक सरकार को राज्य के मानवीय सरोकारों और सुरक्षा हितों को संतुलित करते हुए अधिक जवाबदेही और व्यवस्था के साथ शरणार्थियों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। ● शरणार्थी अधिकारों के अधिनियमन और गणना से न्यायाधीश-केंद्रित दृष्टिकोणों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। **आगे की राह** ● अब समय आ गया है कि सरकार कानूनी रूप से उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी लंबे समय से अनिच्छा की समीक्षा करे जो भारत पहले से ही नैतिक रूप से कर रहा है। ● ऐसा करने में, हम अपनी बेहतरीन परंपराओं और अपने लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे, साथ ही एक बार फिर प्रदर्शित करेंगे कि हम वही हैं जो हम लंबे समय से होने का दावा कर रहे हैं: एक अच्छे अंतरराष्ट्रीय नागरिक जो एक करीबी और वैश्वीकरण दुनिया में हैं।
रूस-चीन एक्सिस की परख	**संदर्भ:** रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा के साथ-साथ यूक्रेन संकट ने चीन के साथ रूस के संबंधों पर प्रकाश डाला है। ● पश्चिम में कई लोगों ने रूस-चीन की धुरी को मास्को के हालिया कदमों को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दोषी ठहराया है कि यह पश्चिमी प्रतिबंधों के सामने पूरी तरह से अलग-थलग नहीं होगा। ● साथ ही, बीजिंग ने अपनी प्रतिक्रिया में खुद को कठोर पाया है और अब तक रूस की कार्रवाइयों का समर्थन करना बंद कर दिया है। **रूस-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या बताती है?** ● पिछले साल, रूस के विदेश मंत्री ने संबंधों को "अपने पूरे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ" बताया। ● चीन में शीतकालीन ओलंपिक के दौरान पिछली शी-पुतिन बैठक ने एक महत्वाकांक्षी और व्यापक संयुक्त बयान के साथ-साथ कई ऊर्जा सौदों का निर्माण किया, जिसने संबंधों को चलाने वाले रणनीतिक, वैचारिक और वाणिज्यिक आवेगों को रेखांकित किया। ● सामरिक मोर्चे पर, बयान में कहा गया है, "रूस और चीन के बीच नए अंतर-राज्यीय संबंध शीत युद्ध के युग के राजनीतिक और सैन्य गठबंधनों से बेहतर हैं।" इसमें कहा गया है कि रिश्ते की "कोई सीमा नहीं है" और "सहयोग के कोई निषिद्ध क्षेत्र नहीं हैं"। ● उनकी वर्तमान निकटता के पीछे सबसे बड़ा कारक यू.एस. और उसके सहयोगियों के साथ उनकी साझा बेचैनी है। ● इस महीने के संयुक्त बयान में उस बिंदु पर जोर दिया गया, जिसमें चीन ने रूस को "नाटो के विस्तार का विरोध करने और उत्तरी अटलांटिक गठबंधन से अपने वैचारिक शीत युद्ध के दृष्टिकोण को छोड़ने के लिए" का समर्थन किया। ● रूस ने "एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बंद ब्लॉक संरचनाओं और विरोधी शिविरों के गठन और संयुक्त राज्य अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति के नकारात्मक प्रभाव" के लिए चीन के विरोध को प्रतिध्वनित किया। ● चीन ने अपने हिस्से के लिए कहा कि वह "यूरोप में दीर्घकालिक कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी बनाने के लिए रूसी संघ द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों के प्रति सहानुभूति और समर्थन करता है"। ● रूस ने यह कहते हुए पक्ष वापस कर दिया कि यह "एक-चीन सिद्धांत के समर्थन की पुष्टि करता है कि ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है, और ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी रूप का विरोध करता है।" संक्षेप में, दोनों प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ● यह बढ़ती सैन्य निकटता में भी परिलक्षित हुआ है। ○ वर्ष 2014 में चीन S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का पहला विदेशी खरीदार बन गया, जिसे भारत ने भी खरीदा है (हालांकि अज्ञात कारणों से डिलीवरी में देरी की सूचना मिली है)।

- उनके संयुक्त अभ्यासों का दायरा भी बढ़ा है। चीन इन अभ्यासों को क्षेत्र के बाहर के कुछ देशों जैसे औकस और क्वाड को चेतावनी देने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई के रूप में देखता है, ताकि परेशानी न हो।

- दोनों देशों ने पश्चिम के "अपने स्वयं के लोकतांत्रिक मानकों को अन्य देशों पर थोपने का प्रयास" और मानवाधिकार के मुद्दों पर पश्चिम द्वारा "हस्तक्षेप" के रूप में वर्णित दोनों देशों के साझा विरोध में वैचारिक बंधन गोंद भी है।
- वाणिज्यिक संबंध भी बढ़ रहे हैं।
  - पिछले वर्ष दोनों तरफ व्यापार 35% बढ़कर $147 बिलियन हो गया, जो मुख्य रूप से चीनी ऊर्जा आयात द्वारा संचालित था।
  - रूस चीन का ऊर्जा आयात का सबसे बड़ा स्रोत है और कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जिसका वर्ष 2022 में 35% व्यापार के लिए ऊर्जा निर्धारित है।
  - चीन लगातार 12 वर्षों तक रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और रूस के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 20% हिस्सा है (दूसरी ओर, रूस, चीन के व्यापार का 2% है)।
  - लेकिन रूस, चीन के लिए, ऊर्जा आपूर्ति के अलावा परियोजना अनुबंधों हेतु एक प्रमुख बाजार है। चीनी कंपनियों ने सीधे तीसरे वर्ष के लिए पिछले साल 5 अरब डॉलर के निर्माण परियोजना सौदों पर हस्ताक्षर किए।

यूक्रेन संकट पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है?

- इन गहरे व्यापार संबंधों को देखते हुए, चीन अस्थिरता (या, उस मामले के लिए, ऊर्जा की कीमतों में उछाल) नहीं चाहता है।
- 19 फरवरी को चीनी विदेश मंत्री का यह संदेश था, जब उन्होंने म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन में कहा था कि "सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और सुरक्षा की जानी चाहिए और यह यूक्रेन पर समान रूप से लागू होता है।"
- चीन ने मौजूदा संकट के अपने पसंदीदा समाधान को भी रेखांकित किया - राजनयिक समाधान और मिन्स्क समझौते की वापसी।
  - केवल दो दिन बाद, राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दो विद्रोही-नियंत्रित क्षेत्रों (उन्होंने उन्हें "शांतिरक्षक" कहा) में सैनिकों को आदेश दिया और डोनेट्स्क और लुहान्स्क के "लोगों के गणराज्यों" को मान्यता देने का निर्णय लेने के बाद यह समझौता टूट गया। यह अपने आप में चीन के सीमित प्रभाव को दर्शाता है।
  - हालांकि, श्री पुतिन ने अपना कदम उठाने से पहले चीनी संवेदनशीलता के संभावित सम्मान के कारण 20 फरवरी को शीतकालीन ओलंपिक के समापन की प्रतीक्षा की।

चीन की कार्रवाई से रूस को कैसे मदद मिल रही है?

- चीन ने बार-बार इस बात को रेखांकित किया है कि वह नाटो पर रूस की चिंताओं के प्रति सहानुभूति रखता है, जो हिंद-प्रशांत में अमेरिका के सहयोगियों के अपने स्वयं के विरोध को दर्शाता है।
  - चीनी रणनीतिकारों ने बार-बार क्वाड को "एशियाई नाटो" कहा है, एक ऐसा लेबल जिसे इसके सदस्य अस्वीकार करते हैं।
- रूस के अब भारी प्रतिबंधों के तहत आने की संभावना पर, ऊर्जा, व्यापार, वित्त और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर चीन और रूस के बीच घनिष्ठ सहयोग अधिक महत्वपूर्ण है।
- चीन के साथ एक मजबूत आर्थिक सहयोग रूस को अमेरिका से निर्मम आर्थिक दबाव को हटाने के लिए समर्थन देगा।
- पश्चिम और भारत में रणनीतिकारों ने अकसर संबंधों की मजबूती के साथ-साथ चीन के "जूनियर पार्टनर" होने पर रूस की संभावित बेचैनी पर सवाल उठाया है।

लेकिन क्या विभाजन के कोई संकेत हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है (जैसा कि निक्सन ने पांच दशक पहले किया था)?

- सबूत बताते हैं कि नहीं, और कम से कम निकट अवधि में, भारत को चीन-रूस निकटता जारी रहने की उम्मीद करनी चाहिए, जो भारत के लिए अपनी चुनौतियों का सामना करती है।
- भारत को तीन दशकों से अधिक समय में चीन के साथ संबंधों में सबसे खराब अवधि के बीच तीनों तरफ गतिशील

	नेविगेट करना है, भले ही रूस एक प्रमुख रक्षा भागीदार बना हुआ है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● शंघाई सहयोग संगठन ● भारत और यूरेशिया नीति ● क्वाड ● औकुस
यूरोप के सुरक्षा ढांचे को हिलाकर रख दिया	**संदर्भ:** यूक्रेन पर रूसी हमले ने मौजूदा वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की जड़ें हिला कर रख दी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक बार फिर कठघरे में खड़ी है। सैन्य संगठन नाटो सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेन की पराजय उसके लिए भी संकट का क्षण है। **किन घटनाओं ने रूस को उत्साहित किया?** ● **अमेरिका और रूस के बीच पुन: जुड़ाव:** जून 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बैठक सात साल के अथक यू.एस.-रूस कटुता को उलटना चाहती थी। ● **अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ना :** अमेरिका रूस के साथ एक व्यवहार और यूरोप तथा पश्चिम एशिया में संघर्षों से मुक्ति की मांग कर रहा था, ताकि घरेलू चुनौतियों और अपने प्रमुख रणनीतिक विरोधी चीन से बाहरी चुनौती पर अपना ध्यान केंद्रित किया जा सके। ● **रूस का स्थान:** श्री पुतिन ने रूस की उभरती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और विश्व स्तर पर राजनीतिक कार्रवाई की अपनी स्वतंत्रता का विस्तार करने के अवसर के रूप में देखा। हालाँकि, वह इस जुड़ाव को समान शर्तों पर चाहते थे जहाँ रूस की चिंताओं को पूरा किया जाए, ताकि वह नाटो की रणनीतिक स्थिति के बारे में लगातार चिंता न करे। **पश्चिमी देशों के साथ रूस की चिंताएँ** ● रूस ने बार-बार अपनी शिकायतें व्यक्त की हैं: ○ नाटो के विस्तार ने सोवियत संघ के टूटने से पहले किए गए वादों का उल्लंघन किया ○ यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस की रेड लाइन को पार करना ○ नाटो की रणनीतिक मुद्रा रूस के लिए एक सतत सुरक्षा खतरा होना ● सोवियत संघ और वारसॉ संधि के विघटन के बाद भी, राजनीतिक-सैन्य गठबंधन के रूप में नाटो का विस्तार, यू.एस. की पहल पर था। ○ इसका उद्देश्य एकमात्र महाशक्ति से सामरिक स्वायत्तता हेतु यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं को कम करना और रूस के पुनरुत्थान का सामना करना था। **शीत युद्ध के बाद के युग में नाटो की प्रकृति कैसे बदल गई है?** ● आज नाटो देश असमान आर्थिक विकास और राजनीतिक परंपराओं तथा ऐतिहासिक चेतना की विविधता के जियोग्राफी में फैला हुआ हैं। ● इसके अलावा ओरिजिनल ग्लू (original glue) जिसने नाटो को एक साथ रखा - वैचारिक एकजुटता (कम्युनिस्ट विस्तार के खिलाफ मुक्त दुनिया) और एक अस्तित्ववादी सैन्य खतरा - साम्यवाद एवं वारसॉ संधि के पतन के साथ भंग हो गया। अब विरोध करने के लिए कोई विचारधारा नहीं है। ● भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर नाटो के लिए खतरे की धारणा भिन्न होती है। इसका अर्थ है हितों की विविधता। ● अमेरिकी नेतृत्व मुख्यता मतभेदों को दूर करने में सफल रहा है, लेकिन देशों की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं इसे अधिक कठिन बना रही हैं। **क्या अमेरिकी कार्रवाइयों ने अंतत: वर्तमान संकट को उजागर किया?** ● वर्ष 2008 में नाटो पर यूक्रेन की सदस्यता आकांक्षाओं को मान्यता देने के लिए अमेरिकी दबाव और 2014 में यूक्रेन में सरकार बदलने के लिए इसके प्रोत्साहन ने क्रीमिया के रूसी कब्जे को उकसाया। ● इसके बाद पूर्वी यूक्रेन (डोनबास) में सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन ने 2014-15 के मिन्स्क समझौते को जन्म दिया,

	जो यूक्रेन के अंदर इस क्षेत्र के लिए एक विशेष दर्जा प्रदान किया। ● यूक्रेन इसे एक अनुचित परिणाम मानता है, और यू.एस. ने अपने लाभ के लिए समझौतों की पुनर्व्याख्या करने के अपने प्रयासों का समर्थन किया है। ● हाल के महीनों में, यू.एस. ने संकेत दिया कि वह मिन्स्क समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन करेगा, लेकिन साफ़ तौर पर इसे पूरा करने के लिए निहित हितों को हिलाना मुश्किल था। ● इसने अंततः श्री पुतिन को आश्वस्त किया होगा कि बातचीत के माध्यम से उनकी चिंताओं को पूरा नहीं किया जाएगा। ● अमेरिकी हितों ने भी ऊर्जा सुरक्षा पर नाटो को विभाजित किया है। ○ जर्मनी के लिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 (NS2) रूस-जर्मनी गैस पाइपलाइन अपने उद्योग के लिए गैस का सबसे सस्ता स्रोत है। ○ अमेरिका इसे एक भू-राजनीतिक परियोजना मानता है, जिससे रूसी ऊर्जा पर यूरोपीय निर्भरता बढ़ रही है। यूरोप को एलएनजी निर्यात करने में भी अमेरिका का व्यावसायिक हित है। ○ यूक्रेन को गैस पारगमन राजस्व में कमी का डर है, और यदि गैस पारगमन के लिए इसका महत्व कम हो जाता है, तो रूस के साथ अपने विवादों में यूरोप का समर्थन भी कम हो जाएगा। ○ यूरोपीय देश जो NS2 का विरोध करते हैं, वे यू.एस. से आयात बढ़ाने के लिए अपने LNG आयात बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहे हैं। **भविष्य में क्या होगा?** ● जिस तरीके से नाटो देशों ने रूस के खिलाफ वादा किए गए कठोर प्रतिबंधों को लागू किया है, यह प्रदर्शित करेगा कि यह संकट उन्हें कितना, और कब तक एकजुट रखेगा। ● यूरोपीय व्यवस्था जो वास्तविक बातचीत के माध्यम से रूस की चिंताओं को समायोजित नहीं करती है, वह दीर्घकालिक रूप से स्थिर नहीं हो सकती है। ○ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूरोप को अपनी सामरिक स्वायत्तता फिर से हासिल करने के लिए तर्क देते हुए जबरदस्ती इस बात को कहते रहे हैं। ○ उन्होंने नाटो को "ब्रेन-डेड" कहा है और कहा है कि यूरोप को "भू-राजनीतिक शक्ति" के रूप में अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहिए, "सैन्य संप्रभुता" को पुनः प्राप्त करना और रूस के साथ एक संवाद को फिर से खोलना चाहिए। **भारत के लिए क्या दृष्टिकोण है?** ● भारत को अपनी वैध चिंताओं को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने हेतु एक रणनीतिक साझेदार के दबाव के साथ दूसरे के दबाव को संतुलित करना होगा। (जैसा कि भारत ने 2014 में किया था) ● जैसे-जैसे रूस-पश्चिम टकराव तेज होगा, यूरोप में अमेरिकी प्रशासन की गहन भागीदारी अनिवार्य रूप से हिंद-प्रशांत पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे भारत अपने पड़ोस में कार्रवाई के कुछ सामरिक अंशांकन करेगा। **निष्कर्ष** ● हालांकि, भू-राजनीति एक लंबा गेम है, और यू.एस.-चीन प्रतिद्वंद्विता का बड़ा संदर्भ, बहुत दूर के भविष्य में किसी बिंदु पर, इस सवाल को फिर से खोल सकता है कि रूस यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था में कैसे फिट बैठता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● रूस-यूक्रेन तनाव ● भारत-रूस सैन्य गठबंधन ● भारत-अमेरिका रक्षा सौदे
कनाडा का डिजिटल सर्विसेज टैक्स (Canada's digital services tax)	**संदर्भ:** ऑफिस ऑफ़ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने कनाडा में विभिन्न सेवाओं को बेचने वाली बड़ी कंपनियों पर 3% का डिजिटल सेवा कर लगाने के कनाडा के फैसले का विरोध किया है। ● नए नियमों के तहत कनाडा सरकार द्वारा यह कर कम से कम $850 मिलियन के कुल वार्षिक राजस्व और $16 मिलियन के मुनाफे वाली कंपनियों पर लगाया जाएगा।

- यूएसटीआर ने तर्क दिया है कि नया कर विशेष रूप से बड़े अमेरिकी प्रौद्योगिकी व्यवसायों को लक्षित करता है और कहा है कि यह कनाडा के कार्यों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय और अन्य व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध तरीकों पर गौर करेगा।

मुद्दा क्या है?

- कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने राजस्व और मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने देश के बाहर से प्राप्त करती हैं, फिर भी वे अपने अधिकांश करों का भुगतान अपने देश में करती हैं।
    - इनमें फेसबुक, एप्पल और गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हैं जो भारत और चीन जैसे विकासशील देशों में व्यापार करती हैं लेकिन अमेरिका में या आयरलैंड जैसे कर आश्रयों में अधिकांश करों का भुगतान करती हैं।
- कई सरकारों ने इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के कम से कम एक हिस्से पर कर लगाने की कोशिश की है।
- अक्टूबर 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक बैठक में, कुल 136 देशों (कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित) ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक समझौता किया।
- OECD/G20 बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) परियोजना के अंतर्गत वे सहमत थे कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने मुनाफे के एक निश्चित हिस्से पर उस विदेशी देश की सरकार को कर देना होगा जहां वे व्यापार करते हैं।
- विशेष रूप से, कंपनियों को शेष लाभ का 25% आवंटित करना होगा, जिसे राजस्व के 10% से अधिक लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है, विदेशी देश में अर्जित लाभ के रूप में और इन लाभों पर कर का भुगतान करना होगा।
- इसके अलावा, देश एक निश्चित सीमा स्तर से ऊपर राजस्व और मुनाफे वाले निगमों पर कम से कम 15% की न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर लगाने पर भी सहमत हुए।
- इसे कर प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के तरीके के रूप में देखा गया जिसने सरकारों के कर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
- इसलिए, कनाडा का नया डिजिटल सर्विसेज टैक्स मूल रूप से ऐसे समय में आया है जब सरकारें कंपनियों पर कर लगाने और राजस्व साझा करने के नए बुनियादी नियमों को लागू करने का प्रयास कर रही हैं।

यूएसटीआर डिजिटल सर्विसेज टैक्स से नाखुश क्यों है?

- यूएसटीआर ने तर्क दिया है कि कनाडा का डिजिटल सेवा कर पिछले साल अक्टूबर में 136 देशों द्वारा हस्ताक्षरित बीईपीएस समझौते की भावना और पाठ के खिलाफ है।
- पिछले साल इस बात पर सहमति बनी थी कि हस्ताक्षरकर्ता देश नए एकतरफा कर नहीं लगाएंगे जो बीईपीएस समझौते की भावना के खिलाफ काम करते हैं। इसके बजाय देशों को बीईपीएस नियमों के तेजी से कार्यान्वयन पर एक साथ काम करना चाहिए था।
- कनाडा ने विरोध किया है कि यदि बीईपीएस ढांचे को समय पर (2023 के अंत तक) लागू किया जाता है तो डिजिटल सेवा कर प्रभावी नहीं होगा।
- कनाडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को यह भी आश्वासन दिया है कि वह बीईपीएस ढांचे को लागू करने के लिए अन्य सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि पिछले साल तैयार किए गए बीईपीएस समझौते के कार्यान्वयन में देरी होती है, तो कंपनियों को 2022 से अपने सभी संचित मुनाफे पर 2024 से डिजिटल सेवा कर का भुगतान करना होगा।

आगे की राह

- कनाडा के डिजिटल सेवा कर पर विवाद को कई अन्य समस्याओं के लिए एक प्रस्तावना के रूप में देखा जाता है, जो दुनिया भर की सरकारों द्वारा बीईपीएस समझौते को लागू करने की कोशिश के रूप में उत्पन्न होने की संभावना है।
- कुछ लोग कनाडा के निर्णय को एक संकेत के रूप में भी देखते हैं कि बीईपीएस ढांचे के समय पर कार्यान्वयन पर संदेह हो सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर

	● कराधान का संप्रभु अधिकार
सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट)	**संदर्भ:** अमेरिका, यूरोप और कई दूसरे पश्चिमी देश रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT) से बाहर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो दुनिया भर में बैंकों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, जो विश्व स्तर पर सुचारू धन लेनदेन (Money Transactions) की सुविधा प्रदान करता है। ● यूक्रेन में उसकी सैन्य कार्रवाई को लेकर रूस के खिलाफ यह सबसे मजबूत आर्थिक प्रतिबंध हो सकता है, क्योंकि यह संभावित रूप से देश को अंतरराष्ट्रीय भुगतान (International Payments) प्राप्त करने से रोक देगा। **स्विफ्ट क्या है?** ● SWIFT एक मैसेजिंग नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल बैंकों और वित्तीय संस्थाएं वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारियों को तेजी से और बिना किसी गलती के आदान-प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ● बेल्जियम मुख्यालय वाला स्विफ्ट 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 11,000 से अधिक बैंकिंग और प्रतिभूति संगठनों को जोड़ता है। ● प्लेटफॉर्म पर हर एक प्रतिभागी को एक यूनीक आठ अंकों का स्विफ्ट कोड या एक बैंक पहचान कोड (BIC) सौंपा गया है। ● स्विफ्ट केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो मैसेज भेजता है और कोई सिक्योरिटीज या पैसा नहीं रखता है। यह लेनदेन की सुविधा के लिए मानकीकृत और विश्वसनीय (standardised and reliable) संचार की सर्विस देता है। ○ मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में सिटी बैंक खाते के साथ, लंदन में HSBC खाते वाले किसी व्यक्ति को पैसा भेजना चाहता है, तो प्राप्तकर्ता को अपने बैंक, लंदन स्थित लाभार्थी का खाता नंबर आठ अंकों का तथा बैंक का डिजिट स्विफ्ट कोड जमा करना होगा। इसके बाद सिटी एचएसबीसी को एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगी। एक बार जब यह प्राप्त होकर स्वीकृत हो जाता है, तो पैसा आवश्यक खाते में जमा हो जायेगा। ● 2021 में, SWIFT फाइनेंशियल मैसेज प्लेटफॉर्म ने हर दिन औसतन 42 मिलियन FIN मैसेज रिकॉर्ड किए थे। ● पूरे साल का आंकड़ा साल-दर-साल आधार पर 11.4% की बढ़ोतरी थी। ● यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका ने संयुक्त रूप से लगभग 4.66 बिलियन मैसेज भेजे। ● अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 4.42 बिलियन इंटरैक्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि एशिया पैसिफिक लगभग 1.50 बिलियन मैसेज के साथ तीसरे स्थान पर रहा। **अगर किसी को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा?** ● अगर किसी देश को सबसे अधिक भागीदारी वाले वित्तीय सुविधा प्लेटफॉर्म से बाहर रखा जाता है, तो इसकी विदेशी फंडिंग प्रभावित होगी, जिससे यह पूरी तरह से घरेलू निवेशकों पर निर्भर हो जाएगा। ● एक वैकल्पिक प्रणाली का निर्माण करना बोझिल होगा और पहले से ही विस्तृत प्रणाली के साथ एकीकृत करना और भी कठिन होगा। ● स्विफ्ट, पहली बार 1973 में इस्तेमाल किया गया, 1977 में 22 देशों के 518 संस्थानों के साथ लाइव हुआ, इसकी वेबसाइट बताती है। SWIFT ने खुद बहुत धीमी और बहुत कम गतिशील टेलेक्स को बदल दिया था। **क्या किसी देश को स्विफ्ट से बाहर रखा गया है?** ● यूरोप के कई देशों के प्रतिरोध के बावजूद 2018 में ईरानी बैंकों को सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। ● स्विफ्ट ने अपनी वेबसाइट पर कहा, “यह कदम, खेदजनक होने पर, व्यापक वैश्विक वित्तीय प्रणाली (global financial system) की स्थिरता और अखंडता के हित में और आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर उठाया गया था।” **संगठन कैसे ऑपरेट होता है?** ● SWIFT निष्पक्ष होने का दावा करता है। ● इसके शेयर होल्डर्स, दुनिया भर में 3,500 फर्मों से मिलकर, 25-सदस्यीय बोर्ड का चुनाव करते हैं, जो कंपनी की निगरानी और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। ● यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरलैंड और स्वीडन के G-10 केंद्रीय बैंकों द्वारा रेगुलेट है।

	• इसका लीड ओवरसियर नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम है। • SWIFT ओवरसाइट फोरम की स्थापना 2012 में हुई थी। • G-10 प्रतिभागियों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की गणराज्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के केंद्रीय बैंक शामिल हुए थे। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • यूक्रेन संकट और अर्थव्यवस्था

इतिहास

वीर दामोदर सावरकर	• विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 20 मई, 1883 को महाराष्ट्र के भागुर ग्राम (नासिक जिला) में हुआ था। इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। • सावरकर की शिक्षा देश और विदेश (लंदन) दोनों जगह हुई थी। • 1904 में सावरकर ने पूना में अभिनव भारत सभा की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी (Free India Society) की भी स्थापना की थी। इंडिया हाउस (India House) नामक राष्ट्रवादी संस्था से भी सावरकर जुड़े हुए थे। • 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की गयी। इस हत्या के तार सावरकर से जोड़े गये क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि हत्या में प्रयोग की गयी पिस्तौल सावरकर ने उपलब्ध करायी थी। अतः उपर्युक्त हत्या, नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या, इंडिया हाउस संस्था से जुड़े होने इत्यादि के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलूलर जेल भेज दिया गया। • हालाँकि 1921 में ब्रिटिश सत्ता ने एक समझौते के तहत सावरकर को रिहा कर दिया। इस समझौते में था कि 1937 ई- तक राजनीतिक रूप से नजरबन्द रहेंगे और किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। • सावरकर का निधन स्वतंत्र भारत में 26 फरवरी, 1966 को मुम्बई में हुआ था। **सावरकर का योगदान** • विनायक दामोदर सावरकर अपने कई भाषण और लेखों में डॉ- भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण देते थे। क्योंकि सावरकर, अम्बेडकर के निचले तबके के लोगों के उत्थान और समाज में उनके अन्य योगदान से काफी प्रभावित थे। इसीलिए कई इतिहासकारों का कहना है कि (अम्बेडकर मेहर समुदाय) और सावरकर (ब्राह्मण) दोनों ही जातिवाद के चरम वर्ग (extreme section) से आते थे किन्तु विचारधारा के मामले में दोनों ही राष्ट्रवादी नेता काफी समानताएँ रखते थे। • सावरकर चाहते थे कि तत्कालीन भारतीय समाज में सुधार आये। इसीलिए 1920 में उन्होंने अपने भाई नारायण राव को पत्र लखिा और उसमें कहा कि जितने संघर्ष की आवश्यकता औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध है उतने ही संघर्ष की आवश्यकता जातिगत भेदभाव व छूआछूत के विरुद्ध भी है। • सावरकर अंग्रेजों के 'श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धान्त' (White Man's Burdenship Theory) के विरुद्ध थे। उन्होंने इतिहास को प्रमाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया और भारतीयों में विश्वास जगाने का प्रयास किया अर्थात् उन्होंने भारतीय इतिहास को उजागर किया ताकि जनता अपने अतीत को जाने और उनकी चेतना में जागृति आये। उनका विश्वास था कि जब एकबार जन जागृति आ जायेगी तो अंग्रेजों द्वारा फैलाये जा रहे झूठ का जनता आसानी से सामना कर पायेगी और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी। • वीर सावरकर धार्मिक रीति-रिवाजों में वैज्ञानिकता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाओं को वैज्ञानिक सोच व तार्किकता के साथ जरूर देखना चाहिए।

	● सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने सर्वप्रथम बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक (1904-05 के आस-पास) में स्वराज की बात की। जबकि कांग्रेस ने काफी समय बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज की बात की। ● सावरकर एक संयुक्त भारत के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि अलग-अलग संस्कृति के लोग मिल-जुलकर रहें और एक ऐसा भारत निर्मित हो जो समावेशी व गतिशील हो। ● सावरकर ने इस बात पर भी बल दिया था कि हमें यूरोपीय समाज से सीखना चाहिए तथा उनकी तरह प्रौद्योगिकी पर बल प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सावरकर अन्वेषण व नवीन विचारों को भी समर्थन देते थे। सावरकर की भारतीय सिनेमा के प्रति फ्रयूचरिस्टिक एप्रोच (futuristic approach) काफी सराहनीय थी। ● सन् 1907 में लंदन में सावरकर ने 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनायी। सावरकर ने अपनी पुस्तक 'इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, 1857' के द्वारा यह स्थापित किया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार 1857 की क्रांति को सेना द्वारा एक विद्रोह मानती थी। **विवाद** ● विनायक दामोदर सावरकर के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। ● कुछ विद्वानों का माना है कि हिन्दू महासभा की स्थापना के साथ सावरकर ने हिन्दुत्व को एक एजेंडा के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त (Two-nation theory) का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिन्दू और मुसलमान कभी भी एकसाथ नहीं रह सकते, अतः उनके लिए दो अलग-अलग राष्ट्र होने चाहिए। ● नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किये जाने के तार सावरकर से भी जुड़े थे। इसकी जाँच हेतु कयूर कमीशन का गठन किया गया, जिसने सावरकर को दोषयुक्त पाया। **नोट:** 2002 में, अंडमान और निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया था।

प्रैक्टिस MCQs

Q.1 रिवर्स रेपो सामान्यीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएंगे।
2. सामान्यीकरण की प्रक्रिया अतिरिक्त तरलता को कम करती है और उच्च ब्याज दरों में परिणाम देती है

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2 अफ्रीकी संघ निम्नलिखित में से किस देश में शुरू किया गया था?

a) दक्षिण अफ्रीका
b) लीबिया
c) इथियोपिया
d) सूडान

Q.3 होयसल के पवित्र समूह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं?

a) आंध्र प्रदेश
b) तेलंगाना
c) तमिलनाडु
d) कर्नाटक

Q.4 राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5 बम चक्रवात और तूफान के बीच अंतर पर विचार कीजिए :

1. तूफान गर्मी के दौरान होता है, जब समुद्री जल गर्म होता है। बम चक्रवात आमतौर पर ठंडे महीनों के दौरान होते हैं।
2. तूफान मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बनते हैं जबकि बम चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/सही नहीं है?

a) यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार 2010 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
b) यह पूरी तरह से देश में पर्यावरणीय मामलों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से विशेषज्ञता से लैस है।
c) एनजीटी के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।
d) ट्रिब्यूनल के आदेश गैर-बाध्यकारी हैं।

Q.7 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
2. मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8 चुनावी बांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बांड 1,000 रु. , 10,000 रु., 1 लाख रु., 10 लाख रु और 1 करोड़ रुपये के अधिकतम सीमा गुणकों में जारी किए जाते हैं।
2. भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है, जो जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के लिए वैध हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9 निम्नलिखित में से किसे रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है?

a) बखिरा वन्यजीव अभयारण्य
b) खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य
c) सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान
a) दोनों (a) और (b)

Q.10 सुपरकंप्यूटर परम प्रवेग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा डिजाइन किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है।
2. इसे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत विकसित किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11 प्रसाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
2. पुनौरा धाम के गंतव्य को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है जो बिहार में स्थित है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12 समानता की मूर्ति निम्नलिखित में से किसकी विशाल प्रतिमा है?

a) राजा राममोहन राय
b) रामानुजाचार्य
c) महात्मा गांधी
d) लाला लाजपत राय

Q.13 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. परिसीमन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है।
2. आयोग भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.14 दवा नियामक DCGI (ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया) ने भारत में सिंगल-डोज़ स्पुतनिक लाइट COVID-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) प्रदान किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्पुतनिक लाइट पुनः संयोजक मानव एडेनोवायरस सीरोटाइप संख्या 26 पर आधारित है।
2. यह COVID-19 की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला पंजीकृत कॉम्बिनेशन वेक्टर वैक्सीन है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.15 एक जिला एक उत्पाद योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) कृषि मंत्रालय
b) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

c) जनजातीय मामलों के मंत्रालय
d) ग्रामीण विकास मंत्रालय

Q.16 रोपवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार करें:

1. परिवहन का किफायती तरीका
2. परिवहन का तेज़ तरीका
3. पर्यावरण के अनुकूल
4. लास्ट माइल कनेक्टिविटी

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.17 अफ्रीकी चेतन की IUCN स्थिति क्या है?

a) विलुप्त
b) कमजोर
c) गंभीर रूप से संकटग्रस्त
d) कम चिंताजनक

Q.18 ऑपरेशन AAHT का शुभारंभ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) वैवाहिक बलात्कार
b) ओमाइक्रोन प्रकार के खिलाफ टीका विकसित करना
c) मानव तस्करी
d) रक्षा उन्नयन

Q.19 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है।
2. इसका मुख्यालय रोम में है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20 आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आधार संख्या नीति आयोग द्वारा जारी 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है।
2. आधार में नामांकन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.21 हेल्थकेयर की इनोवेटिव डिलीवरी (SAMRIDH) पहल के लिए बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई थी?

a) नीति आयोग
b) अटल इनोवेशन मिशन (AIM)
c) अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी (USAID)
d) उपरोक्त सभी

Q.22 LiDAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक सुदूर संवेदन विधि है जो रेंज और परिवर्तनशील दूरियों को मापने के लिए स्पंदित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है।
2. इस तकनीक का उपयोग सर्वेक्षण, पुरातत्व, भूगोल में किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 23 निम्नलिखित पर विचार करें:

1. रक्षा
2. हेल्थकेयर डिलीवरी के उद्देश्य
3. कृषि
4. निगरानी

उपरोक्त में से कौन सा ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सही /या हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1
d) उपरोक्त सभी

Q.24 निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है?

a) ऑस्ट्रेलिया
b) यूएसए
c) भारत
d) चीन

Q.25 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
2. रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 26 निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सौर तूफान सौर सतह से बड़ी गति से निकलने वाले चुंबकीय प्लाज्मा हैं।
2. सूर्य पर अंधेरे क्षेत्र आसपास के प्रकाशमंडल की तुलना में ठंडे होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2

c) न तो 1 और न ही 2
d) 1 और 2 दोनों

Q.27 हाल ही में खबरों में रही 'चिंतामणि पद्य नाटकम' को भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया गया था?

a) तेलंगाना
b) आंध्र प्रदेश
c) तमिलनाडु
d) केरल

Q.28 निम्नलिखित में से किसका मुख्य उद्योगों में सबसे बड़ा हिस्सा है:

a) कोयला
b) कच्चा तेल
c) प्राकृतिक गैस
d) रिफाइनरी उत्पाद

Q. 29 निम्नलिखित पर विचार करें:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है "आपके पास शरीर हो सकता है।" रिट एक ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए जारी की जाती है, जिसे हिरासत में लिया गया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में, अदालत के समक्ष पेश किया जाता है और अगर ऐसी नजरबंदी अवैध पाई जाती है तो उसे रिहा कर दिया जाता है।
2. परमादेश एक न्यायिक रिट है जो एक निचली अदालत को आदेश के रूप में जारी की जाती है या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश देती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) न तो 1 और न ही 2
d) 1 और 2 दोनों

Q.30 अभ्यास मिलान निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा अभ्यास है?

a) भारत
b) यूएसए
c) श्रीलंका
d) डी) जापान

Q.31 निम्नलिखित में से कौन सेबी का कार्य है/हैं?

a) निर्णय और आदेश पारित करता है
b) जांच और प्रवर्तन कार्रवाई आयोजित करता है
c) ड्राफ्ट विनियम
d) उपरोक्त सभी

Q.32 निम्नलिखित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर विचार करें:

1. यह चार चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है और दूसरे तथा चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है।
2. यह लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) न तो 1 और न ही 2
d) 1 और 2 दोनों

Q.33 मॉडिफाइड एलीफैंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) एशियाई हाथी की आनुवंशिक रूप से उन्नत नस्ल
b) हैकिंग ग्रुप
c) भारत के पड़ोसी देशों के लिए कोड नाम
d) इसरो द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम PSLV उपग्रह

Q.34 लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था।
2. यह बुखार पक्षियों द्वारा फैलता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के कार्यान्वयन के साथ अनिवार्य किया गया है।
2. एबी पीएम-जय स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करता है। माध्यमिक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए एक परिवार के लिए एक वर्ष के लिए 5 लाख रुपये तक।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) न तो 1 और न ही 2
d) 1 और 2 दोनों

Q.36 निम्नलिखित में से कौन-सा/से नदी तल के रेत खनन के नकारात्मक परिणाम हैं/हैं?

a) मृदा अपरदन
b) पानी के नीचे और तटीय रेत की गड़बड़ी
c) मत्स्य पालन का विनाश
d) उपरोक्त सभी

Q.37 GEO (जियोस्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट), MEO (मीडियम अर्थ ऑर्बिट) और लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. LEO उपग्रह एक बड़ा कवरेज प्रदान करते हैं और केवल तीन उपग्रह पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। बड़े क्षेत्र में कवरेज प्रदान करने के लिए सैकड़ों GEO उपग्रहों की आवश्यकता होती है।
2. LEO उपग्रह छोटे होते हैं और GEO या MEO की तुलना में लॉन्च करने के लिए सस्ते होते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.38 DNTs (SEED) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा किया जा रहा है।
2. गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध घुमंतू जनजातियों (DNT/NT/SNT) उम्मीदवारों और समुदायों को शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.39 निम्न में से कौन एक दलदली नहीं है?
a) कंगारू
b) डिंगो
c) वालबाय
d) कोआला

Q.40 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मुद्दों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।
2. राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य पूरे देश में इसकी तैनाती के लिए नीतिगत शर्तें बनाकर भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.41 हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाइड्रोजन प्रकृति में मुक्त रूप से उपयोगी मात्रा में पाई जाती है।
2. यह आंतरिक दहन इंजन की तुलना में अधिक कुशल है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.42 न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस श्रेणी की जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करेगा?
a) आदिवासी
b) 14 साल से कम उम्र के बच्चे
c) वयस्क
d) उपरोक्त सभी

Q.43 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को हाल ही में लागू किया गया था। उसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्राधिकरण की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और इसकी पांच शाखाओं का नेतृत्व करने के लिए पांच सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
2. प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा और चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्थित होगा।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.44 एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा?
a) बीजिंग
b) टोक्यो
c) ढाका
d) इंदौर

Q.45 भारत की पहली वाटर टैक्सी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है?
a) केरल
b) महाराष्ट्र
c) गुजरात
d) दमन और दीव

Q.46 जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस (JEV) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह मच्छर जनित फ्लेविवायरस (क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर) है, और डेंगू, पीला बुखार तथा वेस्ट नाइल वायरस के समान जीनस से संबंधित है।
2. जेईवी एशिया में वायरल इंसेफेलाइटिस का सबसे महत्वपूर्ण कारण है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.47 विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है?
a) फोटोवोल्टिक कोशिकाओं का उत्पादन
b) अपशिष्ट प्रबंधन

c) एंटी डंपिंग शुल्क
d) कृषि प्रोत्साहन

Q.48 गेकोस निम्नलिखित में से किस वन्यजीव जानवर से जुड़े हैं?

a) छिपकली
b) बी) कछुआ
c) मेंढक
d) मगरमच्छ

Q.49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मेसियर 77 पृथ्वी से 47 मिलियन प्रकाश वर्ष (9.5 ट्रिलियन किमी) नक्षत्र सेतुस में स्थित है।
2. सक्रिय गांगेय नाभिक कई बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित स्थान होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा चमक होती है जो कभी-कभी आकाशगंगा के सभी अरबों सितारों को मिलाते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.50 सिंथेटिक जीव विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिंथेटिक जीव विज्ञान, अप्राकृतिक जीवों या कार्बनिक अणुओं को बनाने के लिए आनुवंशिक अनुक्रमण, संपादन और संशोधन का उपयोग करने के विज्ञान को संदर्भित करता है जो जीवित प्रणालियों में कार्य कर सकते हैं।
2. यह वैज्ञानिकों को खरोंच से डीएनए के नए अनुक्रमों को डिजाइन और संश्लेषित करने में सक्षम बनाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.51 निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है?

a) श्योक
b) गिलगित
c) जस्करी
d) लूनि

Q.52 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कीट जीवन चक्र में चार चरण होते हैं: अंडा, लार्वा (कैटरपिलर), प्यूपा (क्रिसलिस), और वयस्क (इमागो)।
2. अधिकांश कीट प्रजातियों के लार्वा और वयस्क पौधे खाने वाले होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.53 कॉर्बेवैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह COVID-19 के खिलाफ स्वदेशी रूप से विकसित पहला रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है।
2. इसका मतलब है कि यह SARS-CoV-2 के एक विशिष्ट भाग से बना है - वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.54 SEA-ME-WE-6 और भारत-एशिया-एक्सप्रेस (IAX) निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

a) एशिया बुलेट ट्रेन
a) पानी के नीचे केबल
b) आसियान देशों द्वारा जीएसएलवी उपग्रह
c) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q. 55 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. देश की एक तिहाई से अधिक आबादी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
2. भारत में 82 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं है और 163 मिलियन घरों के पास स्वच्छ पानी तक पहुंच के बिना रहते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56 निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन से जुड़ा है?

a) फ्रांस और जर्मनी
b) जर्मनी और रूस
c) यूएसए, यूके और जर्मनी
d) यूके और जर्मनी

Q.57 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस भाग में शामिल किया गया है?

a) भाग IV
b) भाग III
c) भाग IVA
d) भाग II

Q.58 नवपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस अवधि के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें रागी, चना, कपास, चावल, गेहूं और जौ थीं।

2. मिट्टी के बर्तन सबसे पहले इसी युग में दिखाई दिए।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.59 निम्नलिखित में से किस व्यवसाय में अंगदिया प्रणाली का प्रयोग अधिकतर किया जाता है?

a) खेती
b) आभूषण
c) कोल्ड स्टोरेज
d) मसाले

Q.60 अभ्यास 'कोबरा वारियर' निम्नलिखित में से किस देश में होगा?

a) यूके
b) यूएसए
c) मालदीव
d) भारत

Q.61 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ)-आधारित चार्जिंग कुछ फीट की दूरी पर गैजेट्स को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकती है, जबकि शिथिल-युग्मित रेजोनेंस चार्जिंग कुछ सेंटीमीटर दूर तक चार्ज दे सकती है।
2. वायरलेस चार्जिंग में फोन और चार्जर दोनों को चार्जिंग के लिए कॉपर कॉइल की जरूरत होती है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.62 P-8I किसके लिए जिम्मेदार है?

a) तटीय गश्त
b) खोज और बचाव
c) एंटी-पायरेसी
d) उपरोक्त सभी

Q.63 नेट जीरो कार्बन सिटीज मिशन निम्नलिखित में से किस गणना द्वारा शुरू किया गया है?

a) विश्व आर्थिक मंच
b) विश्व स्वास्थ्य संगठन
c) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
d) विश्व बैंक

Q.64 यूरोप की परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यूरोप की परिषद से जुड़े बिना कोई भी देश कभी भी यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हुआ है।
2. यह बाध्यकारी कानून नहीं बना सकता है, लेकिन इसमें चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की शक्ति होती है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.65 चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ हुई थी?

a) रूस
b) बेलारूस
c) यूक्रेन
d) मोल्दोवा

Q.66 चार चिनार द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?

a) केरल
b) पुडुचेरी
c) जम्मू और कश्मीर
d) गुजरात

Q.67 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अब तक की एकमात्र परिचालन अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किमी ऊपर एक प्रक्षेपवक्र में पृथ्वी की परिक्रमा करती है।
2. यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डेढ़ घंटे में पूरा करता है। इसलिए यह एक दिन में दुनिया भर में लगभग 16 चक्कर लगाता है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.68 इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है?

a) सतलुज और ब्यास
b) रवि और ब्यास
c) रवि और चिनाब
d) केवल ब्यास

Q.69 एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज-VI निम्नलिखित में से किसके बीच एक सैन्य अभ्यास है?

a) भारत और वियतनाम
b) भारत और ओमान
c) ओमान और वियतनाम
d) वियतनाम और म्यांमार

उत्तर कुंजी

1 C
2 A
3 D
4 B
5 A
6 D
7 B
8 C
9 D
10B
11 B
12 B
13C
14C
15B
16D
17B
18C
19C
20D
21D
22C
23D
24D
25D
26C
27B
28 D
29 C
30 A
31 D
32 C
33 B
34 A
35 C
36 D
37 B
38 C
39 B
40 C
41 B
42 C
43 C
44 D
45 B
46 C
47 B
48 A
49 C
50 C
51 D
52 C
53 C
54 B
55 C
56B
57C
58C
59 B
60 A
61 C
62 D
63 A
64 C
65 C
66 C
67 C
68 A
69 B

IAS BABA

Baba's Foundation Course (FC) - 2023

Baba's 8 fold path to crack IAS in 1st Attempt!

"The Most Comprehensive CLASSROOM & MENTORSHIP Based Program for UPSC / IAS"

OFFLINE CLASSES @ Delhi | Bengaluru | Lucknow

LIVE Online Classes

15% OFF Early Bird Offer!

REGISTER NOW

Scan Here to Know More

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888